सप्तम माला, खंड 7 अंक 31 शनिवार, 19 जुलाई, 1980/28 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

शनिवार, 19 जुलाई, 1980/28 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में :	1
विधेयक पर अनुमति	2
नियम 377 के अधीन मामले	2—5
(एक) रायल सीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्र को खाद्यान्नों का विशेष कोटा देने की आवश्यकता	2
श्री पी० राजगोपाल नायडू	
(दो) कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता	2
श्री ए० के० राय	
(तीन) औद्योगिक कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के कारण फरीदाबाद में तनावपूर्ण स्थिति होने का समाचार	3
श्री राम विलास पासवान	
(चार) उत्तर प्रदेश में कापियों और पाठ्यपुस्तकों के अभाव का समाचार	4
श्री बी० डी० सिंह	
(पांच) बांकुरा-दामोदर रेलवे लाइन पर बांकुरा और रैना के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता	5
श्री अजीत कुमार साहा	
अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1980-81	5
(एक) रक्षा मंत्रालय	5—31
प्रो० नारायण चन्द पराशर	5—7
श्री के० मायातेवर	7—9
श्री टी० एस० नेगी	9—11
श्री आर० पी० गायकवाड़	11—12
श्री एन० ई० होरो	12—13
श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह	13—15
श्री एम० एम० लारेंस	15—18
श्री तारिक अनवर	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री बापूसाहिब परुलेकर	19—22
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	23—25
श्रीमती इन्दिरा गांधी	25—31
(दो) गृह मन्त्रालय	32—130
श्री धनिक लाल मंडल	32—43
श्री बालेश्वर राम	43—54
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	54—60
श्री निरेन घोष	60—65
श्री एच० के० एल० भगत	65—86
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	86—92
श्री भोगेन्द्र झा	92—97
श्री दिलीप सिंह भूरिया	97—101
श्री वी० के० नायर	101—108
श्री चन्द्रपाल शैलानी	108—112
श्री जयराम वर्मा	112—119
श्री दलबीर सिंह	119—122
श्री रामावतार शास्त्री	122—123
श्री आचार्य भगवान देव	123—130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	118—119

लोक-सभा

शनिवार, 19 जुलाई, 1980/28 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले ही दे रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दंडवते, आप बहुत विद्वान हैं और आप जानते है कि इस समय यह नहीं किया जा सकता है। आज गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा की जानी है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल एक दो सैकन्ड की बात कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : और आप ऐसा चाहते हैं तो उसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने पहले ही इसे अस्वीकार कर दिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इतना ही आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कमजोर वर्गों के लोगों की सुरक्षा एक सांविधानिक उत्तरदायित्व है और संविधान इसकी गारंटी देता है। 4 हरिजनों का······

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय दे दिया है। आप इसे जानते हैं। अगर आप जैसा योग्य व्यक्ति मुझे इस तरह परेशान कर रहा है···तो मैं आपसे कुछ और अपेक्षा करता हूं। आप मेरी सीमाओं को जानते हैं। आप इसे जानते हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने इस बारे में 377 का नोटिस दिया था, वह मंजूर नहीं हुआ है । बिहार में 4 हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में 377 को नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी इत्तिला मुझे मिली है लेकिन आज होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स आ रही हैं, उस वक्त आप बोलिये ।

श्री राम विलास पासवान : क्या मंत्री जी जवाब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। अब 377.

विधेयक पर अनुमति

सचिव महोदय : 5 जुलाई 1980 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1980 को मैं सभापटल पर रखता हूं।

श्री निरेनघोष (दमदम) : मैंने श्री राव बीरेन्द्रसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान) एक सप्ताह बीत चुका है।

नियम 377 के अधीन मामले

एक रायल सीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्र को खाद्यान्नों का विशेष कोटा देने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

रायल सीमा के प्राय: सभी भाग सूखा-प्रवण क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। उस क्षेत्र के एक भाग या दूसरे भाग में हर वर्ष सूखे की स्थिति रहती है। पिछले वर्ष से रायल सीमा के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति व्याप्त है।

इस वर्ष बारिश नहीं हुई है और किसान मूंगफली भी नहीं बो सके हैं। अगर एक माह के अन्दर वर्षा नहीं हुई तो खड़ी फसल भी नष्ट हो जायगी। फिलहाल कृषि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और उनकी हालत शोचनीय हो रही है।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत केवल पुरानी योजनाएं ही शुरू की जा रही हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये खाद्यान्नों की अल्पता के कारण नये काम नहीं लिये जाते हैं। जब तक रायलसीमा में नये काम शुरू करने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को निश्चित अनुदेश देकर विशेष योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का कोटा नहीं बढ़ाया जाता है तब तक उस क्षेत्र में कृषि मजदूरों की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा।

(दो) कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यह जानकर हमें सदमा पहुंचा है कि कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, जो देश के महत्वपूर्ण एककों में से एक है, जहां कुछ 4000 कर्मचारी काम करते हैं जिसे एकाधिकारी सदन टाटा लोह एवं इस्पात कम्पनी को सौंपा जा रहा है। यह पहले बर्ड एण्ड कम्पनी के हाथ में था और बाद में इसे हेलगर्स कम्पनी समूह को हस्तांतरित कर दिया गया था।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कारखाना कुप्रबंध एवं कार्यकारी पूंजी के बाहर जाने के कारण जुलाई 1979 से बंद था और इसके परिणामस्वरूप पुरानी कम्पनी को परिसमाप्न करना पड़ा और कारखाना को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से इलाहाबाद बेंक के ग्राह्यता (रिसीवर) के अधीन रखा गया था।

कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स के बंद होने के समय उस पर इलाहाबाद बैंक का करीब 8 करोड़ रुपया, बिहार स्टेट बैंक का करीब 2 करोड़ रुपया, एवं कर्मचारियों का भविष्यनिधि एवं अर्जित मजदूरी आदि के रूप में करीब 14 लाख रुपये बकाया था।

जुलाई 1979 से कर्मचारी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने एवं उसे पुनः खोलने की मांग को लेकर शांति पूवक सत्याग्रह कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद बैंक, बिहार सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बीच कई बार चर्चाएं की गईं।

यह मामला संसद में आतरांकित प्रश्न संख्या 1699 के रूप में 26 मार्च को तथा पुनः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाया गया था और दोनों अवसरों पर उद्योग मंत्री महोदय ने कारखाना को कम से कम समय में सरकारी प्रबंध क्षेत्र के अन्तर्गत पुनः खोलने का आश्वासन दिया था।

इस मामले के सम्बन्ध में सरकार के पास कई विकल्प थे। वह जनता शासनकाल के दौरान कानपुर के स्वदेशी सूती मिल की तरह कारखाना को सीधे प्रबन्ध के अन्तर्गत पुनः खोल सकती थी या उस क्षेत्र में पहले से काम कर रही कोल इण्डिया लिमिटेड या टाटा आयरन स्टील कम्पनी के प्रबंध के अन्तर्गत कारखाना को रख सकती थी। परन्तु यह जानकर हमें बड़ी निराशा हुई कि एकाधिकार निबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम और आज तक जिस उधोक्ति आर्थिक नीति का पालन किया गया, इन सबकी अवहेलना कर एवं विरोधकर इस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग वर्क्स को एक बड़े एकाधिकार सदन, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सौंपा जा रहा है। अतः इस कुमार दुबी इंजीनियरिंग वर्क्स को जो इस समय इलाहाबाद बैंक के अधीन है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सौंपने से इस सभा के साथ विश्वासघात होगा और सरकार की नीति का उल्लंघन होगा और साथ ही इससे उन कर्मचारियों को निराशा भी होगी जो काफी समय से इस कम्पनी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने की मांग कर रहे हैं।

(तीन) औद्योगिक कर्मचारियों में व्याप्तअसंतोष के कारण फरीदाबाद में तनावपूर्ण स्थिति होने का समाचार

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : फरीदाबाद में मजदूर असंतोष के कारण स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। लगभग 10,000 मजदूर फरीदाबाद में ट्रेड यूनियन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण विभिन्न उद्योगों से निकाल दिये गये हैं और वे फरीदाबाद में रोजगार पाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। ईस्ट इण्डिया काटन मिल, जिसके लगभग 3200 मजदूर पिछले वर्ष 23 जुलाई 79 को फैक्टरी से बाहर निकाल दिये गये थे, क्योंकि उन्होंने एक मांग-पत्र दिया था, उसी के कारण 17 अक्तूबर 79 को फरीदाबाद बन्द हुआ था और एक भयानक गोलीकांड हो गया था जिसमें दर्जनों मजदूर मारे गये थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इसके बाद हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के साथ स्थानीय ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक समझौता 19-11-79 को हुआ था जिसमें मृतक मजदूरों के परिवारों को 10,000 (दस हजार रुपये) देने तथा विवादास्पद उद्योगों के मजदूरों और मेनेजमेंट में समझौता कराने तथा 1,000 झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूरों

को मकान बना कर देने का समझौता किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया। मैंने खुद फरीदाबाद जाकर स्थिति का अध्ययन किया है। हरियाणा पुलिस उद्योगपतियों का साथ देकर मजदूरों पर दमन करती है। आतंक का वातावरण बनाने के लिए सारे फरीदाबाद में बटालियन हरियाणा शस्त्र पुलिस तथा दो बटालियन सी० आर० पी० स्थायी तौर पर बुला ली गई है। मजदूरों को पुलिस द्वारा गलत और झूठे मुकदमे लगाकर इधर-उधर के केसों में फंसाया जा रहा है। फैक्टरी द्वारा पुलिस और गुण्डों के बल पर मजदूरों पर जुल्म ढाया जा रहा है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि यदि वह फरीदाबाद की विस्फोटक तथा तनावपूर्ण स्थिति को शान्त करना चाहती है, तो केन्द्र सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे, और—

1. निकाले गए मजदूरों को काम पर वापिस लिया जाए।

2. पुलिस दमन बन्द किया जाए और पुलिस द्वारा मजदूरों और उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं।

3. 17 अक्तूबर 1979 कांड के शहीद मजदूरों के परिवारों को सरकार द्वारा तय समझौते के तहत दस हजार रुपये मुआवजा दिया जाए।

4. 17 अक्तूबर 1979 कांड की न्यायिका जांच कराई जाए।

5. उक्त कांड के मजदूरों एवं मजदूरों नेताओं पर चलाए जा रहे झूठे मुकदमे वापिस लिए जाएं।

(चार) उत्तर प्रदेश में कापियों और पाठ्यपुस्तकों के अभाव का समाचार

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभ्यास पुस्तकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का अभूतपूर्व अभाव पैदा हो गया है। प्रदेश के बाजारों में नियंत्रित मूल्य की पुस्तकाएं खोजने पर भी नहीं मिलेंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जून में ही यह आशंका व्यक्त की थी कि पुस्तिकाओं का अभाव होने की सम्भावना है। उन्होंने नियंत्रित कागज के कोटे में वृद्धि की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी तथा नियंत्रित कागज की पूर्ति भी तत्काल करने का आग्रह किया था। सरकार द्वारा समय पर ध्यान न देने से यह स्थिति और गम्भीर हो गई। इस संकट के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय दोनों सरकारें उत्तरदायी हैं। यह सर्वविदित है कि जुलाई से शिक्षा सत्र प्रारम्भ होता है और उसी समय सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों का क्रय करते हैं। फिर पुस्तिकाओं की आपूर्ति में इस प्रकार की अनुत्तरदायित्वपूर्ण शिथिलता क्यों हुई? नियंत्रित कागज की पुस्तिकाओं के अभाव में अनियंत्रित कागज से बनी पुस्तिकाओं, जिनका निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है, का विक्रय करके व्यापारी निर्धन छात्रों एवं अभिभावकों का गहन शोषण कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रान्तों को कागज का कोटा किन-किन आधारों पर निश्चित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र एवं उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया गया।

अनियंत्रित कागज द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं का एक ओर तो निर्माताओं ने आकार (लम्बाई एवं चौड़ाई दोनों) को बहुत छोटा कर दिया है और दूसरी ओर उनके मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है। गत वर्ष नियंत्रित कागज से बनी हुई पुस्तिकायें सर्वत्र उपलब्ध थीं।

64 पृष्ठ की अभ्यास पुस्तिका तीस पैसे में प्रत्येक विक्रेता के यहां मिल जाती थी। इस वर्ष उन पुस्तिकाओं के अभाव में 80 पृष्ठ वाली अनियंत्रित पुस्तिका जिस का आकार नियंत्रित पुस्तिका पुस्तिका से काफी छोटा है, बाजार में एक रुपये में बिक रही है। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव उत्पन्न हो गया है। पुस्तकों के मूल्य में डेढ़ से लेकर अढ़ाई गुना तक की वृद्धि देखने में आई है। सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि जिन पुस्तकों का मुद्रण गत वर्ष या इसके पूर्व हो गया था, वे पुस्तकें भी इस वर्ष बढ़े हुए मूल्य छाप कर बेची जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में नियंत्रित पुस्तकाओं का वितरण सरकार सहकारी संघों द्वारा कराने जा रही है, जिन पर से जन साधारण का विश्वास उठ चुका है। वितरण प्रणाली भयंकर दोषों से ग्रस्त है। नगरों के विभिन्न क्षेत्रों एवं सुदूर गांवों के विद्यार्थियों को ये पुस्तिकायें किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगी, सम्भवतः सरकार ने इस पर चिन्तन करने का कष्ट नहीं उठाया है। भयंकर आर्थिक तनाव में जी रहे अभिभावकों एवं छात्रों का यह शोषण सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा, कच्छप गति एवं कल्पनाशून्यता का परिणाम है। माननीय शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कृपया एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दे कि उचित मूल्य की शिक्षा सामग्रियों के अभाव में छात्रों एवं अभिभावकों का अब और अधिक शोषण नहीं होगा।

(पांच) बांकुरा-दामोदर रेल लाईन पर बांकुरा और रैना के बीच अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : पहले बांकुरा और रैना के बीच बांकुरा-दामोदर रेलवे लाइन पर तीन जोड़ी गाड़िया चल रही थीं। परन्तु इस समय केवल 2 जोड़ी गाड़ियां ही चल रही हैं। जिससे इस क्षेत्र के अनेक लोगों को, विशेषरूप से खेतिहर मजदूरों और आदिवासी लोगों को, जो फसल की बुवाई और कटाई के मोसम में काफी संख्या में यात्रा करते है, बड़ी कठिनाई होती है। इन लोगों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये संचार के और कोई अन्य साधन नहीं हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे के अदरा डिविजन के डिविजनक अधीक्षक ने इस रेलवे लाइन पर डीजल इंजन से रेल गाड़ियां चलने का वायदा किया था जो दुभाग्यवश अभी तक पूरा नहीं किया गया है और रेलवे लाइन का रख-रखाव भी भली-भांति नहीं हो रहा है। यहां तक कि नेमी रख-रखाव कार्य भी काफी समय तक नहीं किया गया है।

अतः रेल मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि गरीब खेतिहर मजदूरों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए कम से कम 3 जोड़ी गाड़ियां चलती रहें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81—जारी

रक्षा मन्त्रालय-जारी

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : जैसा कि मैंने कल कहा था कि सम्पूर्ण देश की चिन्ता रक्षा तैयारी के बारे में है और इस प्रयोजन के लिए देश के सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में हमारे रक्षा प्रबन्ध में एक रोचक कमी की ओर ध्यान दिलाना

होगा । प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा प्रबन्धक के लिए एक विशेषज्ञ संवर्ग बनाने की सिफारिश की थी । इस समम सेना के लिए हमारे पास कोई सिविल सचिवालय नहीं है और भारतीय प्रशासकीय सेवा, आदि से जो व्यक्ति लिए जाते हैं, वे बहुधा बदल दिए जाते हैं । परिणाम यह होता है कि समन्वय, गहराई से अध्ययन और रक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया जारी नहीं रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि प्रशासन सुधार आयोग की इन सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया जाये और देश की रक्षा नीति से एक रूप रेखा तैयार करने के लिए एक विचार मंच होना चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, युद्ध नीति विशेषज्ञ और मेजर जनरल तथा इसके ऊपर की श्रेणी अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हो, क्योंकि जब तक गहराई से और सतत अध्ययन नहीं होगा, तब तक देश सुरक्षित स्थिति में नहीं लाया जा सकता ।

देश के सीमावर्ती राज्यों के साथ जो अन्याय किया गया है, उसके बारे में जो में बताना चाहता हूं । नयी भर्ती नीति में सरकार ने कोटा कम करके इसे भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या की सभी श्रेणी की रेजीमेंट से जोड़ दिया है । इस बात से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा पूर्वोत्तर राज्य और केरल तथा तमिलनाडु प्रभावित हुए हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि सेना में जो कोटा 4·6४% या इससे अधिक था, वह अब कम करके 6% कर दिया गया है । इस पर देश की रक्षा के लिए इस राज्य द्वारा किए गए त्याग के संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए । मैं रक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा राज्य वार सैनिक विधवाओं के बारे में सप्लाई किए गए आंकडों पर विचार कर रहा था और मैंने पाया है कि 30 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में 456 सैनिक विधवायें हैं । इसी प्रकार पंजाब में 972, हरियाणा में 707 और उत्तर प्रदेश में 111३ तथा राजस्थान में भी 459 सैनिक विधवायें हैं । इस देश में सैनिक विधवाओं की कुल संख्या 5210 है । इससे आप पता लगा सकते हैं कि इन सीमावर्ती राज्यों ने कितना बलिदान किया है । माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा उत्पादन मंत्री से मेरा निवेदन है कि भर्ती नीति पर पुनर्विचार करें और उन राज्यों का कोटा पुन; बहाल करें जो शत्रुओं के साथ वीरतापूर्वक लड़े हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने कोटों का बलिदान किया है और अपनी पूरी ताकत से देश की सीमाओं की रक्षा की है । मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान और चीन के दोहरे खतरे का मुकाबला करने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सामजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों और जम्मू और कश्मीर पर न केवल सशस्त्र सेनाओं के मामले में अपितु सीमा सुरक्षा बल, सी० आई० एस० एफ०, आई० टी० बी० पी० तथा अन्य सैनिक बलों के मामले में भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य राज्यों से भर्ती होने पर हमें ईर्ष्या होती है परन्तु हमारा यह कहना है कि इन सीमा वर्ती राज्यों में कोई बड़ा उद्योग, आयुध कारखाना न होने तथा रोजगार के अवसर कम होने के कारण इन क्षेत्रों के लोगों की शिकायत है और विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों को शिकायतें हैं। इसे ठीक किया जाना चाहिए ।

अब मैं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास पर आता हूं जो एक महत्वपूर्ण कार्य है । लोक सभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार 1 जनवरी, 1978 को पुनर्वास और रोजगार कार्यालय के यहां 45462 लोगों के नाम दर्ज थे । 1 जनवरी 1979 को इनकी सरकार बढ़कर 63893 और इस वर्ष । जनवरी को 79140 हो गई । इसके विपरीत इन वर्षों में जिन्हें रोजगार मिला उनकी

वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :—

1977	—	3590
1978	—	3413
1979	—	3084

रोजगार निदेशालय में /9,000 लोगों के नाम पंजीकृत थे और रोजगार 3,000 को दिया गया। पुनर्वास और रोजगार निदेशालय द्वारा इस दिशा में बहुत ही कम काम किया जा रहा है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। संसद को भी मूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की चिन्ता होनी चाहिए। प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सेवा निवृत होते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये आंकड़े यह सिद्ध करने के लिए दिए हैं कि निदेशालय कितना कम काम कर रहा है। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित ओर अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी संसदीय समिति की भांति इनके लिए भी एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए जिससे कि राज्यीय और केन्द्रीय एजेन्सियों, सरकारी उपक्रमों ओर अन्य रोजगारोन्मुख कारखानों की मूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं के कार्य में समन्वय स्थापित किया जा सके।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस बारे में रक्षा मंत्रालय की मदद करनी चाहिए। 1978 में रक्षा मंत्रालय ने 121 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा लेकिन भूतपूर्व सैनिकों ओर सेवारत सैनिकों जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्र में केवल 54 स्कूल खोले गए। 67 स्कूल अभी खोले जाने हैं। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मंत्रालय द्वारा लिए गए बिभिन्न निर्णयों को शीघ्र कार्यरूप दिया जाना चाहिए। मुझे यह शिकायत मिली है कि शिमला जिले में जाखड़ी में एक ट्रांजिट कैंम्प स्थापित किया गया और उसके लिए भूमि अर्जित की गई। पर उसका मुआवजा अभीतक नहीं दिया गया है। मैं यह आग्रह भी करूंगा कि न केवल मूतपूर्व सैनिकों की ओर अपितु जिन क्षेत्रों के वे हैं उन क्षेत्रों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और वहां नई रेल लाइनें, नए उद्योग और सीमा सड़कें बनाई जानी चाहिए।

मैं पेंनशन में असंगतियों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। सैनिक और मूतपूर्व सैनिक अपने रेंक का बहुत ख्याल रखते हैं। वे इस बात को सहन नहीं कर सकते कि उन्हें के रेंक का कोई जवान जो आज सेवनिवृत होता है उसे उनसे तिगुनी पेंशन मिले। सरकार ने तनर्थ राहत देने के लिए जो उपाय किए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और भूतपूर्व सेनिकों को उचित पेंशन दी जानी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में जो असंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यबाद देत हूं कि जब वह प्रधानमंत्री बनी तो सरकारी अधिकारियों ने सैनिकों की विधवाओं के घर जाकर पेंशन कागजात तैयार किए। इससे उनको काफी राहत मिली। अत; न केवल सीमाओं पर शत्रु से जूझ रहे जवानों की ओर अपितु जो वहां शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के कल्याण की ओर भी सारे राष्ट्र को ध्यान देना चाहिए। इस विषय में सरकार ने जो काम किया है उसके लिए मैं उसका आभारी हूं। मैं यह आग्रह करूंगा कि राहत सम्बन्धी कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू किया जाए।

श्री के॰ मायातेवर (डिण्डिगल) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने योग्य वैज्ञानिकों को 'रोहिणी' को अन्तरिक्ष में छोड़ने के लिए बधाई देता हूं। एक वैज्ञानिक ने कल प्रेस से भेंट की ओर लताया कि हमारी सेन, हमारे वैज्ञनिकों

एवं तकनीशियनों ने आई० आर० बी० ऐम० बनाने की क्षमता और ज्ञान हासिल कर लिया है। पर साथ ही उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकारी मंजूरी नहीं मिल पाती। उन्होंने बताया कि हमारे वैज्ञानिक और हमारी औद्योगिकी काफी सक्षम है और सरकार को उन्हे आई० आर० बी० एम० बनाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। दूसरे चरण में हम आई० सी० बी० एम० बना सकपे हैं और अन्तत: परमणु बम तैयार कर सकते हैं।

मैं डी० एस० के० पार्टी की ओर से यह मांग करता हूं कि सभी प्रकार के आधुनिक और अत्याधुनिक हथिआरों का निर्माण दिया जाये ताकि हम अपने देश की रक्षा पूरी शक्ति से कर सकें। देश की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे माननीय और विद्वान बन्धु श्री वाजपेयी ने अणुबम बनाने के सुझाव को समर्थन देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। जब वह 1973 से 1977 तक हमारे साथ विपक्ष में थे तो वह देश की रक्षा के लिए अणुबम बनाने के समर्थन में भाषण दिया करते थे। 1977 में विदेश मन्त्री का कार्यभार संभालने के पश्चात् उन्होंने बताया कि श्री मोरारजी भाई के नेतृत्व वाली सरकार बम बनाने की इच्छुक नहीं है। मैं श्री वाजपेयी जी को दोष नहीं देता हूं। वह एक सक्षम नेता हैं। किन्तु उनके हाथ तथा पैर बंधे हुए थे और उन्हें इस विषय पर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा श्री मोरार जी देसाई और उनकी सरकार के नेतृत्व में हुआ था। मित्र भूतपूर्व विदेश मन्त्री हमारे विद्वान विदेश नीति के निर्माण पर टिप्पणी कर रहे थे। विदेश नीति का निर्माण देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके दो सिद्धान्त हैं। वह इस पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 1977 से लेकर उस समय तक कोई विदेश नीति निर्मित की थी, जबकि जनता ने आपको सत्ताच्युत किया था। उन्होंने कोई विदेश नीति नहीं बनाई थी। समूचा राष्ट्र इस बात को जानता है और समूचा विश्व जानता है। हमने उन्हें अनेक बार सुझाव दिया था कि वह एक विदेश नीति और एक सुरक्षा नीति का निर्माण करें। किन्तु उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। वह एक दूसरे का गला काटने में लगे रहे। वह एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। वह अपनी जनता सरकार की ही सुरक्षा नहीं कर सके। उन्होंने इस सम्मानित सदन को ही उसका पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। वह देश की रक्षा कर सकते हैं; आप उनसे इसकी आशा कैसे कर सकते हैं ? मैं किसी भी माननीय सदस्य पर व्यक्तिगत रूप से प्रहार नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं जनता पार्टी की सरकार की नीतियों और सिद्धान्तों पर टिप्पणी कर रहा हूं कि वह अव्यवहारिक और कृत्रिम थीं। हमें मोरारजी देसाई की नीति से इन्दिरा गांधी की नीति पर, जोकि राष्ट्रीय नीति है, आना पड़ा। मैं अपनी माननीय प्रधान मन्त्री की सराहना करता हूं जिनके कारण 'रोहिणी' उपगृह छोड़ा गया और अन्य कार्य किये गये।

हमारी सशस्त्र सेनाएं शौर्य, देशभक्ति और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उनमें ब्रिटिश सेना से भी अधिक बलिदान और निष्ठा की भावना है। किन्तु वह युद्ध के मैदान में खाली हाथ नहीं लड़ सकती। खाली पेट वह वीरता से नहीं लड़ सकेंगे। हमें लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिये उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना होगा।

हमारे माननीय मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि और अधिक वित्त की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हम अपनी पत्नी, बच्चे और अपने काम धन्धों के बिना रह सकते हैं किन्तु हम अपने देश के बिना नहीं रह सकते। अत: देश की सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

धर्म और अधर्म में निरन्तर युद्ध छिड़ा हुआ है। हम धर्म के लिये लड़ रहे हैं। हमारा देश पुरातन काल से धर्म के लिये युद्ध कर रहा है और अन्ततः इसकी विजय होगी। किन्तु हमारे शत्रु अधर्म का प्रचार और उसके लिये युद्ध कर रहे हैं। अतः यद्यपि हम अहिंसा और पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित सह-अस्तित्व की नीति का समर्थन कर रहे हैं, किन्तु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि हमारे पड़ोसी और हमारे शत्रु हमारी शान्ति की नीति का न सम्मान ही करते हैं और न उसका पालन करते हैं। अतः हम मानवभक्षी लोगों को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकते। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि वे मानव भक्षियों की तरह हैं। हम किसी शेर अथवा चीते को अहिंसा का पाठ नहीं सिखा सकते। कोई चीता अपना स्वभाव और रंग नहीं बदल सकता। अतः हमारे देश को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह मेरी सिफारिश है। इस आधार पर मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और मैं अपने राष्ट्र को एक मजबूत परमाणु शक्ति में परिवर्तित करने के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। चीन और अन्य देश पहले ही महा परमाणु शक्ति बन चुके हैं।

हमारे वास्तविक मित्र कौन हैं? इन मांगों पर पिछले वर्ष दिये गये डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के भाषण को मैंने पढ़ा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इस प्रकार का भाषण दिया। पिछले वर्ष जब उन्होंने भाषण दिया था तो मैं यहां नहीं था। कल मैंने उन्हें पूछा था कि क्या वह आज यहां रहेंगे। उन्होंने कहा, "वह आज अनुपस्थित रहेंगे और आप जो चाहो कह सकते हो।" (व्यवधान) पिछले वर्ष अनुदान की मांगों सम्बन्धी अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अमरीका भारत का वास्तविक मित्र है। (व्यवधान)। उनकी अब भी यही राय है। उन्होंने कहा है कि अमरीका हमारा वास्तविक मित्र है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अमरीकी सरकार ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 7वां नौसैनिक बेड़ा भेजा था जब हम चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। इस सातवें बेड़े मे सभी प्रकार के परमाणु प्रक्षेपास्त्र तथा आई० सी० बी० एम० लगे हुए थे। अतः हमें अपने वास्तविक मित्रों की पहचान करनी चाहिये। न केवल मैं अथवा मेरी पार्टी बल्कि यह समूचा सदन माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को सहयोग देगा क्योंकि वह उस समय भी प्रधान मन्त्री थी जब उन्होंने देश के हितों की सुरक्षा के लिये रूस से शान्ति संधि की थी। वह हमारे वास्तविक मित्र हैं। विपदाओं में ही काम आने वाला ही वास्तविक मित्र हो सकता है। अमरीका वास्तविक मित्र नहीं है। वह खतरनाक शत्रु है और उस पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। अतः हमें एक प्रभावी विदेश नीति बनानी होगी। जनता सरकार ने देश में और देश के बाहर भ्रान्ति पैदा कर दी थी और इस महान राष्ट्र के नाम और प्रतिष्ठा को कलंकित किया था। हमें अपनी समूची सुरक्षा नीति और विदेश नीति को पुनः बनाना होगा। अतः हम अनुदानों की मांगों को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम हमेशा देश की सुरक्षा के लिये है। जब तक हमारे शरीर में लहू की आखिरी बूंद बची है हम अपने देश की रक्षा के लिये हमेशा तैयार रहेंगे।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, में सुरक्षा मंत्रालय की अनुदान की मागों के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा की पंक्ति दुनिया में सबसे आगे है और हिन्दुस्तान के लोग

भी चाहते हैं कि हमारी फौजें अति उत्तम हथियारों से लैस हों। जो लोग हिमालय की चट्टानों में, रेगिस्तानों में, समुद्र में और आकाश में उड़कर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। श्रीमान्, में उस इलाके से आता हूं, जहां से ज्यादा लोग फौज में भर्ती होते हैं। एक तरफ जो लोग हमारी रक्षा के लिए बार्डर्स पर तैनात हैं, उनकी बहुत सी दिक्कतें हैं और दूसरी तरफ जिनके पिता व भाई फौज में भर्ती हैं, उनके घरों की हालत को जब हम देखते हैं तो दिखाई देता है और जबकि उनकी सुविधाओं का कोई प्रबन्ध नहीं है। जब वे लड़ाई में जाते हैं जीतकर आते हैं, तो हम बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके जो माता लोग पिता, पत्नियां गांवों में रहते हैं, उनकी कोई देख-रेख नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी देख-रेख के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

रिटायरमेंट के बाद जब वे लोग घर जाते हैं, तो उन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। आपने डायरेक्टर-जनरल-रीसैटलमेंट का दफ्तर तो खोल दिया है, लेकिन उसके तहत आपने कितने लोगों को काम दिया है। मैं समझता हूँ कि शायद ही 5-10 परसेंट लोगों को काम मिला हो। वे लोग जब रिटायरमेंट पर जाते हैं, तो उनके कागजात दफ्तर से मुकम्मिल नहीं होते हैं और वे हमको परेशान करते हैं कि हमारे कागजात तैयार नहीं हुए हैं और हमें अभी तक पैंशन नहीं मिली है। गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार जो ग्रेच्यूटी देती है, वह भी समय पर नहीं देती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ, फौज में जो काम करने वाले हैं, उनको देखना चाहिए कि ये कागजात समय पर तैयार हो जायें, ताकि उनको पैसा समय पर मिल सके। मेरा एक यह भी सुझाव है कि जो लोग रिटायरमेंट पर जाते हैं, रिटायर होने के पांच-छः महीने पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस जगह पर आप उनको भेजना चाहते हैं ताकि वह वहां जाकर काम कर सके, इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

आज जब हम अफसरान की तरफ देखते हैं तो यह बड़े ताज्जुब की बात है कि आज बड़ी तादाद में अफसरान समय से पहले रिटायर होना चाहते हैं। वे पूरी टर्म तक नौकरी नहीं करना चाहते हैं। उनको रोका जाता है, उनको घर नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इजाजत मिल जाती है और इसका कारण यह है कि उन लोगों का प्रामोशन समय से नही होता है। मेरा निवेदन है कि इस किस्म की चीजों को दूर करना चाहिए, यह तभी हो सकता है जब बाकायदा नियम बनें हो और उन नियमों का पालन हो। लेकिन वहां तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता रहता है, यह भी बड़ी भयंकर स्थिति है, जिसको दूर करनी चाहिए।

हमारे यहां सीमा सड़क संगठन है, जिसने बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई हैं। सड़क बन्द न होने की वजह से हम लोग हर समय आ जा सकते हैं और हमारी फौजों को कोई तकलीफ नहीं होती है। उनके साथ एक अजीब स्थिति है, न उनको फौज में माना जाता है और न ही सिविल में माना जाता है। जब सजा दी जाती है तो फौजी कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल के करीब हो गया है, सैंकड़ों की तादाद में लोग जेल में पड़े हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तनख्वाह का सवाल आता है, उनकी पेंशन का सवाल आता है, तो सिविल में माने जाते हैं। उनको स्पष्ठ रूप से बताना चाहिए कि उनको फौज में रखा जा रहा है या सिविल में रखा जा रहा है ताकि कहीं-न-कहीं का कानून तो लागू हो। इसकी कोई व्यवस्था, श्रीमान, उसमें नहीं है, इसको देखना

चाहिए। मैंने उनकी तरफ से प्रधान मन्त्री जी को एक प्रतिवेदन भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पर जल्दी गौर होगा, लेकिन 5-6 महीने बीत गये, अभी तक इस को नहीं देखा गया है। उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी तनख्वाह के बारे में, उनके वेजेज के बारे में, ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्पष्ट तौर पर बताया जाय कि वे कहां है और जिस स्थिति में हैं ?

एक निवेदन में यह करना चाहता हूं कि दिल्ली में अफसरान के लिये या आप के जो सोल्वर्स हैं, उनके लिए मकान की व्यवस्था कम है। मकान किराये पर लेने के लिए उनको जो पैसा दिया जाता है, वह पूरा नहीं होता है। आज दिल्ली में मकानों के किरायें हमने ज्यादा बढ़ गये हैं कि उनको मकान मिलना मुशकिल हो गया है, वे लोग बड़ी फजीहत में हैं—इसलिये गवर्नमेंट को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जिन्होंने समय पर डयूटी देनी है, उनके लिये मकानों की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी ही चाहिये।

इन शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ोदा) : महोदय, सफलतापूर्वक पहला उपद्रव रोहिणी आंतरिक्ष में भेजने के लिए मैं वैज्ञानिक और तकनीशियन को बधाई देता हूं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे सदन में मौजूद हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी कोई तरीका पता लगाएं क्योंकि सदन में वरिष्ट लोग हमारे समय को हथियाते रहे हैं, यदि वैज्ञानिक इसके लिए कोई तरीका ढूंढ निकालते हैं तो हमें भी कुछ कहने का अवसर मिल सके। इस मन्त्रालय को सभी मन्त्रालयों से ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद और यद्यपि हम गुटनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और हम किसी दूसरे देश पर या उसकी जमीन पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहते, हमें अपने हितों की और अपनी भूमि की तथा अपने देशवासियों की रक्षा करनी है। उसके लिए, हमें पर्याप्त मात्रा में रक्षा साज-समान जुटाना है जिससे हम बाहर से होने वाले किसी भी हमले का मुकाबला कर सकें। इस वर्ष बजट में धन के आबंटन में बुद्धि की गई है। परन्तु वह मुल्य वुद्धि के कारण प्रभावहीन हो सकता है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस मन्त्रालय को और अधिक धन दिया जाना चाहिए। जब कभी हमारे पास धन राशि पर्याप्त रही है, हम अपनी सेनाओं को नए उपकरणों से सुसज्जित करते रहे हैं और हम अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ देशी हथियार तैयार करने के लिए भी प्रयास करते रहे हैं। कीमतों में वृद्धि हो रही है, हमें इस मामले पर विचार करना है। केवल उस कारण से नहीं जो कि आज हम देखते हैं, परन्तु समूचे विश्व की वर्तमान स्थिति के कारण भी जहां कि हमारे देश के आसपास अशांति का वातावरण है हमें अपने राष्ट्र के हितों की निगरानी करनी है और हमें यह देखना होगा कि हमारी सेनाएं आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों। यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि हम अपनी गुट निरपेक्षता की नीति से अपने पड़ोसी देशों को तथा दूसरे देशों को भी यह समझा सके हैं कि हम उनकी भूमि को जीतना नहीं चाहते हैं और कि हम दुनियां में शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार करने से मैं समझता हूं कि विश्व ने हमारी नीति को समझा है। यह सब मुख्यतः भारी प्रधानमन्त्री के कारण संभव हुआ है—मैं उनकी चापलूसी नहीं करना चाहता, मैं किसी भी तरह की खुशामद का सहारा नहीं लेना चाहता—परन्तु मेरे विचार में वह (श्रीमती गांधी) शांति का हमारा सर्वोत्तम हथियार हैं, जो अन्य किसी देश के पास नहीं है और

यह उनके ही कारण से, हमारे उस हथियार की वजह से जो तभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता है, हम इस स्तर तक आ पहुँचे हैं। अपने देश में उस वातावरण के कारण ही हमारे यहाँ शांति एवं सुरक्षा की भावना है। मेरे विचार में, यदि उस मन्त्रालय की ओर अधिक धन दिया जाता है तो हम विस्फोट करने के लिए नहीं अपितु अपने देश के रक्षा उपाय के रूप में अणुबम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

जिस बात की मुझे सर्वाधिक चिन्ता है वह यह है सैनिकों और रक्षा-कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले मकानों के बदले में दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति। कुछ समय से इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। परन्तु रक्षा राज्य मन्त्री की यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई है कि इन सेवाओं के लिए और अधिक मकान आबंटित किए जाएंगे और इसके नजदीक तैनात किए गए सैनिकों के लिए आवास मुहैया किए जाएंगे।

दूसरी चिन्ताजनक बात भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है सेवानिवृति के बाद हमारे भूतपूर्व सैनिकों को समुचित नौकरियां नहीं मिलतीं। वह बात पहले भी कही जा चुकी है। परन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको भूतपूर्व सैनिक औसत आदमी की अपेक्षा बेहतर ढंग से कर सकते हैं जैसे सुरक्षा का कार्य, रेलवे में सिगनल मैन की कार्य तथा इसी तरह के अन्य कार्य जिनमें अत्यधिक कुशलता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। ये रक्षा कर्मचारी इसी तरह के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। इस विषय की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के विषय की निगरानी कर सके।

मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि उसी रूप में संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो इन बहादुर सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में जांच कर सके। उनके लिए अनेक स्कूल हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं है। इन स्कूलों में 121 स्कूल और बढ़ाने का लक्ष्य था। परन्तु अभी भी 67 स्कूल खोले जाने हैं। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर तेजी से किया जाना चाहिए। इन बहादुर सैनिकों के बच्चों को दी जा रही शिक्षा सुविधाओं के मामलों में संसद सदस्यों को रुचि लेनी चाहिए।

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में सरकार की भर्ती नीति के सम्बन्ध में बोलूंगा।

कुछ मिनट पहले दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य श्री पाराशर कुछ परेशानियों के बारे में बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि कुछ क्षेत्रों से पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से भर्ती का प्रतिशत सात प्रतिशत तक कम हो गया है। मैं उनको श्री रणजीत राय द्वारा लिखित "द एगोनी ऑफ वेस्ट बंगाल" शीर्षक पुस्तक से कुछ उद्धरण देकर उत्तर देना चाहूंगा। मैं उस पुस्तक से निम्न अंश उद्धृत करता हूं :

तथाकथित लड़ाकू 'जातियों' में सशस्त्र सेनाओं के लिए लोगों को भर्ती करने की केन्द्र की नीति के कारण अनेक राज्यों से धन निकल कर थोड़े से राज्यों के पास पहुंच जाता है। यह नीति केवल 'गैर-लड़ाकू' राज्यों के गर्व को ठेस पहुंचाती है और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कार्य करती है अपितु इससे अनेक आर्थिक और सामाजिक उलझनें पैदा होती हैं।"

1971 के बजट के बारे में बोलते हुए वह कहते हैं : "अब 13 0 करोड़ रुपए के लगभग अथवा केन्द्रीय बजट का 30 प्रतिशत रक्षा कार्यों के लिए नियत किया गया है। सशस्त्र सेनाओं की शक्ति 1947 के 250,000 सैनिकों से बढ़कर 80.000 से अधिक हो गई है। पश्चिम बंगाल से, जोकि महाराष्ट्र के बाद केन्द्रीय राजस्व जुटाने वाला सबसे बड़ा राज्य है, इस विशाल सेना में 2 प्रतिशत से भी कम लोगी की भर्ती की गई है। दूसरी ओर, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तथा राजस्थान से इन सेनाओं में 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग भर्ती किए जाते हैं।"

इसलिए वह कहते हैं कि उत्तरी भारत से सेना में 60 प्रतिशत की भर्ती की जाती है जबकि पूर्वी राज्यों से 2 प्रतिशत से भी कम भर्ती की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े प्रश्नों पर बोल सकते हैं।

श्री एन० ई० होरो : भर्ती के मामले में यहां 'लड़ाकू' और 'गैर-लड़ाकू' जातियों का एक तत्व है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद और चीन के युद्ध के बाद, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने अपना शौर्य प्रदर्शित किया, यह बात बेमानी हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने घोषणा की थी कि लड़ाकू जातियों से भर्ती सम्बन्धी नीति में वह परिवर्तन करेगी। परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से ऐसा नही किया जा सकता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब लड़ाई जातियों से भर्ती की जाती है तो सरकार को आदिवासियों की भी एक सेना बनानी चाहिए। पिछले वर्षों में भी इस सदन में यह मांग उठती रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भर्ती से सम्बन्धित इन दो विषयों पर विचार करे। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को केवल कुछ ही राज्यों से भर्ती करने की इस नीति को समाप्त कर देना चाहिए। सरकार को अन्य राज्यों से भी पर्याप्त संख्या में भर्ती करनी चाहिए।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनंद गांव) : महोदय, वर्ष 1980-81 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए और बजट की सराहना करते हुए मेरा यह विचार है कि रक्षा कार्यों के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में यह विचार करने का एक मामला हो सकता है कि क्यों हमारे जैसा वास्तविक रूप से गुटनिरपेक्ष देश, जो विश्वशांति के लिए समर्पित है, अपने सैनिक बजट में वृद्धि करना और अपनी सैनिक शक्ति को बढाना चाहता हूं। इसके अनेक कारण हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि विश्व की राजनीति ने जो तेजी से बढ़ती हुई असुरक्षा का रुख लिया है उसमें स्वयं को सुरक्षित रखने की भावना को दृढ़ बनाया जाये। प्रभावी तौर पर विश्व शांति की वकालत कर सकने के लिए और हमारी बात सुनी जाए, इसके लिए हमारे पास अपनी नैतिकता की बातों और मौखिक बातों के अनुरूप सैनिक शक्ति अवश्य होनी चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि हमारी सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए हरचंद कोशिश कर रही है।

वास्तव में यह बड़ी प्रशंसनीय नीति है परन्तु हमें पिछले दिनों इन पडोसियों द्वारा भारत के प्रति शत्रुता को नहीं भूलना चाहिए। हमें समझौता अवश्य करना चाहिए परन्तु किसी भी तरह से हम अपनी मातृभूमि की रक्षा से सबंधी मामलों में उन्हे हम अपने आप को किसी भी क्षेत्र में

घटिया न मानने दें अथवा सोचने न दें । मैं इस सम्मानीय सभा के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे विचार का समर्थन करें । हमारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेवारियों के अतिरिक्त यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि हमारे पास सुरक्षा करने के लिये एक बड़ी व्यापक तटीय सीमा भी है ।

दुर्भाग्यवश हिन्द महासागर में हाल के वर्षों से महा शक्तियों की उपस्थिति तथा प्रतिद्वंदता में तीव्रता आई है । वास्तव में हमारी सरकार तथा प्रत्येक नागरिक इस अनुचित स्थिति को समाप्त करना चाहेगा ताकि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाए । हमारी तटीय सीमाओं की सुरक्षा करने तथा हमारी बातें सुनी जाने को सुनिश्चित करने के लिए हमें नौसैनिक शक्ति अवश्य तैयार करनी चाहिए । 1971 की लड़ाई तक हमारी नौसेना को एक प्रभावी बल नहीं समझा जाता था । निसन्देह तभी से इसमें सुधार करने के लिये बड़े बड़े कदम उठाये गये हैं जो फिर से बहुत सराहनीय है ।

मुझे यह पढ़कर हर्ष हुआ था कि हमारी सरकार या तो कील अथवा इनडेन में स्थित जर्मन पोत कारखानों से हमारी नौसेना के लिये कुछ आधुनिक पनडुब्बियां खरीदने पर विचार कर रही है । हालांकि इसकी बुद्धिमता को कोई नकार नहीं सकता है तो भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह पर्याप्त नहीं होगा । 1971 में 'विक्रान्त' पोत द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका संभवत: मेरे विचार को कुछ समर्थन देती है कि भारतीय नौसेना एक अन्य विमान वाहक खरीदे । मैं यह नहीं कहता हूं कि इसे विक्रान्त का स्थान लेने के लिये खरीदा जाए जो हाल के सुधार कार्यक्रम के बाद नये की तरह से अच्छा हो गया है परन्तु हमारी सेना को बढ़ाने के लिए मैं कुछ अतिरिक्त सुरंग उड़ाने वाले पोते खरीदने का भी सुझाव दूंगा । इस सभा को शक्तिशाली नौसेना की युद्ध क्षमता और आवश्यकता को याद दिलाने के लिए मैं उन्हें पिछले विश्व युद्ध में ब्रिटिश नौसेना द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण कराना चाहता हूं । यह इंगलैंड नौसेना की सर्वोच्चता थी जिसने जर्मन वालों को रोक दिया था । भारत में आधुनिकतम नौसेना पोतों को अवश्य बनाया जाना चाहिए ताकि विदेशों पर कम निर्भर करना पड़े ।

मुझे विश्वास है कि भारतीय वायु सेना में विश्व से अच्छे विमान चालक है । पुराने लड़ाकू बम वर्षक विमानों के स्थान पर जगुआर विमान की हाल की खरीद के साथ हमारी वायु सेना में प्रभावी रूप से वृद्धि हुई है । मैंने यह भी पढ़ा है कि सरकार हमारे वायु सेना के बेड़े में हन्टर्स तथा सुखोआइज को बदलने के लिये सोवियत रूस से मीग 23वीं की खरीद पर विचार कर रही है । वास्तव में यह सब बड़ा सराहनीय है । मैं सरकार से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करूंगा कि जब हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० जगुआर या मीग 23वीं विमान को जुटाने का प्रयास करती है तो यह समबद्ध कार्य क्रम के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए था । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० से उच्च प्राथमिकता के आधार पर वायु सेना की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के साथ समन्वय करने के लिये कहा जाना चाहिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी वायुसेना को सुसंतुलित किया जाना चाहिए । हालांकि लड़ाकू विमान को कम प्राथमिकता दी जा सकती थी तो भी आक्रमण रक्षा का सबसे अच्छा साधन है ।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० को हमारी वायु सेना के लिये आधुनिकतम विमान बिकसित करने तथा बनाने चाहिए। दुख की बात है कि 'मारूता' विमान के विकसित हो जाने पर भी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स अब तक वायु सेना की भावी आवश्यकता के लिये उपयुक्त नहीं हो सकी है। क्या मैं यह भी सुझाव दे सकता हूं कि एक उच्च शक्तिशाली इंजिन 'मारुत' में उपयुक्त होने के लिये विकसित किया जाना चाहिए जो बहुत ही कम शक्तिशाली है और उसमें उसका जीवन काल अब समाप्त हो जाने की बजाय एक अन्य दशक के लिये बढ़ जाता है? हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० हेलीकॉप्टर तोपपोत तथा भारी वाहनों के विनिर्माण तथा विकास पर भी विचार करना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों को दी गई सुविधाओं के बारे में मैं महसूस करता हूं कि इनमें सुधार किया जा सकता है। हर वर्ष लगभग 60,000 व्यक्ति सेवा मुक्त होते हैं और इन सैनिकों को पुर्ननियोजन तथा पुर्नवास के लिये सरकार द्वारा दी गई सुविधायें पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह सभा यह आश्वासन दे चुकी हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक योजनाएं हैं। मुझे मालूम हुआ है उनमें से अधिकांश अपनी थोड़ी बचत राशि से लघु स्तरीय व्यापार स्थापित करते हैं। मैं सरकार से सरकारी सेवाओं में—सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल पुलिस, गोदी सुरक्षा सीमा शुल्क आदि आदि में भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिये स्थानों के आरक्षण में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं जहां वे आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस तथ्य के कारण कि ऐसे कार्मिकों में से अधिकांश स्नातक नहीं है, मैं महसूस करता हूं कि उनके मामले में रोजगार कार्यालय के नियमों में छूट देकर उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए ताकि उनका मनोबल न गिरे।

मैं रक्षा मंत्रालय के ध्यान में इस बात को लाना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश में कोई नई छावनियां नहीं खोली गई हैं। विशेष रूप से छतीसगढ़ क्षेत्र में बिल्कुल भी छावनिय नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि छत्तीस गढ़ क्षेत्र आदर्श ढंग से स्थित है और रक्षा उत्पादन कारखनों को खोलने के लिये रणनीति की दृष्टि से सुरक्षित हैं। वहां इस समय कोई छावनी नहीं है। मैं रक्षा मंत्रालय से इस मामले में भरसक प्रयत्न करने के लिए जो भी वे कर सकते हैं, अनुरोध करूंगा।

मैं सरकार से 1970 से पूर्व युद्ध-विधवाओं की पेंशन में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए भी अनुरोध करूंगा। और पेंशन कम से कम न्यूनतम 200 रु० हो।

अन्त में, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 12वीं कक्षा तक एन० सी० सी० को अनिवार्य किया जाए ताकि नागरिकों में रक्षा जागृति तथा तैयारी में प्रशंसात्मक रूप से वृद्धि हो।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : रक्षा के बारे में बोलते समय हमें रक्षा बलों के संगठन तथा तैनाती की केवल रूप-रेखाओं तक अपने को सीमित नहीं कर सकते हैं।

जैसाकि मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राजनैनिक, सैनिक, भूगोलिक तथा आर्थिक वातावरण रक्षा नीति, तैयारी तथा परिप्रेक्ष्य तैयार करने में ध्यान देने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है।

इस सन्दर्भ में मैं यह कह सकता हूं कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष

के दृष्टिकोण से वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सूझबूझ की एकमात्र कमी दिखाई गई है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न युद्धों का इतिहास पहले काश्मीर में उसके बाद बंगला देश और अब उत्तरी पूर्वी भारत में साम्राज्यवादी साजिशों का लम्बा इतिहास है जो इस स्पष्ट तथ्य का संकेत करता है कि हमारी सुरक्षा को मुख्य खतरा अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी समुदाय की ओर से है। अतः हिन्द महासागर में उत्पन्न तनावों में तथा कथित दो महाशक्तियों को बराबर करने की एक बड़ी शरारत है। प्रतिवेदन के तैयार करने वाले दियोइगो गारसिया के नाम तक का उल्लेख करने में संकोच करते हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र को हड़प करने के लिए तनाव दिईगों गारेशिया में अपना अड्डा स्थापित करके तटवर्ती राज्यों को अपने अधिकार में लेने के एक मात्र अमेरिका साम्राज्यवादी प्रयास से उत्पन्न हुए हैं। कल के समाचार पत्रों में हिन्द महासागर में भारी अमेरिका कार्यकारी बल की तैनाती को उजागर किया गया है। इसका अर्थ अमेरिका के हित में अरब देशों भारत आदि को ब्लेकमेल करना तथा धमकी देना है। दूसरी ओर सोवियत संघ है जो उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में स्थायी रूप से हमारे साथ है। जिनमें हमें अमेरिका साम्राज्यवादी तंत्र द्वारा खींचा गया है।

इस सम्बन्ध में हमें अपने देश तथा सोवियत संघ के बीच रक्षा उपकरणों तथा भण्डारों की सप्लाई के हाल के समझौते का स्वागत करते हैं। सोवियत संघ ने संकट के समय में अपने को विश्वासनीय सहयोगी सिद्ध किया है।

बजट प्रावधानों के विषय में, मैं महसूस करता हूं कि नौसेना के लियेआवंटन कुल मिलाकर अपर्याप्त है जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही अपने भाषणों में उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि सरकार नौसेना की प्रगति के लिए अधिक ध्यान देगी। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में नौसेना अकादमी के प्रश्न को लाना चाहूंगा। इस समय केरल में बड़े नियोजनोन्मुख रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है। नौसेना अकादमी समेत कोचीन में एक छोटे नौसेना प्रतिष्ठान को छोडकर वहां एक भी आयुद्ध कारखाना नहीं है न वहां एक छावनी है। हमें मालूम है कि वर्तमान नौसैनिक अड्डे में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण कोचीन से नौसेना अकादमी को बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। केरल सरकार उस किसी भी बस्ती में पर्याप्त उपयुक्त भूमि देने को तैयार है जिसका नौसेना दमन करेगी। श्रीमान मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय केरल के लोगों की प्रबल भावना को पहिचानेंगे तथा केरल में ही अकादमी के स्थान का पता लगायेंगी।

अब सुरक्षा बलों में जाने के लिए 391 आम लोगों में रुचि उत्पन्न करने तथा सेनिकों का मनोबल को ऊंचा रखने की आवश्यकता के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थाओं की जानकारी तथा आदर रखने को मन में बैठना आवश्यक है। उनको देश में सामान्य सामाजिक, राजनैतिक धारा से अलग रखने की वर्तमान नीति ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की देन है। सभी अन्य लोकतांत्रिक देशों में सैनिकों को बड़ी स्वतंत्रता है और वे राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी तथा मूल्य महत्व के लिए बेहतर जानकारी रखते हैं। सभी अर्द्ध-विकसित देशों के अनुभव से यह मालूम होता है कि वह स्थिति खतरनाक है जिसमें सैनिक बलों को उनके सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक समस्याओं के बारे में पूर्ण अन्धकार में रखा जाता है। जिसमें सहासी सेना अधिकारियों को लोकतांत्रिक प्रणाली के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने में अपने भाग्य की अजमाइश करने का

अवसर मिल जाता है। सेना के सशस्त्र बल प्रतिष्ठानों में अधिकारियों तथा जवानों को उनकी छोटी आयु में सेवा निवृत्त कर दिया जाता है। इस समय सिविल सेवा में उनके पुनर्वास की व्यवस्था पर्याप्त तथा संतोषजनक नहीं है। बड़े बन्दरगाह जैसे कुछ प्रतिष्ठानों में पुर्नावासित भूतपूर्व सैनिकों की सेना की सेवा अवधि को पूर्ण रूप से हिसाब में नहीं लिया जाता है हालांकि उसके लिए विशिष्ट सरकारी आदेश है। इस प्रथा को पूर्णतया बदला जाना चाहिए। निसन्देह भूतपूर्व सैनिकों के पुर्ननियोजन के अवसर सामान्य आर्थिक विकास पर आधारित है। इसलिए रक्षा सेवाओं के मनोबल को बनाये रखने के प्रश्न का सम्बन्ध लोगों के सामान्य आर्थिक कल्याण से अलग नहीं जा सकता है। परन्तु सामान्य सूझबूझ के बिना भी, भूतपूर्व सैनिकों को पर्याप्त रोजगार के अवसरों को प्रदान करना आवश्यक है।

श्रीमान्, मैं एक अथवा दो और प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न आयुद्ध कारखानों आदि में रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों का है। जबकि सरकारी क्षेत्र में और रेलवे, डाक व तार जैसे विभागीय उपक्रमों में भी बोनस दे दिया गया है परन्तु रक्षा विभाग में सिविल कर्मचारियों को बोनस से वंचित रखा गया है। यह अन्याय अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।

सभी सड़क संगठन में परिवहन मंत्रालय से अधीन अधिकांश असैनिक कर्मचारी आते हैं, जिसे सेना से प्रतिनियुक्त अधिकारी नियंत्रित करते हैं। उनकी सेवा शर्तें सिविलियन रेगूलेशनज क्लास्फिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्ज आर्मी एक्ट तथा आर्मी रूल्ज के अन्तर्गत आती हैं। कर्मचारी यदि दावा करें कि उनकी सेवा शर्तें आर्मी रूल्ज के अन्तर्गत आती हैं और उन्हें सैना के जवानों को उपलब्ध लाभ दिये जायें तो अधिकारी कहते हैं कि वे असैनिक कर्मचारी हैं। यदि कर्मचारी कहते हैं कि वे असैनिक कर्मचारी हैं और उन्हें भी असैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभ दिये जायें, तो अधिकारी कहेंगे कि वे सेना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें सेना कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता। अपनी मांगें सामने रखने के लिये उन्हें निर्दयता से सताया जा रहा है, कुछ महीने पहले उनमें से 400 के करीब गिरफ्तार किये गये। उनमें से केछ को कोर्ट मार्शल किया गया और छः महीने तक की जेल की सजा दी गयीं। उनके साथ अत्याचार किया गया। उनकी औरतों को भी सताया गया। सेना से अधिकारी उनके साथ एक हिरास में युद्धबन्दी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वे इस अत्याचारों को बन्द करें। और मैं सरकार से सीमा सड़क संगठन के कार्यकरण की जांच करते हेतु एक संसदीय समिति गठित करने का अनुरोध करता हूं।

रक्षा प्रतिष्ठानों में नैमितिक और अस्थायी श्रमिकों को नियुक्त करने की प्रणाली रही है। ये श्रमिक अब बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रक्षा मन्त्रालय के उच्चम प्रशासक इन श्रमिकों की दशा को नजर-अन्दाज करते हैं। मैं सरकार से इन अस्थायी तथा नैमितिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कहूंगा ताकि उन्हें श्रम कानूनी का लाभ मिल सके।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। इस बात को सभी जानते हैं कि उप-सचिव से ऊपर के पद के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका भेजा जाता है, रक्षा लेखा विभाग के अधिकारी भी भेजे जाते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे किस प्रकार के लेखों का प्रशिक्षण वहां प्राप्त करते हैं। इस बात को सभी जानते

जानते हैं कि रक्षा लेखा कर्मचारियों को क्रय किये जाने वाले शस्त्रों औजारों क्रय किये जाने वाले देशों ओर मूल्य आदि सभी बातों की जानकारी होती है। उन्हें युद्ध शस्त्रों के भंडारों का भी पता होता है और वे इस सूचना का रहस्योदघाटन भी कर सकते हैं। अतः संयुक्त राज्य अमरीका का यह प्रशिक्षण तुरंत बंद किया जाये।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, में डिफेंस की मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है और हमारी नीयत कभी ऐसी नही रही है कि हम दूसरे देशों की और या उनकी सीमाओं की ओर गलत कदम या गलत नीयत रखें। हमने सारे विश्व को शांति का पैगाम दिया है और इस बात की कोशिश की है कि दुनिया के अन्दर हा या अपने देश के अन्दर हो, जो सबसे पहले हमारे देश की आर्थिक हालत है, जो देश की गरीबी है उसको पहले दूर किया जाए। लेकिन 1962 में जब हम पर हमारे पड़ौसी देश चीन से हमला किया और हमें इस बात के लिए मजबूर किया कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें तो हमने अपनी शक्ति की उस ओर मोड़ा और धीरे धीरे हमने यह सिद्ध किया, 1971 आते आते हमने दुनिया के नक्शे में और दुनिया के इतिहास में एक नया इतिहास बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि हम शांतिप्रिय जरूर हैं, हम शांति जरूर चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे देश की ओर कोई गलत नजर रखेगा, गलत नीयत रखेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

मैं आपका ध्यान वायु सेना की ओर ले जाना चाहता हूं। वायु-सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और नई चुनौतियों का मुकाबिला करने के लिए जिस ढंग से कदम उठाया जा रहा है वह सराहनीय है। पुराने पड़े कैनबरा और हंटर लड़ाकू विमानों का स्थान अब दूसरे विमान ले रहे हैं। पहले की अपेक्षा और अधिक शक्तिशाली राडार चालू करने का काम हो रहा है। यह अच्छी बात है। लेकिन जब वायु-सेना की बात कही गई तो हम उस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब 1978-79 में जगुआर का ऐग्रीमेंट हुआ था तो उस समय एक विवाद का विषय सारे देश में खड़ा हुआ था। उस समय जो जनता पार्टी की सरकार थी उसी के लोगों ने उसको विवाद का विषय बनाया था। हम यह जरूर चाहेंगे कि उस ओर सरकार ध्यान दे और सरकार को ही यह फैसला करना है कि जगुवार का जो ऐग्रीमेंट हुआ था वह सही था या गलत था या किस ढंग से हम उसको ले चले, यह सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आम जनता के बीच और हमारे वायु-सेना के नौजवानों के बीच चल रही हैं, उसे हम रखना चाहते हैं।

1978-79 में हमारी हवाई सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए एक ऐग्रीमेंट हुआ था। उस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि जो जगुआर है, ऐसा कहा जाता है कि जब जगुवार किसी दूसरे स्थान पर, अपने दुश्मन के स्थान पर आबिंग करके वापस लौटता है तो उसका कास्ट आफ आपरेशन दुगुना हो जाता है। जब तक जगुआर पूरे तौर पर अपने देश में उपलब्ध होगा उस समय तक ब्रिटेन और फ्रांस में इसका प्रोडक्शन बन्द हो जायेगा। बीस वर्षो तक हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी और जब वहां इसका प्रोडक्शन बन्द हो जायेगा तो स्पेयर पार्ट्स हमें महंगे खरीदने पड़ेंगे। जगुआर के कारण जो वायुसेना का आपरेशन एड ग्राउन्ड सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। इस पर भारी खर्च आयेगा। जगुआर प्रोजेक्ट पर 1300 करोड़ खर्च

आने की बात तय हुई थी लेकिन 1978 में ही 18 प्रतिशत इसका दाम बढ़ चुका है और इस प्रकार तीन हजार से अधिक खर्च इस पर आने की आशंका है। तो क्या यह बड़ा खर्च हमारी सरकार सहन करने ी परिस्थिति में है। सरकार से यह जरूर कहूंगा कि जब जगुआर के खरीद की बात चल रही थी तो इस एच ए एल के एक टेकानिशियन ने इसकी क्षमता के सन्दर्भ में शंका प्रकट की थी। इंस्टीच्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लंदन जो रक्षा क्षमता को आंकने के सन्दर्भ में एक मशहूर संस्था है, उसने जगुआर के बजाय मिग 23 बी एन को एक अच्छा ग्राउन्ड अटैक प्लेन बताया है। क्या यह सत्य नहीं है कि जगुआर की खरीद में प्रत्येक प्लेन पर 11 करोड़ का खर्चा आयेगा जबकि मिग पर साढ़े 4 करोड़ खर्च होगा ? यह बात मैंने इसलिए बताई कि हमें और हमारी सरकार को सोचना होगा कि हम किस ढंग से अपनी वायु सेना की शक्तिशाली बनायें। जगुआर प्लेन इतने शक्तिशाली नहीं, यह आशंका अगर हमारी वायु सेना के जवानों के दिलों दिमाग पर बनी रहेगी तो हो सकता है कि वे इतनी बहादुरी और हिम्मत के साथ मैदान में न कूद सकें।

मैं आपका ध्यान एक्स सर्विस मेन के सेटिलमेंट की ओर भी ले जाना चाहूंगा। आज एक्स सर्विस मैन के सामने जो समस्यायें हैं वह बहुत बड़ी हैं। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा, एक्स सर्विस मैन की समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ उनमें जो अनुशासन है, उनमें जो योग्यता है उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें—इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना बड़ा आवश्यक है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बहुत से कदम उठाए गए हैं, बहुत से कामों में उनको लगाया गया है। हमने और आपने देखा है कि इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन को सिद्ध कर दिया है। यदि एक्स सर्विस मैन को खेती में लगाया जाए तो वे हरित क्रान्ति ला सकते हैं—इसकी जीती जागती मिसाल हमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन को स्माल एंड काटेज इण्डस्ट्रीज, एलाटमेंट आफ ट्रेक्टर्स और इस प्रकार के दूसरे छोटे-मोटे कामों में लगाया जा रहा है। आज सरकार ने देश में एडल्ट एजूकेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मेरा सुझाव है कि एक्स सर्विस मैन को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाया जाए ताकि उनके अनुशासन, उनकी योग्यता और क्षमता का उन्हीं उपयोग किया जा सके।

आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था और उसी समय से इस बात का प्रयास जारी है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। 1962 के बाद हमने इस ओर और भी अधिक ध्यान देना शुरू किया।

इन शब्दों के साथ मैं अपना बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया। मैं इन डिमाण्डस का पूरी तौर से समर्थन करता हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर रक्षा सेवाओं के वैज्ञानिकों जवानों तथा अधिकारियों को बधायी देता हूं। वे देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा तथा उच्च स्तरीय व्यवसायिक योग्यता से सम्पन्न है। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा अणु बम बनाने सम्बन्धी दिये गये सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। हम अणु का उपयोग युद्ध और शांति के दौरान राष्ट्र और देश की रक्षा के लिये करना चाहते हैं। अत: अणुबम बनाना हमारे लिये जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें इस विशेष कार्य के लिये आगे बढ़ना चाहिये।

दूसरा सुझाव भूतपूर्व सैनिकों की दशा में सुधार करने सम्बन्धी है। इस बारे में अधिक न बोलते हुये मैं इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं। मेरे कई साथियों ने देश की सीमा के लिये खतरों का जिक्र किया है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ पैरा 3 पर लिखा गया है :

"परन्तु इससे विदेशी शक्तियों के संभावित दबाव और हथियारों की होड़ के कारण अशांत वातावरण बन गया है जिससे इस महाद्वीप तथा इसके पास पड़ोस में केवल हमारे लिए ही नहीं अपितु सारे उप-महाद्वीप के लिए गम्भीर खतरे की स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।"

अत: इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में यदि हम पाकिस्तान, चीन, पूर्वोत्तर सीमा तथा अब पनप रही बड़ी शक्ति भी—जापान तथा अमरीका तथा अन्य देश इकट्ठे हो रहे हैं—के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए हमारे लिए अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, इस देश में जो विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुये यह कहा जा सकता है कि इस देश की नीति मुख्यता हमारे साथ टकराव की होगी। जहां तक चीन का सम्बन्ध है, उसके बारे में यदि सदन में यह कह भी दिया जाये कि सीमावर्ती रेखा सम्बन्धी विवादास्पद समस्या का समाधान खोजा जा सकता है—क्या ऐसा समाधान खोजा जा सकता है जो दोनों ही देशों को मान्य हो, मेरे विचार से तो ऐसा समाधान नहीं खोजा जा सकता जो दोनों ही देशों को मान्य हो क्योंकि अक्सर लद्दाख का क्षेत्र चीन के लिए सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है—सोवियत सघ के साथ भी इसका सामायिक महत्व है और पाकिस्तान के साथ भी वह सारा सोक्ष्म राजमार्ग से सम्बद्ध है। अत: इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एक राष्ट्र के नाते हमारी रक्षा सेनायें सीमा से पार की इस चुनौती का सामना करने के लिए गुणात्मक तथा संख्यात्मक दृष्टि से कहां तक तैयार है ?

जब मांगों पर चर्चा की जा रही थी, तो उस समय अनेक सदस्यों ने सशस्त्र सेनाओं का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र सेनाओं के बलबूते से ही सम्भव नहीं है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा से सम्बन्ध सम्पूर्ण तन्त्र को दृष्टिगत रखना होगा जिसमें सेना के साथ-साथ मेरे विचार से, भौगोलिक स्थिति, विदेश नीति जो हमारी रक्षा से सम्बद्ध रहती है—सैनिक तथा सामयिक पार्श्वचित्र; हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों का आकार तथा अपने रक्षा तंत्र को चलाने के प्रयत्न तथा राष्ट्र का मनोबल तथा प्रेरणाशक्ति को बनाये रखने की आवश्यकता आती हैं।

यदि हम प्रतिवेदन को पढ़ें तो उससे पता चलेगा कि यह एक प्रकार से पिछले प्रतिवेदन की प्रतिकृति ही है; इसमें तथ्यों को बताने की अपेक्षा छिपाने का अधिक प्रयत्न किया गया है।

हमें इन विषयों से सम्बद्ध कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हमें इस बात पर भी विचार करना है कि हमारी रक्षा में क्या क्या त्रुटियां तथा अभाव है। रक्षा उत्पादन मंत्रालय में राज्य मंत्री के वक्तव्य को काफी ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भी मैं समझता हूं कि हमारी रक्षा तैयारी में कुल त्रुटियां तथा अभाव है। हमारी सेना के ढांचे का विकास सामयिक तथा व्यावहारिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किया गया है और नहीं हमारे सैनिक शस्त्रागार का विकास इस ढंग से किया गया है।

अगले ढांचे के सन्दर्भ में भारतीय नौसेना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम 1971 की उस घटना को नहीं भूल सकते। जब अमरीकी सातवे बेड़े ने हमारी समुद्री सीमा में प्रवेश किया था। मुझे बताया गया है कि समूचे पूर्वी तट की रक्षा के लिए केवल आई० एन० एल० करावती नामक एक जहाज था। हमारे देश का सौभाग्य ही था कि सातवा बेड़ा वापिस चला गया। यह आगे बढ़ता तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते। हमें इसी पृष्ठभूमि में देखना है कि हमारे लिये खतरा न केवल हिमालय की ओर से है बल्कि समुद्र की ओर से भी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये हमें प्रतीत होता है कि नौसेना के लिये नियत राशि बहुत ही कम है। इस वर्ष सेना के लिये 2159 करोड़ रुपये का व्यय है। इसके विपरीत नौसेना के लिये केवल 216 करोड़ रुपये व्यय तथा वायु सेना के लिये 866 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कुछ जहाजों को चालू किया गया है, कुछ जहाजों का निर्माण किया जा रहा है. कुछ जहाजों को तटवर्ती रक्षकों को सौंपा जाना है और कुछ जहाजों का निर्माण गोआ में किया जा रहा है। लेकिन मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या इतनी राशि हमारी तटवर्ती सीमा की सुरक्षा के लिये पर्याप्त है।

मैं इस समय तथा प्रधान मन्त्री से तीन अथवा चार प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहला प्रश्न यह है कि भारतीय नौसेना के कितने जहाज पुराने पड़ गये हैं। मेरी सूचना के अनुसार 80 प्रतिशत जहाज पुराने पड़ गये हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि कितने जहाजों में गतिशीलता नहीं है; तीसरा यह है कि हमारे कितने जहाजों में समुद्री युद्ध सम्बन्धी पार करने वाले आधुनिक उपकरण नहीं है और मेरा आखरी प्रश्न यह है कि हमारे द्वीप समूह क्षेत्रों के खतरों का सामना करने हेतु मिल जुलकर युद्ध करने के लिये थलसेना सहित कुल कितनी जल-थल क्षमता है? मुझे बताया गया है कि यह जलथल योग्यता न होने के ही बराबर है। क्या प्रधान मंत्री बतायेंगी कि इसमें सुधार करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक हमारी नौसेना का सम्बन्ध है, मेर विचार से हमारी सेना को तीन तरफा भूमिका निभानी पड़ती है : एक अरब सागर में, दूसरे बंगाल की खाड़ी में और हमारी विशाल समुद्र तट रेखा की रक्षा, जिसमें मैं जोर देकर कहूंगा कि अब तट से दूर की सम्पदा भी सम्मिलित है इस पृष्ठ भूमि के साथ ही हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या हमें अपनी नौसेना को गति प्रदान करनी है और क्या इस सम्बन्ध में हमें अपनी नौसेना को दुगना कर देना चाहिये। जहां तक हमारी नौसेना की बात है उसका एक और भी मुद्दा है। मैंने देखा है कि भारतीय नौसेना के बहुत से वरिष्ठ कार्मिक असमय सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेना चाहते हैं। उन कमांडरों और कप्तानों की संख्या क्या है जिन्होंने असमय सेवानिवृत्ति प्राप्त की क्यों इससे अन्य लोगों को

भी उस समय नौसेना से बाहर आने की प्रेरणा मिलती है जबकि देश में उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। अतः इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

रही वायुसेना की बात, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी वायुसेना के पास आधुनिक और अत्याधुनिक तथा बहुमुखी वायुयान नहीं है जिसका ब्योरा मन्त्री महोदय दे चुके हैं। मैं उसके सीमा क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। परन्तु जहां तक परिवहन बेड़े का प्रश्न है, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि एक मेजर जनरल सेवा-निवृत हो गये। उनका कहना है कि हमारा परिवहन बेड़ा (माल वाहक बेड़ा) संग्रहालय में रखने योग्य है। क्या यह सच है? हम इस बारे में जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस दस्तावेज को पढ़ा है स्वयं अपने आप उस पर चर्चा चला रहे हैं।

अन्त में, मैं जगुआर की बात करूंगा, जिसके बारे में, मेरे विद्वान साथी जो मेरे से पूर्व बोल चुके हैं, बता रहे थे। क्या यह सच है कि जगुआर सौदे को समाप्त किया जा रहा है। यह एक मुख्य पहलू है। कल श्रीमती थेचर ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आज समाचार पत्रों ने समाचार दिया है कि भारत सरकार ने ब्रितानिया सरकार को इस निर्णय-विशेष के बारे में सूचित किया है। लोगों के मन में कुछ सन्देह, कुछ गलतफहमियां हैं और हम चाहते हैं कि वे गलत-फहमियां न रहें, पनम न सकें। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हमको विश्वास में लें और वस्तुस्थिति से हमें अवगत करायें। जहां तक जगुआर की बात है हमें बताया गया है कि जगुआर सौदे का मुख्य भाग समाप्त कर दिया गया है और "उसके बदले सरकार नवीनतम फ्रैन्च मिराज (2000) के निर्माण की बात सोच रही है।" रही समर्थता की बात, यदि मिराज (2000) अधिक समर्थ है तो मुझे कुछ नहीं कहना, आप उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। परन्तु समाचार पत्रों में यह आ चुका है कि जगुआर की क्षमता मिराज (2000)—विशेष से कहीं अधिक है। इसमें बताया गया है "जगुआर की मारक कुशलता की सर्वव्यापी क्षमता दो महाद्वीपों में उसकी सफलता से सिद्ध हो चुकी है। यूरोप में, फ्रैन्च वायुसेना के दोहरे फाइटर कांग्रेस में जगुआर स्कवैड्रनस ने मिराज स्कवैड्रनस को हरा दिया। और यहां पर और बहुत से दृष्टान्त गिनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। जो अन्य प्रश्न मैं करना चाहूंगा वह जहां तक जगुआर सौदे का सम्बन्ध है हमारे वायुसेना अधिकारियों का यह दृढ़ मत है कि "देश को एक गहराई से भेदक-मारक वायुयान की आवश्यकता थी। जगुआर ने बाजी जीत ली। यह बात फिर दोहराई गई थी कि मिराज तो मुख्य रूप से अवरोधक है। और इस बात को भारत सरकारने स्वीकार किया था। यदि हमें मिराज (2000) को लेना ही है तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि फ्रैन्च सरकार ने 1980 के अन्त तक अत्याधुनिक मिराज (2000) भारत को देना स्वीकार कर लिया है? क्या यह सच है कि हम मिराज-एफ० आई० को जोकि इतना आधुनिक नहीं है, को खरीदने की सोच रहे हैं? ये वे बातें है जो समाचार पत्रों में आ रही हैं और लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं। लोगों के मन में गलतफहमियां भी पैदा की जा रही हैं, चाहे वे जानबूझकर ही क्यों न हों। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि सही स्थिति क्या है? सरकार को चाहिये कि हमें विश्वास में लें और हमें इसके बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम वक्ता हैं। प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय बोलेंगी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हैं। मान्यवर, हमारे बजट का 17 प्रतिशत हम रक्षा मन्त्रालय पर व्यय करते हैं, इस लिए नहीं करते कि हम सामाज्यवादी विस्तार की नीति में विश्वास करते हैं, हमारा उद्देश्य मात्र अपनी सीमाओं की रक्षा है। हम देश की अखन्डता बनाये रखने के लिए पंचशील के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं, तटस्थता की नीति में विश्वास करते हैं, फिर भी हमें अपने देश रक्षा के लिए सेनाओं की आवश्यकता होती है। यही कारक है कि आज हमारे देश में जल, थल और नभ तीनों सेनायें सशक्त हैं। हम विश्व की चोथी सबसे बड़ी थल सेना रखते हैं, 5वीं सबसे बड़ी नभ सेना रखते हैं और 8वीं सबसे बड़ी जल सेना रखते हैं। इसका प्रयोग भी हमने कई स्थानों पर किया है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये। हमने उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिये कश्मीर में, हैद्राबाद में, गोआ में तथा 1971 में हमने बंगला देश की मुक्ति के समय इसका प्रयोग किया।

बंगला देश की मुक्ति के समय हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के जवानों ने जिस प्रकार से कुर्बानिया दीं। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा तो जाएगा ही, मान्यवर, परन्तु साथ ही उस समय जिस ने देश को नेतृत्व दिया, हमारे देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो नेतृत्व दिया और साथ ही उनकी दूरदर्शित, पक्का इरादा और अनुशासन जो है, उस को भी हमेशा, हमेशा याद किया जाता रहेगा।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो यह देश है, वह भौगोलिक दृष्टि से बहुत अधिक सुरक्षित है। हमारा देश एशिया में हिन्द महासागर की एक आंख का काम कर रहा है परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि यह देश एक कड़ी के रूप में पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। इसलिए यहां की सेनाओं का सशक्त, मजबूत होना बहुत अधिक आवश्यक है। हमारे देश के जो सैनिक हैं, उन्होंने जिस प्रकार की कुर्बानिया दी हैं और दे रहे हैं, उनको भुलाया नही जा सकता परन्तु साथ ही उनका आधुनिक उपकरणों से लैस होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। अगर वे आधुनिक उपकरणों से लैस नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश जो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, उसको अपने नक्शे में दिखा सकता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनका आधुनिक उपकरणों से लैश किया जाय। आधुनिक उपकरणों से लैश करने से मेरा अभिप्राय यह है कि आधुनिक तकनीकी ज्ञान इन शस्त्रों में आना ही चाहिए परन्तु मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1977 से 1980 के प्रारम्भ का समय रहा जबकि हम लोग ओफेन्सिव होने की बजाय डिफेन्सिव रहे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज के परमाणु युग में परमाणु शक्ति का भी प्रयोग बहुत अधिक आवश्यक है परन्तु उस समय एक ऐसा समय जो हमारे प्रधान मन्त्री थे भाई मोरारजी देसाई, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि हम शान्तिपूर्वक कामों के लिए भी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा जो यह किया कराया था, हमने जो आविष्कार किये थे, हमारे वैज्ञानिक जिस प्रकार से इस सब काम में जुटे थे, उस सब पर हमने पानी फेर दिया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जो परमाणु के क्षेत्र में आविष्कार हैं, उनको अत्यधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि परमाणु बम बना कर हम साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को अपनाएं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश में परमाणु शक्ति, परमाणु अस्त्र होने चाहिए ताकि

कोई भी दूसरा देश हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठा कर देखने की हिम्मत न कर सके। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में यही निवेदन है कि शान्तिपूर्वक कामों के लिए जो हम ने अणु बम का इस्तेमाल किया था, वह पुनः इस्तेमाल किया जाए। जैसा विस्फोट पोखरन, राजस्थान के एक कोने में किया था, उसी प्रकार का विस्फोट तथा प्रयोग अन्य स्थानों पर भी किए जाने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हम यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां पर आधुनिक तकनीकी ज्ञान के अस्त्र-शस्त्र नहीं हैं। पब्लिक सेक्टर में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आधुनिक उपकरण जैसे विजयन्त टैंक, विक्रान्त और एस० टी० 2 मिग आदि बने हैं। यह हमारे देश की उपलब्धि है परन्तु एक प्रश्न बार बार दिमाग में उठ कर आता है और कई माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में कहा है और वह जगुआर विमानों के सौदे के बारे में है। यह जो सौदा किया गया था आखिर इसके पीछे क्या राज था। जगुआर विमान जो कि कुशलता की दृष्टि से अच्छे नही हैं, कार्य कुशलता जिन की अच्छी नही है और जिन की कीमत भी कई गुना अधिक है, क्यों उन का कसौदा किया ? क्या हम रशन मिग 23 को नहीं खरीद सकते थे। यह एक प्रश्न है जो हर एक बुद्धिजीवी के दिमाग में बार बार कूंद कर आता है कि आखिर इसका राज क्या था ? मन्यवर, मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद इसका राज यही था कि ब्रिटिश एयर स्पेस कम्पनी को फायदा पहुँचाना था इसलिए इस विषय में जांच की जानी चाहिए।

साथ ही, मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश के बहुत से वैज्ञानिक यू०एस०ए०, ब्रिटेन, केनाडा एवं अन्य कई स्थानों पर शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं। इस प्रकार की जो हमारी प्रतिभा विदेशों में कार्यरत है उसे अपने देश में लाया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए और उन प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आज हमारे देश की सीमाओं पर हमारी जल, थल और नभ सेना के प्रहरी दे रहे हैं। उन प्रहरियों को उनके परिवारों की चिंता और सुरक्षा उनके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगी कि उनके लिए पीस एरियाज में मकानों, स्कूलों और अस्पतालों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि हमारे प्रहरियों को अपने परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यदि हमें धनराशि बढ़ानी भी पड़े तो भी हमें उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

साथ ही में यह भी कहना चाहूंगी में युद्ध में खेत हुए हमारे सैनिकों की माताओं जिनके कि लाल खेत हुए, बहिनों जिनके कि भाई खेत हुए और पत्नियों जिनका सुहाग खेत हुआ, की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है और उनके लिएं जो कुछ भी सुविधाएं हम जुटा सकें वे हमें जुटानी चाहिएं। साथ ही मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि वार विडोज के सामने यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनकी नौकरी कैसे लगेंगी ? इस प्रकार की चिन्ताओं से वार विडोज और मृत सैनिकों के परिवारों को मुक्त करके ही हम कह सकेंगे कि हमने देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों के लिए कुछ किया।

सेना से रिटायर होने वाले सैनिकों की आयु 35 वर्ष है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि

35 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए हमें कोई न कोई काम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि 5 वर्ष तक की आयु तक वे काम कर सकें। उस आयु तक के लिए उन्हें कोई न कोई काम देना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जैसा कि हम आये दिन सुनते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और उस भ्रष्टाचार की जांच भी स्वयं पुलिस विभाग ही करता है, क्यों न हम इस प्रकार का प्रयोग करें कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए हम एक कमेटी मुकर्रर करें, एक कारपोरेशन बनायें जिसमें मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सोनल रखे जाएं और वे इस भ्रष्टाचार की जांच करें। किसी भी जांच का फायदा तभी हो सकेगा जब उसकी जांच किसी दूसरे व्यक्ति या विभाग द्वारा की जाए। अन्यथा सही रूप में जांच नहीं हो सकेगी। मिलिट्री के पर्सोनल्स में नैनीकता, ईमानदारी होती है, अगर वे जांच करेंगे तो वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और वह जांच सही मायनों में जांच होगी कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट था या नहीं।

हमारे देश की जो तरुण पीढ़ी है, उसको हमें मिलिट्री साइंस की शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है। यद्यपि एन० सी० सी० के माध्यम से हमारे स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मिलिट्री साइंस स्कूल और कालेजों में पढ़ायी जाए उसको पढ़ाने वाले व्यक्ति मिलिट्री के रिटायर्ड परसन्स हों। इससे देश का बहुत बड़ा काम होगा। इससे हमारे विद्यार्थिया में अनुशासन की प्रवृत्ति आयेगी और दूसरे जो हमारे रिटायर्ड मिलिट्री परसन्स हैं उनको काम भी मिलेगा।

मान्यवर, मैं अन्त में अधिक कुछ न कह कर इतना कहना चाहती हूं कि हमारा रक्षी मन्त्रालय श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में है और उन हाथों में है जिसको न केवल देश बल्कि विदेशो के व्यक्ति भी जानते हैं। उनके नेतृत्व में यह मन्त्रालय आगे बढ़ेगा, इन्हीं शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल ही करना चाहता हूं। इस सवाल को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कल लोक सभा में श्री सी. पी. एन. सिंह ने रक्षा कर्मचारियों के लिए बोनस को घोषणा की थी और कहा था कि एक लाख अठारह हजार रक्षा विभाग के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। जिनको पहले बोनस दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है, आपने कहा था कि उनके अलावा इनको भी दिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक लाख से कुछ अधिक कर्मचारी बच जाते हैं जो एम ई० एस० में हैं, रिसर्च एंड डिवेलेपमेंट विंग में हैं, मिलिटरी अस्पतालों के कर्मचारी हैं, डेरी फार्म्स के कर्मचारी है तथा कुछ और सैक्शंज अभी और छूट गए हैं जो एयरफोर्स आदि के हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह विभेद की नीति क्यों अपनाई जा रही है ? दूसरों को आप बोनस क्यों नहीं देना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि एक लाख से कुछ ज्यादा जो बच गए हैं उन कर्मचारियों के बारे में भी आप घोषणा कर दें ताकि तमाम रक्षा कर्मचारी आपकी इस घोषणा का स्वागत कर सकें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिरक्षा तो सदैव से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, परन्तु आज के संकट-ग्रस्त विश्व में, यह प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस वाद-विवाद में अनेक वक्ताओं ने भाग लिया है। कुछ ने तो पुराने प्रतिध्वनित तर्कों और घिसी-पिटी बातों को दोहरा कर ही संतोष कर लिया है। परन्तु यह

देखकर मुझे खुशी हुई है कि चालू प्रतिरक्षा जनक समस्याओं के प्रति भारी बहुमत ने गहरी सूझ-बूझ और सही चिन्ता प्रकट की है।

यह आरोप लगाना हास्यास्पद है कि सरकार रक्षा की उपेक्षा कर रही है। सच्चाई से बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। मन्त्री मण्डलीय सरकार का यह एक तथ्य है कि प्रधान मन्त्री तभी किसी पद को सम्भालती हैं जबकि इसको कोई विशेष महत्व प्राप्त हो। माननीय सदस्यों ने यह पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि जब आप किसी कार्य को सही ढंग से कराना चाहते हो तो उसे व्यस्तम व्यक्ति को सौंप दीजिए।

माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्तावों और हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं की दिन-प्रति-दिन की समस्याओं में वर्णित तथा उनके द्वारा उठाये गये बहुत से मुद्दों पर मेरे साथी श्री सी० पी० एन० सिंह पहले ही बोल चुके हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए, उन्होंने यह भी बता दिया है कि अपनी तैयारी को कैसे बनाये रखने के लिए तत्पर है। मेरी अपनी इच्छा यह है कि प्रतिरक्षा के प्रश्न को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया जाए।

परन्तु ऐसा करने से पहले मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहती हूं।

डा० कर्णसिंह ने दावा किया है कि प्रतिरक्षा योजना समिति की केवल एक बैठक हुई है। वास्तव में जनवरी से लेकर अब तक इसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता को यह बताना चाहती हूं कि कई वर्षों से हमने आधुनिक लड़ाकू और गैर-लड़ाकू वायुयान का अभिकल्प तैयार करने की क्षमता विकसित कर ली है। कुछ सदस्यों ने विभिन्न सौदों की बात कही। उनके बारे में कुछ भी बात गुप्त नहीं रखी गई है। हमारा प्रयत्न तो कार्य कुशलता और लागत में हमारी आवश्यकताओं के सर्वाधिक उपयुक्त का चुनाव करना है।

सभी वक्ताओं का यहां हवाला देना, कठिन है। मैं पूरी चर्चा के दौरान यहां उपस्थित रही हूं और मैंने प्रत्येक वक्ता की बात सुनी है। जनरल सपैरो, श्री गाडगिल, श्री भगतु श्री राजेश पायलट तथा हमारे दल के अन्य सदस्यों ने उपयोगी मुद्दे उठाये हैं। और इसी प्रकार की भूमिका विपक्ष की भी रही है। मैं उनकी भी प्रशंसा करती हूं जो कि पहली बार बोले हैं। अन्तिम वक्ता, श्रीमती शक्तावत ने अच्छे मुद्दे उठाए हैं और और भी बातें बताने वाली थीं। मैं आशा करूंगी कि वे अपनी बातें बाद में रख सकेंगी।

मैं श्री लारेन्स को यह बता देना चाहती हूं कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विदेशों में जाने वाले लोगों के बारे में हम स्वयंमेव चिन्तित हैं और हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने परमाणु बम की बड़े ही जोरदार शब्दों में वकालत की है। श्री वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत कलाबाजियों उन्हीं लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती हैं, जिन्होंने इस दल के जन्म तथा परिवर्तनशील विकास को न देखा हो। श्री स्वामी भी अपने विचार धारा या मत में इसी प्रकार की असंगत बातें करते हैं। जनसंघ अब भारतीय जनता पार्टी—चीन या पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के मित्रतामय सन्धि प्रस्तावों के प्रबल विरोधी रहे हैं। वास्तव में वे हमारी स्थिति को हास्यास्पद बनाते रहे। परन्तु श्री वाजपेयी और श्री स्वामी परमाणु बम बनाने का जोरदार अनुरोध करते रहे हैं। परन्तु श्री निक्सन के चीन के दौरे और अमरीकी रवैये में परिवर्तन जादू की छड़ी के समान है जिसने श्री वाजपेयी और अन्य बहुत से

लोगों को भी बदलकर रख दिया है। प्रश्नों का उत्तर देते समय, इस सदन में हमने परमाणु ऊर्जा पर अपना मत स्पष्ट रूप से विवेचित कर दिया है। परन्तु किसी प्रकार की गलतफहमी के रहने के मामले में, मैं इनको पुन: दोहरा देती हूं। हम नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही साथ, हमें अपने वैज्ञानिक के ज्ञानबर्द्धन और अनुभव प्रति के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिये। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या कोई सचमुच यह मान सकता है कि एक या कुछेक बमों से युद्ध को रोका जा सकता है ?

माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा को इसकी सम्पूर्णता में देखने, इसका पर्यवेक्षण करने तथा चुनौती को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता पर ठीक ही जोर दिया हैं।

प्रतिरक्षा नीति को अलग से नहीं देखा जा सकता। यह तो हमारी विदेश और घरेलू नीतियों का ही एक अन्तरंग अंग है। इसका तो अन्य सरकारी क्षेत्रों के साथ निकटतम समन्वय। सम्बन्ध होना चाहिये। यह तो अर्थव्यवस्था की सशक्तता और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन प्रणाली से घनिष्टरूप से सम्बद्ध है। व्यवस्था के दौर का होना तथा राष्ट्रीय लक्ष्य की भावना का बड़ा महत्व है। इस शताब्दी के शुरू-शुरू में ही युद्ध सम्पूर्ण युद्धों का रूप धारण कर चुके थे। किसानों और मजदूरों का तथा गृहणियों का काम, सुरक्षा-सेनाओं के कार्मिकों को वीरता का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का काम करता है। दिशाविहीन व्यक्ति, वाह्य षडयन्त्र का सरलता से शिकार बन जाती हैं। इतिहास साक्षी है कि जब कोई जाति अपने देश में विश्वास से अनुप्रणित रहती है, कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो उसे वश में नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की शक्ति उसके विश्वास और उसकी आत्मनिर्भरता में निवास करती उपग्रह है। हमारी हरित क्रान्ति और हमारे औद्योगीकरण का यही मूलाधार है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के सन्निकट हैं। इसी के साथ-साथ हमने जो भारी प्रगति की है और करने की जो हममें करने की जो हममें क्षमता है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। इसका नवीनतम उदाहरण डा० एस० ए.स० धावन के योग्य मार्ग निर्देशन में कल छोड़ा गया उपग्रह है। इसलिए तो हम केवल नकल में ही विश्वास नहीं करते, जोर नहीं देते, अपितु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सही चुनाव उचित कार्यान्वयन पर बल देते हैं।

हमने आत्मनिर्भरता की बात की है, और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सभी शक्ति स्रोतों को जुटा देना चाहिये। परन्तु कोई भी स्थिति अन्यथा समस्या इतनी सरल नहीं होती। हम कोई शून्य में निवास नहीं कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस दौड़ में हम देरी से सम्मिलित हुए। हम धनाभाव से ग्रस्त हैं, एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली में फंसे है जो धीमी है और ऐसी मनःस्थिति से जो तत्कालिक तथा प्रायः काल्पनिक लाभों की बात तो सोचती है, बजाय दीर्घकालीन और ठोस लाभ के। जैसा कि 'वन्डरलैण्ड' में 'एलाइस' ने कहा है कि हमें अपने स्थान पर भी बने रहने के लिए दौड़ते भर रहना होगा, जबकि अन्य सामने ही दूर पहुँच चुके हैं और तीव्र गति से आगे ही आगे भाग रहे हैं। जब विकसित देशों में यह बेकार करार दे दिया जाता है तब जाकर कोई संयंत्र हमारे यहां लगाया जाता है। हम पेट्रोलियम, यूरेनियम तथा अन्य दुर्लभ और सामयिक सामग्री की दौड़ में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ? हम उपग्रह खोज, 'पर्यवेक्षण तथा अन्तरिक्ष जासूसी में कैसे टक्कर ले सकते हैं, तथा अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में खुले हस्तक्षेप के सामने कहां टिक सकते हैं ?

अतः देश में जो कुछ भी क्षमता, मात्रा उपलब्ध है, उसके उपयोग की आवश्यकता है और जो कुछ हम उत्पादित नहीं कर सकते उसे विदेशों से मंगाएं, खरीदे। क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम इतने अधिक पिछड़े हुए नहीं रह सकते।

सोवियत रूस से हाल ही में हमने सैन्य सामग्री की जो खरीद की थी, विदेशी प्रस और कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणियां की गई थीं। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम विदेशों से खरीददारी से बच सकते हैं, विशेषकर उन्नत प्रतिरक्षात्मक आवश्यकताओं के कुछ अनुपात से ' फिर भी, अपनी आपूर्ति के लिए किनी एकमात्र देश पर निर्भर न करने की सन्तुलित एवं बुद्धिमतापूर्ण नीति हमने अपना रखी है। इसने हमारी गुट-निरपेक्षता को नया आधार प्रदान किया है। हमारे प्रतिरक्षा दल ने मासको में जो अनुबन्ध किए हैं वे देखने में इकट्ठे होने पर बड़े लगते हैं, परन्तु वे उन अनेक अनुबन्धों के कुल जोड़ का प्रतिनिधित्व करती है जोकि लम्बे समय से विचारधीन रही हैं, उन पर चर्चा होती रही है। महती आवश्यकता और वित्तीय विवेक हमारा आदर्श वाक्य है। तीसरी बात यह है कि यथासम्भव आयातों तथा घरेलू उत्पादन कार्यक्रम में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये तथा आयात स्वदेशी निर्माण क्षमता बढ़ाने में बाधक नहीं होने चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास के विभाग की प्रगति, आयुद्ध कारखानों एवं सरकारी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उपक्रमों द्वारा किये गये काम का उल्लेख संक्षेप में किया गया है। हम एक नया लड़ाई टैंक सशस्त्र लाइट हैलीकाप्टर तैयार करने और नौसैनिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं - परन्तु मैं नहीं समझती हूं कि इतना होने पर भी हम अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का पूरा उपयोग करते हैं। पुराने प्रशासनिक नियम वैज्ञानिकों की नये परिवर्तन लाने की क्षमता को मंद व हतोत्साह करते हैं। क्योंकि नयी चीज शुरू करने में जोखिम और गल्तियों की सम्भावना रहती है। कोई भी आदमी शीर्ष से शुरू नहीं करता है। परन्तु सही ढंग से प्रोत्साहन देकर हमारे और अन्य देशों के बीच अन्तर को खत्म किया जा सकता है। हमारी सेनाओं को आधुनिकतम हथियार मिलने चाहिये जिसकी वे मांग करते हैं। हमें खेद है कि हम उनकी आवश्यकताओं को हमेशा पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही होने से नुकसान हो सकता है। तथापि हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अच्छे टैंक, अच्छे विमान, और अच्छे जहाज खरीद सकते हैं परन्तु प्रतिरक्षा स्वतः नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है।

जहां तक जगुआर का सम्बन्ध है, हमने ऐरोस्पेस के साथ शर्तें तय कर रखी हैं। हम इन शर्तों का पालन करेंगे। तथापि जब हमें स्वनिर्णय का अधिकार है तो हम इसका उपयोग देश के सर्वोत्तम हित में करेंगे।

जबकि प्रतिरक्षा उत्पादन नये परिवर्तनों और औद्योगिक ढांचे की सामान्य क्षमता पर निर्भर है, देश की रक्षा लोगों की सतर्कता पर निर्भर है। श्री इन्द्रजीत गुप्त समेत कुछ माननीय सदस्यों ने देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना का प्रयोग करने पर ठीक ही चिन्ता व्यक्त की है। परन्तु बहुत से अवसरों पर विभिन्न स्थानीय कारणों या परिस्थितियों के कारण पुलिस पूर्णरूपेन प्रभावशाली नहीं रहती है। और उससे भी बुरी बात होती है जब विद्रोह

व बगावत की स्थितियों का भय होता है, उस समय सेना को वैध भूमिका अदा करना ही होता है। सौभाग्यवश सेना निष्पक्षता के लिये मशहूर है। यह दुख की बात है किन्तु महत्वपूर्ण है कि संकीर्ण एवं पृथकतावादी आंदोलनों ने हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं पर झूठे आरोप लगाकर इसके प्रति लोगों के आदर को खत्म करने की कोशिश की है। किसी भी तरह की आंतरिक हलचल से हमारी सुरक्षा कमजोर होती है और यह बात अगर सीमा क्षेत्र में होती है तो और भी नुकसान-दायक है और वह सब प्रकार के खतरनाक तत्वों के लिए आवरण बन सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहे लम्बे आंदोलन ने लोगों के दिमाग में कई प्रकार के विचार पैदा किये हैं। विदेशी समाचार पत्रों में लेख छप रहे और वे इसे पृथकतावादी आंदोलन के रूप में वर्णन कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भारत के पंख कट जायेंगे। मुझे विश्वास है कि इस सदन या इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज को बर्दास्त नहीं करेगा जो हमारी मातृभूमि की एकता को क्षति पहुँचायेगी।

प्रत्येक देश की प्रतिरक्षा नीतियां एवं निर्णय उसके खतरे के अनुमान पर निर्भर है। हम जानते हैं कि पहले हमें कहां से धमकी मिली है। परन्तु खतरे दूसरी दिशाओं से भी आ सकते हैं। श्रीपाणिग्रही ने महत्वपूर्ण बात बताई अर्थात् मित्र राष्ट्र और समूह बदलते हैं। कुछ गठबंधन आज स्पष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु कौन से गुट हमसे भावी संघर्ष में टकरायेगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। किसी भी अनिश्म स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 15,200 कि० मी० से अधिक सीमा भूमि आधा दर्जन पड़ोसी देशों के साथ एवं 6.00 कि० मी० समुद्री तट सारी दुनिया को खुला पड़ा है यह कोई छोटा दायित्व नहीं है।

हिन्द महासागर अब मित्रता का क्षेत्र नहीं रहा है। तटवर्ती राज्यों की सर्वसम्मत आवाज न तो सुनी जा रही है और न उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। हिन्द महासागर में बाहरी शक्तियों की नौसेना की उपस्थिति कुछ समय से बढ़ रही परन्तु ईरान और अफगानिस्तान की घटनाओं के कारण इसमें वृद्धि और भी नाटकीय ढंग से हुई है। इससे हमारे क्षेत्र में भी अत्याधिक तनाव बढ़ा है। इन घटनाओं से सभी तटीय राष्ट्रों के स्थायित्व को खतरा है। डियागो गारेसिया में सैनिक जमाव होने से कई प्रतिक्रियाएं होंगी।

युद्ध जीतने का सर्वोत्तम तरीका उसे रोकना है। इसलिए हम लोग शांति बनाये रखने के लिए इतना कड़ा प्रयास कर रहे हैं। विदेश मन्त्री महोदय पहले ही बता चुके हैं कि हमने अपने निकट पड़ोसियों के साथ इस मामले को उठाया है। आज समस्त विश्व हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान और अन्य देशों के सम्बन्ध में हमारी नीति के पीछे यही औचित्य है। दक्षिणपूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में अस्थायित्व पैदा करने वाली घटनाएं घटी हैं जिससे हमारे लिए भी टकराव व खतरा की स्थिति बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी भविष्य की अनिश्चितता महसूस न करता हो महाशक्तियों के प्रक्षेपणास्त्र एवं आणवि संचयन ने भी उन्हें उदासी से मुक्त नहीं किया है। गत दशक में धीरे-धीरे अस्त्रों की दौड़ की निरर्थकता को महसूस किया गया और इससे विकल्प खोजने और सामयिक शस्त्र सीमित करने अन्ततः उन्हें कम करने की आवश्यकता महसूस की गई हाल के महीनों में तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को धक्का लगा है। कथनी और करनी में आशंका बनी हुई है।

अफगातिस्तान की घटनाएं बहुतों को अच्छी नहीं लगी हैं परन्तु तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया

को छोड़ देने का यह कोई पर्याप्त कारण नहीं है। यूरोप के नेताओं से मेरी बात होने पर पता चला कि वे खुले संघर्ष के विचार से कितना परेशान है ' एशिया अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका के बहुत से क्षेत्रों का भी यही विचार है। गुटीय राष्ट्र तथा गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी शांति चाहते हैं। मैं महाशक्तियों से उनकी सैनिक क्षमताओं के अनुरूप उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करने के लिए अपील करती हूं वे गलत निर्णय नहीं ले सकते या असावधानी से काम नहीं कर सकते।

समूचे विश्व में तथा हमारे पड़ोस में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है। अफगानिस्तान की घटनाएं जिसमें विद्रोहियों को सशस्त्र प्रोत्साहन भी शामिल है, सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान में आना इससे कम नहीं है, इन चीजों ने हमारे लिए गंभीर अस्थायित्व पैदा किया है। पद संभालने के पहले दिन से हमारी सरकार ने तनावपूर्ण रवैये को खत्म करने और राष्ट्रों को जो युद्ध के लिए तैयार थे, रोकने की कोशिश की है।

शांतिपूर्ण बातचीत के पथ पर चलते हुए हम अन्य राष्ट्रों को यह बताने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बातचीत के द्वारा हल नहीं की जा सकती या जिसके लिए शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना आवश्यक हो।.

जनता पार्टी सरकार ने कुछ विदेशी तत्वों की प्रशंसा अर्जित करने के भ्रामक प्रयास में हमारे कदम'को कड़ा बताया और उन्होंने हमारे निकट पड़ोसियों के साथ नरम रवैया अपनाया। मैं यह बताना चाहती हूं कि हम कभी भी गलती में नहीं रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय हित या सुरक्षा में किसी प्रकार का खतरा आता है तो हम दृढ़ रहेंगे और दृढ़ रहे हैं।

अगर मैं पाकिस्तान को विभिन्न देशों द्वारा हथियार दिये जाने की योजनाओं के समाचार पर अपनी बेचैनी व्यक्त न करूं तो यह स्पष्टवादिता में मेरी असफलता होगी। ऐसे भी पाकिस्तान को प्रतिरक्षा पर प्रतिव्यक्ति खर्च हमारे दुगने से अधिक है। पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम के समाचार से हमारे देश में सर्वत्र अशांति पैदा हो गई है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जनमत एवं जनदायित्व की प्रक्रिया के अभाव में टकराव को बढ़ावा नहीं मिलेगा। निकट भविष्य में पाकिस्तान में आणविक शस्त्र क्षमता के विकास की सम्भावनाओं के बारे में विभिन्न मंचों पर हाल ही में कई चर्चाएं हुई हैं। पाकिस्तान के क्षमता बढ़ाये जाने के गम्भीर परिणामों के बारे में सरकार वाकिफ है। हमे आशा है कि पकिस्तान सरकार अपने वचन का पालन करेगी और आणविक कार्यक्रम का उपयोग मात्र शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगी।

अपने जवानों और अधिकारियों को बहादुरी या वीरता का उल्लेख किये बिना प्रतिरक्षा पर कितना भी बोलना पूरा नहीं होगा। हमारा देश कई बार आक्रमण का शिकार हुआ है कि जो आक्रमण करता है उसे बहुत फायदा होता है। इसके बावजूद हमारी तैयारी के कारण, हमारे प्रतिरक्षा सेनाओं के गुण एवं प्रशिक्षण के कारण, हम अच्छा जवाब देने में सक्षम रहे हैं। केवल मार्गदर्शन व सलाह देने में ही हमारे अधिकारियों ने सही नेतृत्व नहीं किया है बल्कि खतरे और युद्ध के समय सामने रहकर भी अच्छा नेतृत्व किया है। हमें उनके लिये गर्व होना चाहिए और वास्तव में गर्व है। हम लोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों के त्याग से वाकिफ हैं और उनकी कठिनाई एवं शान्ति के समय उनकी निष्ठा से भी अवगत हैं प्राकृतिक या मानव विपत्तियों के समय उनकी सहायता मिलती है उससे वाकिफ हैं। इस सबके लिए हम कृतज्ञ हैं। इसलिए हमने सेवारत

या सेवामुक्त कर्मचारियों. उनके परिवार एवं विधवाओं और उनके पुनः रोजगार एवं पुर्नवास की की समस्याओं को सुलझाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। सभी शिकायतें दूर व सभी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। परन्तु हम एक-एक करके समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं दुहराती हूं कि हमारी प्रतिरक्षा का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि शांति है। हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करते हैं। परन्तु यदि कोई हम पर आक्रमण करने की सोचता है तो हमें उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहिए कि उनको एक मजबूत सेना और जनवल का सामना करना पड़ेगा जो अपनी मातृ भूमि की रक्षा के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे और मांगों को पास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों के कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा यदि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखा जाये।

श्री योगेन्द्र झा (मधुवनी) : चूंकि प्रधान मंत्री जी ने मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 में उल्लिखित बातों का उत्तर नहीं दिया है, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस समय आपको समय देने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको कटौती प्रस्तावों को अलग से मतदान के लिये रखेंगे।

श्री योगेन्द्र झा : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित शेष कटौती प्रस्यावों को मतदान के लिए रखंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये

अध्यक्ष महोदय : अब रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 20 से 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की सचिव निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
		रु०	रु०
20	रक्षामंत्रालय	79,085,51000	2,61,87,000
21	रक्षा सेवाएं-थल सेनाएं	1409,64,13,000	"
22	रक्षा सेवाएं-नौसेना	139,66,45,000	"
23	रक्षा सेवाएं-वायुसेना	578,90,54,000	"
24	रक्षा सेवाएं पेंशने	161,43,45000	"
25	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		238,62,98,000

सामान्य बजट—अनुदानों की मांग 1980-81 जारी

गृह मन्त्रालय—

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 47 से 57 पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी जिसके लिए 10 घटे का समय दिया गया है। जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव प्रचारित किये गये हैं वे अगर कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो वे उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बताते हुये, जिनको वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, अध्यक्ष पीठ के पास 15 मिनट के अन्दर पर्चियां भेज सकते हैं। उन कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया गया माना जायेगा। गृह मंत्रालय की मांगे निम्न प्रकार है :—

मांग संख्या	शीर्षक	रुपये	राशि रुपये
47.	गृह मंत्रालय	2,20,19,000	...
48.	मंत्रिमंडल	90,32,000	...
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	5,51,64,000	...
50.	पुलिस	178,41,28,000	6,56,33,000
51.	जनगणना	13,20,28,000	...
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	245,75,34,000	62,74,77,000
53.	दिल्ली	115,25,78,000	65,89,67,000
54.	चंडीगढ़	19,31,60,000	10,51,35,000
55.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20,61,20,000	12,78,49,000
56.	दादरा और नगर हवेली	2,04,79,000	2,41,81,000
57.	लक्षद्वीप	5,37,41,000	1,19,59,000

श्री धनिकलाल मंडल (झंझारपुर) : श्रीमन्, में गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमान, मेरा इस सम्मानित सदन से अनुरोध होगा कि गृह मन्त्रालय को एक पैसा भी ना दिया जाय··· (व्यवधान)···क्यों नहीं दिया जाये, यह सुन लीजिए। इसलिए नहीं दिया जाये कि विधि और व्यवस्था के नाम पर विधि समाप्त है और व्यवस्था के नाम पर, महोदय, घोर अव्यवस्था है, अमन और चैन के नाम पर चारों तरफ अशांति फैली हुई है और गृह मन्त्री का मन-मौजीपन चल रहा है।

श्रीमन्, ने मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आपके जमाने से बहुत कम है।

श्री धनिकलाल मण्डल : श्री भगवत झा आजाद साहब आप सुन लीजिये। जैसे मैंने ऊपर कहा कि विधि नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और गृह मन्त्री का जो मन-मौजीपन चल रहा है। इस सरकार के पावर में आने के तुरन्त बाद ही इन्होंने 9 राज्यों

में, सभी कानून और कायदों को तोड़कर, राष्ट्रपति शासन कायम कर दिया और पुनः ये धमकी दे रहे हैं कि जहां-जहां कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा की सरकार हो, जहां कहीं भी नान-कांग्रेसी हुकूमत है, वहां चुनाव कराये जायेंगे। इन लोगों ने सब कायदे-कानून को ताक पर रख दिया है। यही नहीं गृह मन्त्री जी ने सब कायदे-कानूनों को तोड़कर श्री भिंडर को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया। और उन्होंने इस प्रकार 150-200 अफसरों को सुपरशीड कर दिया—यह गृह मन्त्री जी का मन-मौजीपन है। जिसको चाहें नियमों को ताक पर रखकर कुछ भी बना सकते हैं।

मैं बागपत के बारे आपको में बताना चाहता हूं। ये लोग मौके पर घटना को देखने गय थे, लेकिन उनके वहां जाने से क्या स्थिति बनी वह मैं आपको बताता हूं। वहां जाकर उन्होंने कुछ न किया और जुडिशियल इन्क्वारी की स्थापना कर दी। वहां के एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बयान दिया, यह सब जानते हैं, उन्होंने कानून को तोड़ा है, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे काम इनके इशारे पर हो रहे हैं। यह एक उदाहरण है कि किस ढंग से आज देश में कोई भी कायदा और कानून नहीं है।

अब मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बड़े पैमाने पर बिहार में अफसरों का तबादला किया गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था—अनाप्रिसिडेंटेड ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह किस लिए किया गया, यह प्रकट हो गया है। जब बिहार विधानसभा के 81 स्थानों पर चुनाव हो गए, तो चुनाव के परिणामों को रोक लिया गया, इस दौरान जितने बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई थीं।

लगभग 81 स्थानों के चुनाव परिणामों को रोक लिया गया और सभी कायदे-कानूनों को तोड़कर मनमाने ढंग से बिहार में कांग्रेस गवर्नमेंट की स्थापना करवाई, जहां उसकी कोई सम्भावना नहीं थी...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनिक लाल मण्डल, आपकी पार्टी को 37 मिनट दिए गए हैं। और आपकी पार्टी के केवल 4 माननीय सदस्यों को बोलना है। अतः विषय पर ही बोलें।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैं इनके मनमाने ढंग के उदाहरण देता हूं—जबसे देश में यह गृह मन्त्री आये हैं साधारण लोगों की क्या हैसियत हो गई है? मैंने पहले भी कहा था—छोटे आदमी और बड़े आदमी के बीच में पहले से फर्क है। छोटे आदमी की इस देश में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जबसे माननीय गृह मन्त्री जी आ रहे हैं छाटे आदमी की हैसियत तो ओर भी ज्यादा खराब हो गई है। आज किसी भी औरत की इज्जत महफूज नहीं है, हरिजनों की रोज हत्याय हो रही हैं और आज कोई भी आदमी यात्रा करता हुआ मारा जा सकता है। हमारे देश में पांच वर्ग के लोग ऐसे हैं जो छोटे आदमी कहे जाते हैं—आदिवासी, हरिजनों, अल्पसंख्यक और मुसलमान—ये सारे लोग छोटे लोगों की श्रेणी में आते है, जिन पर आज आफत आ गई है। आज उनकी हैसियत कुछ नहीं रह गई है, 'जीरो' हो गई है—इन मन्त्री जी के आने से।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं—बागपत में क्या हुआ। महिला को छेड़ा गया। वह महिला जबरदस्ती अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तन गई तो क्या परिणाम हुआ? मैं इस सम्बन्ध में

ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन्होंने जुडीशियल एन्कवायरी बहाल कर दी है। लेकिन में बतलाना चाहता हूं—उस महिला का दोष इतना ही था कि जब उसको छेड़ा गया तो उसने सम्मान के साथ उनको रोक और वह खड़ी हो गई, क्योंकि वह अपनी इज्जत की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी—न केवल उसकी इज्जत को लूटा गया, बल्कि उसके सारे लोगों को जान से मार डाला गया। यह गृह मन्त्री हैं—जो उनको कोई सजा नहीं दे पा रहे है, बल्कि हमारे सामने आ कर सकते हैं कि इनके टायम में ला-एण्ड-आर्डर में सुधार हुआ है। ये हमको आंकड़े दिखला रहे हैं। उस दिन ये हमको कुछ आंकड़े दिखला रहे थे और कह रहे थे कि पहले से काफी सुधार हुआ है। श्रीमन्, में कहना चाहता हूं कि आँकड़े दिखलाने से बात साबित नहीं होती है। जिस तरह की घटना हुई है—चाहे बागपत की हो या आज अखबारों में आया है—करसनवाँ की घटना हो—जितनी जघन्यता इनमें दिखलाई देती है, उतनी पहले कभी नहीं थी। इन घटनाओं में जितनी जघन्यता है, बर्बता है, अमानुषिकता है, जंगलीपन है, वह शीपन है, शर्मनक है,--इतनी इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिये आंकड़े देकर हमको न बतलायें कि घटी हैं या बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह की घटनायें घट रही हैं।—ये सचमुच शर्गनाक हैं।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूँ—पहले भी घटनायें घटी हैं, लेकिन में एक डिफरेंसियेशन करना चाहता हूँ। पहले भी कुछ लोग निरोह बना कर, समूह बना कर दूसरे समूह पर, दूसरी जातियां पर हमला करते थे—यह बात सही है। अपने देश में कुछ लोग किस सीमा तक जंगली बन जाते हैं···(व्यवधान)···आप मेरी बात सुनिये, पहले भी इस तरह की घटनायें हुई हैं, कुछ लोग गिरोह बना कर, जातीय आधार पर गिरोह बना कर हमले करते थे, जैसे बेलछी में हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ, लेकिन उस समय गिरोह द्वारा हुआ था, लेकिन आज यह काम पुलिस कर रही है। गृह मन्त्री जी मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। आज जो बागपत की घटना है, करसनवां की घटना है—ये पुलिस के द्वारा हुई हैं। समाज में दो तरह के लोग जब इस तरह लड़ते हैं और एक दूसरे को जताते हैं तो दूसरी बात है लेकिन जब पुलिस इस काम को करती है, तो यह एक भयंकर चीज हो जाती है और पुलिम आप के अन्डर में है। इमलिए इसको नोट करिये। महोदय, में यह कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी ने दुनिया भर का जो जनपत है, उस पूरे जनपत की अवहेलनी की है और आज भी कर रहे हैं। ये गृह मन्त्री जी सम्पूर्ण देश के जनपत को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आज कोई भी अखबार ऐसा नहीं है, कोई भी संगठन, एम० पी०, एम० एल० ए० ऐसा नहीं है, जिसने यह माँग न की हो कि बागपत की घटना के उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और गिरफतार किया जाए लेकिन ये गृह मन्त्री सम्पूर्ण जनता की अवहेलना कर रहे हैं. पूरे देश के जनपत की अवहेलना कर रहे हैं, पूरे पंचायत की चाहे वह घटना की हो, लखनऊ की या दिल्ली की हो, सभी की अवहेलना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आप मन्त्री रहे हैं। अतः गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं पुलिस के बारे में बता रहा हूं। (व्यवधान)

इसलिए में कह रहा था कि सम्पूर्ण जनपत की अवहेलना करने का काम ये गृह मन्त्री जी कर रहे हैं। यह मांग क्या थी लोगों की ? लोगों की मांग इतनी थी कि वहां के पुलिस अफसर

को ससपेंड किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो देश का साधारण कानून है, उसके मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाए लेकिन ये इसको भी नहीं मान रहे हैं।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं इनको बतला दूं कि खुद पुलिस कमीशन ने यह रिपोर्ट की है। मैं पुलिस कमीशन की बात कर रहा हूं। खुद पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है कि पुलिस हिरासत में, पुलिस थाने में जब इस तरह की घटना घटे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य कुछ स्पष्टीकरणचाहता है तो वह खड़ा हो जाये और यदि बोलने वाला सदस्य मान जाये तो वह स्पष्टीकरण मांग सकता है। सदस्य इस प्रकार टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रत्येक सदस्य को यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अन्यथा कार्यवाही में सम्मिलत करना नोट करना संभव नहीं है।

श्री भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये विषय पर बोलें, (टू दि प्वाइन्ट) बोलें।

श्री रामविलास पासवान : ये विषय पर ही बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण करना चाहता है तो वह खड़ा होकर मेरी अनुमति ले और उसके बाद ही स्पष्टीकरण पूछे।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, पुलिस कमीशन की अनुशंसा यह है कि जब कभी इस तरह की घटना पा, पुलिस हिरासत में, पुलिस थाने में किसी की मौत हो या कोई बेआबरू हो, तो वैसी हालत में पुलिस अधिकारी मुअत्तिल होना चाहिए और उस पर जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए। यह पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है जो मैं आपको बतला रहा हूं। जब पुलिस कमीशन एपाइन्ट हुआ था, तब उसने यह रिपोर्ट दी थी। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करें जब अपना जवाब दें। इस तरह के मामले में वे क्या करेंगे। अभी कल की घटना है कि कुछ लोग प्रधान मन्त्री जी से मिलने गये थे और प्रधान मन्त्री जी से उन्होंने बात की। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि पहले आन्दोलन वापस हो, तो फिर मैं विचार करूंगी। ऐसा हर वक्त हुआ है कि जब भी इस तरह की घटना होती है, पुलिस का जुल्म होता है, तो क्या होता है कि एक तरफ जनता की तरफ से आन्दोलन होता है उसके खिलाफ और दूसरी तरफ सरकार इसको एक इज्जत का प्रश्न बनाती है और कहती है कि जब तक आन्दोलन वापस नहीं होता है, तब तक इस पर विचार नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमीशन ने यह अनुशंसा की थी कि पुलिस व्यवस्था में यह सिस्टम हो जाए कि जब इस तरह की घटना घटे, तो एक पैनेल हो, एक कमीशन हो और वह तुरन्त काम करने लग जाए। इसमें किसी के मांग करने की बात नहीं, किसी के आन्दोलन करने की बात नहीं हो। पुलिस व्यवस्था में आप ऐसी चीज करें कि एक पैनल हो, एक कमीशन हो और जब भी पुलिस की तरफ से हिरासत में या थाने में इस तरह की घटना घटे, जैसे कि कोई मर जाए, या किसी की इज्जत लूटी जाए तो कम्पलेंट करने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त मुअत्तिल हो जाए और वह पैनल या कमीशन बिना कहे काम करने लग जाए। पुलिस कमीशन ने ऐसी अनुशंसा की है। इसलिए पुलिस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि जनता और पुलिस के सम्बन्ध सुधरें, दोनों में भाईचारा, मैत्री और आपस का सद्भाव हो तो यह जरूरी है। इसके लिए आपको पुलिस व्यवस्था में लोगों के विश्वास को रेस्टोर करना होगा। आज पुलिस व्यवस्था में लोगों की

आस्था नहीं रह गयी है, विश्वास नहीं रह गया है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं जानता हूं कि पुलिस में अच्छे से अच्छे लोग भी हैं लेकिन उन पर पुलिस व्यवस्था के कारण कलंक आ जाता है। इसलिए यह करना जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी खराब हैं। मैं ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों से मिला हूं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो लोग अच्छे हैं वे भी बदनाम हो गये हैं। इस पुलिस व्यवस्था में, जो हम पुलिस और जनता में सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि दोनों में एक मानवीय सम्बन्ध हो, सहयोग का सम्बन्ध हो, वह नहीं हो पाता है।

पुलिस और जनता में विश्वास कब कायम होगा ? जैसा मैंने कहा वह तभी कायम होगा, जैसा कि पुलिस कमीशन ने भी कहा है कि तुरन्त ऐसा काम करने वाले पुलिस अफसर की बर्खास्तगी हो और उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाए। बिना किसी आन्दोलन के खड़ा किये, बिना किसी के मांग किये यह बात हो जाए। अगर यह बात मान ली जाती है तो सारा मामला ठीक हो जाएगा।

एक एम० पी० को प्रधान मन्त्री ने खत लिखा, जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि पुलिस का अत्याचार क्यों होता है। उन्होंने उसमें कई बातों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने एटीच्युट की बात कही और दूसरे उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग गुण्डों को सरक्षण देते हैं। तीसरे उन्होंने कहा कि पुलिस एटीच्युड वही पुराना है, बदला नहीं है। जो उनकी भर्ती और प्रशिक्षण के नियम हैं वे भी बदले नहीं हैं, वही पुराने हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों से कहने का मतलब उनका बड़े लोगों से है। गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते होंगे, यदि उन्होंने सोच-विचार किया होगा तो वे जरूर जानते होंगे कि अपने देश में जो व्यवस्था है वह तीन पायों की है। एक पाया है गुण्डा, दूसरा पाया है पुलिस और तीसरा पाया है बड़े लोग। उन बड़े लोगों में मंत्री भी हैं और अफसर भी हैं। ये जो गुण्डे लोग हैं, पुलिस है और बड़े लोग हैं, इनका प्रधान मंत्री जी को एहसास है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने मुझे कहा कि इन गुण्डो को राजनीतिक पार्टी के लोग संरक्षण देते हैं। मैं यह मान लेता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती होंगी, सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करतीं मगर सरकारी पार्टी को और विरोधी पार्टियों को एक ही धरातल पर रख देना कहां तक उचित है। सरकारी पार्टी के पास बहुत साधन हैं और विरोधी पार्टियां कितनी साधनहीन हैं। उन दोनों में तुलना नहीं हो सकती है।

यह सब कौन कर रहा है ? पुलिस, गुण्डे लोगों का और बड़े लोगों का जो त्रिकोण बन गया है, इसकी वजह से यह सब होता है। उससे छोटे आदमी दहलाये हुए हैं, भयभीत हैं। इन गुण्डों को ठीक करने का काम कौन करेगा ? अगर ये बातें प्रधान मंत्री भी सोचती हैं और गृह मंत्री भी सोचते हैं तो सभी पार्टियों की मीटिंग्स क्यों नहीं बुलायी गयीं। गृह मंत्री हरिजनों के विषयों को तो प्रायोरिटी देते ही नहीं। इन्होंने यहां इसी सदन में कहा था कि मैं मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाऊंगा, विरोधी पार्टियों के नेताओं का सम्मेलन बुलाऊंगा, यह करूंगा, वह करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हरिजनों के सवाल को ये नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह की प्रायोरिटी

इनके दिमाग में नहीं है। महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा कि इसी ?त्र में मृत्यु दंड देने का कानून लाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कहीं भी कानून नहीं है। यह इनकी प्रायोरिटी है। यह सरकार एलान तो बढ़िया से बढ़िया करती है। परन्तु अमल कहीं भी नहीं होता है। इस वास्ते सरकार केवल एलान न करे बल्कि उन एलानों पर अमल भी करे।

रुख की बात मैं कहता हूं। रुख को बदलने की भी बात है। जब बागपत की घटना की चर्चा हो रही थी तब मैं गृह मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बात शुरू की मनु स्मृति से और कहा कि हमारे देश में यह जो जातपात है, यह जो ऊंच नीच है, इसी से ये सारी चीजें निकली हैं। मैं इस बात को मानता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में भी कुछ दोष हैं। मैं पूरी संस्कृति की बात नही कर रहा हूं। देश की संस्कृति की मैं इज्जत करता हूं। दुनिया की संस्कृतियों में हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। लेकिन उसमें जो कुछ दोष हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया कि दोष हैं, मान्यता की बात है, मूल्यों की बात है और उनको जहां तक ठीक करने की बात है, उसके सम्बन्ध में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह क्या कर रहे हैं। जब वह समझते हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ दोष हैं, सब बातों को रहते हुए, अच्छाइयों के रहते हुए भी, उसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ दोष घुस गए हैं, तो उनको दूर करेगा कौन? मूल्यों पर फिर से विचार करके उनको बदलेगा कोन? सही मूल्यों पर फिर से विचार करके उनको बदलेगा कौन? सही मूल्यों बनाने की जहां तक बात है, उसके लिए कुछ करेगा कौन? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल भाषण दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि मनुस्मृति के समय से यह हो रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि उस समय से ऐसा होता आ रहा है इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। यदि कोइ दोष हमारी संस्कृत में आ गया तो उसको ठीक करने की जरूरत है। आप उनको दूर करने के लिए आगे आइये और आपको हम सबका सहयोग मिलेगा। क्यों हम उदास हों? क्यों हम भागें? हमको आगे आना चाहिये और काम करना चाहिये।

मैं रुख की बात कह रहा था। प्रधान मन्त्री ने रुख की बात की थी सब जानते हैं हमारे देश में जातीयता की बीमारी है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। जन्म लेकर मरण तक हमारे सारे कर्म जाति के आधार पर होते हैं। उनमें जातीय भावना रहती है इससे कोई इन्कार नहीं करता है। अगर कोई इन्कार करता है तो वह सच्चाई से इन्कार करता है। जाने या अनजाने कांशसली या अनकांशसली हमारे दिमाक में जातीय प्रेजुडिम है। उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे नेता चो चरणसिंह जी ने इनको यह सुझाव दिया था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उन्हीं को योग्य माना जाए जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह किया हो या करें। उन्होंने यह एक कसौटी रखी थी। उनका मत है कि इससे जातीय प्रेजुडिस मिट सकता है, यदि आप किसी के दिमाग से जातीय प्रेजुडिस मिटाना चाहते हैं तो ऐसा आपको करना होगा। उनके इस सुझाव का हमारे गृह मन्त्री जी ने कभी जवाव नहीं दिया। प्रधान मन्त्री ने कभी जवाव नहीं दिया। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जनतंत्र में विरोधी दल के नेता एक बात कहें एक सुझाव दें और प्रधान मंत्री जी की ओर से उस पर टिप्पणी तक न हो, रिसपास तक न हो और फिर भी लगातार उन पर यह आरोप लगाया जाता रहे/चार्ज लगाया जाता रहे कि वह जातपात को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों ने जातपात को नहीं बनाया है। स्वयं गृह मन्त्री ने कहा है कि यह मनु स्मृति के समय से है। अब आप ही बताएं कि क्या हम लोग मनु स्मृति के समय से हैं?

हम लोगों ने जातपात को नहीं बनाया है । हम पर जापात को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है । मैं कहूँगा कि जितना आप जातपात को बढ़ावा देते हैं । उतना और कोई नहीं देता है । इसके बारे में सब तथ्य हमारे पास मौजूद हैं ।

जहां तक पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का रुख बदलने की बात है, उसमें जातीय प्रजुडिस को मिटाने की बात है । क्या इसके बारे में आप भी कोई सुझाव देने वाले हैं या उस पर अमल करने वाले हैं, यदि हमारे सुझाव को आप नहीं मानते हैं ? क्या आप के पास भी कोई सुझाव है या केवल आप पायस विश पर ही चलते रहेंगे और अपने आपको दबे हुए, पिसे हुए लोगों—का वैल विशर होने का दावा ही करते रहेंगे ?

जहा तक ट्रेनिंग या भरती की बात है या पुलिस आगे नाइजेशन की बात है, वह अंग्रेजों के समय से ही जैसा बना था वैसा चलता आ रहा है । अनस्किल्ड लोगों को कांस्टेबल के तौर पर भरती किया जाता था और उनको अनस्किल्ड का दर्जा दिया जाता था । आज भी वही दर्जा उनको प्राप्त है । लेकिन आज स्थिति बहुत बदल गई है । हमारा देश आजाद है । हमारे यहां जनतन्त्र है, जम्हूरियत है, लेकिन कायदा कानून वही पुराना चला आ रहा है । उसको बदलना चाहिये । अब उसको कौन बदलेगा ? इनको आगे आना पड़ेगा । नारायणपुर प्रधानमन्त्री जी गई अच्छी बात है । मैं इसका विरोध नहीं करता । लेकिन उन्होंने देश को जो आश्वासन दिया क्या वह पूरा हुआ ? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यह एलानिया सरकार है, यह सरकार केवल एलान करती जाती है, काम करना इसका काम नहीं है । सरकार अपने काम से बोला करती है जवान से नहीं बोलती है । जो सरकार जवान से बोले उसको हम लोग एलानिया सरकार कहते हैं, लम्पट सरकार कहते हैं । इससे कुछ होगा नहीं ।

पुलिस संगठन की बात मैं कर रहा था । प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री तथा दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि आर्थिक उन्नति हो जाएगी तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी । यह बहुत दिनों से, 30 वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है । देश निर्माण का जो काम है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का काम वह इकनामिकरिकंस्टक्शन का ही काम नहीं है, सोशल रिकंस्टक्शन का भी काम है । अगर आपने दोनों को साथ-साथ नहीं चलाया तो आपकी वही हालत होगी, जो आज हो रही है । वह गलत इम्फैसिस की वजह से ही हो रही थी ।

नेशन बिल्डिग का काम न केवल इकनाकिक डैवलपमैंट का काम है, न केवल इकनामिक रिकंस्ट्रक्शन का काम है बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का भी काम है । जो डिफरेंट कास्ट्स हैं, नेशनलिस्ट्स है, उनमें कैसे होमोजैनाइटी आयेगी, कैसे घोलमेल होगा, इसकी भी जरूरत है । उसको देश-निर्माण कहते हैं । ऐसे कैसे यह सम्भव हो सकता है, जो हमको यह समझा रहे हैं ?

पुलिस संगठन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ बातें मैंने एटी ट्यूडस की, ट्रेनिंग की और भर्ती की, उसके साथ-साथ यह जरूरी हो गया है कि पुलिस संगठन में जो एक बहुत बड़ा दोष आ गया है झूठ का, यह अंग्रेजी के समय से है । अंग्रेजी ने जो पुलिस की व्यवस्था की थी, वह लोगों को बचाने के लिए की थी, लोगों की आजादी के लिए नहीं की थी। लोग अपनी मांगों के लिए जो आन्दोलन करते थे, उसको ठीक से समझकर उसके साथ सही सलूक करने के लिए अंग्रेजों ने नुलिस नहीं बनाई थी । अंग्रेजों ने जो यह संगठन खड़ा किया था, उसके

पीछे लोगों को दबाने का उद्देश्य था। इसलिए उसी समय से कुछ बुरी लत, जिसे थर्ड डिग्री मैथड कहते हैं, पुलिस में आ गई। जैसे सारी घटनाएं जो सामने आ रही हैं कि किस तरह से पुलिस इन्वैस्टीगेशन करने गई और उसने कैसे काम किया, कैसे लड़के को अपनी मां के साथ सम्भोग करने के लिये पुलिस ने कहा, यह सारे काम जो हो रहे हैं, ये थर्ड डिग्री मैथड हैं। इस तरह के क्राइम के इन्वैस्टीगेशन में सारी झूठी बातें आप तक पहुँच जाती हैं। यदि किसी संगठन को आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिद्धान्त होता है कि उसमें सच्चाई होनी चाहिये। यदि किसी संगठन में सचाई नहीं है तो वह संगटन चल नहीं सकता है। आपको पता होगा कि चोर-डकैतों का जो संगठन होता है, उसमें भी आपस में सच्चाई होती है। लेकिन पुलिस के संगठन में सचाई नाम की चीज नहीं रह गई है।

इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो ला एंड आर्डर की मशीनरी है और जो प्रीवेंशन आफ इवैंस्टीगेशन की मशीनरी है, इनको अलग कीजिये, जब तक इनको अलग नहीं करते, उसीसे दोनों तरह का काम लेते रहेंगे, उसमें सच्चाई नहीं आ पायेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस वालों को बहुत काम करना होता है। उनको 18,18 घंटे ड्यूटी देनी होती है, यह चीज खत्म होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले तनाव में, टेंशन में इतनी हैवी ड्यूटी देते हैं तो वह किसी से भी भलनसाहब से पेश नहीं आ सकते हैं। यह क्यों होता है, क्योंकि उनके काम के घंटे बहुत होते हैं। उनको छुट्टी कम मिलती है, सर्विस कंडीशन्ज ठीक नहीं हैं, कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप देखिये क्योंकि पुलिस व्यवस्था के लिये कांस्ट्रेबल है और उसे बहुत ज्यादा काम करना होता है, बहुत कम वेतन उसको मिलता है, घर-आवास की सुविधा नहीं है, भता नहीं मिलता है, मर जाता है तो उचित मुआवजा नही मिलता है। इन सारी बातों को आपको ठीक करना चाहिये। मैं चाहूंगा कि पुलिस वालों की जो उचित मांगें हैं, उनको मानिये और उन पर अमल कीजिये।

कुछ अनुशंसाएं भी हुई थी, जैसे पुलिस अर्दली सिस्टम खत्म करने की बात थी, फ्यूबलिज्म पुलिस में बहुत अर्से से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, उसको खत्म करने की बात थी। अंग्रेजों के समय में पुलिस कमीशन ने भी कुछ अनुशंसाएं की थीं, जो आज भी I। तरह लागू नहीं हो पाई हैं। 1861 का इनका कानून बना हुआ है, उसमे फ्यूडलिस्टिक च र्जे और जब से ही इसको चला रहे हैं। ये पुलिस को इंस्ट्रूमैंट आफ आपरेशन एंड सैपरेशन बानना चाहते हैं, पुलिस में सोशल पालिसी नहीं बनाना चाहते। यदि यह इनमें परिवर्तन आ जाये औपू यह सोचने लगे कि पुलिस को जनता की सहूलियत के लिये, मदद के लिए सहारे और सहयोग के लिये बनाना है न कि जनता पर शासन करने के लिए बनाना है तो यह रूख में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन आज तक यह काम नहीं हो पाया है।

1861 का पुलिस मैनुअल चल रहा है, 1898 का क्रिमिनल पोसीजर कोड है, उसमें एक दफे है 109 और !07 जिसके चलते 25, 30 हजार आदमी जेलों में हैं और पिछले दिनों जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था तो यह प्रकट हुआ कि 10,10 और 11, 11 साल से लोग जेलों में हैं। बार-बार यह मांग की गई है कि पुलिस के इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाये (व्यवधान) हमने भी दोष किया। हमने कब कहा है कि हम दूध के धोये हुए हैं? क्या हमने ऐसा दावा किया है? इन दफात से गरीब आदमी को, लघु मानव को बचाने के लिए जिसकी

कोई हैसियत और इज्जत नहीं है, जिसकी इज्जत लगातार घटती जा रही है और आपके समय में लोएस्ट बिंदु पर पहुँच गई है, सरकार की इस सलाह को मान लेना चाहिए।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, हमारे साथी, श्री रामविलास पासवान, ने हरिजनों को बंदूक देने के बारे में एक प्रश्न किया था। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि उन्हें बंदूक नहीं मिलनी चाहिए। जब बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, तो उन्होंने एलान किया था कि हरिजनों में से चुने हुए लोगों को होम गार्ड की ट्रेनिंग और बूदकें दी जायेंगे। उस समय भी इन लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि इससे गृह-युद्ध हो जायेगा। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप हरिजनों को बंदूक नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे गृह-युद्ध का खतरा है, तो फिर बाकी लोगों से भी बंदूक ले लीजिए। उसके तो गृह-युद्ध नहीं होगा। लेकिन बाकी लोगों से बदूक नहीं लेते और कमजोर वर्ग के लोगों को, जिनकी संख्या 85 प्रतिशत है—छोटे मानवों को, लघु मानवों को, हरिजन-आदिवासियों को—आप बंदूक नहीं देना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यही होता है कि आप पुरानी व्यवस्था को परपेचुएट करना चाहते हैं।

मान लीजिए कि हरिजनों बंदूकें देने से उकसाया होगा, तो दूसरे लोगों से बंदूकें ले लीजिए। आज तो अनईक्लव फाइट, नाबराबरी की फाइट होती है, क्योंकि हरिजनों के पास लाठी और डंडा होता है, जबकि बड़े लोगों के पास बंदूक, राइफल और रिवाल्वर होते हैं। इसीलिए हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। और उनकी मां-बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इस अनईक्लव फाइट को हटाना है। कैसे हटायेंगे? या तो जो भी आर्म्ज लेना चाहे, उसको दीजिए, नहीं तो किसी को भी न दीजिए। सरकार जो ठीक समझे, वह करे।

जहां तक हरिजनों को सर्विसिज में रिप्रेजेन्टेशन देने की बात है, आज भी उनका प्रतिनिधित्व 4.48 प्रतिशत है। जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों के मामलों को देखने के लिए एक हाई-पावर कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई यह अनुशंसा करने के लिए कि हरिजनों के प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाये, जिससे पांच सालों में उन्हें सर्विसिज में पूरा प्रतिनिधित्व मिल जाये। इस सरकार के आते ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। होम मिनिस्ट्री से जो किताब मिली है, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं :

उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 20 अक्तूबर, 1978 को हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया प्रतिनिधित्व को पूरा करने के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया जाये। इसके अनुसरण में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने 5 जुलाई, 1979 को अपनी पहली बैठक की। विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की अध्यक्षता भूतपूर्व गृहमन्त्री ने की। समिति ने इन्हें अधिक संख्या में रोजगार देने वाले कुछ मन्त्रालयों से कहा कि वे उनके अधीन ग्रुप-ख सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करें और विचारार्थ विशेष प्रस्ताव रखें। अन्य सुझावों के साथ-साथ समिति ने ये सुझाव दिये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण, नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण और वृत्तिक नियुक्तियों के बारे में सुविधायें बढ़ाई जायें, ताकि उन्हें नितमित नियुक्तियों के उपयुक्त बनाया जा सके और इस तरह

से सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाये। कमेटी यह सुझाव देने के लिए बनाई गई थी कि बैकलाग, बकाया, को पूरा करने के लिए क्या किया जाये, और उसने रीकमेंडेशन यह दे दी। और रेकमेंडेशन यह है। इस तरह से जब बात होगी तो उनको रेप्रेजेन्टेशन कैसे मिलेगा ?

इसी के साथ मैं हरिजनों की आर्थिक उन्नति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जनता सरकार ने कुछ काम किए थे और मुझको इस बात की खुशी है स्पेशल कम्पोनेंट प्लान उस समय तैयार हुआ था और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के लिए भी कागज बढ़ा था इस बात के लिए मैं होम मिनिस्टर को बधाई देता हूं, जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए बधाई अवश्य दूंगा, उन्होंने सौ करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंस में रखा है। यह एक बहुत अच्छा काम है लेकिन यह तो ऐसा ही है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया जाय या समुद्र में एक बूंद पानी डाल दिया जाय। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उसमें से 60 प्रतिशत लोग हरिजन हैं। यदि हरिजनों और आदिवासियों की आबादी 16 करोड़ मान लें और वह हैं भी 16 करोड़, 12 करोड़ हरिजन और 4 करोड़ आदिवासी दोनों मिलाकर 16 करोड़ होते हैं, तो 16 करोड़ के 60 प्रतिशत यानी लगभग 10 करोड़ आदिवासी और हरिजन गरीबी रेखा के नीचे हैं। यदि पांच से इसको भाग दे दें, पांच आदमियों का एक परिवार मान लें तो दो करोड़ हरिजन परिवार हैं जिनको आज गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर ले जाना है। दो करोड़ को पांच हजार से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पांच हजार की राशि अगर एक हरिजन परिवार को दें ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 5 हजार, इतनी राशि की जरूरत है जिसके सामने सौ करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने इसकी शुरूआत की। लेकिन सौ करोड़ से यह काम होने वाला नहीं है, इसको और आगे ले जाने की जरूरत है।

मैं थोड़ा सा आदिवासियों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। एक तो जो उत्तर पूर्व के आदिवासी हैं उनके बारे में कहूंगा और दूसरे जो मध्य के हैं उनके बारे में कहूंगा। उत्तर पूर्व में जो हमारे आदिवासी हैं उनके साथ क्या हुआ ? इस सरकार ने क्या भचमन्साहत की ? मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की एक संस्कृत है, वह संस्कृति है समाजवादी संस्कृति, समता की संस्कृति, बराबरी की संस्कृति। उनमें ज्यादा भेदभाव नहीं होता, अलगाव नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता। उस संस्कृति में जो उनका पिछड़ापन है उसको अलग बनाने के लिए ये पहले उनको पूंजीवादी बनाना चाहते हैं। पहले वे पूंजीवादी हो जाएंगे, तब जाकर उनको ये समाजवादी बनाएंगे। यह इनकी नीति है, इनकी स्ट्रेटेजी है आदिवासियों के विकास के लिए। वे खुद पहले से समाजवादी हैं, उसी ढंग से, समाजवादी पैटर्न से उनका विकास किया जाता तो वह अधिक उपयुक्त था, लेकिन कैपिटलिस्ट- में उनका विकास करेंगे। इसलिए ये जो समाजवाद में विश्वास करते हैं फिर से उनको कैपिटलिस्ट बनाकर तब समाजवादी बनाएंगे। इस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी है। मुझे इस बारे में कम्यूनिस्टों से भी, त्रिपुरा की सी० पी० एम सरकार से दुख है. उन्होंने भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ईवाल्व नहीं की कम्यूनिस्ट होते हुए भी, वे कम्यूनिस्ट हैं और जेनुइम कम्युनिस्ट हैं, मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं, वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इनकरप्टिबल है, एफिसेंट हैं, गरीबी से, आदवासियो से उनको हमदर्दी है लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कांग्रेस सरकार की स्ट्रेटेजी के मुकाबिले में ईवाल्व नहीं की कि आदिवासियों को उनकी सभ्यता और

संस्कृति जो पुरानी है उसी में उनको रखते हुए जो खुद समाजवादी हैं, उनका विकास करते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : त्रिपुरा में जनजातीय जिला परिषदें बनती गयी हैं। आदिवासी लोगों को भूमि वापस दे दी गयी है। श्री मंडल को शायद इन सब बातों की जानकारी नहीं है।

श्री धनिक लाल मंडल : आदिवासियों की जो समस्या है, वह जमीन की समस्या है, फारेस्ट प्रोड्यूस की समस्या है, माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस की समस्या है। आज क्या होता है? आजादी के बाद जो सरकारें आईं, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वह लगातार उनके अधिकारों को खत्म करती चली गई। जंगलों में उनको लकड़ी लेने के अधिकार थे, उसको भी खत्म कर दिया। माइनर फारेस्ट प्रौड्यूस फल फूल आदि जो वह जंगलों से चुनते थे और बेचते थे उसको भी नेशनलाइजेशन के बाद अपने अधिकार में कर लिया। जमीन पर भी अधिकार कर लिया। इन सब बजहों से आदिवासियों में असंतोष है। मैं मध्य के आदिवासियों के बारे में अब कह रहा हूं। उत्तर के लिए मैंने कह दिया। सबसे बड़ी खेद की बात है कि जितने भी इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स हैं, चाहे वह राउरकेला हो, बोकारो हो, धनबाद हो, या सिन्द्री हो, ये सारे जो काम्पलेक्स हैं, माइनिंग काम्पलेक्स, इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स जहां बड़े आधुनिक शहर बन रहे हैं उसके चारों तरफ आदिवासियों को देखिए। वे आदिवासियों के क्षेत्र में हैं। आदिवासियों से जमीन ले ली गई, उनको ईवैकुएट किया गया वह काम्पलेक्स बनाने के लिए लेकिन एवज में उनको क्या दिया गया? न उनको नौकरी दी गई न कुछ दिया गया। मामूली मुआवजा दिया गया। यदि उस इलाके में आप जायेंगे तो आपको लगेगा कि आदिवासियों के गरीबी के दलदल में भोग विलास के कुछ टापू दिखलाई दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को 37 मिनट दिए गए हैं। आपने 37 मिनट से अधिक समय ले लिया है। अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ मेरी सहानुभूति है जिन्हें अभी बोलना है।

श्री धनिक लाल मंडल : यह मैंने आदिवासियों के सम्बन्ध में कहा। असाम के सम्बन्ध में एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आसाम की समस्या के हल के लिए गृह मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी वे जो बयान देते हैं, उनसे भय लगने लगता है, कि वे कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि असाम के हमारे भाई भारत माता के पुत्र हैं, इस बात को उन्हें अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना चाहिए। गृह मन्त्री, जिनके हाथ में अधिकार हैं, भारत सरकार के पूरे अधिकार और शक्ति लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि वे लोग हमारे अपने ही देश के भाई हैं, भारत माता की सन्तान हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें धीरज और नर्मी से बात करनी चाहिए, कोई भी कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। आसाम के सम्बन्ध में सारी बातें यहां पर आई हैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इल्लीगल इमिग्रेशन हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं उन्हीं के विभाग के आंकड़े देना चाहता हूं :

"1979 में सीमा सुरक्षा बल ने 2,157 हिन्दुओं, 1324 मुसलमानों और 206 असहाय पाकिस्तानियों को रोका और उन्हें वापस भेज दिया। 1980 में मई तक वापस भेजे गए बंगला देश वासियों की संख्या इस प्रकार थी—1,163 हिन्दू, 2,267 मुसलमान, 826 बर्मी मुसलमान और 78 असहाय पाकिस्तानी।" लगभग चार हजार। इसमें माना गया है कि 100 में 10 को ही बी० एस० एफ० इन्टरसेप्ट करती है क्योंकि सीमा बहुत बड़ी है 37 हजार किलोमीटर की

और बी० एस० एफ० की चौकियां केवल तीन सौ या चार सौ ही हैं। जब इतनी बड़ी सीमा हो और इतनी कम बी० एस० एफ० की चेक-पारस्ट हों तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 100 में से 10 को रोक पाते हैं यानी 10 में से 1 को ही रोक पाते हैं, उनको पुश-बैंक कर पाते हैं और बाकी लोग हिन्दुस्तान में चले आते हैं। एक बार जब वे भारत में चले आते हैं तो यहां घुल मिल जाते हैं और फिर कोई उनका पता नहीं रहता है। अगर इस हिसाब को हम मान लें तो आज भी प्रति वर्ष 40,000 के लगभग लोग इल्लीगल्ली भारत में आते हैं। गृह मन्त्री जी इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ? वे असाम-वासियों द्वारा उठाए गए आन्दोलन की बात तो करते हैं लेकिन जो खुद उनका अपना काम है उस सम्बन्ध में वे क्या कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस मंत्रालय के लिए 10 घंटे दिए गए हैं। वह 37 से अधिक ले रहे है। उन्होंने हमारा समय भी ले लिया है। इस विषय पर हमें भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के अन्य सदस्य भी जो नहीं बोल सकते।

श्री धनिक लाल मण्डल : बार्डर को सील करना सरकार का काम है जोकि वह नहीं करती है।

मिजोरम के बारे में भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार लाल डेंगा से बात कर रही लेकिन हमको भय है कि लाल डेंगा ने शर्त लगाई है कि पहले वहां पर राष्ट्रति शासन लागू किया जाए, यानी टी साइलो की सरकार को खत्म किया जाए तभी बातचीत होगी इसलिए मैं गृह मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा काम आप न करें, इतने बड़े टी साइलो की सरकार को खत्म करके एक अनरेलायबल लाल डेंगा से बात करना इस देश के हित में नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं।

आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री बालेश्वर राम (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र श्री धनिक लाल मंडल जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था। अभी पिछले कई सालों जो हमारे देश की हालत कानून-व्यवस्था की रही है, चाहे वह महिलाओं पर अत्याचार हो, हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों पर अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों, जो हमारी माइनोरिटीज कम्यूनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं—इस तरह की घटनायें पिछले कई सालों से हो रही हैं। यह मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाओं का होते रहना किसी भी देश के लिए कलंक की बात है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी ठीक है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जो राष्ट्रीय समस्याओं का रूप इन समस्याओं ने लिया है, जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, उनका समाधान खोजना चाहिए।

लेकिन मुझे अफसोस है कि श्री धनिक लाल मंडल ने जो बहुत चतुर आदमी हैं, जनता पार्टी की सरकार में और जब लोकदल की सरकार बनी, उसमें भी ये गृह विभाग राज्य मन्त्री थे, इसलिए मैं इनके भाषण को सुन रहा था। मैं कुछ बातों की ओर विरोधी पक्ष के नेताओं का और आपके माध्यम से सदन को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस तरह की घटनायें पिछले कई सालों से हो रही हैं और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर आती है।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि 1977 के आम चुनाव, जबकि किसी की मांग भी नहीं थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कराए और उन चुनावों में जनता की अदालत ने जो फैसला किया, जो उसके रिजल्ट आए, उसको श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी ने माना और उसको कबूल करके, जो हमारे विरोधी पक्ष में लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर हिन्दुस्तान की हकूमत को चलाने की जवाबदेही आई। जवाबदेही आने के बाद, मैं इनकी यादाश्त को ताजा करना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया ? बजाय इसके कि जो इस तरह के कारनामे होते थे, उनको रोकते, उन्होंने बढ़ावा ही दिया···(व्यवधान)···मैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको बताना चाहता हूं और आप उठकर जा रहे हैं।

मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा था, शायद आपको याद होगा जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार शासन में आई, उस वक्त जो ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स थे, अपराधकर्मी थे, जिनके ऊपर 302, 307 और 395 धारा के तहत मुकदमे चल रहे थे, उसमें कई सजावार थे, बहुत से एक्स्ट्रीमिस्ट्स थे, उनको छोड़ दिया गया। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब वह जवाब दें तो सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने कुख्यात अपराधकर्मी, क्रिमिनल्स और एक्स्ट्रीमिस्ट्स जिनको हमारे डैमोक्रेटिक सिस्टम और हमारी जनतान्त्रिक प्रणाली पर विश्वास नहीं था और उनको छोड़ा गया। यदि वे चाहेंगे तो सारे आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट्स से उपलब्ध हो जायेंगे कि कितने लोगों पर मुकदमे वापिस लिए गए और कितनों को छोड़ा गया।

एक दो उदाहरण मैं आपको अपने जिले के बारे में देना चाहता हूं। मेरे जिले में एक आदमी के ऊहर मर्डर का इल्जाम था और यह साबित भी हो गया था। वह अपने आपको नक्सलवादी कहता था, हाई कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया था, लेकिन उस वक्त जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उस अपराधी को छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस (अर्स) के एक नेता की हत्या की है। यह ठीक है आज कल हमारे कांग्रेस (अर्स) के नेता इसी गठबन्धन में शरीक हो गये हैं, यह उनके लिये खुशी की बात है, लेकिन हम यह मानते हैं कि कोई भी अपराधी जो इस तरह का कुकर्म करता है वह निन्दनीय है।

मैं इस बात का जिक्र इस लिये कर रहा था कि इन्होंने इस तरह के जितने कुख्यात अपराधी थे, क्रिमनल्ज थे, उनको छोड़ दिया। उनमें ऐसे लोग भी थे जो तस्करी करते थे, स्मगिलग करते थे, चाहे वह हाजी मस्ताना हो, बखिया हो, उन सभी बड़े-बड़े नामी तस्करों के नाम हम सभी जानते हैं, यहां तक हुआ कि एक स्वर्गवासी विख्यात नेता के सामने उनको लाकर आत्म-समर्पण का नाटक कराया। ये लोग केवल स्मगिलंन ही नहीं करते थे, बलिक अपराध-कर्मी भी थे—यह बात किसी से छिपी नहीं है : मैं इस प्रसंग में यह बतलाना चाहता हूं कि हजारों की तादात में ऐसे अपराधियों को सभी राज्यों में, चाहे वेस्ट-बंगाल हो, त्रिपुरा हो या दूसरी उनके द्वारा रूल्ड स्टेट्स में उनको छोड़ा गया।

मंडल जी कह रहे थे—9 असेम्बलियों का विघटन क्यों किया ? 1977 में जब इनकी सरकार बनी थी, यही सवाल हमने भी पूछा था। तब इन्होंने कहा था कि जनता का मैन्डेट हमारे पक्ष में हो गया है, इसलिये हम सारे राज्यों की असेम्बिलियों को भंग करेंगे। हमने भी वही किया है। जब हमारी जनता ने भारी बहुमत से, इतने मैसिव-मैन्डेट से हमें यहां भेजा जितना आज

तक पहले किसी पार्टी को नहीं मिला था, तब हमारी सरकार और हमारे दल ने सोचा—यदि हम अपने कार्यक्रमों को, जो गरीब जनता के लिये, गरीब हरिजनों के लिये, पिछड़े, वर्ग के लिये, अल्प संख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिये हैं, लागू करना चाहते हैं, विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रमों या दूसरे कार्यक्रमों को इस देश की तरक्की के लिये और इस देश में फिर से समाजवादी सिस्टम को लाने के लिए चलाना चाहते हैं, तो हमें चुनाव कराने चाहिए। हमारे गृह मन्त्री जी ने उस समय कहा—असेम्बलियों को भंग किया गया है, वह इसीलिए किया गया है कि जनता ने बिलकुल स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष को मेन्डेट दिया है और हमें अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिये चुनाव कराना जरूरी था और जनता ने फिर हमारे पक्ष में मेन्डेट दिया।

लेकिन यहां पर मैं अपने माननीय गृह मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो राज्यों में इस तरह की घटनायें हो रही हैं, वे जरा इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि जो राज्य लोक दल या जनता पार्टी द्वारा शासित थे, उनमें कितने ऐसे तत्वों को पुलिस फोर्स में, जो कानून और व्यवस्था को कायम रखने वाली मशीनरी, उसमें इन्फिलट्रेट कराया गया है। मेरी जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो आर० एस० एस० के हैं या लोक दल के हैं या दूसरे रिएक्शनरी एलीमेन्ट्स हैं, जो अपराधी तत्व हैं, ऐसे लोगों को इनमें घुसाया गया है और ऐसे तत्व आज मिलकर ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिससे हमारी सरकार डिफेम हो, हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये सारी कार्यवाहियां आज चल रही हैं। मेरा यह चार्ज है और मैं जानना चाहूंगा—क्या यह सही नहीं है कि इस तरह के जो एलीमेन्ट्स थे, जो उनके साथ कमिटेड थे, उनको हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में पुलिस फोर्स में घुसाया गया है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहें।

आज जिस तरह के हिन्दुस्तान को बनाने की कल्पना हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी ने की है, हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो कार्यक्रम है. नीतियां हैं और जिस तरह से आप उनको कार्यान्वित करना चाहते हैं—उसमें आपको पूरी मुस्तैदी और सतर्कता बरतनी होगी। इस तरह के जो एलीमेन्ट्स आज घुस गये हैं और आपको बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप दिल्ली को ही लीजिये, यहां पर जो अपराध बढ़े हैं, उनके चारों तरफ कौन लोग हैं ? उनके समर्थक कौन लोग हैं ? आज आर० एस० एस० के एलीमेन्ट्स काफी मुस्तैदी से इस काम में लगे हुए हैं कि सरकार को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाय। मैं देख रहा हूं—पिछले कुछ हफ्तों से हमारे विरोध पक्ष के कई नेताओं के मनसूबे और हौसले काफी बुलन्द हो गये हैं। शायद वे हमारी पार्टी को कमजोर समझने लगे हैं, यह उनकी भूल है। श्रीमती इन्दिरा गान्धी की टावरिंग पर्सनेलिटी शायद आज दुनिया की किसी भी पार्टी को नसीब नहीं है। जहां एक तरफ वे चट्टान की तरफ से खड़ी हैं, वहां हिन्दुस्तान की जनता ने भी साबित कर दिया है कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के पीछे चट्टान की तरह से खड़ी है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके हौसले पस्त हो रहे हैं—इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय जी, ये इनके कारनामे थे, जिनका संक्षेप में मैंने वर्णन किया है कि किस वजह से यह जो कानून व व्यवस्था की हालत है, उसको पैदा किया गया है और दूसरी तरफ ऐसे समाचारपत्र हैं, ऐसी न्यूजएजेन्सियां हैं, ऐसे अखबारात हैं, जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों के हाथों में हैं और उनका जो रवैया है, वह आपने देखा था इमर्जेंसी के पहले भी और बाद में भी

उनका क्या रवैया रहा। कुछ दिनों तक तो वे ठीक नजर होते आ रहे थे लेकिन इधर देख रहे हैं कि वे गलत समाचार हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं। कई ऐसे न्यूजपेपर्स हैं, और इन्डियन एक्सप्रेस तो इस काम में मशहूर है लेकिन कई और भी एसे अखबार हैं जिन्होंने उससे कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया है। ऐसी बहुत सी मेगजीन्स हैं और डेली न्यूजपेपर हैं हालांकि वे कम हैं, लेकिन बहुत सी पत्रिकाएं हैं, वीकलीज हैं, मन्थलीज हैं, जो इस तरह की खबरें छाप रही हैं और प्लान्ड तरीके से एक कान्सपीरेसी चल रही है और बहुत बढ़ा-चढ़ा कर चीजों को दिया जा रहा है। किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो यह शर्मनाक बात है और हमारी पार्टी इस बात को मानती है और हरिजनों पर, कमजोर वर्गों पर, महिलाओं पर और माइनोरिटीज पर जब भी अत्याचार हुए हैं, तो हमारी प्रधान मन्त्री जी ने आवाज बुलन्द की है। हम इस बात को मानते हैं कि अखबारों के माध्यम से, एगजैंवरेटेड, अतिरंजित ढंग से खबरें छप रही हैं और यह सब आपके सामने है। रेप के कई केसेज के बारे में जिक्र हुआ है और यहां पर इस पर चर्चा भी हुई है लेकिन जब इंक्वायरी की गई तो कई जगहों पर इनको गलत पाया गया जैसे बांदा में और दरभंगा में और अभी चार-पांच जगहों से ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि ये समाचार निराधार हैं। फिर भी जो भी हो रहा है, हां यह जरूर चाहते हैं कि सख्ती से उसका मुकाबला किया जाये।

इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनकी उपलब्धियों के, इनके जो एचीवमेंटस हैं, उनके दो, तीन उदाहरण में आपके सामने रखना चाहूंगा। देश में जो यह हालत पैदा हुई है, देश में जो शान्ति व्यवस्था है, ला एण्ड आर्डर की जो व्यवस्था है, उसको इन्होंने खत्म करके रख दिया था। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल आपको देखने पर नहीं मिलेगी, जहां पुलिस और फौज ने एक दूसरे पर गोली चलाई हो। इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किये थे, जनता और लोकदल की सरकार ने जो पुलिस का मनोबल था, हमारे रिजर्व्ड फौसेस का जो मनोबल था, बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० का जो मनोबल था, उसको तोड़ने की कोशिश की और पुलिस और फौज में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, यह एक शर्मनाक घटना है और एक नहीं कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी थीं।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

एक तो यह इनका एचीवमेंट रहा है और दूसरा जो इनका एचीवमेंट हैं, वह इतिहास में काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा और वह जो एचीवमेंट है, उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज एक मजबूत सरकार बनी है और वह इन बातों को न करे और अगर ऐसी कोई बात हो, तो उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब बेलची की घटना घटी, हमारे दोस्त यहां से चले गये हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 12 इन्सान जो बेकसूर ईन्सान थे, उनको जिन्दा जलाया गया और उनके हाथ और पांवों को कुल्हाड़ी से काट काट कर जलाया गया था। यह घटना वहां घटी थी और में इसके बारे में निजी तौर पर जानता हूं क्योंकि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद में वहां गया था और मुझे देखने का मौका मिला था। मुझे इसकी निजी जानकारी है। यह बड़ी दर्दनाक और अमनावीय घटना थी। इसमें मासूम बच्चों को जलाया गया और वे हरिजन थे, एक को छोड़ कर, जोकि बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी था, बाकी सब हरिजन थे, जिनको जिन्दा जलाया गया। इस समय की मिलास दुनिया

में कम मिलती है लेकिन जब यह घटना वहां पर हुई तो वहां के जो सूबेदार थे, श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री चरणसिंह, जो हमारे यहां गृह मंत्री थे, उनको उन्होंने यह सूचना दी कि वे सब क्रिमिनल्स थे और इसका अंजाम यह हुआ कि इतनी बड़ी जो घटना हुई थी, उसकी तुरन्त इंकवायरी होनी चाहिए की और जो अभियुक्त थे, जो एक्यूज्ड थे, उनको जेल में बन्द करना चाहिए था। कई महीने लगे। महीनों का नाम और तारीख बता कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। जब से सैशन ट्रायल हुआ उस समय से अब तक, सभापति महोदय, सैशन ट्रायल में तीन व्यक्तियों को फांसी हुई। यहां बैठकर श्री चरणसिंह चैन की बंसी बजा रहे थे। उन्होंने बेलची जाने की एक दफा भी तकलीफ नहीं की। मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गयीं और किस मुसीबत में वहां गयीं। वहाँ इतने पानी में से होकर जाना पड़ा कि उसमें एक हाथी भी तैरने लगे। किस तरह से वहां जाकर श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने लोगों को सांत्वना दिलायी उसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं। आप जानते हैं कि उस समय वे और कर भी क्या सकती थीं। इन बातों को हमारे भाई भूल गये। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं बिहार में होते हुए भी श्री चरणसिंह और उनके अनुयायी बिहार में इन्टरमीजियेट कास्ट बनाने की कोशिश में लगे रहे। शेड्युल्ड कास्टस और शेडयुल्ड ट्राइब्स के लोग छोटे तबके के माने जाते हैं, ब्राह्मण और दूसरे लोग ऊंचे तबके के माने जाते हैं। बीच में इन्होंने इन्टरमीजियेट कास्ट बनाने की कोशिश की और जातिवाद के नाम पर सारे बिहार में इन्होंने विद्वेष फैलाया, उत्तर प्रदेश में यह कर ही रहे हैं। ये सारे उत्तर भारत में यह करना चाहते थे और इसी के बलबूते पर चरणसिंह प्रधान मन्त्री बनना चाहते थे। वे यह सोचते थे कि असेम्बलियों पर तो उनका अधिकार हो ही जायेगा।

हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठ हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब चौधरीसिंह गृह मन्त्री थे तो उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को किस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था? क्या उनका कसूर यही था कि वे डेमोक्रेसी को उन्होंने सींचा है, हिन्दुस्तान को बनाने में उन्होंने सारा खून और पसीना बहाया है, उन्होंने चुनाव कराए और चुनावों के बाद शासन की जवाब देही दूसरों को दे दी? उसके बाद बिना किसी कसूर के उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जब अदालत में मामला जाता है तो न्यायाधीश कहता है कि कोई मुकदमा बनता ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई केस ही नहीं था तो फिर कैसे उनका अनलाफुल कंफाइनमेंट किया गया? यह एक क्रिमिनल कांसिपिरेसी थी। यह न केवल उनके खिलाफ थी, बल्कि उनके सहयोगी ज्ञानी जैलसिंह और दूसरे उनके साथी श्री आर० के० धवन के खिलाफ भी थी और दूसरे हजारों लोगों के खिलाफ थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को तबाह किया गया, वह किस कानून के अन्तर्गत किया गया। यह सब इन लोगों की एक क्रिमिनल कांस्पिरेसी थी। बिना किसी वजह के श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगियों को जो जेल में रखा गया, उसके लिए मैं मांग करता हूं कि उन लोगों खिलाफ जिन्होंने यह क्रिमिनल कांस्पिरेसी की, क्रिमिनल केस स्टार्ट किया जाए। होम मिनिस्टिर से मेरी यह स्पष्ट शब्दों में मांग है और मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर जब जवाब दें तो इस बारे में केटेगोरिकल्ली बतायें।

यहां पर कभी-कभी चर्चा होती है कि जनता सरकार ने बहुत बड़ा काम किया था सी० पी० एम० के लोग जो अपने आप को अल्टा लेफ्टीस्ट्स कहते हैं, शास्त्री जी जो हमारे साथ इमरजेंसी में भाषण किया करते थे, इनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता भाषण किया करते थे, आज वे किसके साथ

हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जन संघ के साथ हैं। वे आज वाला साहब देवरस, राजेन्द्र सिंह जी जैसे आर० एस० एस० के लोगों के साथ है यह बात सी० पी० एम० के लोगों को सोचनी चाहिए। जिसे आर० एस० एस० ने खुले तौर पर असम के आन्दोलन का समर्थन किया है उसके साथ दोस्ती करते हुए आपको एक सैकिन्ड भी नहीं लगा। अब चूंकि आप मुसीबत में है इसलिए आप हमारी सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं। रुख अखत्यार किया है :

श्री सोमनाथ चटर्जी : त्रिपुरा में जो हालात पैदा हो रहे हैं, उनको देखते हुए आपने जो त्रिपुरा में हुए विनाश का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं के शांति समितियों और राहत समितियों में भाग नहीं ले रहे हैं। वे खुले आम इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर राम : आपने काम क्या किया ? आज आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि डैमोक्रेसी के आप पुजारी हैं। मैं गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जनता पार्टी या लोकदल की सरकार ने जो करोड़ों रुपया खर्च किया शाह कमिशन तथा दूसरे कमिशन बनाने पर और यह जो एक्सचैकर की बरबादी हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। शाह जैसे इतने बड़े रिएक्शनरी शख्स का कमिशन इन्होंने बनाया। आप तो जानते ही हैं कि बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में उनका क्या रुख था। मैं तो तब इस सदन का सदस्य भी नहीं था। हां यह ठीक है कि मैं विधान सभा में या दूसरे सदन में था और काफी अर्से तक रहा हूं। दिल्ली आने का मुझे मौका मिलता रहता था और आ करके यहां पर ऊपर गैलरी से मैं यहां की प्रोसीडिंग्ज को सुना करता था। ऐसे आदमी का जिस का एटीट्यूड बैंक नेशनलाजेशन के बारे में सब को पता था, जान बूझकर, कमिशन बनाया गया। उनका जो माइंड था प्रेजुडिस्ड था, प्री-औक्यूपाइड था। इस कमिशन ने सारे जितने नार्म्ज आफ प्रोसीजर थे, जुरिस्प्रूडेंस के जितने भी सिद्धांत थे, ला के जितने भी सिद्धान्त थे, सब को ताक पर रख दिया और एक तरफा सुनवाई शुरू कर दी। जो गवाहियां दी गई। उनको लेकर लम्बे-लम्बे फैसले उन्होंने लिखे। उसकी प्रोसीडिंग्ज को दिलचस्प बनाने की सभी कोशिशें की गई। जब एमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी तब ऐसे-ऐसे लेखकों को चुना गया जो चुटकुले लिख सकते थे, जो कहानियां बना सकते थे और कहानियां उन्होंने बना डालीं और लिख डालीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को लेकर उन्होंने मनगढन्त कहानियां लिखीं और लोगों को चटपटा मसाला देने की हर प्रकार की कोशिश की गई। लोगों से पैसा कमाने के लिए उलटी सीधी बातें और मनगढन्त बातें लिखी गई। कमिशन की प्रोसीडिंग्ज में रुचि पैदा करने के लिए शाह साहब जब बैठते थे तो रनिंग कमैंटरी किया करते थे और कहा करते थे ओह आई एम सारी, टैरीबल, हारिबल। क्या ज्यूडिशरी का कोई आदमी जो सुप्रीम कोर्ट तक मैं रह चुका हो इस तरह से कर सकता है ? इस तरह के आदमी का कमिशन बिठाया गया। इस तरह का घटिया किस्म का काम हो और आप उसको बढ़ावा दे तो यह कहां तक उचित है। उसके द्वारा दिए गए फैसले का हश्र क्या हुआ ? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस तरह का फेट उन कमिशंज का हुआ जो इन लोगों ने बिठाए थे और करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया था। मैं जानना हूं कि इसकी जवाबदेही किस पर है ? स्टेट एक्सचैकर का करोड़ों रुपया इस तरह से इन लोगों ने बरबाद किया। इसकी रिसपांसिबिलिटी किस पर आती है। मैं चाहता हूं कि आगे इस तरह की हरकत आने वाले लोग न कर सकें, इसका आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं ? आपको इन

सम्बन्ध में कार्रवाई करनी चाहिए। जो हो चुका है उसके लिए आपको रिसपांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकत कोई न कर सके।

हम अपने समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता चाहते हैं। हमारे पड़ौस में श्रीलंका में अभी पीछे जब चुनाव हुए थे तो आपने देखा कि श्रीमती भंडारनायके की सरकार हार गई और जयवर्धने की सरकार बनी तो हमारे यहां पर गुब्बारे छोड़े गए, खुशियां मनाई गईं। लेकिन आज वहां क्या हालत है। वहां एमरजेंसी लगा दी गई है और समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन निरंकुश ढंग से बहुत से हमारे समाचार पत्र जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को, जनतांत्रिक प्रणाली को, हमारी स्ट्रांग और लीडरशिप टावरिंग को जिसकी दुनिया भी मानती हैं और हमें उस पर फख्र भी है कि हमें ऐसा नेता प्राप्त है, कमजोर करने की कोई समाचार एजेंसी या समाचार पत्र कोशिश करता है तो आपको उसकी खबर लेनी चाहिये, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने जनता सरकार के रिजीम में देखा कि इन्होंने खुश होकर एक खास,जो समाचार एजेन्सी थी, सब से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उसी को दिये। समाचारों को विखंडित भी इसीलिए किया गया था कि एक पर्टिकुलर समाचार एजेन्सी के साथ इन्होंने तरफदारी करनी थी। इस तरह से इन्होंने तरफ दारी की और ऐसी एजेन्सी के लोग आज आसाम में जाकर वहां के बड़े अधिकारियों और सरकार के बारे में गलत खबरें छापते हैं, क्राइम के बारे में, महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें छापते हैं।

श्री चरणसिंह जी और उनके दल के जो और नेता हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं कि जब आगरा और बनारस में घटनायें हो रही थीं, हमारे अल्पसंख्यक लोग मारे जा रहे थे, माइनोरिटीज के लोग मारे जा रहे थे, आगरा में शड्यूल्ड कास्टस के लोगों का कत्लेआम हो रहा था, और बागपत में जब हमारे हरिजन भाई वोट डालने के लिए गये थे तो चरण सिंह जी की कांस्ट्रीयुएन्सी में कई लोगों पर गोली चलाई गई। ये बहुत बड़े पक्षधार हैं, शड्यल्ड कास्ट्स के, अभी धनिकलाल मण्डल बोल रहे थे, क्या उनको पता नहीं है जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर जो जोब्ज का रिजर्वेशन किया गया, उसमें 14 परसेंट शड्यूल्ड कास्टस के लिये और 10 शडयूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वेशन थी। मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह किस तरह से इसे टेक-अप करें और इन्हें स्पीडीली लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जब रिजर्वेशन का उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाला, बिहार की गवर्नमेंट ने, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं क्योंकि श्री कर्पूरी ठाकुर श्री चरण सिंह के बहुत बड़े अनुयायी हैं, तो उन्होंने 26 परसेंट रिजर्वेशन दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिये किया। मुंगेरी लाल कमीशन ने कहा था कि 1 परसेंट रिजर्वेशन रहे और आप कम-से-कम 1 परसेंट शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए बढ़ाओ। मण्डल जी भी कर्पूरी ठाकुर के दोस्त हैं, यह उनके चेले हैं, लेकिन उस वक्त इनकी आवाज बन्द थी। यह लैजीटिमेट डिमांड रिजर्वेशन के बारे में थी। आपको सुनकर अफसोस होगा कि बिहार में अभी तक मुश्किल से 5 परसेंट लोगों को शड्यूल्ट कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को नौकरियों में संरक्षण, रिजर्वेशन मिल सका है। इसलिये मैं यह बताना चाहता था कि यह इन लोगों के कितने बड़े हिमायती हैं और जो घटनायें, दुर्घटनायें होती रहीं, उसमें कितनी मुस्तैदी से इन्होंने दखल दिया।

जमशेदपुर की जो घटना हमारे यहाँ हुई, आपने कभी कम्युनल रायट्स को देखा, अभी 6 महीने की घटना हुई है लोकसभा के इलैक्शन के बाद यह सही है कि कुछ महीने जब असेम्बली भंग हुई तो उसमें सभी पोलिटिकल पार्टी के लोग लगे हुए थे। हम लोग भी लगे हुए थे कि असेम्बली में हमारा बहुमत आना चाहिए और हमारी सरकार बने। अब सरकार मजबूती से काम करना चाहती है, लेकिन जरा आप अपने चेहरों को शीशे में देखें कि 3 साल में आप हिन्दुस्तान को कहां ले गये। आपने हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को खत्म कर दिया, राजनीतिक ढांचे को भी खत्म किया और अपने आप भी टुकड़े-टुकड़े हो गये।

आज फिर गोल बन्दी करने की कोशिश की जा रही है, यह एक खतरनाक बात है। गृह-मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ।

एक तरफ श्रीमती इन्दिरा गांधी को जब हजारों लाखों लोगों ने 1 लाख वोट से जिताकर चिकमगूलर से यहां भेजा तो इन्हीं लोगों ने उनको न सिर्फ यहां की सदस्यता से वंचित किया, जेलों में भी डाला, शाह कमीशन में भी मुकदमे चलाये और उनको जेल भेजा। यह सब किस तरह से किया गया, समर गुहा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी और बहुमत के बल पर यह फैसला किया।

शायद दुनिया में इस तरह की कोई मिशाल नहीं होगी कि जनता का प्रतिनिधि चुनकर आये और बहुमत के बल पर गलत फैसला लेकर उसको सदस्यता से वंचित,कर दिया जाये, और जेल में डाल दिया जाये, और अब ये सामने बैठे हुए लोग जनतंत्र के पुजारी और डेमोक्रेसी के मसीहा बनते हैं। आज हम भी भारी बहुमत से, दो-तिहाई मत से, यहां आए हुए हैं। अगर हम भी एक-एक आदमी को यहां से निकालना शुरू कर दें, तो आपकी क्या हालत होगी ? (व्यवधान) ऐसे मत ललकारिये। हमने बहुत देखा हुआ है। हमको उसका डर नहीं है। जब 1977 में आपका शासन था, तो हममें से एक-एक आदमी आपसे सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार था। आप इस गलतफहमी में न रहिये। सी० पी० एम० का भी मुकाबला हमारे कांग्रेस (आई) के लोग वैस्ट बंगाल और दूसरी जगह कर लेंगें। हम बी० जे० पी० और लोक दल का मुकाबला भी आसानी से कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारी पार्टी के नौजवानों में है कि आपका मुकाबला कर लेंगे हम इन धमकियों से नहीं डरते हैं। आपने जो गलत काम किये हैं और गलत परम्परायें कायम की हैं, अगर आप आज भी उन्हें जस्टिफाई करते हैं, तो आपको मुबारक है।

डेमोक्रटिक सिस्टम के जितने नार्म्ज हैं, जितनी जनतांत्रिक परम्परायें और मान्यतायें हैं वे सब आपने नष्ट करके रखे हुए हैं। इस तरह की जो घटनायें होती हैं, उन्हें रोकना चाहिए इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स पर एट्रासिटीज की चर्चा श्री धनि लाल मण्डल ने की। लेकिन मैं आपके सामने इस विषय के अधिकृत आंकड़े रखना चाहता हूँ मर्डर, ग्रीवस हर्ट, रेप, आर्सन और अदर आफेंसिज 1975 में 7760, 1976 में 5919, 1977 में 10,819, 1978 में 15,979, 1979 में 13,751 और 1980 के तीन चार महीनों के जो आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं, वे हैं 3776। मैं इन घटनाओं को अच्छी बात नहीं मानता हूँ लेकिन इन समाचारों को बहुत रतिरंजित ढंग से प्रकाशित किया जाता है। यह साफ है कि क्राइम्ज के फिगर्ज डाउनवर्ड जा रहे हैं। रेप के जो केसिज रिपोर्टिड होते हैं, उनका कई बा

खंडन किया गया है। इन बातों को बढ़ा-चढ़ाकर कहना और लिखना दूसरी बात है। काइम्ज को रोकने की कोशिश हो रही है, उसमें सबको साथ देना चाहिए, न कि उनसे राजनैतिक लाभ उठाना चाहिए।

जहां तक बागपत की घटना का सम्बन्ध है, मुझे जानकारी नहीं है कि वहां कुछ हुआ है। मैं वहां नहीं गया हूं। मुझे दुःख और अफसोस है। हमारे दल के और लोग वहां गये हैं। उस घटना में सच्चाई हो सकती है। उसकी इनक्वायरी चल रही है। सरकार ने इस बारे में तत्परता दिखाई है। जिन आफिसर्ज के सम्बन्ध में संदेह है कि शायद उनका उस घटना में हाथ है, उनके ट्रांसफर्ज हुए हैं। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन इस घटना को लेकर एक आन्दोलन खड़ा कर देना ठीक नहीं है।

आज नार्थ-ईस्टर्न रिजन में अशांत का वातावरण है। डिसइनटेग्रेशन करने वाले एलिमेंट्स वहां काफी सक्रिय हैं और इस तरह की कोशिश की जा रही है कि उस आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ा जाये। सारे हिन्दुस्तान में यह कोशिश चल रही है कि इमर्जेन्सी से पहले 1974 और 1975 में जिस तरह की घटनायें होती थीं, जिस तरह के आन्दोलन चलाये जाते थे—डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी गई एसेम्बलीज और पालियामेंट को भंग करने की कोशिशें की जाती थीं, जनतांत्रिक संस्थाओं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्ज को खत्म करने की कोशिशें की गई थी—उनकी पुनरावृत्ति हो। कुछ लोगों के हौसले इसलिए बढ़ गये हैं कि चूंकि पूर्वांचल में समस्या का समाधान करने में समय लग रहा है इसलिए इसका फायदा उठाकर हमको यहां भी आन्दोलन का दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए, मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के आन्दोलन से ये हमको धमकियां नहीं दे सकते। यहां की जो राष्ट्रीय समस्या है उसमें आगे आकर उसके निपटाने में सहयोग करें। प्रधान मन्त्री ने जिस तरह से कहा है आसाम में पूर्वांचल में जो समस्या है उसमें बहुत लांग रोप दी गई। हरिजन एट्रासिटीज जहां-जहां होती हैं, हम गृह मन्त्री के बहुत शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की घटनाएं जहां कहीं भी हुई है वहां वह तुरंत गए हैं। नारायनपुर भी गए थे तुरन्त रात को, हम लोग भी इनके साथ गए थे। या जैसे कफल्टा में या जहां भी इस तरह की घटना होती है वहां ये खुद जाते हैं।··· (**व्यवधान**) ···वहां खुद जाकर जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है, उनको मदद पहुंचाने की कार्यवाही हो सकती है या दोषी को सजा देने की कार्यवाही हो सकती है, उसमें बहुत जल्दी उन्होंने कार्यवाही की। नारायनपुर और कफल्टा दोनों की तारीखें मेरे पास मौजूद हैं कि उनमें कितनी जल्दी वहां चार्जशीट दी गई और मुकदमे शुरू किए गए। उसमें पूरी मुस्तैदी बरती गई। जहां कहीं भी कम्यूनल रायट्स की जरा भी बू आती है वहां उसको वह देखते हैं क्योंकि वह भी हमारे समाज के एक प्रमुख अंग हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हमारी सरकार उसके लिए जागरूक है। हमारे यहां के मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने, जो हमारे घोषणापत्र में था कि जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा होंगी वहां उर्दू को सैकिन्ड लैंग्वेज मनाएंगे, आज अगर उन्होंने वहाँ इसकी घोषणा की है तो इन लोगों ने वहां तमाशा खड़ा कर रखा है, हंगामा करने की कोशिश चल रही है।

उसी तरह से आसाम की समस्या को ये सुलझने नहीं देना चाहते। आसाम-वासियों की कुछ लेजिटमेट डिमांड्स हो सकती हैं, उनका निपटारा होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी आर्थिक दशा सुधारनी चाहिए।

यह बात हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान में वह बहुत गरीब लोग हैं। लेकिन आर्थिक समस्यां, आर्थिक रांग अगर उनकी प्रमुख हो तो उसमें सबकी हमदर्दी है, सारे हिन्दुस्तान की उसमें हमदर्दी है वहां आसाम के या पूर्वाचल के जो आशिन्दे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे तत्व जो वहां काम कर रहे हैं, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसे तत्व, जो हैं तो इस सदन के सदस्य लेकिन जनता सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जिस आदमी के ऊपर इतना बड़ा क्रिमनल केस चल रहा था, डायनामाइट केस, उस आदमी को मन्त्री बना दिया यह ठीक है कि वह चुनाव में जीत गए, आज तो रिगिंग की बात करते हैं और हमारे कम्यूनिस्ट भाई भी करते हैं, हमें अफसोस है इस बात का. लेकिन किस तरह की रिगिंग 1977 में हुई थी यह हमको भी याद है, उन्होंने कहा कि जनता ने जिता दिया, एक तरफ, इंदिरा गांधी को जनता ने वहां से लाखों के बहुमत से चुनकर भेजा तो उनको आपने हाउस से निकाल दिया और उनको जो डाइनामाइट केस में प्रमुख ऐक्यूज्ड थे, उनको मन्त्री बना दिया और किस तरह की बातें वह करते हैं ? जो शख्स आसाम राष्ट्र की बात करता हो, किसी स्टेट की बात करता हो और देश की बात करता हो, वहाँ आसाम में जाकर आग में पिलट देने की बात करता हो, ऐसे एलीमेंट को आपको मजबूती से रोकना चाहिए, मजबूत हाथों से रोकना चाहिए। जनता के सामने उनको लाना चाहिए और दिखलाना चाहिए कि इस तरह की हरकत वह करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि इस तहह के केस से बरी होकर वह जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनकी हरकतों को आप बन्द करिए और जो मुकदमा नाजायज तरीके से जनता पार्टी की सरकार ने जार्ज फर्नान्डीस पर से उठाया था उस मुकदमे को फिर से चालू करिए। यह मेरी मांग है और कैटेगोरिकली मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप हम लोगों को दीजिए। इस तरह के लोग जो बातें करते हैं हमारे देश का खण्डन करने की, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म करने की इनके ऊपर एक चार्ज हो सकता है।**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या उन्होंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करना होता है। अगर आप किसी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको उसे उचित सूचना देनी होगी। आपको अध्यक्ष महोदय को बताना होगा कि आप सदस्य के खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं। अध्यक्ष की आज्ञा मिलने तथा सदस्य को नोटिस दिये जाने के बाद आप आरोप लगा सकते हैं। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : वह गृह मंत्री से केवल निवेदन कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया का अनुसरण किया ही जाना चाहिए। यह सदस्यों के हित में है। आप खड़े हो जाएं और आरोप लगाना आरम्भ कर दें, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको एक प्रक्रिया अपनानी होती है।

श्री जमीलुर्रहमान : वह आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह केवल मंत्री जी को जानकारी दे रहे हैं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री बालेश्वर राम : मैंने केवल जानकारी चाही है, कोई चार्ज नहीं लगाया है। हमारी जानकारी है कि उस वक्त के एक मिनिस्टर जोकि आज मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया जो दूसरे देश का है, फारेन एक्सचेंज, उसे अपने नाम पर जमा कर रखा है। ऐसा कोई मिनिस्टर है या नहीं, हम चाहेंगे होम मिनिस्टर हमें जानकारी दें।

इस प्रकार के कई लोग हैं जोकि देश को खण्डित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को दबाया जाना चाहिए।

त्रिपुरा की समस्या के बारे में, पूर्वांचल की समस्या के बारे में प्रधान मन्त्री ने इसके समाधान के लिए एक लम्बा रास्ता दिया है लेकिन उसकी भी कोई हद नहीं होती है। वहां की जो आर्थिक समस्या है उसके साथ सभी की सहानुभूति है लेकिन आर्थिक समस्या के अलावा जो विघटनकारी तत्व हैं, जो विदेशी शक्तियां हमारे देश को खण्डित करना चाहती हैं, हमारे नेशनल इन्टिग्रेशन को समाप्त करना चाहती हैं उनको मजबूत हाथों से दबाया जाना चाहिए। अगर कहीं पर दंगे होते हैं, कम्युनल रायट्स होते हैं, एक दूसरे को कत्ल किया जाता है तो वहां पर सख्ती से दबाने की जरूरत होती है और वहां पर सख्ती करनी ही चाहिए। हमारी सरकार भरसक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, वह कोई प्री-कंडीशन भी नहीं रखती है लेकिन फिर भी रोज बातें बदल जाती हैं। आज आसाम की समस्या बड़ी विस्फोटक हो गई है। हमारी प्रधान मंत्री और गृह मन्त्री ने सारी कोशिशें की हैं। हमारे ओपोजीशन के लोग कोई सल्यूशन नहीं देते हैं। अगर आज वे कोई सल्यूशन बनाते हैं तो कल पीछे हट जाते हैं। इस समस्या का समाधान होशियारी से, सेगासिटी से और बुद्धिमानी से किया जाए लेकिन जल्दी से जल्दी सख्ती के साथ इसका समाधान आपको करना चाहिए।

इसके साथ मैं चाहता हूं कि हमारे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, हरिजन हैं जिनको नौकरियों में संरक्षण प्राप्त हैं, उनका आज आल इंडिया एवरेज 7 परसेंट है जबकि 14 परसेंट संरक्षण मिलना चाहिए' इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं आप उनको आगे बढ़ायें। जनता पार्टी सरकार ने, जितनी भी सरप्लस लैंड बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों को दी गई थीं वह उनसे छीन ली थीं। मैं चाहूंगा कि उनकी जमीनों को रेस्टोर किया जाए, उन जमीनों पर उनको कब्जा दिलाया जाए। इसके साथ साथ उनके लिए नौकरियों के साधन तथा काटेज इण्डस्ट्रीज का प्रबन्ध किया जाय। छठी योजना में सरकार ने कुछ पैसे का प्रबन्ध किया है लेकिन मैं चाहूँगा उसको और बढ़ाकर इन लोगों को सेल्फ सफीशिएन्ट बनाने पर जोर दिया जाए। आज एग्रीकल्चर लेबरर्स को मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है इसके कारण भी फसाद पैदा होते हैं। हम चाहते कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए मिनिमम वेजेज को लागू किया जाए। उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही आज जो उनके घर की समस्या है, हाउसिंग की समस्या है वह बड़ी गम्भीर है। आज देहातों में वे बुरी हालत में रह रहे हैं। वहां जो बड़े फ्यूडल एलिमेन्ट्स हैं, कुलक्स हैं उनके आसरे उनको रहना पड़ता है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपने ऊपर जवाबदेही लेनी चाहिए। उनके लिए नौकरी, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए तभी उन लोगों की हालत सुधर सकती है।

इसके अलावा पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करना चाहिए। शायद आप सौ करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं ठीक ठीक इंफामेशन हम आपसे इस सम्बन्ध में चाहेंगे, लेकिन पुलिस फोर्स को माडर्नाइज करके आज जो इस तरह की घटनायें महिलाओं, हरिजनों और माइनारिटी कम्युनिटी पर हो रही हैं उन पर काग्निजेन्स लेकर और स्पेशल कोर्ट बनाकर मुकदमों को जल्दी निपटाय जाना चाहिए। सी० आर० पी० सी० को अपनी जरूरत के मुताबिक अमेंड करना चाहिए और जो महिलाओं पर कमजोर वर्ग के लोगों पर, हरिजनों पर, माइनोरिटीज पर जुल्म करते हैं, उनक ज्यादा से ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस काम को करने में आपक कोई हिचक नहीं करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और मु पूरा विश्वास है, जो कार्यक्रम हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे दल ने रख है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो नेतृत हमें प्राप्त है और जो शक्ति उन्होंने दिखलाई है, उससे विरोधी पक्ष के लोगों के सभी मनसू परस्त होंगे और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपक बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, आज जब हम गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर इस उम्मीद के साथ विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे गृ मंत्रालय और गृह मंत्रालय के लोग इस देश के अन्दर अमन और शान्ति कायम करेंगे और पिछ दिनों के कामों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमको यह भी देखना पड़ेगा, इ बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि किन हालात में वर्तमान गृह मंत्री जी को गृह मंत्रालय क दायित्व संभालना पड़ा है।

मान्यवर, 1977 के बाद इस देश के अन्दर एक ऐसी सरकार सत्ता में आई, जिसके शास काल में यह प्रतीत होने लग गया था, यह लगने लग गया था कि देश के अन्दर कोई सरकार ह नहीं है। यदि 1979 तक के अखबारों को पढ़ें और रेडियो की खबरें सुनें तो उनमें आधी खब दुनिया भर के महत्वपूर्ण मसलों से सम्बन्धित होती थी और आधी खबरें इस बात की होती थ कि कहां हरिजनों के घर जला दिए गए, कहां हरिजन को मार दिया गया, कहां पर साम्प्रदायि दंगे हुए, कहां जातीय दंगे हुए, किस महिला के साथ बलात्कार हुआ, कहां किसकी चेन खीं ली गई—इस तरह से चारों तरफ अशान्ति का वातावरण फैला हुआ था।

मान्यवर, इस सामान्य कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का जहां मूल्यांकन कर र हैं, वहां हमें और परिस्थितियो को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की आन्तरिक नीति आन्तरिक सुव्यवस्था और शान्ति का और चीजों से भी अन्तर-सम्बन्ध होता है। उसको भी ह समग्र रूप से देखना पड़ेगा, हम उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। पिछली सरकार की कु ऐसी नीतियां रहीं, जिनके कारण हमें हर मोर्चे पर विफलता ही देखने को मिली। हर वर्ग उनसे असंतुष्ट रहा, चाहे वह कृषक हो, चाहे वह फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे स्कूल मे पढ़ने वाला छात्र हो, चाहे वह वह वकालत का पेशा करने वाला हो या कोई और दूसरा-तीसरा पेशा करने वाला हो। मान्यवर, जब एक इतना बड़ा असन्तोष आपके गृह मंत्रालय का दायित्व

संभालने से पहले देश में मौजूद हो, इतना आक्रोश और इतनी घृणा का वातावरण, इतनी अव्यवस्था देश में मौजूद हो, तो उसके प्रभाव को दूर करने में निश्चित तौर पर कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि गृह मंत्री जी ने जिस शालीन्ता के साथ इस विभाग, इस मंत्रालय का दायित्व संभाला है, जिस मुस्तैदी के साथ उनके मंत्रालय ने कार्य प्रारम्भ किया है और पिछली गलतियों को दूर करने का और भविष्य में शान्ति और व्यवस्था को सुचारू रूप देने का प्रयत्न किया है, वह अपने आपको अनुकरणीय है। चाहे विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, सब लोगों को इस बात का समर्थन करना चाहिए, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए उनको शक्ति देनी चाहिए, ताकि आगे भी वह इस काम को अच्छी तरह से कर सकें।

मान्यवर, मेरे विपक्ष के सम्मानित बुजुर्ग सदस्य श्री धानक लाल मंडल जी ने एक एम्प्रेशन देने की कोशिश की कि यह सरकार हरिजनों की रक्षा करने में विफल रही है, यह सरकार महिलाओं को संरक्षण देने में विफल रही है। उन्होंने विशेष-कर बागपत के केस का जिक्र किया। मैं मानता हूं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार भी इस बात को मानती है कि हमारी पुलिस के एक-दो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, जब वह घटना घटित हुई—माया देवी के साथ। वास्तव में वे अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल रहे। चाहे उनकी जान चली जाती, लेकिन उस महिला की वेइज्जती नहीं होने देने चाहिये थी। लेकिन जिस तरह से हमारा प्रतिपक्ष इस छोटी सी घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है, इसको कैपिटलाइज करके अशान्ति का वातावरण सारे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहता है, जिस तरह से इस संसद में रोज इन घटनाओं को उठाकर संसद का मूल्यवान समय बरबाद किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि यह इतनी महत्वपूर्ण या इतनी गम्भीर बात है।

हमारे मंडल जी ने महाभारत का जिक्र किया—श्रीमन्, एक महाभारत तो 3 जनवरी, 1980 को अकबर पूर पट्टी गांव में हुई थी। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं···

एक माननीय सदस्य : उस समय राष्ट्रपति का शासन था।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उस समय चरणसिंह जी की सरकार केन्द्र में एक काम-चलाऊ सरकार के रूप में काम कर रही थी। उस समय लोक सभा के चुनाव हो रहे थे और अकबरपुर पट्टी गांव का एक हरिजन अपना वोट देने जा रहा था, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने जा रहा था। उस समय लोक दल के समर्थक 17-18 लोगों ने बन्दूक से लैस होकर उसको मार डाला, गोलियों से भून डाला और वह सरजू नाम का हरिजन मारा गया। उसकी उम्र 24 साल की थी और शायद वह पहली बार अपने प्रजातान्त्रिक अधिकार का उपयोग करने जा रहा था। उसकी पत्नी 'मौहनियां' विधवा हो गई। मैंने देखा है—रामविलास पासवान जी जिन लोगों के साथ बागपत गये और उस महिला के लिए, जिसका चरित्र संदेहास्पद था, आंसू बहाये; लेकिन उस गरीब हरिजन महिला 'मौहनियां' में उनको अपनी बहन का रूप दिखाई नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने आंसू नहीं बहाया, उसके लिए उनको कोई चिन्ता नहीं हुई, जिसकी मांग का सिन्दूर पोछ दिया गया, आज वह किस तरह अपनी आजीविका चलायेगी, किस तरह से अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करेगी। यह चरित्र हैं—हमारे प्रतिपक्ष का।

यही नहीं, मैं अपने कम्यूनिस्ट भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं । बांदा जिले में एक बड़ा दुर्नाम डाकू हुआ है—काशी पासी । जिसके सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि उसने एक नहीं सैंकड़ों महिलाओं के साथ, जो तथाकथित स्वर्ण परिवारों की थीं, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या अन्य उच्च जातियों की थी, उनके घरों में डाका डालकर उनके साथ बलात्कार किया, जबरन कुकृत्य किया । उसको संरक्षण देते थे इसी सदन के एक पिछले सदस्य —दुर्जन भाई—जो कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित थे और केवल इस आधार पर देते थे कि काशी पासी उनकी जाति का था । वह कहते थे कि वह जो कुछ कर रहा है, वह वर्ग संघर्ष का प्रतीक है । क्या वे स्वर्ण जाति की पत्नि, मां या बहन भारत-माता का रूप नहीं थी ? उनमें इन लोगों को भारत-माता का रूप दिखाई नहीं दिया, केवल बागपत की माया देवी में ही इनको भारत माता का स्वरूप दिखाई दिया ।

यदि नहीं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी, जो कई दलों को मिलाकर बनी थी, उसमें एक मंत्री थे । जब वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये सिंगापुर गये, तो उन्होंने वहां के होटल की एक वेट्रेस महिला के साथ जबरदस्ती करनी चाही । उन्होंने विदेश में हिन्दुस्तान के सम्मान को गिराया, लेकिन उनकी कुकृति के लिए जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी ने उसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, क्योंकि उस समय वे जनता पार्टी के एक मूर्धन्य नेता थे । किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत काम किया, बल्कि उनको मंत्री मंडल में बने रहने दिया गया । यह कितनी शर्मनाक बात थी कि जिसने विदेश में हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा को गिराया, उसके बाद भी उसको मंत्री मंडल में रहने दिया गया ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मंत्री मंडल में एक राज्य मंत्री थे । उस मंत्री मंडल को चाहे आप लोक दल का या जनता पार्टी का मंत्री मंडल कह लीजिये । उन पर एक हरिजन की हत्या करने का आरोप था । उन्होंने हरिजन की हत्या इस बात के लिये की थी कि उस हरिजन को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उस समय की इन्दिरा गांधी की सरकार ने उस मंत्री की सीलिंग के अधीन आई हुई जमीन पर कब्जा करवा दिया था और उन्होंने गुस्से में आकर उस हरिजन को मार डाला । उन पर हरिजन की हत्या का मुकदमा चल रहा था, लेकिन बाद में उस सरकार ने न केवल उन पर से उस हत्या का मुकदमा हटा लिया, बल्कि उनको मंत्री परिषद् में भी स्थान दिया । उनको उत्तर प्रदेश में योजना मंत्री बनाया गया । उन पर जो अन्य मुकदमे थे, वे भी हटा लिये गए—यह है—लोकदल का चरित्र, श्रीमन् ।

बांदा में दो ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने हरिजन को मारा था । उनके खिलाफ हरिजन रिपोर्ट दर्ज कराई थी । कांग्रेस की सरकार ने उनको दंडित करने के लिए उनको निलंबित कर दिया था लेकिन लोकदल की सरकार जब आई, श्री राम नरेश यादव की सरकार जब आई, तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि उन निलंबित अधिकारियों को, जिन्होंने हरिजनों के साथ ज्यादतियां की थीं, उनको री-इंस्टेट कर दिया गया गया उनके पदों पर और उनको प्रोमोशन भी दे दिया गया । जितने दिन वे बाहर रहे, उसके हिसाब से उनको प्रोमोशन दे दिया गया और महत्वपूर्ण थानों का इनचार्ज बनाया गया । मान्यवर, ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, इस लिए इनका बखान कर रहा हूं, इसलिए इनका बखान कर रहा हूं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऐसे परिप्रेक्ष्य का, ऐसे

वातावरण का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं जो पिछले दिनों प्रदेशों के अन्दर या केन्द्र के अन्दर जो सरकारें थीं, उन्होंने बनाया था।

जब राजनीतिक आधार पर जातीयता के आधार पर, पारस्परिक हितों के आधार पर मुकदमे वापस लिये जाएंगे और लोगों के साथ भेदभाव बरता जाएगा तो निश्चित तौर पर दिल पकेंगे और जब दिल पकेंगे, तो उनमें मवाद भरेगा, पीप भरेगी। क्या एक दिन के अन्दर गृह मंत्री जी उसका इलाज कर सकते हैं ? क्या उसका इलाज गृह मंत्रीजी एक साल के अन्दर कर सकते हैं ? गलत परम्पराएं आप ने छोड़ी हैं, गलत लीक आपने डाली है, उसको मिटाने के लिए निश्चित तौर पर टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और हम वायदा करते हैं कि हम इसको जरूर मिटाएंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अनगिनत मुकदमे वापस ले लिये गये समाज-विरोधी तत्वों के और वे ऐसे तत्व थे जिनके ऊपर दसियों मुकदमे आगजनी के थे, डाकाजनी के थे, महिलाओं के साथ बलात्कार के थे, ट्रेनों को लूटने और बसों को लूटने के थे और बिना किसी प्रकार की जांच के उनको वापस ले लिया और केवल इसलिए वे मुकदमे वापस ले लिये गये क्योंकि चुनावों के वक्त उन लोगों ने किसी न किसी रूप में जनता पार्टी को विजयी बनाने में मदद की थी। यही किस्सा पश्चिमी बंगाल में हुआ और तब हुआ जब पहले वहां लेफ्ट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, क्या उसे कहते हैं मुझे ठीक से मालूम नहीं है, की सरकार बनी, तो उसने 22 हजार मुकदमें वापस ले लिये और जो इस समय सरकार बनी है, जिसके मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु हैं, उन्होंने 44 हजार या कुछ इसके आसपास मुकदमे वापस ले लिए और उनमें कुछ ऐसे मुकदमे थे, मैं चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी इसकी जाच करवा लें और सदन के सामने एक श्वेत-पत्र के रूप में उसको प्रस्तुत करें, जो हत्या के मुकदमे थे, डाकाजनी के मुकदमे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे भी उसमें शामिल हैं और जबरया भूमि पर कब्जा करने के मुकदमे भी शामिल हैं। वे उन्होंने वापस ले लिये और इस आधार पर वापस ले लिये और इस आधार पर वापस ले लिये कि उन्होंने मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या जो उसकी कम्पोनेन्ट पार्टीज हैं, उनके कुडर में उन्होंने शामिल होना स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान) ...अब आपकी जो त्रिपुरा की सरकार है, उसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। आपने इस बात को छेड़ दिया है, इसलिए उसको बताना चाहता हू। एक ब्रिक-क्लिनओनर था, जो उड़ीसा से लड़कियां लाकर वहां बेचता था। उस विषय में वहां के स्थानीय लोगों ने यह मांग उठाई कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उसको बन्द किया जाए मगर क्योंकि पहले उसने मार्कसिस्ट पार्टी के एक एम० एल० ए० को चुनाव में पैसा दिया था, धन दिया था, इसलिए उसको बन्द नहीं किया गया। जब आई० जी० ने रिपोर्ट की और जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा, कि ऐसा काम करने वाला आदमी वहां मौजूद है, उसको क्यों नहीं पकड़ते तब उसको एरेस्ट किया गया, लेकिन 24 घंटे के अन्दर ही उसको रिहा कर दिया गया। यह महिलाओं के प्रति आपके प्रेम की बात है। यह मैंने एक उदाहरण आपको दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नवयुवक कुछ ढंग की बात करो।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : अब ये सारी चीजें देखकर या अनदेखे में कर दी गई, जानबूझ कर की गई, इसका उत्तर तो आपकी अन्तात्मा देगी लेकिन वहां पर एक खतरनाक प्रवृत्ति पुलिस की भर्ती के संदर्भ में की गई है और दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां-

जहां आज महिलाओं के बारे में अखबारों में खबरें आ रही हैं, अगर आप विधिवत जांच कराएं तो जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में मैं इस बात को कह सकता हूं कि वे उस समय भर्ती हुए जब माननीय चौधरी साहब वहां के मुख्य मंत्री थे या उनके और साथी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उनमें से एक व्यक्ति श्री वीरेन्द्र वर्मा जी थे, जो आपके साथ थे। हमारी पार्टी में भी वह रह चुके थे लेकिन हमारी पार्टी को छोड़कर चले गये। उनके समय में ये लोग भर्ती हुए थे। अब आप उस वर्ग के लोगों के चरित्र को देख लीजिए कि वे कौन से लोग हैं और किस प्रकार के लोग हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग पुलिस में राजनीतिक कारणों से आएंगे, तो निश्चित तौर पर जब उनके मन के मुताबिक सरकार नहीं बनेगी, जब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं बनेगी, तो सरकार को गिराने के लिए वे कुछ षडयंत्र रचेंगे और उनके जो भाई हैं वे इस संसद में मौजूद हैं, वे अपनी प्रवृत्तियों को सरकार का गलत कारनामा बता कर यहां हंगामा करते है, यहां का समय वर्बाद करते हैं।

मान्यवर, इन लोगों ने जो उस समय इस देश में जातिवाद और साम्प्रदायिकता का बीज बोया था, उसका ही यह फल है कि आज सारा वातावरण दूषित हो रहा है। मान्यवर जनता पार्टी केशासन काल में, हर वर्ग जो कि जनता पार्टी में शामिल था, वह किसी न किसी जाती का प्रतिनिधित्व करता है। आज हिन्दुस्तान में ऐसी सरकार बन गयी है जो सारे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए वह हर वर्ग किसी न किसी जाती में यह फैला रहा है कि यह सरकार हमारे वर्ग के हित के खिलाफ काम कर रही है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में हरिजनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूं। आज एकवर्ग विशेष, एक जाति विशेष यह सोच रही है कि हिन्दुस्तान में जो सरकार है वह उस वर्ग को संरक्षण नहीं देगी, इसीलि वह जाति हरिजनों पर अत्याचार कर रही है। अभी मेरे भाई ने कफल्टा कांड की बात कहीं। वह घटना मेरे क्षेत्र में घटी है। कफल्टा कांड के सिलसिले में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कांड पर यहां घड़ों आंसू बहाये और व्यवस्था व्यक्त की। बहुगुणा जी के मानसपुत्र भाई हरिकेश जी को भी उस पर बहुत दुःख व्यक्त करते हुए मैंने देखा। अब तक मैं यह समझता था कि शैतान ही क्षण प्रति क्षण रंग बदलता है, लेकिन जब मैंने और लोगों को भी ऐसा करते देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां किसने यह सब कराया। अगर मेरी बात सही नहीं सिद्ध हुई तो मैं अपनी संसद् की सदस्यता को भी छोड़ने को तैयार हूं।

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने वहां पर हरिजनों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के एक महामंत्री जो इस संसद् में उस क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते थे, वे कफल्टा गये और उन्होंने वहां के सवर्णों से कहा कि कांग्रेस वाले हरिजनों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग संगठित हो, आप लोग मेजोरिटी में हो, आप इन्हें आतंकित करो यदि आप लोग इनको आतंकित करोगे तो सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है उनको छोडने को बाध्य हो जाएगी। चुनाव का मौका था और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने यह सब किया। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि विधान सभा चुनाव में कफल्टा और उसके चारों तरफ से एरिया में शत प्रतिशत वोट भारतीय

जनता पार्टी को मिले और कांग्रेस पार्टी को जिसकी वहाँ पर बहुत गहरी जड़ें थी और जिसे लोक सभा के चुनाव में 80 प्रतिशत मत मिले थे, कहीं एक या कहीं दो वोट मिले और कहीं नामपत्र को ही वोट मिल पाये। यह है उनका चेहरा। बहुगुणा जी के मानसपुत्र ने जो यहाँ पर आरोप लगाये, उसके बारे में भी सफाई देना चाहूँगा। उन्होंने जिनको वहां से चुनाव लड़ने के लिए बीस हजार रुपया दिया और जो विजयी हुए हैं, उन्होंने वहाँ जनतासे वायदा किया था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं उनको छुड़वा कर लाऊंगा। यहां पर वे कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। यहां पर हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी मुकदमों का फ़ैसला नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार से कहते हैं कि आप हरिजनों पर अत्याचार रोकने में अक्षम रहे हैं, असमर्थ रहे हैं। इस तरह के दो मुंह चेहरे वाले लोगों को जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए और जनता के सामने लाने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाने चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश के पूर्वांचल क्षेत्र के, पूर्वी भाग क्षेत्र के संदर्भ में इस संसद् में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ संसद के बाहर भी कहा गया : यह हम सबके कंसर्न का विषय है, हम सभी से सम्बन्धित विषय है। यह रोग जो हमारे पूर्वांचल का है यह भी हमारी जनता पार्टी की देन है। मैं निश्चत रूप से इस बात को कह रहा हूं कि इस रोग को हवा देने में, जो असम के लोगों को एक सामान्य मांग थी उसको भयंकर आंधी बनाने में आर० एस० एस० का हाथ है। जिस आर० एस० एस० के लोग, सरसंघचालक, कार्यवाहक या साधारण कार्यकर्ता, असम से अलग रहे उस आर० एस० एस० के सरसंघचालक बाला जी देवरस 1978 के बाद और 1979 तक तीन बार असम गए। उनके बाद जिनका नम्बर आता है राजेन्द्रसिंह जी वह भी दो दो बार और लम्बे-लम्बे समय के लिए असम गए। जिस असम में स्वतंत्रता के बाद आर० एस० एस० के एक या दो कैम्प लगे थे, उस आर० एस० एस० के 1978 से 1979 तक नौ नौ और दस-दस कैम्प लगे। नलवारी के कैम्प के बाद तो वहां पर सैंकड़ों की हत्या हुई और तब से इस समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया, एक नई दिशा असम के आन्दोलन को मिल गई। जो आन्दोलन आर्थिक समस्या को लेकर चला था उसको उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मोड़ दिया। आप जांच करवाए इस सब की। इसी तरह से त्रिपुरा में भी हुआ है। उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। उसकी समस्या को सुलझाते समय आपको जो बुनियादी चीज है उसको मद्देनजर रखना होगा। त्रिपुरा में ट्राइबल्ज की जो जमीन थी, जो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको दी गई थी, उसको मार्किसस्ट—कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने अपने केडर के लोगों में बांट दिया। इसी कारण ट्राइबल्ज में असन्तोष भड़का और ट्राइबल्ज और नान-ट्राइबल्ज का झगड़ा हुआ वहां से इसकी शुरुआत हुई। इस वास्ते मूल समस्या को आपको समझना होगा। उसको समझे बगैर त्रिपुरा की समस्या का हल नहीं होगी।

असम में आर० एस० एस० के रोल को नहीं समझेंगे, उसके कार्यों के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाएंगे और त्रिपुरा की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को इस तरह के गलत कामों को करने से नहीं रोकेंगे तो पूर्वांचल की जो समस्यायें उठ खड़ी हो गई हैं वे हल नहीं होंगी।

आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आलोचनात्मक तरीके से जहां पर मैंने प्रतिपक्ष के गलत कार्यों में से कुछ को सदन के सामने रखा है

वहां पर मैं अपनी सरकार से भी बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में लोगों ने आपको मत इसलिए दिया है कि आप एक अच्छी और रचनात्मक सरकार एक सुव्यवस्था देने वाली सरकार, एक हिफाजत देने वाली सरकार लोगों को देंगे। लोग समझते हैं कि आप शासन चला सकते हैं, आपमें शासन चलाने की क्षमता है, श्रीमती इन्दिरा गांधी में क्षमता है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में वह सक्षम हैं। हम प्रतिपक्ष पर दस आरोप लगाएं लेकिन क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि यदि हमारा प्रतिपक्ष रचनात्मक नहीं है, यदि वह विध्वंसात्मक नीति में विश्वास करता है और चलता है तो उसके कार्यों पर भी हम प्रतिबन्ध लगाएं, कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाएं हर मोर्चे पर और हर तरीके से ताकि देश में अमन चैन कायम हो सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके ? ऐसा हमने किया तभी जो आशायें हमारे देश की जनता की हमसे हैं, गरीबों को हैं, मजदूरों को हैं, किसानों को हैं, हरिजनों को हैं, वे पूरी हो सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय हिन्दुस्तान में अमन और शान्ति का समय होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का हार्दिक और पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री निरेन घोष (दमदम) : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण विषयों पर एक-एक कर चर्चा करूंगा। सर्व प्रथम मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आता हूं। मेरा यह दावा है कि न केवल असम अपितु समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या के समाधान के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। काफी समय तक स्थिति को बिगड़ने दिया गया। नागालैंड में पिछले 20 वर्षों से आन्दोलन चल रहा है। इसी तरह मिजोरम में भी विद्रोह भरा आन्दोलन चलता रहा। इस बारे में कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया ? सेना का सहारा लिया गया। सेना को वहां के लोगों के खिलाफ लड़ाया गया। इसका समाधान भारत के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत ही करना होगा। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। नागालैण्ड या मिजोरम भारत के किसी अन्य राज्य की भांति हैं। इससे उनकी सगत लोकतांत्रिक मांग अर्थात् अधिक शक्ति की मांग पूरी नहीं होती। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति बिगड़ती गई और उसके परिव्यय स्वरूप आज असम में स्वार्थी प्रतिक्रिया वादी एवं साम्राज्यवादी तत्व पृथकतावादी एवं भारत-विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं। उनमें और हममें कोई समान बात नजर नहीं आती। यद्यपि केन्द्रीय स्तर पर सर्व सम्मति के आधार पर कोई समाधान निकालना आवश्यक है, पर सेना का सहारा लेने से समस्या हल नहीं होगी। यह बात सरकार के दिमाग में कभी नहीं आई। उस क्षेत्र की समस्या इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सुलझ सकेगी। इस समस्या की ओर से आंखें मूंद ली गई हैं।

आज हम बहुत ही खतरनाक, कठिन और जटिल समस्या का सामना कर रहे हैं। इस प्रदेश की आर्थिक और अन्य रूप से उपेक्षा की गई है। उनकी उचित शिकायतें भी हैं। आर्थिक पिछड़ापन भी है। पर इन बातों को लेकर पृथक होने की धमकी का मैं समर्थन नहीं कर सकता पर एक मोटा समाधान ढूंढना ही होगा। मेरे विचार से इस प्रदेश को अधिक शक्तियां देने, आर्थिक और औद्योगिक विकास करने तथा भूमि सुधारों से ही समस्या का अन्तिम समाधान हो पायेगा। अन्यथा इसका हल नहीं है और साम्राज्यवादी ताकतें वहां की बिगड़ी हुई स्थिति का नाजायज फायदा उठा रही हैं। यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं आपको आपके इस दृष्टिकोण के प्रति चेतावनी दे रहा हूँ।

असम की समस्या का मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर अनेक वार चर्चा हो चुकी है। पर ऐसा लगता है कि यह आन्दोलन नेपाली, उड़िया, बिहारी, और मुसलमान अल्पसंख्यकों और भाषाभाषियों के प्रति चलाया जा रहा है उनके लिए सभी विदेशी हैं। 1951 से आज तक की अवधि में जिन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दिये एये उनकी संख्या लगभग 35 लाख है। शायद कोई भी असम सरकार उन्हें ये प्रमाण पत्र नहीं देगी। अपरोक्ष रूप से सरकार मानती है कि इस आन्दोलन के पीछे साम्राज्यवादी ताकतों का हाथ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसने प्रत्याक्ष रूप से स्वीकार किया है है।

श्री निरेन घोष : वे कौन हैं ? उन्हें पता नहीं हैं। वे स्पष्ट नहीं कहना चाहते। अमरीकी साम्राज्यवादी तत्व इसके पीछे हैं। प्रशासन का सारा उच्चवर्ग इस राष्ट्र विरोधी आन्दोलन का हथियार बन चुका है। ये सब कुछ जानते हैं **

सभापति महोदय : आप किसी राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति की इस सभा में आलोचना नहीं कर सकते।......

श्री निरेन घोष : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। मैं कई बार संसद में बोला हूं और किसी भी पीठासीन अधिकारी ने यह बात नहीं कहीं।

सभापति महोदय : मैं व्यवस्था देता हूं कि इस सभा में भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ आरोप नहीं लगाए जायेंगे।

श्री निरेन घोष : ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। पर मैं यह नहीं कहता है कि......**

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं इस सभा के सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत कुछ पद हैं और उन पदों पर आसीन व्यक्तियों की इस सभा में तब तक आलोचना नहीं की जा सकती जब तक उनके विरुद्ध कोई स्थायी प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। यही नियम है और मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं :—

"कोई सदस्य इस सभा में बोलते हुए किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति पर तब तक आरोप नहीं लगाएगा। जब तक कि स्थायी चर्चा समुचित शब्दावली में तैयार किए गए स्थायी प्रस्ताव पर आधारित न हो।"

आप भारत के राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते। आप राज्यपाल की आलोचना नहीं कर सकते। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री निदेन घोष : मैंने प्रशासनाध्यक्ष कहा था। इस प्रकार के समाचार हैं कि असम सरकार के प्रशासन में उच्चतम स्तर के अधिकारी भी आन्दोलनकारी लोगों के साथ हैं। इसका समाधान सरकार को करना है। इसकी सच्चाई उसे मालूम करनी है। इस आन्दोलन को दबाने

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

के लिए आपको उनकी छन्टनी करनी होगी अन्यथा आप इस आन्दोलन से नहीं निपट पायेंगे। मेरे विचार से प्रशासन में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। प्रशासनाध्यक्ष सभी पांच राज्यों का होना चाहिए। आप इन तत्वों को एक ही झटके में साफ करें और नीचे के तबके के लोगों का विश्वास हासिल करें। अल्पसंख्यकों की आप रक्षा करें। इस बारे में केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजनैतिक मतैक्य स्थापित किया जाना चाहिए। इस सवाल का राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। हिंसा का सहारा न लिया जाए। जिन्हें रक्षा की जरूरत है उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर आन्दोलनकारी तर्क नहीं सुनते, बातचीत के लिए तैयार नहीं होते और हड़ताल समाप्त नहीं करते तो आप उन्हें अलग छांट दें और समस्या का समाधान निकालें। इसके लिए आपको सारे देश का समर्थन मिलेगा। इस तरीके से काम करने पर ही आप स्थिति पर काबू पा सकेंगे।

मैंने कहा है कि इसका अन्तिम समाधान राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करने में ही है इस दिशा में व्यापक आन्दोलन चलाया जाना चाहिए। इस व्यापक आन्दोलन का नेतृत्व लोकतांत्रिक पार्टियों ताकतों, ग्रुपों और व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। तभी आपको जन समर्थन मिलेगा। पर आप इस प्रकार का आन्दोलन चलाने हेतु कभी तैयार नहीं होंगे। आपने स्थिति को बिगड़ने दिया। स्थानीय, प्रान्तीय ताकतें शक्तिशाली बन गई हैं। आपने इन पर बिलकुल भी अंकुश नहीं रखा। सरकार के प्रति यही मेरा आरोप है।

अब में भारत के राज्यों को अधिक शक्ति देने की मांग की ओर आता हूं। मैं जानता हूँ कि यह मांग जब तक जबरदस्ती नहीं मनवाई जाती तब तक मानी नहीं जाएगी। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर की बातचीत भी नहीं हुई। आप सारी शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित कर रहे हैं और राज्यों की शक्ति क्षीण हो रही है।

भारत की एकता के बारे में दो सिद्धान्त हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार भारत की एकता बन्दूक और सेना के बल पर कायम रखनी है। यह ऊपर से थोपी गई एकता है। यह शासक वर्ग का सिद्धान्त है, इस सरकार का और जनता सरकार का सिद्धान्त भी है।

हमारा जन दृष्टिकोण इस बारे में पूर्णतः विरोधाभासात्मक है। दूसरा सिद्धान्त है:- राज्यों को अधिक शक्ति दो; भारत के लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करो और इस आधार पर भारत की एकता को फौलाद की भांति मजबूत बनाओ। यही एक आधार है जिस पर भारत की एकता कायम रखी जा सकती है। अगर आप अपनी बात थोपते रहे और सरकारों को गिराते रहे तो इस देश का क्या बनेगा ? जो अधिकाधिक कोप, असंतोष, निराशा और गुस्सा अन्दर ही अन्दर भड़का रहा है, कभी विस्फोट का रूप धारण कर लेगा। सारे भारत में इसकी आग भड़की हुई है। आप भारत में ऐसी ही स्थिति चाहते हैं। सरकार पर यह भी मेरा आरोप है। ईश्वर न करे कि आप भारत में इस प्रकार की स्थिति थोपने में सफल हों। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली की चर्चा भी करूंगा। यह अपवाद है कि इस प्रकार के शासन की बात 1977 में सोची गई थी पर इसे कार्य रूप नहीं दिया गया। पर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार शनैः शनैः उस दिशा में बढ़ रही है। और उसका अर्थ तानाशाही है; भारत जैसे बहु राष्ट्रीय देश में, यदि 3 या 4 वर्ष के लिये तानाशाही चले तो अन्ततः

विस्फोट हो जायेगा; और भारत नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि आप इसे नहीं चाहते हैं। परन्तु आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और आप एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो भारत को ठीक एक ऐसी स्थिति में ले जायेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बचने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें संशोधन कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हालके उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस दृष्टि से भी सहमत हूं कि निर्देशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता नहीं मिलनी चाहिए। क्यों ? या तो निर्देशक सिद्धान्तों को कानून के द्वारा अनिवार्य बनाया जाए और न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायतः लागू किया जाए अथवा हम किसी सत्ता रूढ़ दल पर विश्वास नहीं करते हैं; लोग मध्य वर्गीय भूस्वामी वर्गों पर तथा उनकी सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं; और कोई भी उन निर्देशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के नाम पर आप को इतनी बड़ी शक्तियां देना नहीं चाहेगा जिनको आप क्रियान्वित नही करते हों। उनके नाम पर आप विपक्ष को कुचलने का प्रयास करते हैं, लोगों को कुचलते हो और आप निर्दयी दमनकारी बलों को तैनात करते हो।

उसके बाद मैं राज्य-केन्द्र सम्बन्ध के विषय पर आता हूं। असंख्य बार, कोई नहीं जानता है कितनी बार 60 बार या 75 बार या 80 बार राज्य सरकारें गिरायी गई हैं······(व्यवधान)। इस बारे में सबसे खराब अनुभव हमने अपने राज्य मे किया है। आज भी आपकी उन नीतियों के अनुसार जो बहुत खराब तानाशाही तथा निरंकुशता की ओर जाती हैं, ऐसे कानून, निवारक नजरबन्दी कानून आदि बनाये जा रहे हैं और आप अपने हाथों में राज्यों की सभी शक्तियां ले रहे हैं। इन बातों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए मैं आप को एक उदाहरण दूंगा। केन्द्र में इस सरकार के सत्तारूढ़ होने से आप सभी सम्भव तरीकों को अपना रहे हैं। ताकि वामपंथी-मोर्चा की सरकार प० बंगाल में कार्य न कर सके। कितने ही बार प्रधान मन्त्री महोदय मुख्य मन्त्री को पत्र लिख चुकी है ? कितनी ही बार अन्य मन्त्रियों ने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखे हैं जिनमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है ? क्या यह 7 या 8 या 10 बार से अधिक नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि राज्यों में बहुत कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं। क्या एक बार भी उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ? नहीं, नहीं, कभी नहीं। क्या कांग्रेस (आई) के नाम पर किसी कटु आलोचक व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन दिया है ? यह सरकार के दैनिक कार्यक्रम में साफ हस्तक्षेप है। और उसके बाद मेरे अच्छे खासे मित्र मैं नही समझता हू कि क्या आप उन्हें मन्त्री के रूप में रखना चाहिये—श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंकना चाहते थे। अन्य लोग भी कह रहे थे कि इसे राष्ट्रपति शासन अधीन रखा जाये। आप राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर जा रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई विधि व व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हमारे कितने आदमी मारे गये थे जब हमारी सरकार वहां सत्तारूढ़ हुई है। यह 70-80 से कम नहीं है। कांग्रेस (ई) के कितने व्यक्ति मारे गये हैं और उनमें से कितने आन्तरिक दलीय झगड़ों के कारण मारे गये हैं ? कांग्रेस (ई) 10 से 11 तक व्यक्तियों को कांग्रेस (ई) लोगों द्वारा आन्तरिक दलीय झगडों में मार दिया गया है या हत्या कर दी गई है। वे वहां समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। (व्यवधान) ये तो मानी हुई बातें हैं। (व्यवधान)। अब चुनाव हिंसा की स्थिति इस देश को निगल रही है जो राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया था। यह हिंसात्मक वातावरण है जो उत्पन्न कर दिया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि आप इस देश को कहां ले जायेंगे। आप संसदीय लोकतन्त्र की उसी विचार धारा का उपहास कर रहे हैं। वही आप कर रहे हैं 1972 में कटू अनुभव हुआ था जब 50

निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नहीं हुआ था; 100 निर्वाचन-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जाली मतदान किया गया था। वही आपने हमें हटाने के लिए किया। यहां पर किसी भी किस्म का कोई लोकतन्त्र नहीं है आपने केन्द्र में कुछ तन्त्र तैयार किया है जो आम लोगों से ऊपर है। मैं सेना के बारे में नहीं बोलता हूं बल्कि सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्री औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के बारे में कहता हूं। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। विधि व व्यवस्था बनाये रखना संविधान की राज्य सूची में है। फिर भी केन्द्रीय पुलिस पर खर्च दिन-दूना और रात चौगुना बढ रहा है, यह 1051 में केवल 3 करोड़ रु० से बढ़ कर 1980-81 में 275 करोड़ रुपए हो गया है। साधारण पुलिस के बारे में खर्च 1960-61 में 4,53 करोड़ रु० से बढ़कर 1978-79 में 91 करोड़ रु० हो गया है। इसलिए ये वृद्धियां हुई हैं। मैं अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग के बारे में भी कुछ कहूंगा। बजट में व्यय 8 करोड़ रु० के व्यय का प्रावधान है। गुप्त सेवा से अतिरिक्त व्यय 8 करोड़ से कई गुना है। उनका व्यय बहुत ही वास्तविक व्यय है। उन्होंने एफ० आई० सी०-सी० आई भवन से अत्याधिक किराये पर कुछ भवन किराये पर लिए थे। अंकित किराया 40,000 रुपए थे परन्तु उन्होंने 80,000 रु० किया। आप को गुप्त पुलिस की आवश्यकता नहीं है। विधि और व्यवस्था के तन्त्र के लिए। बार-बार उन लोकप्रिय आन्दोलनों विपक्षी दलों, लोकतांत्रिक आन्दोलनों को कुचलने के लिये उनका उपयोग किया गया है; आपने उनको उसी के लिए उपयोग किया है। वह वह खर्च बढ़ता जा रहा है। अनुसंधान और विश्लेषण के लोगों ने युवा कांग्रेस तत्वों के वेश में 1971-72 में हमारे 500 व्यक्तियों को हत्या कर दी थी। उनसे विदेशी सूचना एकत्र करने की आशा की जाती है जब वे विदेशी यात्रा पर जाते हैं। कुछ लोग विदेशी माया पर लन्दन में तराफलगार थियेटर में सिनेमा देखने जाते हैं। इस प्रकार से अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग कार्य करता है।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। आपने 25 मिनट ले लिये हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करिये।

श्री निरेन घोष : उनकी चीख पुकारों तथा आपकी टिप्पणियों को अलग-अलग समझा जाना चाहिए... (व्यवधान) हर हालत में मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। श्री धनिकलाल मंडल सामाजिक तनावों के बारे में बोले। में इस संबंध में उनका समर्थन करता हूँ। यह कहने की आवश्यकता नही है कि आपको उन तत्वों से द्रढता पूर्वक निबटना है। वर्गीय युद्ध जातीय युद्ध का रूप ले रहा है। हम देखते हैं कि जब पद्धतियां, खेतिहर मजदूर गरीब कृषक अपना सिर उठाने का प्रयास करते हैं तो सभी भूस्वामी एक हो जाते हैं। उनमें से बहु से विधान सभाओं में हैं, सायद यहाँ पर भी हैं। उस समय जब भूमि पर धन कर समाप्त किया गया था और जो कातल ध्वनि श्री आर० वेंकररामन के लिये भूस्वामियों द्वारा की गई थी उसे याद कीजिए।

पुलिस उनके इशारे पर है। सेना उनके इशारे पर है। केन्द्र उनके अधिकार है। कुछ भी नही किया जा सकता है। वही इस देश में हो रहा है। गरीब लोग अपने अधिकारो पर दृढ रहने का प्रयास कर रहे है। इसी कारण से सभी प्रकार के अत्याचार हो रहे है। में इन सबकी गहराई में नही जाना चाहता हूँ। वह श्री मंडल ने कर दिया है। कांग्रेस शासन के तेतीस वर्षों के बाद आम लोग 65 करोड़ में से 60 करोड़ लोगों ने उम्मीद छोड दी है। कटुता व्याप्त है। वे निराश हैं। उन्हें जीवन में कोई आशा नहीं है। परन्तु इसको कितने समय तक खींचा जायेगा? इसका जड़

से विवाद होगा। भारत सामाजिक क्रान्ति के लिये परिपक्व है। केवल आत्मनिष्ठ कारण की कमी है। आप भूस्वामियों तथा बडे व्यापार हितों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे गरीबों पर बड़ाभार पड़ता है। इसी कारण से इधर-उधर असन्तोशफैल रहा है। क्या यह उस अवस्था में रहेगा? नहीं, यह हमारे जीवन काल में नहीं हो सकता है परन्तु सभी राज्यों में सभी लोग एक जूट लेकर और अपने जाति क्षेत्र आदि बन्धनों को तोड़ कर क्रान्ति लायेंगे बिहारी-गुजराती असमी तथा सभी अन्य राज्यों के लोग एकजूट हो जायेंगे और एक बार में ही आप का बिल्कुल सफाया कर देंगे। वह नये युग में प्रारम्भ होगा।इसके साथ में अपना भाषण समाप्त करता हू।

श्री एच०के०एल० भगत (पूर्व दिल्ली): गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस हमें देश की स्थिति का सर्वे क्षण करने का अवसर प्रदान करती हैं। आपकी अनुमति से मेरा इस सभा के समक्ष अपनी कुछ टिप्पणियों को आपके विचार करने के लिये प्रस्तुत करने का विचार है।

जैसी कि में स्थिति देखता हू कि जब लोकसभा चुनाव हुये थे, मैं इसके विस्तार से वर्णन नहीं करुगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विचार से सभी परिस्थितियों में देश अराजकता को जोखिम में था। नयी सरकार के निर्वाचि हो जाने के बाद मुझे मालूम है कि इस देश में लोगों को श्री मतीइन्दिरा गांधी से जादू कीं उम्मीद करते हैं। ऐसा उस विश्वासके कारण है जो लोगों का उनमें हैं। इसलिए वे उनमें अपने क्या उनको अपने क्षमता तथा कार्यवाही करने की अपनी क्षमता के बारे में उनकी विचार धारा के कारण स्थिति में तुरन्त परिवर्तन होने की उम्मीद करते हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अराजकता के जोखिम की खतरनाक स्थिति से वे सामान्य स्थिति में आना चाहते हैं विशेषरूप से जबकि बड़ी बाधा में उत्पन्न कर दी गई हैं। मेरा विश्वास है कि यह धीरे-धीरे होगा। कभी-कभी यह धीरे-धीरे हो सकता है। मुझे अराजकता की स्थिति से मालूम होता है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जो अभी भी जटिल है। पूर्ण सामान्य स्थिति लाने में अभी बहुत कुछ किया जाना है। परन्तु अभी हम दूसरे रास्ते में हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ बातों का विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

श्री चिरेन घोष सामान्य रूप से अपनी क्रांतिकारी सरगर्मी के साथ बोल रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि हम सब नष्ट हो जायेंगे। वह स्वयं सदन से चले गये हैं। वह चाहे इसे मानें अथवा न मानें, किन्तु यह पूर्ण अराजकता की स्थिति अंशतः भूतपूर्व जनता और लोक दल भी सरकारों के कारश तथा अंशत: सी० पी० एम० के कारण है।

इसके अतिरिक्त मैंने भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री श्री धनिक लाल मण्डल का भाषण भी सुना है। मैं उनके प्रति कोई अनादर प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह फिर भी पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने कई रंग बदले हैं मेरा उनके प्रति आदर-भाव है किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कोई व्यक्ति मन्त्री नहीं रहता—मैं भी भूतपूर्व मन्त्री हूं—उसे कुछ समय के लिये तो विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं इन सब को शोक संतप्त राजनीतिज्ञ मानता हूं। उन्होने बड़ी दिलचस्प बातों का उल्लेख किया है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा।

श्री मन्डल ने कफलटा कांड, हरिजनों पर अत्याचार आदि की बात कहीं है और उन्होंने यह कहा है कि श्रीमती गांधी केवल बातें करती हैं, ज्ञानी जैलसिंह केवल बातें करते हैं किन्तु कार्य कुछ नहीं करते हैं। क्या श्री मण्डल यह बात कहने के अधिकारी है? जब बेलची कांड हुआ था, वह इस देश के गृह राज्य मन्त्री थे। यह कांड 22 मई, 1977 को हुआ था। श्री कर्पूरी ठाकुर

की सरकार थी वहां। इस सम्बन्ध में सेशन सुनवाई 5 फरवरी, 1980 को आरम्भ हुई, लगभग तीन वर्ष के पश्चात यह सुनवाई हो रही है। श्री मन्डल सदन में उपस्थित नहीं हैं किन्तु वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकेंगे। और अब वह यह कहते हैं कि हम केवल बातें करते हैं, कार्य कुछ नहीं करते। मैं इस सम्बन्ध में एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी सरकार कार्यवाही करती हैं अथवा नहीं और हमारी सरकार तथा पिछली सरकार में क्या अन्तर है। पिपरा काण्ड 25 फरवरी, 1980 को हुआ था। इसका आरोप-पत्र 8 मार्च, 1980 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसकी सेशन सुनवाई 8 अप्रैल, 1980 को आरम्भ हो गई और यह सुनवाई हर रोज होती रही। बेलची के मामले में भी भूतपूर्व सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जब नई सरकार की स्थापना हुई तो इसी ने उसमें रुचि ली और उसकी अन्तिम सुनवाई 19 मई 1980 को हो गई और जो व्यक्ति दोषी पाये गये, उन्हें सजा दी जा चुकी है।

तीसरे, कफलटा कांड को लीजिए। यह घटना 9 मई, 1980 को घटी थी। 26 मई 1980 को आरोप-पत्र दायर किया गया। मेरे विचार से भारत में कहीं भी ऐसा हमले नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को निपटाने के लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की। मैंने आपको एक मामला बताया है जब श्री चरण सिंह बातें करते थे, श्री मण्डल बातें करते थे और अब भी वह बातें कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट तुलना की जा सकती है।

हमने कहा है कि सरकार ने हरिजनों के लिए 100 करोड़ रुपए रखे हैं। श्री मंडल ने ज्ञानी जैल सिंह को उसकी बधाई दी है किन्तु यह भी कहा है कि यह राशि समुन्द्र में बूंद के समान है। मेरे प्रिय मित्र, आपने तो इतना भी नहीं किया था। जब आप गृह राज्य मन्त्री थे, तब यह आपका दायित्व था कि आप ऐसा करते, किन्तु आपने कुछ नहीं किया। इस समय श्री मण्डल के नेतृत्व में ही झंझावला कांड घटित हुआ था। वह लोकदल के नेता श्री चरणसिंह अनुयायी हैं जब वह गृह मन्त्री थे तो उनके अनुयायी यह सब कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? अभी हाल में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जिसके अन्तर्गत लाखों लोगों को, जिनका सरकारी और गैर-सरकारी भूमि पर कब्जा था, स्वाभित्व के अधिकार दिये गए हैं। किन्तु 'आर्गेनाइजर' जो भारतीय जनता पार्टी ओर प्रवक्ता हैं, ने इसकी आलोचना यह कह कर की है कि यह बिल्कुल गलत है। 20-सूत्रीय कार्यकम के अन्तर्गत भी लाखों लोगों को भूमि का अधिकार दिया गया था किन्तु जब मण्डल की पार्टी सत्ता में थी तो यह अधिकार उनसे छीन लिया गया था। वह उस समय कहां थे? क्या उस समय गृह मन्त्रालय के अरामदेह गद्दों में सो रहे थे।

उस समय भी घटनाएं हुई थीं और अब भी घटनायें हो रही हैं। यह सभी घटनायें शर्मनाक हैं। यह उस समय भी लज्जा की बात थी और अब भी लज्जा की बात है। केवल अन्तर यह है कि आप केवल बातें करते हैं और यह सरकार काम करती है। उन्होंने कहा है: प्रधान मन्त्री नारायणपुर गई थी। मैं इस पर आपत्ति नहीं करता। किन्तु आपके मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास ने इस पर आपत्ति की थी। अगर उनका बस चलता तो वह वहां उन्हें जाने नहीं देते उस समय यह तो आपका रवैया था।

श्री मन्डल ने कहा है कि पुलिस के पास अनियन्त्रित अधिकार हैं। उन्होंने यह कहा है कि पिछले 10,11 वर्षों में काफी संख्या में लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली का विशेष रूप से

नाम लिया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था हमने नहीं, आपने लागू की थी आपके कार्यकाल में ही पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए थे, तब मजिस्ट्रेटों के अधिकार भी पुलिस को दे दिये थे। आज आप उस व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं जिसे आपने ही लागू किया था।

चूंकि उन्होंने श्री भिण्डर के नाम का उल्लेख किया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। श्री भिंडर इस सदन के सदस्य नहीं हैं, अतः यहां पर उनके नाम का उल्लेख करना उचित नहीं है। हमें मालूम है कि आपको श्री भिंडर से विशेष प्रेम है। आपने उन्हें झूठे अपराधिक मामलों में संसक्त किया था और अब तक तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया होता। किन्तु अब न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। वह एक सचेत और मेहनती अधिकारी हैं। उनके विरुद्ध सभी आलोचना राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। हम डाके चोरियों की वारदातों पर बहुत ही चिन्तित हैं। हमारे सभी संसद सदस्यों को इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता है। गृह मन्त्री महोदय ने स्वयं इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। हम समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना चाहते हैं ताकि इन घटनाओं को समाप्त किया जा सके। क्या भारतीय जनता पार्टी और लोकदल वास्तव में कानून और व्यवस्था सुधारने में रुचि नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति जितनी अधिक बिड़ती है उतनी ही यह उनके हित में है। इसलिए वह जो आलोचना करते हैं उसका कानून और व्यवस्था की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वह स्थिति को और अधिक जटिल बनाना चाहते हैं विशेष रूप जबकि दिल्ली में अभी चुनाव होने हैं।

दिल्ली कांग्रेस (आई) चाहती है कि दिल्ली में विधान सभा हो और उसके पर्याप्त अधिकार हों। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और उस पर शीघ्र ही निर्णय करें।

बागपत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि न्यायिक जांच का आदेश दिया जा चुका है। और मुझे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्तर पर कुछ मालूम नहीं है। जो भी मुझे पता चला है वह समाचार-पत्रों के माध्यम से पता चला है। किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि न्यायिक जांच शीघ्र की जानी चाहिए। इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाये उसे कानून के अनुसार दण्ड मिलना चाहिए और अन्ततः उसे ऐसी दण्ड दिया जाए जो इस अपराध को रोकने में सहायक हो। किन्तु आप क्या कर रहे है ? मैं इस घटना को शर्मनाक मानता हूं, मैं इसे बहुत ही बुरी घटना मानता हूं किन्तु इसे आधार बना कर अखिल भारतीय स्तर पर, आन्दोलन चलाना क्या उचित है विशेष रूप से जबकि आपने इस सरकार का संचालन कर चुकी हैं। और इस प्रकार की अनेक घटनायें घट चुकी है क्या आप जनता की विपदाओं का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ? आप उस समय कहां थे जब उस महिला का अपमान किया गया था ? वह लोग कहां थे। क्या घटना घटी है ? आपने उसकी रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? आप वहां तब पहुंचे जब घटना घट चुकी थी।

मेरे विचार में लोकदल और जनता पार्टी की सरकारों ने जो देश का सब से बड़ा अहित किया वह था उनके द्वारा विखण्डन की प्रक्रिया आरम्भ करना। प्राचीन काल से ही इस प्रकार की

संकुचित प्रवृतियां चली आ रही है और यह जात-पांत और साम्प्रदायिकता की विचार-धारायें भी चलती आ रही हैं और लोगों ने उससे लाभ उठाने का प्रयास किया है। विखण्डन की शक्तियां और अखण्डता की शक्तियां हमेशा से रही है। अब विखण्डन की शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि देश को आज यह दिन देखना पड़ रहा है। असम के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा और न ही मैं अब और समय ही लूंगा किन्तु मुझे आशा है कि आप मेरी बात धैर्य से सुनेंगे क्योंकि मुझे अभी कुछ बातें कहनी है और मैं उन्हें संक्षेप में कहूंगा।

असम के बारे में, मेरे मित्र श्री निदेन घोष अभी कह रहे थे; कि नागालेंड में आपका रवैया सेना के प्रयोग का था, बन्दूकों के प्रयोग का था और यह किस प्रकार हुआ। "त्रिपुरा के बारे में आपका रवैया क्या है ? यह आपके प्रभार में काफी समय से है। आपके मुख्य मन्त्री किस बात की शिकायत करते रहे हैं ? उन्होंने कहा है कि 'ओह्' सेना पर्याप्त नहीं थी। आप सेना की मांग कर रहे हैं। जब मामला आपके नियन्त्रण में था, आपने उसे ठीक ढंग से सुलझाया नहीं अथवा आप उसमें असफल रहे और आज आप यह बात कह रहे हैं। वास्तविक बात तो यह है कि असम और पूर्वोत्तर सीमा पर विभिन्नतायें हैं। वहां की आदिवासी और अन्य जनता में यह स्वाभाविक इच्छा है कि वह अपनी विशिष्टता को बनाए रखे, किन्तु इतिहास का तथ्य यह है कि देश के इस भाग में भावनात्मक एकता स्थापित हो गई और यह भारत की प्रमुख धारा में सम्मिलित हो गया। यह बात श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के अन्तर्गत हुई थी किन्तु आपने इस एकता को समाप्त कर दिया। आपने तथा आपके मित्रों ने इसे समाप्त कर दिया है। इस स्थिति का अब चतुरता और कठोरता से सामना करना होगा और यह सरकार सफलता पूर्वक ऐसा कर रही है, प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सारी सरकार इस मामले को निपटाने का प्रयास कर रही है। उनके पास अधिकार हैं किन्तु उन्होंने उन अधिकारों का अभी तक उपयोग नहीं किया है और उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि वह इसके समाधान के लिए आगे भी हर-सम्भव प्रयास करते रहेंगे। आज यह विदेशियों के विरुद्ध आन्दोलन मात्र ही नहीं— आपने स्वयं कहा है, यह बिहारी-विरोधी है—यह अनेक विरोधी आन्दोलन बन गया है और इसमें बहुत पैसा लग रहा है और कई चीजें आदि लग रही हैं। इस पर समूचे देश को बहुत चिन्ता हो रही है और मुझे आशा है कि इस समस्या का समाधान किया जायेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं ? मेरे विचार से स्थिति कठिन अवश्य हो गई है किन्तु इनकी अधिक शोचनीय नहीं है। मेरा यह विचार है किन्तु आप ऐसे चाकूबाजों, चोरो, डाकुओं, चेन छीनने वालों, गाड़ियां लूटने वालों तस्करों, कर अपवंचको और जाति और सम्प्रदायिक दंगाईयों के बारे में नहीं जानते जिनके धंधे हीं यही हैं।

एक माननीय सदस्य : कालाबजारियों का नाम रह गया है।

श्री एच० के० एल० भगत : मरा ख्याल है कि कालाबजारियों के लिए एक कानून है।

अब हमें क्या करना है ? क्या हमें अपराधिक प्रक्रिया संहिता के के नजरबन्दी उपबन्धों के अन्तर्गत ही कार्यवाही करनी होगी कि उन्हें सुबह गिरफ्तार किया जाये और शाम को न्यायालयों

द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये ? क्या हम ऐसी स्थिति को बनी रहने देना चाहेंगे ? हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा, हमें यह गम्भीरता से सोचना होगा कि इस सम्बन्ध में क्या करना है ? क्या हम उन्हें जनता के सामान्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति दे सकते हैं ? मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनकर मेरे मित्रों को धक्का-सा लगे और मैं माननीय गृह मन्त्री से कहना चाहूंगा, कृपया उन्हें आप गिरफ्तार न करें और 'मीसा' के अन्तर्गत तो बिलकुल गिरफ्तार न करें। किन्तु मैं यह सुझाव दे रहा हूँ और आप इस पर विचार करें। आप इन श्रेणियों के व्यक्तियों को जेल में डालने के लिए 'मीसा' लायें।

मैं यह बात विशेष तथा स्पष्ट ढंग तथा दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को जेल में डालें। लोग आप जैसे व्यक्ति तथा श्रीमती गांधी के जैसे क्रियाशील नेतृत्व से ऐसी आशा रखते हैं। आधीरात को भी कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़ाखानी न करे। महिलायें सड़कों पर शांतिपूर्वक निडर होकर चल सकें। इन्हीं सब बातों के लिए आपको लोगों ने वोट दिए हैं यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम और आप अपने कर्तब्यों का पालन करने में असफल रहेंगे। आंसुक द्वारा इन सभी बदमाशों को जेल में डालिये। कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा न किया जाये क्योंकि इसके प्रभाव उलटे होंगे और हम दूसरे चुनाव में हार जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप करें तो हम दूसरे चुनाव में नहीं हारेंगे। आखिर चुनाव केवल चुनाव ही के लिये नहीं होते। चुनाव में जीतना अथवा हारना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को दिये गये बचन को निभाना चाहिये और इसे पू रा करना चाहिये। यही जनता का आदेश है।

दिल्ली के बारे में गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पुलिस जिलों के आकार को छोटा किया जाये क्योंकि ये बहु बड़े है, और पुलिस स्टेशनों की संख्या में भी वृद्धि की जाये। उन्हें अधिक मजबूत, गतिशील तथा मजबूत बनायें। दिल्ली कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि एक संस्थागत प्रबन्ध द्वारा हम कानून और व्यवस्था की समस्या से लोगों को भी सम्बद्ध करेंगे। हमने इसी भाषा का प्रयोग किया था। मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत भर के लोग और दिल्ली के लोग कानून का पालन करने वाले हैं। वे आपके साथ सहयोग करने लिये तैयार हैं, वे आपकी सहायता करने के लिए तैया हैं ताकि आप अवांछनीय तत्वों को नियंत्रित कर सकें। मैं अनुभव करता हूं कि पुलिस भी खूब परिश्रम से काम करती आयी है। लोग आपके सहयोग देने तथा आपकी सहायता करने के लिये तैयार है। आपको इसमें लोगों को भी शामिल करना चाहिए। उदाहरणार्थ अश्मेक बिहार में भी कुछ घटनायें हुई। लोग सरकार की सहायता के लिये आगे आये और कठिन परिस्थिति का मुकाबला करके सामान्य स्थिति कायम की। अतः मुझे आशा है कि आप इस काम को शीघ्र करेंगे।

दिल्ली में आई० ए० एस० अधिकारियों की अनेक समस्यायें हैं। इस बारे में कुछ अधिक न कहते हुये। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इन्हें हल करे।

गृह मंत्री ने हमें सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् का शीघ्र पुनंगठन किया जा रहा है। यह पता नहीं है कि इसका गठन कब तक किया जा रहा है। मैं इनसे इसे शीघ्र गठित करने का अनुरोध करता हूं ताकि चर्चा करने तथा समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच हों।

प्रतीत होता है कि विघटनकारी तत्वों द्वारा देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई षडयंत्र चलाया जा रहा है। मेरे मित्र इसे सिद्ध करने के लिए कहेंगे। मैं इसे कैसे सिद्ध कर सकता हूं ? यह ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने मित्र को कहूं कि दो और दो चार होते हैं और मैं कहूं कि ऐसा नहीं है। बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। मैं विरोधी दलों से अपील करता हूँ और अपने दल से भी कहता हूं कि देश हम सबसे बड़ा है। चुनाव होने के बाद हम सबको सहयोग और सच्चाई से काम करना चाहिये। ये जाति और साम्प्रदायिकता के साथ, संकीर्ण बातें, अव्यवस्था तथा गुंडागर्दी देश को खा बैठेगी। भारत जैसा देश कई बातों में समृद्ध है। हम संसदीय प्रजातंत्र को जिन्दा रखना चाहते हैं और वे भी उसकी शपथ लेते हैं, यद्यपि मैं यह नहीं जानता कि कितने लोग इसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसदीय प्रजातंत्र के लिये वर्तमान हमारे दल की तरह एक अखिल भारतीय पार्टी, अखिल भारतीय नेता, एक राष्ट्रीय दल का होना आवश्यक है, चाहे आप इसे चाहें या नहीं और चाहे आप हमारी नीतियों से सहमत हों या नहीं। संसदीय प्रणाली के लिये राष्ट्रीय भावना से सम्पन्न नेता का होना जरूरी है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था—"कांग्रेस में कई कमजोरियां हो सकती हैं और मैं जानता हूं कि कांग्रेस में कई कमजोरियां हैं लेकिन कांग्रेस ही देश भर में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, यदि देश इससे छुटकारा पाना चाहे तो यह स्वयं देश के लिए हर दृष्टि से खतरनाक होगा। 1977 में ऐसा ही हुआ और आगे भी हो सकता है। यदि आप प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो अगले चार-पांच वर्षों तक लोगों के निर्णय का सम्मान कीजिए। रचनात्मक विरोध को मैं बुरा नहीं समझता और देश का नवनिर्माण करने के लिए सरकार का समर्थन करता हूं और मुझे यकीन है कि ऐसी सद्भावना के साथ हम और अधिक प्रगति कर सकते हैं। हमारे पक्ष में सद्भावना की कमी नहीं है। प्रधान मंत्री का रवैया विपक्ष के लिए हमेशा सद्भावनापूर्ण रहा है। वे उन्हें बुला रही है और उनसे बातचीत कर रही है। देश के इतिहास की इस विकत घड़ी में हमें असफल नहीं रहना चाहिये। मुझे आशा है कि हम असफल नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों की सूची और संख्या जिन्हें सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त स्लिपों के आधार प्रस्तुत किया समझा गया है, को सदस्यों की सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है।

यदि किसी सदस्य के सूची में कोई त्रुटि नजर आए तो वे उसे शीघ्र टेबिल अधिकारी के ध्यान में लायें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य धार्मिक अल्प संख्यकों की सम्पत्ति तथा जीवन की रक्षा करने में असफलता(3)]।

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को उत्पीड़न तथा अवैध शोषण से रक्षा करने में असफलता। (4)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[विदेशी नागरिक आन्दोलन से संबंधित उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता जिन्होंने आसम के डिबरूगढ़ जिले में दुम-दुम के नजदीक जपलीबारी गांव में रहने वाले 50 बिहारी-परिवारों को गांव छोड़ने का नोटिस दिया था । (5)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[बिहार के जटना, जन्ती तथा खसवे जैसी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने में असफलता । (6)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पिछले वर्ष बर्खास्त किये गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारियों को पुनः बहाल करने की आवश्यकता । (48)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपया कम किया जाए ।"

[केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के विरुद्ध पिछले वर्ष दर्ज किये गये सभी पुलिस मामलों को वापस लेने की आवश्यकता । (49)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पुनः बहाल किये गये कार्मिकों को बर्खास्तगी को अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने की आवश्यकता । (50)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोलीबारी के लिये उत्तरदायी अधिकारिया जिसके फलस्वरूप बिहार के बोकारों में 24 व्यक्तियों की जानें गई, के बिरुद्ध कानूनी तथों विभागीय: कार्यवाही करने की आवश्यकता ।(51)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पिछले वर्ष बोकारों में तथा अन्यत्र केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मारे गये कार्मिकों के आश्रितों को पेंशन तथा क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता । (52)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सीमा सुरक्षा बल की उचित मांगों, जिसे उन्होंने पिछले वर्ष उठाया था, स्वीकार करने की आवश्यकता । (53)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पिछले वर्ष बोकारों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर की गई गोलाबारी, जिसके फलस्वरूप 24 व्यक्ति मारे गये थे, की न्यायिक जांच करवाने की आवश्यकता । (54)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।"

[पिछले वर्ष के आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त कार्मियों को पुनः बहाल करने की आवश्यकता । (55)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांगों में 100 रुपये कम किए जाए ।"

[केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशासनिक ढांचे को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता। (56)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[सी० एम० आर० एफ०, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को और अधिक सुविधाएं देने, बेहत्तर सेवा शर्तें तथा परिलब्धियों की मंजुरी करने की आवश्यकता। (57)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पिछले वर्ष के आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कामिकों के विरुद्ध सभी लम्बित मामलों को वापस लेने की आवश्यकता। (58)]

कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एसोसिएशनों कों मान्यता देने की आवश्यकता। (59)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जमीदारों तथा सूदखोरों तथा हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों का अपमान, लूट, तथा हत्या तथा छेड़खानी किए जाने को रोकने में असफलता। (60)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पुलिस द्वारा हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार किए जाने को रोकने असफलता। (61)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अत्याचारों के बढ़ावा देने तथा उकसाने वाले के रूप में पुलिस के कार्य तथा गरीबों तथा कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने में असफलता।" (62)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गैर कानूनी सूदखोर :, तस्करी, जमाखोरी, कालाबाजारी तथा अपमिश्रण विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने में असफलता।" (63)]

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपये कम किये जायें।"

[पुलिस के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उचित सेवा की शर्तों की व्यवस्था करने पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण में असफलता।" (76)]

"कि जन गणना शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपये कम किए जायें।"

[जनगणना में मैथिल भाषी लोगों की वास्तविक संख्या को कम दिखाना। (92)]

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपये कम किये जायें।"

[हाल में, हुए विधान सभाओं के चुनाव विशेषकर बिहार में जहां कुछ मतदाता केन्द्रों में तीन-तीन बार चुनाव कराया गया, समाज के कमजोर वर्गों को मतदान न करने देने वालों के विरुद्ध उपाय करने में असफलता। (120)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांगों में 100 रुपये कम किए जाए।"

[दहेज सम्बन्धी विवादों के लिये महिलाओं के जान से मारने की बार-बार होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने के लिये प्रभावी प्रशासनिक, कानूनी तथा सामाजिक उपाय करने में असफलता। (16)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[महिलाओं के गिरफ्तार किये जाने तथा पुलिस हिरासत में रखे जाने पर उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में निदेशों को सख्ती से कार्यान्वयन करने में असफलता (17)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में उपयुक्त फार्मूला निकालने में असफलता। (18)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नेपाली तथा मणिपुर भाषाओं को उचित स्थान दिलाने की आवश्यकता। (19)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[साम्प्रदायिक दंगों के समय में महिलाओं को बचाने के लिये विशेष सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता। (20)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[हड़ताल के समय महिलाओं को बचाने के लिये विशेष सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता। (21)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[हरिजन तथा अनुसूचित जाति महिलाओं के मान-सम्मान की सुरक्षा करने के लिये विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता। (22)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपया कम किये जाए।"

[महिलाओं की समस्याओं को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए पुलिस बल के अधिकारी रैंक महिलाओं की ओर नियुक्ति करने की आवश्यकता। (23)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पुलिस बल में अधिकारी के रूप में और हरिजनों को नियुक्त करने की आवश्यकता (24)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए राजनीतिक दलों, जन संगठनों, भाषायी और धार्मिक ग्रुपों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता। (25)]

श्री बापूसाहिब पारुलेकर (रत्नगिरि) . मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में असफलता। (27)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति करने में असफलता। (28)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने में असफलता। (29)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[विधान बनाकर मृत्यु दंड को समाप्त करने में असफलता। (30]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[देश में कानून और व्यवस्था स्थापित करने में असफलता। (31)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के आवेदन पत्रों को तेजी से निपटाने में असफलता। (32)]

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आसाम के चाय बागान आदिम जातियों तथा भूतपूर्व चाय बागान आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित करने में असफलता। (121)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[भूमिगत नागा नेताओं से बातचीत शुरू करके नागा समस्या का समाधान करने में असफलता।(122)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[भारतीय संघ के अन्तर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा उत्तराखंड नये राज्य बनाने की लोकतांत्रिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक आवश्यकता को समझने में असफलता। (123)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के संघर्ष को उनके अस्तित्व का बोध कराने वाले लोकतंत्रात्मक संघर्ष और यह मानने में कि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और उससे उसी प्रकार निपटने में असफलता। (364)]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जन गणना शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपये कम किए जायें।"

[ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले बहुत पिछड़े अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा देने में असफलता। (142)]

कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[बलात्कार, प्रहार तथा दहेज उत्पीड़न से भारतीय महिलाओं के होने वाले अपमान को रोकने में सरकार की असफलता (148)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[डकैती, दिन-दहाड़े लूटमार तथा हत्या से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (149)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[आजादी के 33 वर्ष के पश्चात् भी स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को अन्तिम रूप देने में असफलता। (159)]

श्री रामविलास पासवान : (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[लोकप्रिय प्रशासन स्थापित करने के लिए संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में चुनाव करवाने में असफलता। (183)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।

[आसम, त्रिपुरा तथा मेघालय में विदेशियों के मसले का, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई और अर्थव्यवस्था अस्त व्यवस्त हो गई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने में असफलता। (184)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मिजोरम समस्या का समाधान करने में असफलता। (185)]

"कि गृह-मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[राष्ट्रपति शासन के दौरान 8 राज्यों में विधान सभा के चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं को रोकने में असफलता। (186)]

कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा डकैती व कत्ल की घटनाओं में वृद्धि को रोकने में असफलता। (187)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[महिलाओं पर अत्याचार तथा बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता (188)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पुलिस हिरासत में महिलाओं पर उत्पीड़न तथा बलात्कार को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने में असफलता। (189)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के जानमाल की रक्षा करने में असफलता। (190)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पुलिस का पुनर्गठन करने और पुलिस केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच विभाग को एक दूसरे से स्वतन्त्र बनाने के लिए अलग-अलग सेवाओं की स्थापना करने तथा कुशल कार्यकरण के लिए सेवा से दूसरी सेवा में कर्मचारियों का स्थानान्तरण रोकने की आवश्यकता । (191)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें ।"

[दशा में सुधार करने के लिए जेल सुधारों की दिशा में कारगर उपाय करने और हिरासत में कैदियों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता। (192)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[राज्यों में आन्तरिक गड़बड़ी और प्राकृतिक विपत्ति के समय नागरिक सुरक्षा संगठन का उपयोग करने की आवश्यकता । (193)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[इस शर्त को कि "यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का योग्य उम्मीदवार न मिले तो रिक्त को अनारक्षित माना जायेगा" समाप्त करने की आवश्यकता (194)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[विभिन्न पदों पर चयन के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए पदोन्नति का कोटा आरक्षित करने की आवश्यकता । (195)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पृथक् मन्त्रालय की स्थापना करने की आवश्यकता ।(196)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[महिलाओं की असमत की रक्षा करने में असफलता । (198)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत म ांग को कम करके 1 रुपया किय जाए ।"

[महिलाओं की असमत लूटने वालों को फांसी पर लटकाने या गोली मारने की आवश्यकता । (199)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए ।"

[देश में बढ़ रही डकैती, लूटमार, कत्ल, राहजनी, आगजनी आदि को रोकने में असफलता । (200)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[आदिवासियों और हरिजनों के जानमाल की रक्षा करने में असफलता । (201]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक [अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस व्यवस्था का जनतांत्रीकरण करने की आवश्यकता। (202)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बल का जमींदारों एवं पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा करने में प्रयोग। (203)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश में महिलाओं पर बढ़ते हुए बलात्कार को रोकने में असफलता (204)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[दिल्ली में कानून और व्यवस्था की दिनों-दिन बिगड़ती स्थिति। (205)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[विभिन्न पुलिस बलों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में असफलता। (206)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बलों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास की व्यवस्था करने में असफलता (207)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बल में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की भर्ती की आवश्यकता। (208)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बल में अन्य दुर्लब वर्गों के लोगों की भर्ती की आवश्यकता। (209)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[असम की स्थिति से लाभ उठाने वाली विदेशी शक्तियों को बेनकाब करने में असफलता (210)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[आसाम आन्दोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा राष्ट्र विरोधी नीति पर अमल करना। (211)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षज के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

आसाम में दमन का रास्ता छोड़कर-वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान निकालने में असफलता। (212)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[आसाम को संकट पूर्ण स्थिति से निकालने में असफलता। (213)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बलों में पक्षपात पूर्ण नीति का अन्त करने में असफलता। (214)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बलों में निर्धारित कोटे के अनुसार आदिवासियों एवं हरिजनों की भर्ती करने में असफलता। (215)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस में घुसे समाज विरोधी तत्वों को निकाल बाहर करने की आवश्यकता। (216)]

"कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सत्ताधारी राजनीतिक नेताओं द्वारा समाज विरोधी तत्वों की मदद करने की नीति का अन्त करने की आवश्यकता। (217)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बलों के लोगों को भी बोनस देने की आवश्यकता। (218)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[विभिन्न पुलिस बलों की उचित कठिनाईयों को दूर करने के बजाय उनका दमन करने की नीति को छोड़ने की आवश्यकता। (219)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अंग्रेजी राज्य के समय से चली आ रही पुलिस व्यवस्था को देश की वर्तमान अवस्था के अनुरूप परिवर्तित करने में असफलता। (220)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस बल में जनता का सेवक होने की भावना भरने में असफलता : (221)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस की समाज विरोधी तत्वों के साथ सांग-गांठ रोकमे की आवश्यकता (222)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि (223)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नक्सलवादी बन्दियों को रिहा करने में असफलता (224)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नक्लवादी बन्दियों के साथ अमानवीय व्यवहार (225)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सभी नक्सवादी बन्दियों को एक स्थान पर रखने और उन्हें उच्च श्रेणी प्रदान करने की आवश्यकता (226)]

'कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[सभी राजनीतिक कैदियों को उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने की आवश्यकता। (227)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[जेलों में आमूल सुधार करने की आवश्यकता। (228)]

"कि गृह-मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[स्वतन्त्रता सैनानियों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता। (229)]

कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सैनानी संगठन की आठ सूत्रीय मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता (230)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की आवश्यकता । (231)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन देने के लिए आय में 500 रुपए की अधिकतम सीमा हटाने की आवश्यकता । (232)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[स्वतन्त्रता सैनानियों को चिकित्सा सुविधायें देने की आवश्यकता (233)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[उन स्वतन्त्रता सैनानियों को दूसरा अवसर देने की आवश्यकता जो पहले पेंशन के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सके । (234)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं को समान पेंशन देने की आवश्यकता । (235)]

श्री रामावतान शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[जाली स्वतन्त्रता सेनानियों का पता लगाने में स्वतन्त्रता सेनानी संगठनों से मदद लेने की आवश्यकता । (266)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[स्वतन्त्रता-सेनानियों के मामलों में सरकार को राय देने के लिए स्वतन्त्रता-सेनानी संसद सदस्यों का एक कमेटी का गठन करने की आवश्यता (267)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[जाली स्वतन्त्रता सेनानियों का पता लगाने के लिए राज्यों में स्वतन्त्रता-सेनानियों की कमेटियों के गठन की आवश्यकता (268)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।"

[विधान सभाओं के गत चुनावों में हिंसा की हुई घटनाओं को रोक में असफलता । (269)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए ।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की की जानमाल की रक्षा करने में असफलता (270)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार के पटना, जन्ती और खसवे जैसी जातियों को अनुसूचित जाति घोषित करने की आवश्यकता । (271)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए ।"

[बिहार राज्य स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की इक्कसी-सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता । (272)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तगत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[जाली स्वतन्त्रता सेनानियों को पकड़ने के नाम पर सच्चे सेनानियों की पेंशन की राशि को बन्द करके उन्हें परेशान करने को रोकने की आवश्यकता (273)]

कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[आन्दोलनों में भाग लेने वाले पुलिस बलों के जवानों के खिलाफ की गयी कार्यवाहियों को को समाप्त करने में असफलता । (274)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[पुलिस बलों का ट्रेड यूनियनों के आधार पर संगठन बनाने की स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता (275)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[पुलिस बलों के विभिन्न संगठनों को मान्यता देने में असफलता । (276)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[गैर-कानूनी सूदखोरी, तस्करी, जमाखोरी, चोर बाजारी तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने में असफलता । (277)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

[पुलिस बलों के जवानों के लिए सेवा की बेहतर शर्तों की आवश्यकता (278)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए किए जायें ।"

[दिल्ली में चुनाव कराकर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन सौंपने में विफलता ॥ (279)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दंगों को रोकने के लिये विशेष पुलिस दलों का गठन करने की आवश्यकता । (280)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांगों में 100 रुपये कम किए जाए ।"

[साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये पुलिस बल में हिन्दू, मुसलमान, हरिजन, आदिवासी सभी प्रकार के लोगों को शामिल करने की आवश्यकता । (281)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए ।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों के लंबित आवेदन पत्रों को समय पर निबटाने में असफलता । (282)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों को समुचित सम्मान देने की आवश्यकता (283)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[सरकार के स्वतन्त्रता सेनानी सहाय्य निदेशालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त करने में असफलता (284)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों को ट्रेजरी के बदले बेंकों से पेंशन की राशि का राशि का भुगतान करने की आवश्यकता (284)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपयें कम किये जायें।

[स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनी प्रकाशित करने की आवश्यकता। (286)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी आदि में प्राथमिकता देने की आवश्यकता। (287)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि देने की आवश्यकता। (288)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानी गृह बनाने की आवश्यकता। (289)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[पिछले साल बर्खास्त किए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को बहाल करने की आवश्यकता (290)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

"केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों पर गोली चलाकर 24 जवानों की हत्या करने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी तथा विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता। (291)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दिल्ली प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को रोकने में असफलता (292)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांगों में 100 रुपये कम किए जाए।"

[जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहारों को समाप्त करने में असफलता। (293)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[पुलिस बल में अधिकारियों के पद पर और हरिजनों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को बहाल करने की आवश्यकता। (294)]

'कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[पुलिस बलों से साम्प्रदायिक तत्वों को निकाल बाहर करने की आवश्यकता (295)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उर्दू भाषा के प्रति विरोध एवं उदासीनता की नीति त्यागने में असफलता (296)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उर्दू भाषा को विदेशी या पाकिस्तान की भाषा बताने वाले लोगों की निन्दा करने की आवश्यकता। (297)]

कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सभी भाषाओं को विकास का समान अवसर देने की आवश्यकता (298)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अंग्रेजी को राज भाषा के पद से हटाने की आवश्यकता (299)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साम्प्रदायिक प्रचारों को रोकने में असफलता (300)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[साम्प्रदायिकता एवं जातीयता की भावना उभाड़ने वाले प्रचारों पर पाबंदी लगाने में असफलता (301)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[साम्प्रदायिक दंगों को रोकरने में असफलता (302)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दंगाइयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में असफलता (303)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के अनुसार उर्दू भाषा के प्रयोग की सुविधा देन्ने में असफलता (304)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उर्दू भाषा को सम्मान पूर्ण स्थान देने में असफलता (305)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[नव-बौद्धों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें देने की आवश्यकता (306)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को ठीक रखने के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित करने में असफलता (307)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[गत विधान सभा चुनावों में पुलिस की बिहार में एक दल विशेष के पक्ष में भूमिका (308)]

श्री आर० पी० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[असम समस्या का वार्ता द्वारा राजनीतिक हल निकालने में असफलता (309)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[असम में बंगालियों की जान और माल की सुरक्षा की व्यवस्था करने में असफलता (310)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[केन्द्रीय सरकार की पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्बन्धी नीति की असफलता। (311)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री द्वारा समय पर और बार-बार अनुरोध पर भी समय पर सशस्त्र बल तथा अर्थ-सैनिक बल के दस्ते त्रिपुरा में लगाने में असफलता (312)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[असम में तथा कथित विदेशियों के मामलों को निपटाने में असफलता (313)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[ए० ए० एस० यू० और गण संग्राम परिषद की पृथकतावादी नीतियों का सामना करने और उन्हें पलटने में असफलता। (314)]

"कि गृह मंत्रालत शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के अधिक व्यक्ति लगाने की आवश्यकता। (315)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पश्चिमी बंगाल राज्य में पुलिस थाना छपरा और नाडिया के अन्तर्गत सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की बाह्य चौकियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता। (316)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपया कम किये जाए।"

[हरिजनों पर बढ़ रही अत्याचार की घटनाओं को रोकने में असफलता। (317)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[महिलाओं, विशेषकर समाज के दुर्बल वर्ग की महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार और बलात्कार की बड़ी संख्या में होने वाली घटनाओं का मुकाबला करने में असफलता। (318)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[नौकर शाही में से आपातकालीन स्थिति का भय निकालने की आवश्यकता। (319)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[देश में निवारक नजरबन्दी समाप्त करने में असफलता। (320)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[त्रिपुरा में न केवल उपद्रवों के शिकार लागों को शांति और राहत प्रदान करने बल्कि त्रिपुरा के पुनर्निर्माण और पहले वाली स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता। (321)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[त्रिपुरा में हत्या, आगजनी तथा ऐसी ही अन्य घटनाओं की बढ़ रही घटनाओं को रोकने की आवश्यकता (322)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[आमरा बंगाली तथा त्रिपुरा उपजाति समिति के उन एजेन्टों के विरुद्ध जो लोगों को भड़काते हैं, उचित कार्यवाही करने में असफलता (323)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[त्रिपुरा में केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां की असफलता। (324)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[त्रिपुरा के सामाजिक, आर्थिक विकास की घोर अवहेलना। (325)]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

[देश में हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा करने में असफलता (328)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किय जाए।"

[महिलाओं की उचित सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (329)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किये जाए।"

[भारत में अल्पसंख्यकों समुदायों की रक्षा करने में असफलता। (330)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।

देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफलता। (331)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[देश में लोकतंत्र के अनुरूप पुलिस नियमों में परिवर्तन करने में असफलता। (332)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाए।"

[पुलिस बल के अपराधिक और अनैतिक कृत्यों को रोकने में असफलता। (333)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाए।"

[पुलिस द्वारा मामलों की जाँच थोड़े ही समय में पूरी करने में असफलता। (334)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

[पुलिस के सिपाहियों और निचले दर्जे के अधिकारियों की माँगें पूरी करने में असफलता। (335)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाए।"

[अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस के तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस को आवश्यक तौर पर सज्जित करने में असफलता। (336)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किए जाए।"

[सभी स्तरों पर पुलिस को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण देने में असफलता। (337)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[देश भर में चलती गाड़ियों में डकैतियां रोकने में असफलता (338)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों से महिलाओं की सुरक्षा हेतु कड़े कानून बनाने में असफलता (339)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप देश के पुलिस विभाग में सुधार करने में असफलता। (340)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पुलिस विभाग में व्याप्त कदाचारों को दूर करने में असफलता (341)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अपराधियों से लोगों के जमानत की सुरक्षा करने में असफलता (342)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[देश में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने में असफला (343)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पुलिस विभाग में नियुक्तियों के मामले में अनियमितताओं को रोकने में असफलता। (344)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत, मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपबन्ध बनाने में असफलता। (345)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[असम और त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में असफलता (346)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश में हत्या, बलात्कार, डकैतियों और राहजनी की बढ़ रही घटनाओं को रोकने में असफलता (347)]

कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश में तस्करी रोकने में असफलता (348)]

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[1931 के जनगणना प्रतिवेदन की उपेक्षा कर असम की संस्कृति की रक्षा करने में असफला। (353)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विदेशी मिशनरियों के प्रवेश को रोकने में असफलता। (354)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाए।"

[बिहार में छोटा नागपुर के आदिवासियों को छोटा नागपुर और संथाल परगना से युक्त अलग राज्य की स्थापना करने की माँग को स्वीकार करने की आवश्यकता (355)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

[बागपत, कड़ीना और नारायणपुर की हत्या, बलात्कार और लूटमार की घटनाओं के शिकार लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता (356)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बिहार में पारसवीघा और पिपरा तथा अल्मोड़ा में, कफल्टा जैसी घटनाओं की ओर उपेक्षा बरतना जिनमें लोगों को जिन्दा जला दिया गया तथा हरिजनों को सताया गया और उनके घरों को आग लगा दी गई। (357)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बंगला देश के मेमनसिंह जिले से आये विदेशियों के असम में अवैध रूप से बसने को रोकने में असफलता (358)]

"कि गृह मंत्रालत शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[त्रिपुरा के बेघर मूल आदिवासियों का पुनर्वास करने में असफलता (359)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अपराधी वृत्ति के लोगों की गतिविधियों को रोकने में असफलता (360)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपया कम किये जाए।"

[पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ को रोकने में असफलता (361)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[लूटमार और चोरी की घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता (362)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

अपराध को रोकने और जनता में विश्वास स्थापित करने की आवश्यकता (363)]

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, इस बजट में हरिजनों और आदिवासियो की प्रगति और सुरक्षा के लिए, और देश में शान्ति तथा व्यवस्था बनाने के लिए जो प्राविजन किया गया है, और हमारा शासन उसकी ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं समझती हूं कि देश और समाज के सभी क्षेत्रों में गृह मन्त्रालय एक महत्वपूर्ण

भूमिका अदा करता है। चाहे हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कितनी ही सफलता प्राप्त कर लें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितनी योजनायें बनायें और आणविक शक्ति का उत्पादन तथा प्रयोग करें, परन्तु यदि हमारी आन्तरिक व्यवस्था ठीक न रहे, देश में शान्ति न हो और लोगों को सामाजिक न्याय न मिले, तो हमारा राष्ट्र कभी भी प्रगति की मंजिल पर नहीं पहुँच सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और समाज हर एक समस्या और हर एक पहलू का सम्बन्ध इस मन्त्रालय से है। हम समाज में कई ऐसे परिवार देखते हैं कि कमाई और धन बहुत है, फिर भी उनके सदस्य एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को उसका हक नहीं देते हैं। ऐसे परिवार का कोई आदमी शराब पी कर हंगामा करती है। ऐसी स्थिति में वह परिवार जिसके पास सब कुछ है लेकिन वह कुछ नही पा सकती। और ऐसा परिवार हम देखते हैं कि जिसमें हर एक आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, एक दूसरे के हक की गारन्टी देना चाहता है, वह परिवार बहुत आगे बढ़ता है। हमारा राष्ट्र भी एक बहुत बड़ा परिवार है और उसमें भी ऐसा ही वातावरण, ऐसी ही सामाजिक ममता हम बनाना चाहते हैं। मैं तो यह मानने वाली हूं कि जो अन्तर्गत व्यवस्था हमारी बिगड़ जाती है और वह सारी समस्याएं हमारे सदन के सामने भी आती हैं, हम लोग उन पर चर्चा करते हैं, उसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है। कोई पुलिस को दोष देता है' कोई शासन को दोष देता है। लेकिन एक बेसिक समस्या यह है कि जो आर्थिक विषमता हमारे देश में है वह बहुत बड़ी समस्या है, उसकी बजट से ही हमारे समाज में यह दिखाई देता है। यहां दलित और आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के बारे में या दलित आदिवासी समाज पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी महिलाओं पर जो बलात्कार होते हैं उनकी आवाज यहां उठाई जाती है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो दलित हैं, लेकिन फिर भी वह अमीर हैं आदिवासी हैं फिर भी जो सत्ता में हैं, अमीर है उन पर कभी क्या कोई ऐसी कठिनाई आती है, उनकी महिलाओं को क्या सभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ? इसलिए एक बात यह है कि जो महिलाएं अर्थार्जन के लिए बाहर जाती हैं, जिनको अर्थार्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है और संरक्षक नहीं मिल पाता है उन गरीब दलित आदिवासी महिलाओं और हरिजन महिलाओं को इस हालत का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों [में दलित आदिवासी समाज का हिस्सा बहुत बढ़ा है जो दरिद्र हैं, अनपढ़ हैं, जो पूरी तरह से कानून नहीं जानते, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, उन पर ये हमारे शोषणकर्त्ता लोग, अन्याय करने वाले लोग, समाज-कण्टक लोग आज अन्याय करते हैं।

सभी वर्ग-संघर्ष की बात यहां निकली। यह वर्ग-संघर्ष की बात क्यों आती है ? सामाजिक विषमता या जो दलित आदिवासी और सर्वसामान्य व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं मिलता, इसी कारण हमारी अन्तर्गत सुरक्षा में बहुत गड़बड़ होती है और हम लोग सब उसके लिए चिन्तित रहते हैं। लेकिन मैं अभिमान से कहना चाहती हूं कि हमारी नेता इन्दिरा गांधी और हमारे कांग्रेस शासन ने अगर 20 सूत्री कार्यक्रम और अनुशासन पर्व लागू नहीं किया होता तो वह वर्ग-संघर्ष हमें खा जाता, आज हममें से कोई भी यहां नहीं दिखाई देता। एक अराजकता की सी स्थिति उस जमाने में पैदा हो गई थी। इसलिए हमें आज भी विश्वास है, हमारा कांग्रेस का शासन और हमारी नेता इन्दिरा गांधी जी फिर से उस 20 सूत्री कार्यक्रम को सामाजिक समता और आर्थिक समता जाने के लिए लागू करेंगी। दलित आदिवासी

और सर्व-सामान्य लोगों को न्याय यही शासन, यही नेता दिला सकती हैं। इसलिए किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है कि यहां वर्ग-संघर्ष हो जाएगा और कोई बंगला देश उठेगा और हमारा क्या होगा ? यह डर हमारे मन में नहीं है क्योंकि हम एक निश्चित रास्ते से जा रहे हैं अपने प्रभावशाली नेता के अनुरोध पर और उसके नेतृत्व में।

हम बार-बार सदन में देखते हैं कि यहां महिलाओं पर बलात्कर के मामले ठठाए जाते हैं। यह तो सभी का फर्ज है लेकिन उस दिन माननीय बाबू जी ने कहा था कि स्त्री का रूप एक मंत्र का रूप होता है और उस पर जब अत्याचार होता है, बलात्कार होता है तो हरएक का हाथ ऊपर उठना चाहिए। वह जात तो ठीक है लेकिन इस ढंग से हमारे अपोजीशन के लोग यहां इस बात को उठाते हैं, इतनी विडम्बना करते हैं कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। समाज का प्रबोधन करना और समाज की समस्याओं के लिए लड़ना अलग बात होती है, लेकिन उसकी विडम्बना करना और समाज में एक विद्रोही आन्दोलन की बात पैदा करना एक अलग बात है। आपने किसी जमाने में ऐसा ही किया था। और इसलिए मैं अपनी पार्टी के सदस्यों, अपने शासन और अन्य दलों के सदस्यों से यह विनंती करना चाहती हूं कि अन्तर्गत सुरक्षा, अन्तर्गत व्यवस्था और हमारे राष्ट्र में एक अच्छी शांति पूर्ण सह-जीवन की समाज व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ कानून की मांग काफी नहीं है। कानून की मांग आप लोग करते हैं, हम भी करते हैं। कानून के साथ-साथ सामाजिक वातावरण, एक सामाजिक धारणा भी बनाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। यह केवल शासन का काम नहीं है केवल पुलिस डिमार्टमेंट का ही काम को नहीं हैं, सिर्फ कानून ही इस काम को नहीं कर सकता है, इसके लिए एक सामाजिक माहोल तैयार करना भी आवश्यक है। अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, डायरो की प्राब्लम, अस्पृश्यता—निरक्षरता—कोई भी प्राब्लम हो, केवल कानून द्वारा ही इसको नहीं हटाया जा सकता है। जब तक हमारा मन इसलिए तैयार नहीं होगा, इसको मिटना सम्भव नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, विहार में अस्पृश्यता के बारे में लोगों की कड़ी भावना रहती है। इसलिये इसको दूर करने में सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में हमें विरोधी पार्टियों से बड़ी उम्मीद है। आप लोग तो हृदय परिवर्तन की भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसको मानते हैं। आपका नारा था कि इस देश में हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, वैचारिक क्रांति बहुत जरूरी है। उसीकी तरफ आप जा रहे थे। हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी रोटी की क्रांति की ओर जा रही थी और वह क्रान्ति इस देश में होनी बहुत जरूरी थी। इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करती हूं जो लोग हृदय परिवर्तन की भाषा मानते हैं, वे यह चाहेंगे कि सामाजिक सुव्यवस्था बनाने में आप सभी का सहयोग इसमें रहे। आजकल अखबारों में रोज जो छपता है, वह सब सच ही ऐसी बात नहीं है। बागपत के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री ने बार-बार आश्वासन किया है। हमारी विरोधी दल की महिला सदस्य ने जब यहां पर बलात्कारी लोगों के खिलाफ सजा देने के लिए और कानून में संशोधन करने की मांग की तो उस पर भी हम सभी लोगों ने विश्वास दिलाया था और बलात्कारी लोगों के लिए जो कानून है उसकी दफा 375, 376 और 377 में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस ढंग से यह मामला यहां पर उठाया जाता है वह उचित नहीं है। हरिजनों, दलितों, आदिवासियों के प्रति अत्याचारों को रोकने का प्रयास हमारी सरकार कर रही

है। द्रौपदी के चीर-हरण की एक पौराणिक कथा है जिसको ग्रंथकार ने रेखांकित करके एक अलग ढंग से समाज को दृष्टि दी है लेकिन ऐसी विडम्बना हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में हुई नहीं। यहां पर जिस ढंग से हमारे विरोधी सदस्य बलात्कार के मामले को उठाते हैं उस समय हम महिला सदस्यों को बहुत बड़ी हिम्मत करके यहां पर बैठना पड़ता है। जिस ढंग से आप लोग यहां पर उसका वर्णन करते हैं वह उचित नहीं होता है।

सभापति जी, मुझे समय कम मिला है लेकिन एक बात है लेकिन एक बात में यहां पर कहना चाहती हूं कि जहां तक आदिवासियों और दलितों का प्रश्न है, उनके अर्थार्जन के लिए आदिवासी एरियाज में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों के लिए आश्रमशालायें खोली जाये जहां पर उनको संरक्षण मिल सके। हमारे बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान किया है और जल्दी ही इन योजनाओं को उनके हित के लिए लागू किया जायेगा—ऐसी में उम्मीद करती हूं।

आदिवासियों एवं दलितों के साथ-साथ इस देश में कई और उपेक्षित घटक भी हैं जिनकी समस्यायें अभी तक बाकी हैं। हम सारे एम पीज यहां पर बैठे हैं, हरएक को मालूम होगा कि कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हमारे पास आते हैं कि सालों से उनके पेंशन के केसेज पड़े हुए हैं। जो अधिकारी लोगों की फाइलें हैं और जो इन्क्वायारी करते हैं, वह कई सालों तक पड़ी रहती हैं। यानी इसका मतलब यह है कि उनको जिन्दगी में पेंशन नहीं मिल सकती है। समाज में एक उपेक्षित वर्ग है, जिन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के लिए कुछ खोया है, उनके लिए भी शिक्षण और उनके बसाहत के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई योजना शासन को बनानी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण समस्या और भी है, जिससे हमेशा आन्दोलन छिड़ा रहता है जिससे हमारी युवा शक्ति असंतुष्ट रहती है—वह है बेरोजगारी। आज सुशिक्षित लोग भी बेरोजगार घूमते हैं, उनके लिए भी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। आज भी कई परिवारों में दस-दस हजार रु० तनख्वाह आती है, जिससे समाज में एक असमानता पैदा होती है, इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक समता लाई जा सके। यह भी एक गम्भीर समस्या है कि किसी फैमिली के चार लोग पढ़ लिख लेते हैं, उनको बुद्धि का दान मिलता है, अनुकूल वातावरण जन्म से, लेकिन दूसरी तरफ कई देहाती, दलित, आदिवासी, सुशिक्षित बेकार गली-गली में घूमते रहते हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होता है। जब तक आप इस दिशा में सोचेंगे नहीं, तब तक यह असंतुष्ट वर्ग आपके सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो आपके विभाग में दुःखी है, जिनका शोषण होता है, जो उपेक्षित है, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

अब मैं कुछ जेल के बारे में भी कहना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल भेजा गया था, तब हम भी उनके समर्थन में जेल गए थे। जेल के अन्दर जहां पर क्रिमिनल्स रखे जाते थे, वहां पर हमें उनके साथ रखा गया था। यह बहुत अन्याय की बात थी कि हम लोगों को अमरावती जेल में क्रिमिनल्स के साथ रखा गया था। उस वक्त हमें यह देखने का मौका मिला, जेल के अन्दर कैदी को आपस में बहुत मारपीट होती है, उन लोगों को खाना भी ठीक नहीं मिलता है, मैं चाहती हूं कि आप इसकी इन्क्वायरी करायें, यह चीज जनता

शासन में बहुत बढ़ गई थी और हर विभाग में भ्रष्टाचार पैदा हो गया था, उसको रोकना भी हमारा फर्ज है। जितने अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले गुनाहगार हैं, उतने ही भ्रष्टाचार करने वाले गुनाहगार हैं, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती है।

आज कुछ बातें रिमाण्ड होम के बारे में कहना चाहती हूं। अभी पिछले वर्ष हमने बालक वर्ष मनाया था, उसमें उस शासन ने किन बालकों के बारे में विचार किया, जो बहुत अच्छे खानदान में पढ़ते हैं, बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, उनके लिए चित्रकला स्पर्धा की गई, उनको बाहर भेजा गया, उनके लिए शिविर लगाए गए, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो दिन भर में एक रुपया मजदूरी करके कमाते हैं, जिनके हाथ की रेखायें बर्तन साफ करने से खराब हो गई हैं, जिन पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनके लिए आपने इस बालक वर्ष में क्या किया। रिमाण्ड होम के लिए मैं आपसे विनती करती हूं कि रिमाण्ड हमारे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। जो बहके हुए बच्चे होते हैं, जो छोटे-मोटे गुनाह करते हैं, उनको रिमाण्ड होम में रखकर सुधारने का प्रयास किया जाता है। उनके लिए सिर्फ 75 प्रतिशत ग्रान्ट भी सरकार की तरफ से मिलती है। वहां के बच्चों को ऐसा खाना दिया जाता है, मैं भी रिमाण्ड होम की सदस्या हूं, जो जानवर भी नहीं खा सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में "कोंडवाड़ा" कहते हैं। वहां ऐसे जानवरों को कहते हैं, तो लावारीस घूमते रहते हैं, वैसी ही डिमांड होने की हालत है। इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि सरकार को रिमाण्ड होम को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसके लिए पूरी ग्राण्ट देने के लिए राज्य शासन को आदेश देना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को उसके बारे मे सोचना चाहिए।

अब आखिर में मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहती हूं। पुलिस के बारे में लोग जो मानते हैं उसमें जो गलतफहमी है—कुछ सच्चाई है। लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये जो हमारे रक्षक हैं, ये हमारे भक्षक बन गये हैं। इस सम्बन्ध में हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी तरह से बतलाया है कि पुलिस की स्वयं पुलिस ही देख-रेख करेगी, तो इससे ठीक नहीं होगा, उनके भ्रष्टाचार को देखने के लिए कोई दूसरा ही होना चाहिये। आप डी० एस० पी० या अन्य पुलिस अफसरों के घरों में जाकर देखें—उनकी तनख्वाह क्या है और उनका रहन-सहन क्या है, कितनी कमाई वह करता है और किस तरह से रहता है? यह भ्रष्टाचार केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं है, पुलिस का मामला तो यहां पर बलात्कार और अत्याचार के जरिये आ रहा है, लेकिन बहुत से डिपार्टमेन्ट्स ऐसे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है। लोगों की जो समस्यायें होती हैं, जिनके लिये कम्प्लेंट्स भेजते हैं, जैसे आदिवासी और देहाती लोग हैं—उनकी शिकायतों को चार-चार और पांच-पांच साल तक जवाब नहीं दिया जाता है। यह जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, यह पिछले ढाई-तीन सालों में जनता राज में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

एक बात में होम गार्ड के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो नागरिकों की सुरक्षा और समाज रक्षा काम करता है। इसको ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसके लिये अधिक से अधिक फाईनन्शियल व्यवस्था रखनी चाहिये। इसमें युवकों को ज्यादा से ज्यादा लिया जाना चाहिये तथा उनको क्रियाशील बनाना चाहिये। यदि होम गार्ड का संगठन अफसरों के लिये गाड़ी, भत्ता और परेड के लिये रहेगा, परेड किया और घर चले गये, यदि इतना

ही काम होगा, तब तो फिर इस इसके कार्य पर फिर से सोचना जरूरी है। इसमें आज कल काफी ढिलाई आ गई है, शिथिलता आ गई है—इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इसके बारे में सोचें। इसमें महिलाओं को भी अधिक संख्या में लिया जाय—ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस में भी महिलाओं को अधिक संख्या में भरती किये जाने के लिए अनुरोध करती हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे शासन और प्रशासन पर सामाजिक नियन्त्रण का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों, रेल्वे और दूसरे सरकारी विभागों में कुछ समितियां बनाई जाती हैं उनमें समाज से कुछ प्रतिनिधि को रखा जाता है। इन समितियों में ऐसे लोगों को लिया जाता है जो केवल अपने लैटर-हैड्स पर लिखते हैं कि हम इस पद पर हैं, लेकिन वे कभी उसमें जाकर नहीं देखते। रेलवे की समिति में ऐसे लोगों को लिया जाता है जो कभी सैकण्ड क्लास में प्रवास ही नहीं करते जिन्होंने कभी सैकण्ड क्लास के डिब्बे को जाकर ही नहीं देखा। इसी तरह से अस्पतालों की समितियों में ऐसे लोगों को लिया जाता है जिन्होंने कभी भी सरकारी अस्पताल के जैनरल-वार्ड को जाकर नहीं देखा। ऐसी समितियों के बनाने का उद्देश्य यह होता है कि वे शासन की मदद करें, उनके बारे में सरकार को अपने सुझाव दें। मेरा अनुरोध है कि ऐसी समितियों पर सर्व-सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक भी इनमें लिये जा सकते हैं, क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी नही बना सकते ? आप ऐसे लोगों को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाते हैं जिनके दरवाजे पर तीन-तीन घण्टे खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर वे बाहर आते हैं। ऐसे लोगों को बदलना बहुत जरूरी है।

आखिरी सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि ऐसे विभिन्न सेल बनायें जो किसानों के लिये, आदिवासियों के लिये, शिक्षित बेरोजगारों के लिये, महिलाओं के साथ जो अत्याचार और बलात्कार की घटनायें होती हैं उनके बारे में प्रशासन की मदद करे। इसमें समाज-सेवी संस्थाओं या समाज-सेवकों को लिया जाय, जो शासन का ध्यान उनकी कठिनाइयों की तरफ दिलाये।

एक महत्व की बात यह भी है—हमारी एक सदस्या ने कहा था कि अंग्रेज तो इस देश से चले गये, लेकिन उनकी "शाही" रह गई। हम आज भी यह महसूस करते हैं कि नौकरशाही में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनमें भ्रष्टाजार उसी तरह से व्याप्त है। पटवारी से लेकर कलैक्टर तक जितने अधिकारी हैं, सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो यह बड़े दुख की बात है और जो जनता पार्टी के शासन में ज्यादा बढ़ा है।

इस का एक उदाहरण मैं देती हूं। जनता शासन के जमाने में कुछ ऐसे अधिकारी वहां दिए गये, जिन्होंने जनता पार्टी के राज्य को चलाने के लिए, उस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेसी लोगों और कांग्रेस के पीछे जो दलित बहुजन समाज था, उसको दबाया और आज भी वे उनको तंग कर रहे हैं। अब प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का शासन आया है लेकिन फिर भी वे अधिकारी वहां लोगों को तंग करते हैं। अभी चार दिन पहले का वाकया है। हमारे अमरावती में एक शिक्षण अधिकारी हैं, जो जनसंघी हैं। वहां पर कुछ कारणों से एक स्कूल बन्द कर दिया गया और उस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे, उनके साथ उस शिक्षण अधिकारी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। दूसरी जगह उसको एजस्ट नहीं किया। इस कारण उनकी बीबी न छः महीने पहले

सूसाइड कर लिया था क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी और वे भूखे मर रहे थे। इस अधिकारी ने देहात के कई स्कूलों के कुछ मामूली कारणों के लिए शिक्षकों की तनख्वाह रोक दी थी जिसके लिये उन शिक्षक को बहुत लड़ता पड़ा वह जो मुख्य अध्यापक था, उसने कल-परसों जहर खा कर आत्म हत्या कर ली और उसने यह बताया कि जो एजूकेशन अधिकारी है, उससे मिलने के लिए हम उसको अपनी बात बताने के लिए गये पर उसने हम से ठीक बात नहीं की और बाहर निकाल दिया। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के अधिकारी इनके जमाने से पले हुए हैं और उनको ढूंढना और खोजना चाहिए और ऐसे लोग जो सर्व सामान्य लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उनको सख्त सजा देने की जरूरत हैं। ऐसी मांग मैं आप से करती हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं एक ऐसा वातावरण देखती हूं और जो अखबार वाले यहां बैठे हैं उनसे मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं कि जो सच्चाई है, उसको वे सामने लाएं और सच्ची खबरें दें। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एक जमाने में इन दलों के इन लोगों ने हृदय परिवर्तन की बात बोलकर विद्रोह फैलाने की कोशिश की थी। आज भी ये लोग दलित और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय की बात सामने रखकर समाज में विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है और जो अधिकारी लोग हैं, वे इस में उनका साथ देते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि अधिकारी लोग धोका देते हैं, जिनका बलात्कार या भ्रष्टाचार या अन्याय के मामले से कुछ सम्बन्ध रहता है, तो हमें तो कुछ ऐसा लगता है कि वे आप के जमाने में तैयार हुए हैं। मेरा कहना यह है कि इस तरह के जो लोग हैं, उनको सजा मिले।

एक आखरी बात मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर मैं अनुशासन की बात यहां पर करूंगी, तो कहीं कई लोगों की नींद हराम न हो जाये। वह बात मैं नहीं करना चाहूंगी लेकिन फिर भी यह कहना चाहूंगी कि जो शान्ति का वातावरण इमर्जेन्सी के समय में था जो भावना देहात के लोगों में तथा सर्व सामान्य मजदूर लोगों में थी, जो वातावरण वे महसूस करते थे, उस वातावरण की उपेक्षा हम आप से जरूर करते हैं और चाहते हैं कि उसके लिए शासन आगे बढ़े।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों के बारे में कुछ मूल बातों को कहना चाहना चाह रहा हूं और इस आशय से कि हमारे गृह मन्त्री और इस सदन के सदस्य इस मूल दिशा में, परिवर्तन की दिशा में आगे प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी गृह मन्त्रालय का मुख्य कार्य है, जो आरक्षी प्रशासन है, उसके विशिष्ट अंग, उपांग हैं, वे अब तक, आज तक देश के कानून का मुख्यतः शासक वर्ग के हित में, गांवों के सूदखोर जमींदार या अन्य धनी वर्गों के हित में, शहरी के थोक व्यापारियों, मुनाफाखोरों और करोड़पतियों के हित में इस्तेमाल करते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ कानून आम जनता के हित में बनाये गये उनको लागू करने का प्रयास कुछ मामलों में नगण्य और कुछ में शून्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1973-74 में कड़ी मेहनत के बाद जो नया क्रिमिनल कोड बना था उसमें कुछ अधिकार प्रशासन को, कार्यपालिका को, आरक्षी दल को दिये गये थे कि वे आर्थिक अपराधों के लिए भी अभियोगी लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज

करें, चलायें। मैं जानना चाहूंगा कि आज तक सारे देश में, किसी भी केन्द्रशासित राज्य में या किसी भी यूनियन टेरीटरी में, या देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी आर्थिक अपराध को दण्ड के मामले में एक भी अब तक कार्यवाही हुई है ? मैं आशा करूंगा कि गृह मन्त्री अपने जवाब में कुछ ऐसा उदाहरण देने का प्रयास करेंगे कि एकाध भी ऐसा उदाहरण है जिसमें कि सी०आर० पी० सी० की धारा 110 के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ड्रग्स एण्ड कास्नेटिक्स एक्ट 1940 के मातहत जो कोई गड़बड़ी होती है उसके लिए भी धारा 110 के मुताबिक बेड लाइवलीहुड का मुकदमा दर्ज करने, चलाने का अधिकार इस धारा 110 में दिया गया है जो पहले नहीं था। फोरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्स के मातहत मुकदमा अलग चलेगा, मगर सी०आर०पी०सी० की धारा 110 के मातहत उस पेशे के लिए पेशेवर के ऊपर जो मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक भी मुकदमा सारे भारत में हमारा आरक्षी विभाग चला सका है ताकि समाज जाने कि अमीर आदमी, लाखों का आदमी, यह करोड़ों का आदमी बुरे पैसे पर जी रहा है ? उसका फैसला, समाधान तो बाद में होगा, मैं सिर्फ मुकदमे चलाने के बारे में जानना चाहता हूं।

जहां तक एम्प्लाईज प्रोवीडेंट फण्ड एक्ट का ताल्लुक है, इस में भी देश के हजारों मालिक, कारखाने के मालिक जो प्रोवीडेंट फण्ड का रुपया दबाये हुए हैं, उन पर भी बेड लाइवलीहुड का मुकदमा चलना चाहिए था। क्या सारे भारत में एक भी मुकदमा ऐसे मिल के मालिक के ऐसे कारखाने के मालिक के खिलाफ चला है ? मैं एक ही उदाहरण जाना चाहूंगा।

प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के मातहत, दूसरे मुकदमे की बात मैं नहीं रहा हूं, मैं सी० आर० पी० सी० की धारा 110 की बात कर रहा हूं, क्या इस धारा के मुताबिक क्या एक भी मिलावट करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही चली ? उन लोगां के खिलाफ जिनको आप अदालत में साबित नहीं कर सकते हैं, जो वहां से रिहाई पा जा सकते हैं लेकिन पेशा उनका है, इसलिए उन पर धारा 110 सी०आर०पी०सी० में आप मुकदमा चला सकते हैं, क्या एक भी मुकदमा आपने चलाया है ? दिल्ली सहित भारत के किसी भी हिस्से में कोई इस तरह मुकदमा आपने चलाया है, यह आप मुझे बताएं।

इसी तरह से एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट के मातहत, अनचैबिलिटी आफेंसिस एक्ट के तहत क्या आपने छूआछूत बरतने के आरोप में किसी पर मुकदमा चलाया है। आप तो जानते ही हैं कि आम तौर पर खुशहाल परिवारों के लोग, शहरों या देहातों में, देहातों में कुछ ज्यादा छूआछूत छूआछूत का जो पाप है भारतीय सभ्यता पर और जो एक बरतते है और जो सामन्ती जमाने से लगा चला आ रहा है, इस कानून का उपयोग करके आपने एक के खिलाफ भी धारा 110 के तहत मुकदमा चलाया है ? आज तक नहीं चला है यह मेरा कहना है।

किसी अन्य कानून में, जिसमें जमाखोरी या मुनाफा खोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के रोकने की व्यवस्था है, के अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध है। इनके तहत किसी भी जुर्म में धारा 110 सी० आर० पी० सी० के मुताबिक एक भी व्यक्ति पर आपने मुकदमा चलाया है ? मैं यह इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक पर भी नहीं चला है ? इसलिए नहीं चला है कि सरकार उनकी है, सत्ता उनके पास है। सत्ता की खातिर नामों में

परिवर्तन हो सकता है, कभी कांग्रेस रही, कभी कांग्रेस (आई) हो गई, कभी (यू) उसके साथ लग गया, कभी जनता नाम आ गया लेकिन मामला वही है कि देश के शासक गण, देश को लूटने वाले हैं, दूसरों की मेहनत पर पलने वाले, शासन कर रहे हैं, शोषितों को लूट रहे हैं। इन लोगों के हाथ में राजकाज है, सत्ता है, इसलिए यह कानूनी कारंवाई उनके खिलाफ नहीं होती है और न हो सकती है। आज चाहे हमारे देश में लोकतन्त्र हैं लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। यह तो आप मानेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सब चुनकर आये हैं, जन गण की राय से चुनकर आये हैं। ऐसी अवस्था में क्या यह जिम्मेदारी हमारी है या नहीं कि ऐसे कानूनों को भी लागू करें, जो शक्तियां हमें कानून ने दी हैं, उनका भी प्रयोग करें। उपदेश भी करें, प्रचार भी करें लेकिन कानूनी शक्तियां जो हमें प्राप्त हैं, उनका भी हम उपयोग करें। इन कानूनी शक्तियों का हमें चाहिए कि हम सख्ती से पालन करें, उपयोग करें। यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को जो शिथिलता है उसको छोड़ना होगा। इस साल का गृह मन्त्रालय का जो प्रतिवेदन है उसमें हरिजनों पर हो रहे हत्याचारों के बारे मे यह कहा गया है :

इन अत्याचारों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि जब तक हरिजनों की आर्थिक में सुधार हेतु तत्काल उपाय नहीं किये जाते तब तक इन समस्याओं का स्वामी हल नहीं पाया जा सकता।

यह सही है। लेकिन इसके लिये हम कर क्या रहे हैं ? भूमि के वितरण की बात को ही आप लें। जो भूमि चोर हैं उन में से कितनों को आपने जेल भेजा है, कितने भूमि चोरों पर आपने मुकदमे चलाये हैं ? भूमि चोरों से मेरा मतलब है जिन्होंने हदबन्दी कानून का उल्लंघन किया है और ऐसा करके जमीन को चुरा कर रखा हुआ है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में सार्वजनिक भूमि, गांव सभाओं की जमीन या गैर मुजरवा भूमि, या शमशान या चरागाह की भूमि, या पोखर या तालाब वगैरह की भूमि को दब करके अपने कब्जे में रखा हुआ है और जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं। एक दो या चार रुपए की कोई चोरी करता है उसको तो आप जेल भेज देते हैं, उस पर आप मुकदमा चला देते हैं लेकिन जिन्होंने हजारों लाखों की भूमि चोरी कर रखी हैं, उनके खिलाफ हम ने कौन सा कदम उठाया है ?

गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो वर्दी में है, राइफल वाले हैं, सी० आर० पी० में हैं या सीधे पुलिस में हैं, औद्योगिक सुरक्षा फोर्स में हैं या दूसरे हैं इनकी जो वित्तीय हालत है, इनका जो रहन-सहन का स्तर है, वह दयनीय है और इसके लिए पिछले साल इन लोगों ने आन्दोलन किया था। मुझे खुशी है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनकी मांगें जायज थीं और एक उदाहरण भी इन्होंने दिया है। मैं यहां सिर्फ उद्धत ही करना चाहता हूं।

वास्तविक शिकायतों और अपेक्षाओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन्हें काफी रियायतें दी गई हैं।

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें राशन सम्बन्धी धनराशि को बढ़ाने, मृत्यु, गम्भीर बीमरी या परिवार में शादी के अवसर पर मूल निवास स्थान तक की यात्रा करने के लिये रियायती वाउचर देने, मकान किराये भत्ते में वृद्धि, सिलाई भत्ते में वृद्धि धुलाई भत्ते में वृद्धि तय बेहतर पदोन्नति अवसर देने से सम्बन्धित हैं।

सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिये ऐसोसिएशन बनाने पर

सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है। सरकार द्वारा किये गये निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आंदोलन स्वयं ही समाप्त हो गया है।

अगर यह स्थिति है कि यह जायज मांग थी और इसीलिये उनको पिछले साल आन्दोलन करना पड़ा, आपके वह भाई थे, जो जनता पार्टी के नाम पर राज्य कर रहे थे, वह कांग्रेस का एक बच्चा था और उसने उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की। आज अगर उनकी मांगों की सुनवाई की जारही है तो जो नौकरी से बर्खास्त हुये थे, उन सब को नौकरी पर वापस लेते हैं या नहीं और जो थोड़े से लोग नौकरी पर वापिस लिये हैं उनके बीच वक्त का मुशाहिदा आप क्यों नहीं दे रहे हैं ?

हमारे बोकारों में जो सी०आई०एस०एफ० के 24 जवान मारे गये उनके परिवार वालों को भी आप मुआवजा देते हैं या नहीं। मेरा आग्रह है कि सी०आई०एस०एफ० के संगठन के लिये आपने दिया है, मगर पुलिस के लिये सी०आर०पी० के लिये, इन सब चुने हुए संगठनों को आप मंजूर करें, उनसे वार्ता करें। देश में शांति और सुरक्षा के लिये वे हमारे अंग हैं। उनको हम जनतांत्रिक तरीके से पुष्ट करके, संतुष्ट करके आगे बढ़ाएं, दमनात्मक नीति हम त्यगें।

हमारे देश में सैकुलरिज्म, सोशलिज्म और डैमोक्रेसी का लक्ष्य संविधान में निर्धारित किया गया है और हमने उसी रास्ते पर बढ़ने का निश्चय किया है। आप पुलिस पर्सनेल्ज के लिये नीचे से ऊपर तक अफसरों के लिये और बातों का प्रशिक्षण देते हैं, क्या इस बात का भी प्रशिक्षण देते हैं कि समाजवाद, सैकुलरिज्म और जनतन्त्र को पुष्ट करने के लिये उनका क्या कर्तव्य है ? मैं समझता हूं कि वह भी हमारे अंग हैं, सिर्फ हुक्म मानने वाले नहीं है, जिन्दा दिमाग के साथ हैं। उनको समाज को पुष्ट करने के लिये प्रशिक्षित करना आवश्यक है नहीं तो और खतरे पैदा हो जाते हैं।

मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। 1977 में खासकर बिहार में अफसरों के एक बड़े हिस्से ने बूथ पर कब्जा कराया उन्होंने जनता पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया था और इस बार इन्दिरा कांग्रेस के नाम पर कुछ अफसरों ने खुद बूथ पर कब्जा किया है। मतदाताओं को पीट-पीटकर भगाया है। मैं चाहूँगा कि सदन से सदस्य उसको सुनें। उस समय राष्ट्रपति का शासन था। बिहार के 81 क्षेत्रों में चुनाव के फल का एलान रोका गया और कुछ को मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि मधुबनी के रिटर्निंग आफिसर पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। उन पर व्यक्तिगत रूप से उस पर कब्जा करने का अभियोग है। बी० एस० एफ० के जवानों ने इनकार कर दिया कि हम इस जुल्म में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको हटा दिया गया। बिहार पुलिस के एक कमान्डेंट ने कहा कि हम फेयर पोल करायेंगे, तो उनको भी हटा दिया गया। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सीधा राज्य का मामला नहीं है, यह राष्ट्रपति शासन का मामला है।

एक माननीय सदस्य : आप तो आ गये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आऊं या नहीं यह इतना कीमती मामला नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो कहता हूं कि इस बार सिर्फ बूथ कब्जा नहीं हुआ, इस बार उम्मीदवार का भी कैप्चर हुआ। (व्यवधान) मैं सन् 1940 से सरकारी दमन का सामना कर रहा हूं, आपकी पूरी सरकार झूठ बोलेगी तो भी हमारे लोग जान जायेंगे।

मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि उन्होंने पूछा है। मतदान के रोज 3 बजे सुबह मैं गिरफ्तार हुआ और नतीजा आने के बाद मैं जेल से निकला हूं। तो वहां पर सिर्फ बूथ का ही नहीं, कैंडीडेट का भी कैप्चर हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जान-बूझकर कब्जा करते हैं, तो 1977 में जिन्होंने कब्जा किया, उसका नतीजा उन्होंने 1980 में चख लिया, अब आप 80 में हंस रहे हैं, कल वह खतरा फिर आ सकता है कि वही कब्जा करने वाले आपको हटा देंगे और देश में जनतंत्र खत्म हो जायेगा और आपको हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। सरकार से मेरा आग्रह है कि जो लोग इलैक्शन कमीशन के सामने मुजरिम साबित हो गये हैं, उन्हें नौकरी से मुअत्तिल किया जाये और उन्हें दंडित किया जाये, ताकि जनतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आपके दल के श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के दौरान विस्तार से चर्चा की गई है यह पुनरावृति होगी कृपया अगले मुद्दे को लीजिए। आपका समय पहले ही समाप्त हो गया है।

श्री भोगेन्द्र झा : जिन बातों का गृह मन्त्रालय से सम्बन्ध है, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं।

हमने बॉडिड लेबर की मुक्ति के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जान-बूझकर बनाया। चूंकि राज्य सरकारों में सामन्ती और अर्द्ध सामन्ती तत्वों का अधिक बोलबाला है, इसलिए वे इसको लागू नहीं करना चाहती हैं। इस कारण एक केन्द्रीय कानून बनाया गया। फिर भी उसका उल्लंघन हो रहा है। क्या गृह मन्त्रालय का प्रशासन या आरक्षी विभाग इस कानून को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा ? मेरा मतलब है उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही, उन्हें जेल भजना।

हम जानते हैं कि सारे देश में सूदखोरी कानून का उल्लंघन हो रहा है। सूद 12 परसेंट, और कहीं कहीं 15 परसेंट से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में 60 परसेंट, 75 परसेंट और 100 परसेंट से भी अधिक सूद लिया जाता है। सारे देश में इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऋण-मुक्ति कानून का उल्लंघन करने वाले महाजन को दो साल कैद की सजा मिल सकती है। लेकिन क्या गृह मन्त्रालय द्वारा सारे भारत में एक ही महाजन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? आखिर अमीरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्यों उसको लकवा मार जाता है ? क्यों उसके हाथों में ताकत नहीं रह जाती है ? क्या उसमें एक भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की ताकत नहीं है ? उस तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ईमानदारी से समझते होंगे कि वे समाजवाद चाहते हैं। उन्हीं को मैं यह कह रहा हूं कि वे प्रयास करें कि ऐसे मामलों में हमारे कानून लागू हों, ताकि देश के आम लोगों को यह विश्वास हो कि कानून की नजर में सब बराबर हैं।

हमारे देश का जो उत्पादक तबका है, वह सबका है, वह सबका अन्नदाता है। वहां से भाषण दिये जाते हैं कि गरीबों पर दया करो, मजदूरों पर रहम करो। मैं कहता हूं कि नहीं, वह आपका और हमारा अन्नदाता है, उत्पादक है, वह देश का निर्माता है। दया उस पर कीजिए, जो मुफतखोर है, कामचोर है, जो कोई काम नहीं करता है और दौलत का मालिक बना हुआ है।

जो देश का उत्पादक है, यह देश उसका है। अगर कानून में ताकत है, तो उसको सहारा दीजिए, नहीं तो वह बैठा नहीं रहेगा। कारखाने और खेत में काम करने वाले देश के उत्पादक हिम्मत के साथ बढ़ेंगे। वे जनता और कांग्रेस आदि पूंजीवादी नामों के फेर में नहीं पड़ेंगे। वे पूंजीवादी व्यवस्था और सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ेंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम बहुत से लोग इस सदन में नये आये हैं। हम पुराने लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि वे इस देश को और इस देश के लोगों को किस प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं।

माननीय सदस्य, श्री धनिक लाल मण्डल, ने कहा कि कांग्रेस शासन ने आते ही नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग कर दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जब जनता गवर्नमेंट बनी, उस वक्त वह गृह मन्त्रालय में स्टेट मिनिस्टर थे। उस वक्त उन्होंने नौ राज्यों की विधान सभाओं को भंग किया था। तब उनको यह बात याद नहीं आई। कितनी जल्दी वह इस बात को भूल गये।

उन्होंने यह भी कहा कि वीकर सैक्शन्ज, आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम पिछड़े हुए प्रदेशों के पिछड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल यह है कि ये झगड़े क्यों खड़े हुए हैं।

जब 1975 में बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ तो इस देश के अन्दर पहली बार गरीबों, आदिवासियों, हरिजनों और वीकर सेक्शन के लोगों में एक आशा पैदा हुई। मेरे जिले में एक करोड़ रुपये का कर्ज-निवारण हुआ था जिसमें जो आम पैदा करते हैं, वह आम जब बड़ा होता है, फल उसमें लगता है तो जिसकी जमीन है, जिसके नाम पट्टा है, कहीं पांच रुपये या दो रुपये, उसके बाप या आपके बाप ने कर्ज लिया होगा और पांच या दो रुपये में उस जमीन को गिरवी रखा होगा, उसके बदले में उनकी चौकीदारी वह करता है, खेत का पट्टा उसके नाम है, उसका जो कुछ भी देना है, उसे वह भुगतता है, लेकिन जब आम पक जाता है तो वह उस बिचौलिये सेठ के घर में जाता है, उस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर वह जमीन और वह आम उस किसान को दिए गए। जनता पार्टी आई, वह जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग थे, उन्होंने जनता पार्टी के नेताओं को चन्दा दिया था, वोट दिलाए थे, तो उनके राज में फिर से वह उनसे वापस लिए गए, वह आम वापस ले लिए गए, जमीन वापस ले ली गई, कर्ज-निवारण वापस हो गया। इंदिरा गांधीजी आज जब फिर आई हैं तो उनमें आत्म-विश्वास जागा है कि हम पुनः अपनी जमीन लेंगे, अपने आम लेंगे, अपने अधिकार लेंगे। इस बात को लेकर आज ये झगड़े खड़े हुए हैं। इसके लिए सबसे दोषी अगर कोई है तो जनता पार्टी है, जनता पार्टी आदिवासियों और हरिजनों की दुश्मन है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दोष देना चाहते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन आदिवासियों, हरिजनों और माइनारिटीज को अपने पसीने से सींचा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो खून से सींचने को तैयार हैं। यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की भावना है। वह उन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं और इस बारे के चुनाव में इन लोगों ने अपने थोक वोट इन्दिरा गांधी जी को दिए हैं। उनको यह विश्वास है कि अगर हमारा इस देश में कोई भला हो सकता है,

हमको कोई ऊपर उठा सकता है तो यह इन्दिरा गांधी और कांग्रेस ही उठा सकती है। झूठ बात कह करके इन लोगों ने 1977 में लोगों को बरगलाया। लेकिन आज हरिजन और आदिवासी उनके बरगलाने में नहीं आ सकते हैं। ये बातें जरूर कर सकते हैं, हाउस में जरूर बातें कर सकते हैं लेकिन उस एरिया में नहीं जा सकते हैं। आज उनके अन्दर यह विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा नेतृत्व सही हाथों में है और हमें जो मौका मिला है उसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। उन्हें हमारे ऊपर पूरा-पूरा विश्वास है।

दूसरी एक बात यह कहना चाहता हूं कि कोई बलात्कार की घटना हो या कोई दूसरी बात हो तो आदिवासी और हरिजन का नाम लेते हैं। इस देश के अन्दर 16 करोड़ आदिवासी और हरिजन हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं ? उनकी क्यों नहीं बात की जाती है ? हमें अफसोस है कि जानबूझ कर इस प्रकार उन आदिवासी लोगों में, उन गरीबों में यह विचार पैदा करते हैं कि तुम हमेशा हीन रहोगे। ये अभी भी हीन नहीं हैं। मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं, 87 प्रतिशत लोग वहां आदिवासी हैं और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह इतनी लड़ाकू कौम है, कि प्रति दिन एक मर्डर वहां होता है। वे तीर चलाने में इतने होशियार हैं कि बन्दूक की गोली चूक जाती है मगर उनका तीर नहीं चूकता है। उनमें इतना जोश पैदा हो गया है, उनका हौसला इतना बुलन्द हो गया है, मैं बताना चाहता हूं वहां जो मर्डर होते हैं झाबुआ जिले में, हिन्दुस्तान में नहीं, एशिया में उनका पहला नम्बर है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और अधिकारों के लिए मरते हैं, अपने शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तीन साल के भीतर उनके अन्दर यह भावना पैदा हो गई है। इसलिए वे संघर्ष करते हैं और यह संघर्ष होगा अगर शोषण करने वाले और बेईमान लोग यह कहते रहे कि ये आदिवासी, हरिजन और गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, ये दूकान नहीं कर सकते, ये सर्विस नहीं कर सकते, तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आज उनके अन्दर जागृति पैदा हो गई है।

ऐसे पिछड़े हुए लोगों और पिछड़े हुए जिलों में जो हमारे गृह मन्त्रालय ने विशेष योजनाएं लागू की हैं उसमें बहुत सारा धन रखा है लेकिन मैं मांग करता हूं कि वह बहुत कम है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए और उनका विकास किया जाना चाहिए, उन लोगों को इस देश की प्रगति में आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सदियों से पिछड़े हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। उन्होंने रेल नहीं देखी, बस नहीं देखी, हवाई जहाज नहीं देखे।

जैसे यहां पर बात की गई कि हम टेलीविजन खोलेंगे तो ऐसे जितने कार्य होते हैं उन को हम शहरों के बजाय जहां पिछड़े लोग रहते हैं जिन्होंने ये चीज नहीं देखी है उन के बीच में खोलें। अगर ऐसी जगह पर रेल की पटरियां आप बना दें तो वे लोग खुशी से नाचेंगे, कूदेंगे। अगर एक तालाब बना दें तो सारे गांव के लोग उस की पूजा करेंगे कि इस से हमारी धरती की सिंचाई होगी। तो ऐसे काम हम को जरूर लेने चाहिए, तब उन लोगों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, आदिवासियों का विकास होगा और तब हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जो आदिवासियों की उपयोजना बनी है, उस में पांच साला योजना बनाते हैं। पांच साल के अंदर कोई रिजल्ट आता नहीं है। हम को कम से कम

25 साल की योजना बनानी चाहिए। जब तक 25 साल की योजना पूरी नहीं होती तब तक उस को चलाना चाहिए। उन का एक रजिस्टर होना चाहिए कि हम ने कितने लोगों को पढ़ा लिखा कर नौकरी में लगाया है। कहां कितना इरीगेशन का रकबा बढ़ा है - जब इस प्रकार की योजना होगी तभी आदिवासी और गरीब लोग ऊपर उठ सकेंगे। आज तो जो रिजल्टस आने चाहिए वह नहीं आ रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आदिवासी लोग जो है वे खेती पर निर्भर करते हैं। वे पहाड़ीलाफों में रहते हैं। और वहां पर जो भी फसल हो सकती है उसको करते हैं लेकिन उनको उस उपज का सही दाम नहीं मिलता है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि उनकी मेहनत के अनुरुप उनकी उपज का दाम उनको मिल सके - इस बात की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आज जो फारेस्ट प्रोड्यूस होती है, जैसे काजू होता है उसको विचौलिए लोग उससे नमक के बराबर ले लेते हैं। इसलिए सरकार को उनके लिए मार्केटिंग की, मण्डी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जबतक आप इस प्रकार की व्यवस्था करनी पढ़ेगी। जवतक आप इस प्रकार की व्यवस्था आदिवासी इलाकों में नहीं करेंगे, तबतक आपकी सारी स्कीमें और योजनाये सक्सेसफुल नहीं हो पायेंगी। आज जो पैसा आदिवासियों को मिलना चाहिए वह दूसरों कीजेब में चला जाता है। इसलिए मार्केटिंग की, मण्डी की व्यवस्था करके उसकी मेहनत का वाजिव दाम उनको दिलाना होगा। फारेस्ट प्रोड्यूस का सही दाम दिलाने के लिए मण्डियों का विकास करना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि सर्विस वाली जो बात है, अंभीतक हमने जो, रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से जो सर्विस में हमारा कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है पता नहीं क्या कारण है कि 33 साल के बाद भी आजतक आप हरिजन आदिवासियों को बाबू तक नहीं बना पाए है। यह एक विचारणीय प्रश्न है क्या एक हरिजन आदिवासी बाबू का काम भी नहीं कर सकता है ?

प्रो एन०जी रंगा (गुंटूर): पहले उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हो सकता है उसकी उतनी नालेज न हो पाई हो कि ऊंची डिग्रियां लेकर आई ए एस, आई पी एस और सेन्ट्रल सर्विसेज में आ सके—इस बात को हम कुछ हदतक मान भी सकते हैं लेकिन क्या वह हायर सेकेन्ड्री पास बाबू और टीचर भी नहीं बन सकता है? दुर्भाग्य से वहां पर भी उसका कोटा पूरा नहीं हो रहा है। जो भाड़ू लगाने वाले स्वीपर्स हैं उनमें भी उसका कोटा पूरा नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्री जी को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। आज जितने रजिस्टर रखे जाते हैं और जो इन्क्वायरीज होती हैं उनमें यह बात कह दी जाती है कि हरिजन आदिवासी कांपिटेन्ट नहीं मिले इसलिए दूसरे लोगों को ले लिया जाए इसको रोकने के लिए सख्ती के साथ कानून बनाकर उसको लागू करना होगा कि इतने परसेंट। हरिजन आदिवासियों की भर्ती अनिवार्य होगी।

अभी मैंने यहां पर बाबू की बात की। अब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखना होगा। इस देश में गवर्नर होते हैं और इस देश से बाहर राजदूत बनाकर भेजे जाते है। जहांतक मेरी जानकारी है, एक भी आदिवासी कहीं ऐसी पोस्ट पर नहीं है। अग्रेज लोग इस देश में कहा करते थे कि भारत के लोग राज नहीं कर सकते हैं इस देश में इन्दिरा जी ने इमर्जेन्सी लगाई और जिस

तरह से इस देश को कन्ट्रोल किया उसकी दूसरे लोगों ने भी तारीफ की। हरिजन आदिवासियों को भी अगर मौका दिया जाए तो वे भी राज करके दिखा देंगे। आपने महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ी होगी, भील और आदिवासी लोगों ने खुद को कटा दिया था लेकिन देश पर कोई आंच नहीं आने दी थी। इसलिए अगर उनको मौका दिया जाए तो वे भी काम करके दिखा देंगे।

मैं एक बात पुलिस भाईयों के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग पुलिस के बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि पुलिस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन पुलिस भी हमारा एक समाज है। अगर किसी परिवार में एक भाई नेता बन गया, एक भाई पुलिस कमीशनर बन गया और एक भाई थानेदार बन गया, तो यह भी हमारे समाज में हो सकता है। हम सब को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश की प्रगति कैसे हो, देश का उत्थान कैसे हो।

आज एक कान्स्टेबल है, जो अंग्रेजों के जमाने की 10-10 किलो की बन्दूकें लेकर मीलों पैदल चलता है। हमारे देश ने साईस औरक्लोलाजी में इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन हम अभी तक उस बन्दूक को हल्का नहीं कर सके हैं। वे लोग भी हमारे आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के बारे भी सोचना चाहिए जो गरीब हैं, पुलिस में हमारे कान्स्टेबल जो मीलों पैदल चलते हैं, उनके लिए कोई मोटर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, पहाड़ों पर चलते हैं, उनके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए ड्रेस कीव्यवथा करनी चाहिए, उनकी सारीसुख-सुविधायेंहैं, हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो पुलिस कमीशनर की रिपोर्ट आई है, उसमें जो अच्छी बातें हैं, उन बातों को जितनी जल्द हो सके उतनी लागू करना चाहिए, यह में मननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमने उन की मांगों को मान लिया, तो वे ईमानदारी के साथ काम करेंगे और इस देश का सही तरीके से संचालन होगा।

अब मैं कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं हम चाहे जितने बड़े अधिकार लोगों को दें, लेकिन हमें उतनी ही बड़ी सजा देनी चाहिए। हम एक साधारण आदमी के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन इस कानून की परिभाषा से बड़ा आदमी आसानी से निकल जाता हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको किस रास्ते से निकलना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा आदमी हो उसको उतनी बड़ीसजा देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी के राज में जितनी पुलिस के अन्दर भर्ती हुई है, उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया फिक्स किया था, वह यह किया था, कि जो आर० एस० एस० के स्कूल में जाता है, उसको हम पुलिस में भर्ती करेंगे, अन्दरूनी तरीके से। इसलिए जो लोग घुसे हुए हैं, वे जान-बूझकर जगह-जगह दंगे और फसाद करा रहे हैं। मैं माननीय होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको निकालने के लिए यदि हमें कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े तो वह भी हमें उठाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनको सर्विस से भी निकाल देना चाहिए। मैं खास तौर से मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहती हूं। वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन-इन लोगों को थानेदार में लेना है, और इन-इन लोगों को कान्स्टेबल में लेना है। एक बाबू था, जो आर० एम० एस० का ट्रेनिंग स्कूल चलाता था, उसका एक कलैक्टर नाइन्क्रीमेंट सुकवा दिया। वह भोपाल गया और दूसरे दिन ही उस कलेक्टर का बोरिया।बिस्तरा गोल हो गया और उसको

टेलीफोन से कह दिया गया कि तुम्हें आज ही इस जगह पर जाकर ज्वाइन करना है। इस प्रकार शासन चलता था। ये लोग फिर इस देश में फसाद पैदा करके, इस देश को तबाह करके वही राज कायम करना चाहते हैं।

मैं एक बात भगत साहब को फिर दोहराना चाहता हूं। इस देश जी जतता ने कांग्रेस (आई) पार्टी को दो-तिहाई मैजोरिटी दी है, हमें इस देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। 'हमें पूरा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह देश तरक्की करेगा और वे एक सुव्यवस्थित शासन इस देश को देंगी।] मैं माननीय होम मिनिस्टर से कहना चाहती हूं कि देश कालाबाजारी करने वाले, गुण्डागर्दी करने वाले, बेइमानी करने वाले जो लोग हैं, यदि उनको किसी भी कानून से बन्द करना पड़े, तो उसको करना चाहिए। इस काम को करने के लिए हिन्दुस्तान आपका स्वागत करेगा और हिन्दुस्तान की जनता आपको बधाई देगी।

इस देश में न शुगर की कमी है, न तेल की कमी है, न घासलेट की कमी है, जितना चाहो दरवाजे के नीचे से ले लो। लेकिन देने के लिए उनका दिल नहीं है। बेईमानों के खिलाफ अगर होम मिनिस्टर कानून बनायेंगे तो यह सदन उनका पूरा समर्थन करेगा और देश की जनता उनको बधाई देगी।

मैं अधिक वक्त न लेते हुए आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया। माननीय मंत्री जी ने जो मांगें यहां पर प्रस्तुत की हैं, वे अवश्य स्वीकार की जानी चाहियें और यह देश श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इन शुभकामनाओं, आशा और विश्वास के साथ, धन्यवाद।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : मैं बजट और गृह मंत्रालय की सभी मांगों का समर्थन करता हूं।

मैंने श्री निरेन घोष द्वारा दिए गए आवेशपूर्ण भाषण को सुना। यह स्पष्ट है कि इस समय जो स्थिति है उससे विरोधी दलों को आवेश में आना उचित है। चुनावों से पूर्व वे कुछ और अपेक्षा कर रहे थे। उनका अनुमान था कि कांग्रेस (आई) का सफाया हो जाएगा और वे किसी न किसी प्रकार के गठजोड़ मे सत्ता में आ जाएंगे। जनता इसके विरुद्ध थी। जनता ने इसके विपरीत मत दिए। अत: उनका पूर्णतया निराश होना उचित ही है। मैं उनके आवेश को समझ सकता हूं। उनके द्वारा की गई आलोचना को समझ सकता हूं, यद्यपि यह आलोचना निराधार है।

श्री निरेन घोष एक प्रकार की सामूहिक क्रांति का आह्वान कर रहे थे जो देश में जल्दी ही होने वाली है। संभवत: वह यह आशा कर रहे थे कि उनका दल पश्चिम बंगाल से केरल तक और त्रिपुरा में सत्ता में आ जाएगा और इससे वह स्वयं सुदृढ़ हो जायेगा। और एक दिन वे केन्द्र में भी सत्ता में आ जाएंगे। परन्तु वे स्वप्नों की दुनियां में रह रहे हैं। इस प्रकार की बात इस देश में होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों की पृष्ठ भूमि, लोगों की परम्पराओं और संस्कृति को जानते हैं। हमारे लोग इतने व्यग्र नहीं है। इस प्रकार की क्रांति नहीं आने वाली है।

कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम सबके लिए चिन्ताजनक होनी चाहिए। मैं एक-एक करके लूंगा। असम की स्थिति ऐसी है जिस पर अत्यधिक चिन्ता की जा सकती है। असम की यह स्थिति काफी समय से चली आ रही हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। असम के लोग, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि उनको

अलग कर दिया गया है। अचित विकास वहां नहीं हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की गई है। उनकी यह मांग उचित है। मुझे उन क्षेत्रों में जाने और लोगों से मिलने तथा जिन पर दायक परिस्थितियों में वे रह रहे हैं उसे देखने का अवसर मिला है। यह निश्चय ही क्रोधि और घृणा पैदा करने वाला है। उनमें से अधिकांश छोटी-मोटी खेती पर निर्भर हैं। उनका भोजन थोड़ा सा चावल था कोई दूसरा अन्त है। वे अपने हथकरघों से बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। वहां शायद ही कोई उद्योग है। वहां कोई सड़क नहीं है। कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ है। वे अनुभव करते हैं कि वे मुख्यधारा के अंग नहीं हैं। वे स्वयं को अलग-अलग अनुभव करते हैं। इसके साथ ही विदेशी एजेंट भी उस क्षेत्र में सक्रिय है। इनका समर्थन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां, कुछ ऐसे तत्व कुछ ऐसी शक्तियां कर रही हैं जो इन लोगों के हृदय में मातृभूमि के प्रति स्नेह, भावात्मक एकता को काम कर रहे है। मैं इन तत्वों की गतिविधियों को थोड़ा-थोड़ा करके बता रहा हूं। वे लोग गिरजाघरों में धर्मपरिवर्तन करने के कार्य में सक्रिय हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने और दूसरा धर्म ग्रहण करने की बात तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु किसी के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला कदम तो उसके अपने धर्म से विमुख करना है। उनमें से अधिकांश लोग गैर-यहूदी हैं परन्तु हृदय से हिन्दू ही है। धर्म परिवर्तन के लिए पहला कदम तो यही है कि पारम्परिक धर्म से उन्हें विमुख किया जाए। हिन्दूवाद की पहचान भारत से है। अतः इस प्रकार से विमुख करने का अर्थ है देश के प्रति विश्वास से विमुख करना, देश प्रेम से विमुख करना। अन्त में ऐसा ही होता है। मुझे विश्वास है कि बहुत सी विदेशी मिशनरिां इस प्रकार के कार्य में लगी हुई हैं। मैं जब वहां गया तो मैंने पाया कि वहां के लोग स्वयं को भारत की अपेक्षा अमरीका के अधिक निकट अनुभव कर रहे थे। वे स्वयं का भारतीय महसूस नहीं करते। उन्हें भारत की चिन्ता नहीं है। पृथकता की यह भावना उनमें धीरे-धीरे जागृत करने से लोग मातृभूमि से अधिकाधिक दूर होने जा रहे हैं। अत: इन एजेंसियों पर निश्चय ही रोक लगानी होगी। अन्यथा एक दिन हम पाएंगे कि हमने इस सम्पूर्ण क्षेत्र को सांस्कृतिक और भावात्मक दृष्टि से खो दिया है तथा इस पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा। इस सारी स्थिति को देखते हुए हमें निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। अपील में हमने इस प्रकार की कठिनाई का सामना किया था। एक बार तेलंगाना आन्दोलन चला था। तो दूसरी बार महाराष्ट्र आन्दोलन। महाराष्ट्र और गुनदानी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और एक दूसरे के मकान जला रहे थे। परन्तु समय आने पर ये घाव समझने बुझाने से भर दिए गए। समय आने पर तेलगाना स्थिति पर नियन्त्रण पा लिया गया और घाव भर गये। अत: केन्द्रीय सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण ही केवल एक ऐसा रास्ता है जिससे असम के लोगों तथा शेष भारत के लोगों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। समय और समस्या को धीरे-धीरे काबू करने से स्थिति का समाधान हो जाएगा।

असम ही केवल मुसीबत का क्षेत्र नहीं है। वहां अन्य भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां के लोग अब यह अनुभव करते हैं कि वे मुख्य धारा के अंग नहीं है। मैं विशेषरूप ले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल का उल्लेख कर रहा हूं। इन राज्यों में विचित्र प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये राज्य एक उप-महासंघ के रूप में गए हैं। हाल ही में केरल सरकार के मुख्य सचित्र ने अधिकारियों को एक परि पत्र जारी किया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि करल में जो घटनाएं हो रही हैं उससे पश्चिम बंगाल को भी अवगत कराया जाए और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जो कुछ

हो रहा है उसकी सूचना केरल को दी जाए। इन तीनों सरकारों द्वारा एक प्रकार की समझौता गठबन्धन या महा संघ बनाया जा रहा है। यह कड़ी खतरनाक बात है। केन्द्रीय सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि प्रशासन किस ढंग से चलाया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हाल के चुनावों के तत्काल पश्चात् जब श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आईं, पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन कदम उठाए। पहला, 26 करोड़ रुपए की अधिक निकासी को रिजर्व बैंक को वापस करना था। दूसरा, श्री ज्योति बसु में खण्ड अधिकारियों से कहा कि दो वर्ष पहले बाढ़ से राहत के लिए जितनी धनराशि उन्हें मिली ली उसका वे लेखा बनाएं। केन्द्र से मिले करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब नहीं भेजा गया। इस भय से कि केन्द्र की नई सरकार पश्चिम बंगाल के विरुद्ध कहीं कोई कार्रवाई न करे, श्री ज्योति बसु ने केन्द्र को भेजने के लिए खण्ड अधिकारियों से हिसाब तैयार करने के लिए और कहा तीसरा, पुलिस को उन सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए कहा गया जो अब तक लोगों के लिए मुसीबत बने हुए थे। ये अपराधी देश में क्या कर रहे थे ? इन लोगों को उनके दल के संसदीय चुनावों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ही विरोधी पत्र के बहुत से उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इन अपराधियों को भयवश पकड़ा गया, ताकि केन्द्र कहीं इसमें हस्तक्षेप न करे, क्योंकि कानून और व्यवस्था की हालत बहतर हो गई। केरल में भी ऐसा ही हुआ।

वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के तुरन्त बाद जेलों को खोल दिया गया और नवीनतम जानकारी यह है कि लगभग 400 अपराधियों को रिहा कर दिया जो 8 साल जेलों में रहे और उन्हें अपनी अपराधिक गतिविधियां करने की पूरी छूट दे दी। अब वे अपराधी जनता में लूटपात और हत्याएं कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान केरल में कम से कम 200 हत्याएं हो चुकी हैं और कम से कम 300 मन्दिरों को लूटा गया है। पुलिस पर अंकुश और वह कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्या अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य मन्त्री यह कहते रहते हैं कि इन अपराधों से पुराने अपराधियों का कोई वास्ता नहीं है और उन अपराधियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वास्तव में, उन्होंने पुलिस को दो संघों में संगठित करना शुरू कर दिया है सिपाहियों की एसोसियन और अधिकारियों की एसोसिएशन। ये एसोसिएशन एक दूसरे के खिलाफ कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, अधिकारी आदेश देने में भी अनिच्छुक है। वहां के गृह मन्त्री टी० के० रामकृष्णन पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में निकाले गए उस जुलूस में शामिल होते हैं जिसमें पुलिस कर्मी "इनक्लाब जिंदाबाद" "टी० के० रामकृष्णन जिंदाबाद" के नारे लगाते हैं। निरीक्षक आदेश देने में डरते हैं, क्योंकि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। उस दिन मैंने संसद में एक प्रश्न पूछा था कि वहां कितनों मन्दिरों को लूटा गया है। उत्तर यह मिला कि केवल नौ मन्दिरों को लूटा गया है। परन्तु समाचार पत्रों के संवाददाता कहते हैं कि जो मन्दिर लूटे गए हैं उनकी संख्या 300 से कम नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय लगातार यही कहते जा रहे कि पुलिस मन्दिरों के बारे में क्यों चिन्ता करे भगवान सर्व शक्तिमान हैं। उन्हें स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ लेना चाहिए। मन्दिरों की सम्पति और स्थायी निधि के कार्यभारी श्री एन० के० कृष्णन कहते हैं कि वह भगवान में विश्वास नहीं करते—वह मार्क्सवादी है—और उन्हें इस संस्था का संरक्षक नहीं नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की उत्तेजना और प्रलोभन भरी जगहों से अब पहले की तुलना में अत्याधिक व्यापक पैमाने पर अपराध हो रहे हैं।

केरल और पश्चिम बंगाल में यह स्थिति है। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री यह बात कहते रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों के साथ गुप्त बातचीत की थी—और बाद में हमने देखा कि नर संहार हो चुका था और भारी तादाद में लोगों की हत्याएं की गई थी। मुझे कल संसद में अनुभव हुआ था। उत्तरी बंगाल के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से किसी भी तरह का उत्तर प्राप्त कर पाने में असमर्थता जाहिर की। उन्होंने बताया कि मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को अनेक तार भेजे लेकिन उन्होंने उत्तर देने की चिन्ता नहीं की। उसी तरह मैं भी वैसी ही कठिनाई में हूं। अपने प्रश्न का यह उत्तर प्राप्त करने के बाद कि केवल नौ मन्दिर लूटे गए थे, मैंने मामले पर आगे कार्यवाही करनी चाही, क्योंकि समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि जिन मन्दिरों को लूटा गया था उनकी संख्या २00 से कम नहीं है। परन्तु राज्य सरकार कोई उत्तर नहीं भेजती। वह कहती है केन्द्र को हमारे पास कोई प्रश्न क्यों भेजना चाहिए और हम उनका उत्तर क्यों दे ? वस्तुतः ये हमेशा परेशान रहती हैं।

केरल में अन्य घटनायें घटी हैं। मैं वहां पर हुई हत्याओं की संख्याओं के बारे में उल्लेख कर रहा था। दिन दहाड़े सरकारी अधिकारियों की छुरा मारकर हत्या की गई है। दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। यदि कांग्रेस (आई) का कार्यकर्ता मारा जाता है तो वे कहते हैं कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आदमी था। वे किसी भी आदमी को मार देते हैं और उसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आदमी करार देते हैं और इस सम्बन्ध में न तो आगे कोई कार्यवाही की जाती है और न कोई गिरफ्तारी की जा ी है। दिल्ली में हो रहे अपराधों की चर्चा करते हैं। सम्पूर्ण केरल में वातावरण अत्याधिक तनाव पूर्ण है। यहां संसद में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति केरल या पश्चिम बंगाल का उल्लेख दिए जाने में डरता है, क्योंकि वे भारत से अलग होने का दावा करते हैं। ये राज्य राहत के धन तथा सभी प्रकार की सहायता की मांग तो करते हैं परन्तु यह नहीं चाहते कि उनसे यह पूछा जाए कि यह धन किस प्रकार व्यय होगा। यह वहां की स्थिति है। केरल की जनता महसूस करती है कि उसके धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। अनेक संगठनों ने आन्दोलनों का आह्वान किया है। अपराधियों से संरक्षण के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

मैं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा था। मुझे इस बात की अनेक शिकायतें मिलती रही हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को उनको देय राशि नहीं मिल रही है। मैंने संसद में इस प्रश्न को उठाया। मैंने सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को भी पत्र लिखे। वे कहते हैं कि अमुक खण्ड अथवा उपबंधों के अन्तर्गत वे इसके हकदार नहीं हैं। केरल में ऐसी स्थिति है जहां उनसे कहा जा रहा है कि वह एक ऐसे व्यक्ति से, जो उनके साथ लगातार छः महीने जेल में रहा हो प्रमाण पत्र दें कि वह उनके साथ जेल में थे। 30 वर्ष की अवधि के बाद इस समय किसी से ऐसा प्रमाण पत्र मांगना बिल्कुल निरर्थक है। एक दूसरी व्यावहारिक कठिनाई यह है कि ट्रावनक ोर में उन दिनों दीवान श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर का शासन चलता था। वह बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसके आदमी किसी को गिरफ्तार नहीं करते थे अपितु उस व्यक्ति को थोड़ी दूर अपने साथ ले जाते, उसकी पिटाई करते और उसके बाद भेज वापस देते।

उपाध्यक्ष महोदय : वह दीवान कौन था ?

श्री बी० के० नायर : वह थे श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर । वह किसी आदमी को जेल नहीं भेजते, अपितु पुलिस के आदमी उस व्यक्ति को 15-20 मील दूर ले जाते, उसकी पिटाई करते और उसके बाद उसे रिहा कर देते । बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा और इस सम्बन्ध में कोई समुचित रिकार्ड किसी भी रूप में नहीं रखा गया । इसलिए, उस तरह का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पाना असंभव है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र क्विलोन में श्री कुत्तन नायर मेरे पूर्वाधिकारी थे । वह पैंशन से सम्बन्धित समिति में थे । मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, परन्तु मुझे इस बात की तमाम शिकायतें मिलती रही है कि केवल राजनीतिक मतभेद के कारण वह गैर-आर० एस० पी० अथवा कांग्रेस के लोगों की ओर से आने वाले आवेदन पत्रों को मंजूर करते, जिसका परिणाम यह हुआ कि इतनी संख्या में लोगों को अपनी पेंशनें नहीं मिली है । मैं कह रहा हूं कि इस नियम का, इस तथ्य के बावजूद, कड़ाई से पालन किया जाता है, कि वे व्यक्ति उस समय किए गए अपने त्याग के लिए पेंशन पाने के हकदार हैं और उन्हें इस थोड़े से लाभ से भी वंचित किया जा रहा है । और इसलिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उस मामले की जांच करें और जो व्यक्ति ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते उन्हें कुछ छूट दी जाए ।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों के बारे में है । यह सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है । परन्तु फिर भी इसे आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है । क्योंकि वे सर्वत्र मौजूद हैं और हर विभाग में उनको नियुक्त किया गया है, चाहे वह औद्योगिक प्रतिष्ठान हो अथवा अन्य कोई दूसरी जगह । वे सभी पर नियंत्रण कर रहे हैं और यह स्थिति निचले दर्जे के कर्मचारियों के हितों के विपरीत है । तकनीकी कर्मचारियों की शिकायत है कि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के कारण उन्हें अवसर नहीं मिलते । ज्योंही कोई भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी अपने स्थान से हटता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा या आई० ए० एस० का अधिकारी आ जाता है । यह स्थिति भारतीय प्रशासन सेवा के लोगों के एकाधिकार के कारण पैदा हो रही है । दूसरे व्यक्तियों में क्षमता एवं योग्यताओं के होने के बावजूद इन भारतीय प्रशासन सेवा के लोगों को सभी पदों पर रखा जाता है । अनेक भागों में प्रशासन ही एक महत्वपूर्ण बात नहीं है । तकनीकी व्यवस्था की आवश्यकता होती है परन्तु इन तकनीकी लोगों की प्रतिभा का उपयोग नहीं किया जा रहा है । इन सभी को भारतीय प्रशासन सेवा के उन लोगों के नियंत्रण में कार्य करने दिया जाता है जो भले ही उन स्थानों पर नियुक्त होने के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार न हों । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए । मैंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक संगठनों के वरिष्ठ लोगों में अत्यधिक असंतोष पाया है ।

महोदय जहां तक केन्द्र राज्य सम्बन्धों का प्रश्न है, यह एक दूसरा विषय है जिसे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है । जो कोई व्यक्ति केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में किसी सीमा तक केन्द्र को कमजोर बनाने के मकसद से बातचीत कर रहा है, वह देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है । इस तथ्य के बावजूद कि हम 30 वर्ष से भी अधिक समय से स्वतंत्र हैं, क्या अब तक हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना का विकास हुआ है ? सभी तरह की अलगाववादी प्रवृत्तियां और विघटनकारी ताकतें हमारे देश में हैं । किसी भी बात से विस्फोट हो सकता है । लेकिन देश में केन्द्रीयकरण एवं एकता की ताकतें विकसित नहीं हुई हैं । किसी भी

रूप में कोई भी प्रचार या मांग जो केन्द्र को कमजोर बनाने के लिए की जाएगी उससे देश को नुकसान होगा। किस आधार पर वे केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार किए जाने की मांग करते हैं ? हो सकता है कि वे विरास के लिए ज्यादा अधिकार चाहते हों। परन्तु मैं उनसे एक प्रश्न पूछूंगा। पंजाब और हरियाणा देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्य हैं और वे इसी संविधान के अन्तर्गत अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करते रहे हैं। इन राज्यों को केरल अथवा पश्चिम बंगाल की तुलना में कोई अधिक केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। तो भी उन्होंने तरक्की की है और समृद्ध हुए हैं। इसलिए यह सब राज्य के प्रति राज्य सरकार की निजी निष्ठा और जनता के हितों एवं कल्याण की चिन्ता करने पर निर्भर करता है। अब केन्द्र राज्यों के सम्बन्ध का प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें अपना दोष केन्द्र सरकार पर मढ़ना चाहती है। हमेशा ये राज्य सरकारें प्रशासन की दृष्टि से कमजोर तथा असमर्थ हैं और वे दूसरा दोष केन्द्र पर मढ़ना चाहती हैं। वहां की सरकार कहती थी कि सब प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली जा रहा है और इसका कुछ परिणाम निकलेगा। हर कोई यह जानता है कि कडबरीज का कोको पर एकाधिकार है। इन तमाम वर्षों में राज्य सरकार ने क्या किया है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : जबकि सदन में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही है, यहां कोई गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रश्न को नोट कर लिया है। कभी कभी सदस्य सदन में उपस्थिति होने में असमर्थ होते हैं। कुछ दूसरे अवसरों पर आप स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते। आपको अपने प्रश्न पर जोर देने का पूरा अधिकार है, परन्तु मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यह आवश्यक नहीं है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

श्री पी० वेंकट सुब्बया : वह इस सदन के एक पुराने सदस्य हैं। मैं उनके अधिकार में दखल नहीं कर रहा परन्तु मैं केवल यही कह रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय उनसे इस मुद्दे पर जोर न देने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि वह इस पर जोर देते हैं तो उपाध्य महोदय गणपूर्ति के लिए घंटी बजाए जाने का निर्देश दे सकते हैं। यदि आप तकनीकी बातों को उठाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नही होगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं अपनी आपत्ति पर जोर दे रहा हूं। यहां गणपूर्ति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : अभी अभी मैं निवेदन कर रहा था कि जब कोई राज्य सरकार अधिक शक्तियों की मांग करती है और केन्द्र राज्य सम्बन्धों का प्रश्न उठाती है और यह दलील देती है कि विकास कार्य इसलिये नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि केन्द्र आवश्यक सहायता नहीं कर रहा है तो, वे केवल अपनी कमजोरियां छिपा रहे होते हैं। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मामले में सभी प्रकार की जो सीमाएं हैं उनके होते हुए भी हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्य समृद्धिशाली बन गये हैं। यह कोई केन्द्र के अधिक शक्तिशाली होने का प्रश्न नहीं है।

यह तो केवल राजनीतिक इच्छा की कमी और राज्य स्तर पर प्रशासनिक ईमानदारी की कमी है कि जो राज्य कमजोर हैं और जिनके सामने बाधाएं हैं वे यह कहते हुए केन्द्र पर अपनी उंगली उठाते हैं कि केन्द्र कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे मामलों में राज्य सरकारें केवल अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहती है।

एक और भी मुद्दा है। हम सब यह अनुभव करते हैं कि अपराध हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर दिन-पर-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। परन्तु महोदय, क्या पुलिस और कानून को ही अकेले अपराधों की रोकथाम करनी है ? क्या इसमें हमारा हाथ नहीं है, चाहे वह प्रत्यक्ष से न हो ? चाहे राजनीतिज्ञ अपराध न करते हों, परन्तु क्या वे जब-तक अपराधियों को संरक्षण नहीं प्रदान करते रहते ? क्या हम सम्प्रदायिकता का प्रचार नहीं करते ? हम करते हैं और चुनावों के दौरान तो बहुत ही ज्यादा। यदि कोई अपराधी मेरे दल से सम्बन्ध रखता है तो हम उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि वह किसी अन्य दल से सम्बन्ध रखता है तो हम उसे पुलिस को सौंप देंगे। यदि केवल राजनीतिज्ञ ही एक वर्ग के रूप में, चुनावों के दौरान तथा अन्यथा अपराधियों को अपना समर्थन दें तो निश्चय ही अपराधों की संख्या घट जायेगी।

यदि पुलिस कोई अपराध करती है तो उन्हें तो दुगना दण्ड मिलना चाहिये, आम नागरिक से कहीं कठोर सजा मिलनी चाहिये। हम सबको अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं लेना चाहिये। मैं एक या दो दृष्टांत दूंगा। जब श्री मोरारजी देसाई यहां थे तो अपराधों में वृद्धि के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने एक रूखा जबाब दिया। "देखिये, यह तो कुछ भी नहीं है। अमरीका जैसे विकसित देशों पर दृष्टिपात कीजिए, यहां हर चार मिनट के बाद, एक व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया जाता है। धैर्य से काम लीजिए हमारे देश में सब ठीक है।" एक और अवसर पर जब भूतपूर्व गृह मन्त्री चौ० चरण सिंह से हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "एक गांव में बहुत से हरिजन होते हैं और बहुत से गैर-हरिजन परन्तु गैर-हरिजनों की संख्या कहीं अधिक होती है और अनुपात के आधार पर तो मृतक हरिजनों की संख्या इस आशय से बहुत ही कम है, कि संख्या के आधार पर तो गैर-हरिजनों बहुत सारे हरिजनों को मार सकते थे। अपराधों के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने से काम नहीं चलेगा। उसमें परिवर्तन होना चाहिये।

जनता पार्टी के शासन काल में क्या हुआ ? श्री जयप्रकाश नारायण को देवता बनाने के लिए ही वे सभी तस्करों, डाकुओं और अपराधियों को एक्सप्रेस टावर ले आए। समाचार पत्र यह कहते न थकते थे कि अमुक-अमुक दृष्टांत स्वरूप हाजी मस्ताना को ईमानदार व्यक्ति बना दिया गया है। केवल एक श्री जयप्रकाश नारायण के प्रभावस्वरूप चम्बल घाटी के सभी अपराधी और डकैत ईमानदार व्यक्ति बन गये हैं। उसका परिणाम क्या निकला। अपराधियों को समाज में स्थान मिल गया। अपराध को इस प्रकार स्वीकृत किया गया जैसे कि अपराध करने का उनका कोई अधिकार था। यह बात कही गई थी कि उन्होंने वास्तव में ही त्याग किया था और ईमानदार व्यक्तियों के संसर्ग में आ गये थे। अतः अपराधियों और अपराधों पर से सभी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण को उठाना होगा। आज से इसके बाद हमें राजनीतिक आधार पर अपराधियों को संरक्षण नहीं प्रदान करना चाहिये। यदि हम राजनीतिक लोग अपराधियों को समर्थन देना बन्द करदें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपराधों की मात्रा निश्चिय रूप से घटेगी और हम कहीं अधिक शान्तिमय जीवन जी सकेंगे।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 33 साल के बाद जब में अपने देश की जनता की जो तस्वीर हैं और जो देश में वातावरण है उसको देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। आत्मा में ग्लानि पैदा होती है और मन रोता है। हमारे देश की बहबूदी, यहां की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिये, उसका अध्ययन करने के लिये सुदूर देशों से लोग यहां पर आया करते थे लेकिन उसकी आज क्या दशा है ? जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है हम गरीबी के गर्त्त में जा चुके हैं। यहां की सभ्यता और संस्कृति की बात मैं कहूँ तो आपको ताज्जुब होगा, आज का अखबार आप ने देखा होगा और एक जमाना वह था बौद्ध युग जब दूर-दूर के आदमी यहां तहजीब, सभ्यता और संस्कृति सीखने के लिये आया करते थे। आज कन्या की तीन छात्राओं के घरों में घुस कर के बदमाश उनको लूट कर ले गए। जब इस तरह की खबरें अखबारों में निकलती हैं तो देश और विदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आप अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं। आजादी के 33 साल के बाद यहां की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, रोज इस सदन में उसे उठाया जाता है। अखबारों के पेज के पेज और कालम के कालम, कोई दिन नहीं जाता होगा जब भरे न रहते हों। हमारे देश में नारी जाति का एक बहुत ही ऊंचा स्थान रहा है, उसकी मर्यादा, उसका मान-सम्मान करना हर भारतवासी का कर्तव्य रहा है। लेकिन आज जब नारी जाति का सरे-बाजार और सरे आम अपमान हो, उसकी बेइज्जती हो, उसकी अस्मत लुटे और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे, तो ऐसी व्यवस्था पर अफसोस करना ही पड़ेगा। दिल्ली जो इस देश की राजधानी है और यहां पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधान मन्त्री तक पूरी सरकार, सेना के तीनों अंगों के मुख्य लोग रहते हैं। जब यहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं घटती हैं और सरकार उसका कोई उपाय नहीं कर पाती तो यह भी मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है।

इस सदन में इन मांगो के ऊपर चर्चा करते समय मेरे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। यहां पर उन लोगों की जो पद दलित कहलाते हैं, जो दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं, कहीं उनको हरिजन कहा जाता है, कहीं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कहा जाता है, उनकी भी चर्चा अक्सर आई है। क्योंकि मैं एक शोषित समाज से सम्बन्ध रखता हूं इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि यह भयंकर स्थिति है, इसके ऊपर अगर शीघ्र ही काबू नहीं पाया गया, इन समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि स्थिति विस्फोटक बन जाए। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की समस्याओं को हल करने से पहले हमें उनकी जड़ों में जाना पड़ेगा जिनके कारण इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं। मेरे बहुत से साथियों ने आर्थिक स्थिति को इसका सबसे बड़ा कारण बताया है। लेकिन मैं कहता हूं कि आर्थिक स्थिति तो है ही, इससे भी भयंकर स्थिति यह है कि यहां पर जो धार्मिक ग्रन्थ हैं जिनमें इस देश के अन्दर आदमी-आदमी में फर्क किया गया है, आदमी-आदमी में घृणा पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ऊंच-नीच, छोटे-बड़े और जांत-पात का प्रचार करते हैं इसलिए उन पर बैन लगाना चाहिये। अगर सरकार बैन लगाने में असमर्थ है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन धार्मिक ग्रंथों से उन अंशों को निकाल दे जोकि जांत-पांत और ऊंच-नीच का जहर फैलाते हैं क्योंकि हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ और यहां पर छोटी-बड़ी तमाम जातियां हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से दूसरे मुल्कों में विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, सब कुछ है, वहां पर इन्सान से इन्सान नफरत नहीं करता है लेकिन हमारे देश में इन्सान से इन्सान नफरत करता है। यह बड़े दुर्भाग्य की

बात है कि इस देश में तथाकथित उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही कुरूम हो, अपढ़ हो, बदमाश हो, उसको हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है और जो लोग तथाकथित छोटे कुल में पैदा होते हैं वे चाहे कितने ही विद्वान हों, कितने ही पढ़े-लिखे हों, उनको सदैव हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार की जो भावना धार्मिक ग्रन्थों के द्वारा पैदा की गई है इसको दूर करना होगा।

जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, यह सही है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग आज बहुत ही गरीबी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। हमारे देश में भूमि-सुधारों की की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक भूमि सुधार नहीं होंगे और भूमि का उचित बटवारा नहीं होगा, तब तक यह स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती ही जायेगी। पिछले 33 सालों में सरकार को कम से कम इस बात पर जोर देना चाहिए था कि भूमि का बटवारा समानता से हो जाये। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज भी इस देश में ऐसे परिवार हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है जबकि दूसरी तरफ बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास-पास एक इंच जमीन भी नहीं है।

एक चीज इस देश में अंधेरे में चल रही है जिसकी तरफ शायद सरकार का ध्यान नहीं गया है। देहातों में जो मकान हैं उनका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं है, कहीं उनकी कोई एन्ट्री नहीं है। जहां जिसकी मर्जी होती है मकान बनवा लेता है। नतीजा यह होता है कि जो बैकवर्ड और अछूत लोग हैं, जोकि किसी बड़े जमीदार के यहां आते जाते हैं, उसकी जमीन पर कूड़ा डालते हैं तो झगड़ा होता है। जब मामला अदालत या पुलिस में जाता है तो पुलिस भी असमर्थ होती है, उनकी कोई मदद नहीं कर पाती है। अछूतों पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं उन मामलों की ज्यादातर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है अगर दर्ज भी की जाती है तो नान-काग्निजेबिल आफेन्स में दर्ज की जाती है और कहा जाता है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी गम्भीर समस्यायें हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिन पर हम सभी माननीय सदस्यों को राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना होगा।

इस देश में 25 प्रतिशत लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के है लेकिन आज तक हमने क्या प्राप्त किया है ? मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1947 को यह देश आजाद हुआ था उस समय इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग थे, उनका क्या प्रतिशत था और आज उनका क्या प्रतिशत है ? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज इस देश में 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। आज तक हमने क्या पाया है ? आपने हमारे लिये क्या व्यवस्था की है ? उन गरीबों, मजदूरों के लिए जो कि गांवों में रहते हैं, जोकि फैक्टीज में, कल कारखानों में काम करते हैं उनके लिए आपने क्या किया है एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर हम खुल्लम-खुल्ला समाजवाद की धज्जियां उड़ाते हैं। आप इस सरकार को राय दें कि वह उन लोगों के भविष्य के लिए कुछ करें।

मैं चन्द सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो इण्डियन पीनल कोड है, वह मैकोले के जमाने में बना था और उस जमाने की परिस्थितियों के अनुकूल बना था, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था। आज

इस इण्डियन पीनल कोड में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका प्योर भारतीयकरण करना चाहिये। आज का जो माहौल है, वह इसको नहीं चाहता है, इसलिए इसका नवीनीकरण करना चाहिये। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज कमीटेड रही थी, हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है, जिसको इस की जनता ने चुना है, जो इस देश के प्रति कमीटेड है, उसने वायदा किया है, उसने वचन दिया है, उसने संकल्प लिया है कि वह इस देश की बहबूदी के लिये, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश के लोगों की उन्नति के लिये, इस देश के विकास के लिये, काम करेंगी। इसलिए

उपाध्यक्ष महोदय : शैलानी जी क्या आप भारतीय दण्ड संहिता को स्वतन्त्र भारत की दण्ड संहिता में बदलना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रपाल शैलानी : जी, हां। धन्यवाद।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आज के समय को देखकर, आज के वातावरण को देखकर इस तरह के कानून बनाये जायें, ताकि देश की तरक्की हो।

एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूं। हमारी सरकार गरीबों के लिये खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये, उनकी बहबूदी के लिए, उनके कल्याण के लिये बहुत जोर शोर से चिल्लाती है। उसने बड़े-बड़े वायदे किए हैं बड़े-बड़े अच्छे कानून बनाये हैं, बड़े-बड़े अच्छे काम भी किये हैं, बड़े-बड़े नाटक किए हैं। और यह सिर्फ किताबों और फाइलों में मंत्रालय तक ही सीमित हैं। हम यह चाहते हैं कि आप जितना कहें उतना करें, जिसको आप नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं कहना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार में 12 प्रतिशत रिजर्वेशन है, राज्य सरकारों में 18 प्रतिशत रिजर्वेशन है, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 33 प्रतिशत भी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकारों की नौकरियों में 6 प्रतिशत रिजर्वेशन भी पूरा नहीं हुआ। कानून के पुलिन्दे के पुलिन्दे बनते चले जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, नाटक किया जा रहा है और बड़े-बड़े बहलाने के काम किये जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितना सरकार कर सकती है, उतना करे और जो नहीं कर सकती है, उसका प्रोपेगेंडा करना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि यह रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए।

जहां तक पुलिस का सवाल है, उसमें होता यह है कि जहां पर जुल्म और अत्याचार होते हैं, पुलिस निकम्मी और निठल्ली बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से जुल्म और अत्याचार होते हैं, कभी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचारों की बाढ़ आती है, कभी बलात्कार की बाढ़ आती है, कहीं नौकरियों में अपमान किया जाता है. इस तरह की घटनायें दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही हैं इसके लिए हमको कोई प्रभावी ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जहां तक शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अत्याचार की बात है, मैं चाहता हूं कि हर जिले में कम से कम एक डी०एस०पी० रेंक के अफसर के तहत स्पेशल पुलिस की व्यवस्था हो और उनके साथ कम से कम 10 आदमियों की टीम हो, जिसमें इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, कोन्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल रेंक के

लोग हों और इनके साथ एक एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी जुड़ा हुआ हो। जहां इन लोगों पर अत्याचार हों उन पर जल्दी से जल्दी पुलिस कार्यवाही करे, रिपोर्ट दर्ज करे और उस मैजिस्ट्रेट द्वारा जल्दी से जल्दी फैसला सुना दिया जाये। इसके अलावा हर जिले में मोबाइल कोर्ट भी बहुत जरूरी है। जहां तक मेरी अपनी बात का सवाल है, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने भूमिहीनों को जमीनें दी हैं, वे कागजों तक ही सीमित हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिये बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन अफसोस तो यह है इसमें से अधिकांश काम ऐसे हुए हैं, जो कागजों तक ही सीमित हैं। पहले तो वहां पर जमीनें मिली ही नहीं हैं, अगर मिली भी हैं तो कब्जा नहीं दिलवाया गया है और इस तरह के झगड़े पैदा हो गये हैं, जिनको लैंड डिस्प्यूटस कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन झगड़ों को निबटाने के लिये अलग से स्पेशल कोर्टस और सेल्ज बनाये जाने चाहिए।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जिन-जिन विभागों में रिज़र्वेशन पूरा नहीं हुआ है, वहां स्पेशल रिक्रूटमेन्ट होना चाहिए, खास तौर से पुलिस में स्पेशल रिक्रूटमेंट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था में कैसे सुधार हो, हम ने जड़ को अभी तक पकड़ा नहीं है, असलीयत को नहीं देखा नहीं है इस जुल्म का जो रेवन्यू है राजस्व है, उसका 80 प्रतिशत नोकरों की तनख्वाहों पर खर्च होता है और नौकर कितने हैं—इस देश की जितनी आबादी है, उसका 5 प्रतिशत सरकारी नोकर हैं। इस देश के राजस्व का 80 प्रतिशत नोकरों पर खर्च हो जाता है, देश के विकास के लिये, सोशल वेलफेयर और दूसरे अच्छे कामों के लिए धन कहां से आये ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सरकार देखे और इसमें सुधार करें ताकि जनता को उसका लाभ पहुंच सके।

अन्त में, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—वह इस समय गृह मन्त्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जिस पर कभी सरदार बल्लभ भाई पटेल बैठते थे, जिसकी शोभा किसी समय पं० गोबिन्द बल्लभ पंत ने बढ़ाई थी और जिसकी शोभा किसी समय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जीने बढ़ाई थी। ये वे नेता हैं जिनके ऊपर हमारे देश को गर्व है। उन्हें अपने कार्यकाल में ऐसे-ऐसे काम किये जिनको देश हमेशा याद रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जनता गृह मन्त्री को छोड़ रहे हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आज उस कुर्सी पर ज्ञानी जैल सिंह जी विराजमान हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी नीयत, उनका कार्य, इस गौरव को मेन्टेन कर सकेगा या इनको गर्क में डालेगा। यह ये जानें, इनका मन जाने, इनका धर्म जाने इनका काम जानें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयराम वर्मा।

आप 5 बजे सायं तक अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं। आप शिकायत कर रहे हैं कि आपको बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : श्रीमन्, मैं गृह मन्त्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और माननीय गृह मन्त्री जी को उनके उन तमाम प्रयासों और कार्यों के लिये जो देश के ज्वलंत प्रश्नों को हल करने के लिये मुस्तैदी और नेकनीयती के साथ कोशिश कर रहे हैं, बधाई देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, उनके प्रयास सफल होंगे और देश के वे ज्वलंत प्रश्न हल होंगे।

इधर और उधर के सदस्यों की बातों को सुनने के बाद मैं इस तनीजे पर पहुंचा हूं कि सभी इस बात को मानते हैं कि इस समय देश के सामने तीन ज्वलंत प्रश्न हैं। एक—हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा—महिलाओं और देवियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके शील को भंग किया जा रहा है और तीसरा ज्वलंत प्रश्न है—हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में जो खराब स्थिति है, बिगड़ती हुई स्थिति है—उसका समाधान। इन तीन ज्वलंत प्रश्नों पर सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी इन प्रश्नों को हल करने में एक मत दिखाई पड़ते हैं। सबकी यह राय मालूम पड़ती है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए सभी अपना सहयोग देने को तैयार हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर हमारे देश के सभी राजनीतिक दल इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए नेकनीयती से तैयार हों, तो फिर इन प्रश्नों के हल होने में क्या कठिनाई हो सकती है। मैं मानता हूं कि ये प्रश्न कैसे हल किए जाएं, उनके तरीके में भिन्नता हो सकती है, अन्तर हो सकता है लेकिन सभी चाहते हैं कि ये प्रश्न हल हों और मैं कहता हूँ कि अगर यह हमारे हरिजन भाईयों, महिलाओं और देश के पूर्वी और उत्तरी भाग के निवासियों को यह बात मालूम हो जाए कि हमारे देश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर एकमत है कि इन ज्वलन्त प्रश्नों का हल निकालना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन यह बात मालूम हो जाए कि सभी इस में सहमत हैं, उसी दिन आधे प्रश्न अपने आप हल हो जायेंगे और कठिनाइयां दूर हो जायेंगे लेकिन असलियत यह है कि उन लोगों के दिलों में यह बात बैठ नहीं पाती है कि सभी एक-मत है, सभी एक राय के हैं और सभी इन प्रश्नों को हल करना चाहते हैं। हमारे तरीकों में जो थोड़े-थोड़े से भेद हैं, उन भेदों को इतना उछाला जाता है, इतना बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है कि इन लोगों के दिलों में यह बात बैठती है कि ये सब एक नहीं हैं और यह बात उनको मालूम होती है कि केवल कहने भर की यह बात है और दिल से यह बात नहीं कही जाती है। अगर सब लोग दिल से यह बात कहें, तो फिर कठिनाई हल होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओ से और सदस्यों से इस बात के लिए अपील करना चाहता हूं कि जो हम यह कहते हैं कि हम इस मामले में एक हो जाएं, 'सचमुच' हमें एक हो जाना चाहिए। हम सब एक राय के हो जाएं, तो प्रश्नों का हल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी और इस देश के ज्वलन्त प्रश्न अपने आप हल हो जायेंगे और फिर अपने देश को ऊपर उठाने और विकसित करने में हमें प्रयास करने का मौका मिलेगा।

श्रीमन्, मैं पहले हरिजनों के प्रश्नों पर आता हूं। हरिजनों के साथ जो ये ज्यादतियां होती हैं, जो अत्याचार होते हैं, वे अगर गौर से देखा जाए, तो उनका हल केवल कानूनी ढंग से या जोर जबर्दस्ती से नहीं होने वाला है। हमारे जो हरिजन या जनजाति के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वे काफी परेशानी में रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति का खराब होना सीधा सम्बन्ध रखता है, उन ज्यादतियों के साथ जो उनके साथ की जाती हैं और अगर हमें हरिजनों के

प्रश्नों को हल करना है, तो यह जरूरी है कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये, जो उनके सामने कठिनाइयां हैं, उनका हल निकाला जाए। अगर उसका हल निकलता है, तो हम सभी लोग सचमुच दिल से इस बात को मान लें कि हरिजन भी हमारे बराबर हैं, उनको भी माननीय अधिकार हैं हमारी तरह से आराम से रहने के लिए, तो फिर इन प्रश्नों के हल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हमारे कानून की दृष्टि है, जिस तरह से कानून ने हम सब को बराबर कर रखा है, असलियत यह है कि सभी लोग अपने को उससे सहमत नहीं कर पाये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों की विचारधारा उसके अनुरूप परिवर्तित नहीं हुई है, उसमें तब्दीली नहीं हुई है जिसकी वजह से अगर हरिजनों को उठाने की कोशिश की जाती है, जनजाति के लोगों को उठाने की कोशिश अगर की जाती है, तो कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनमें जलन पैदा होती है और इस जलन के कारण ही उनके साथ ज्यादतियां होती हैं। इसलिए उनके आर्थिक प्रश्न हल हों और दूसरे लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आये। केवल आर्थिक प्रश्न ही न हल हो पाये बल्कि विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए क्योंकि अगर यह परिवर्तन नहीं आया तो झगड़े बराबर होते रहेंगे। इसलिए इस बात की कोशश होनी चाहिए कि विचारों में परिवर्तन हो और उनके आर्थिक प्रश्न भी हल हों।

मैं इस बात को बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मन्त्री ने इनके आर्थिक प्रश्न को हल करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरह की कुछ गाइडलाइन्स स्टेट्स के गवर्नस को और दूसरे बड़े अधिकारियों को दी है, अगर सचमुच वे उनको टालने की कोशिश न करें और जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, उनके प्रश्नों को हल करते रहें तो ये प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं।

जहां तक बोण्डेड लेबर का प्रश्न है, उनको खेत में मिनिमम वेजिज मिलने चाहिए। जो जमीन उनके पास है और दूसरे लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको उस पर रहने नहीं देना चाहते, इस प्रश्न को भी अगर ठीक से देखा जाए और इन मामलों में जो झगड़े होते हैं उनके बारे में भी अगर हमारे जिला अधिकारी सचेत रहें और बराबर इस बात को देखते रहें कि कौन-सी जगह है जहां पर इस तरह के झगड़े पैदा होते हैं, इस तरह के प्रश्न पैदा होते हैं, वहां पर उन प्रश्नों को तुरन्त हल करने की कोशिश करें। जब वे ऐसा करेंगे तो जो इस तरह की ज्यादतियां करने की गुंजाइश जो पैदा हो जाती है वह नहीं पैदा होगी। ऐसे मामलों में जब थोड़ी लापरवाही हो जाती है तो वे मामले बढ़ते जाते हैं और वे आगे भीषण रूप अख्तियार कर लेते हैं।

इसी तरह से हमारे हरिजन भाई उचित मजदूरी मांगते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ठीक मजदूरी मिलनी चाहिये और वे चाहते हैं उनका उनकी जमीनों पर कब्जा बना रहे। ऐसे मामलों में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका जब वे विरोध करना चाहते हैं तो ऊंची जाति के लोगों को वे पसन्द नहीं आते। इसी तरह से हरिजन महिलाओं के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। जब वे उसका भी प्रतिरोध करने को तैयार होते हैं तो उसको भी वे पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उनके दिल नहीं बदले हैं, परिवर्तित नहीं हुए हैं। इस तरफ भी कोशिश होनी चाहिए।

हरिजनों की पढ़ाई के लिए जो वजीफे दिए जाते हैं, उनको जो किताबें दी जाती हैं, उनके

लिए जो स्कूल खोले जाते हैं, पुस्तकालय स्थापित किये जाते हैं, उनके खाने के लिए अच्छे साधन किए जाते हैं इस मामले में भी गड़बड़ होती है। जो उन्हें थोड़ी-सी छात्रवृति दी जाती है बहुत-सी पाठशालाओं के अध्यापक अभी भी इस तरह के हैं जो इस चीज को ठीक से नहीं देखते हैं और उस थोड़ी-सी छात्रवृत्ति की रकम में से भी वे कुछ काटने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे अधिकारी सचेत रहें और जिसके बारे में भी शिकायत मिले उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाए तो इस तरह के काम करने की किसी में हिम्मत न हो। ये जो थोड़ी-सी सुविधाएं हरिजनों को मिलती है यदि ये ही ठीक से उन्हें बराबर मिलती रहें तो उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधारने में थोड़ी मदद मिल सकती है।

हरिजनों का जो रिजर्वेशन मुकर्रर है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। इसमें अभी बहुत कमी है। इसलिये कोशिश यही होनी चाहि कि इसको उचित ढंग से रिक्रूटमेंट करके पूरा किया जाए। बहुत दिनों तक इसको पूरा करने को इन्तजार नहीं करनी चाहिए। बल्कि मैं तो वह भी कहूंगा कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं होता तब तक उनकी परसेंन्टेज को बढ़ा कर भी उनका कोटा जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर जो पुलिस विभाग है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो परसेन्टेज है, उतना ही नहीं बल्कि ज्यादा परसेंन्टेज में भर्ती करके जल्दी से जल्दी उनका कोटा पूरा करना चाहिए ताकि वे भी दूसरों के बराबर की स्थिति में हो जाएं। इस बात की कोशिश करनी चाहिए।

हरिजनों के अलावा वीकर सेक्संश और दूसरे गरीब तबके के लोगों का भी सवाल है जो कि गांवों में रहते हैं। उनके बारे में भी इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। जो आदिवासी या जनजाति के लोग हैं वे तो हैं हीं और जो दूसरे कमजोर वर्गों के लोग हैं उनका भी इस मामले में ध्यान रखा जाना चाहिए। उनको भी उठाने की, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश होनी चाहिए तो ये मसले जल्दी हल हो जाएंगे। फिर जब मौका मिलता है हरिजनों के साथ हुई ज्यादती की बात को उठाने का तो उसको बहुत उछालने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से उसको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए उस तरह से उसको हल करने की कोशिश नहीं होती है। आप बुरा न मानें तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब उसको उछाला जाता है तो उसके पीछे नेकनीयती उस समस्या को हल करने की दिखाई नहीं देती है बल्कि उससे राजनीतिक लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है, उसकी फिक्र ज्यादा रहती है। राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से आप उस समस्या को कभी भी हल नहीं कर सकते हैं।

इस मौके पर हमारे जो पत्रकार हैं, पत्रों के प्रतिनिधि हे उनसे भी मैं एक अपील करना चाहता हूं। इस प्रकार की सूचनाएं जब उनके पास आती हैं तो बहुत जिम्मेदारी से इन पर विचार करके और तथ्यों का पता लगा कर के फिर उनको अपने अखबारों में छापना चाहिये। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि गलत खबरें छप जाती हैं और उनसे बड़ा नुकसान होता है, बहुत उससे हमारे देश को हानि भी होती है और हो रही है। इसलिये मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से ऐसे मसलों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिये। इस दृष्टि से कि इस तरह की खबरें आम तौर पर लोग पढ़ना चाहते हैं इस वास्ते उनको छाप देनी चाहिए, ठीक नहीं है। छोटे अखबार इस तरह की खबरें छाप कर कोशिश कर सकते हैं कि उनके अखबार ज्यादा बिके लेकिन उनका असर इतना नहीं होता है। बड़े अखबारों का बहुत ज्यादा असर पड़ता

है इस वास्ते उनको और भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिये और देख
उनके अखबारों में इस तरह की खबरें न छपें जिनकी तस्दीक न हुई हो, और हर
को वह सही मान न लें। कभी-कभी गलत बातें भी छप जाती हैं। अभी कुछ व
खबरें छपी थीं जो बाद में निराधार और बेबुनियाद निकलीं। लेकिन वे खबरें छप
जो जहर फैलाना था फैला दिया, जो नुकसान करना था कर दिया। बाद में क
भी हो जाता है तो भी जो गांठ बंध जाती है वह पक्की बंध जाती है और
जाता है।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है हमारे देश की यह परम्परा रही है
जाता रहा है कि जहां स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहां देवताओं का निवास
देश की विचारधारा रही है। आज इस तरह की बात हो, उनके साथ इस तरह
उनके खिलाफ इस तरह के कुकृत्य किए जाएं, यह सब के लिये शर्म की बात है
किसी का शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन उनकी समस्याओं को जिस तरह से
कोशिश होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। इनकी समस्याओं को उछाल
दिल से हल करने की कोशिश होनी चाहिए। पुलिस वालों की इस मामले में बड़ी
है इन चीजों को देखने के लिए उनका स्टैंडर्ड जरा कुछ ऊंचा होना चाहिये.......

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ? या आप
चाहते हैं ?

श्री जयराम वर्मा : अभी नहीं मुझे और समय चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह : महोदय, कार्य मंत्रण समि
लिया गया था कि हम 6 बजे के बाद तक बैठ सकते हैं। इस ओर और उस
सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। हम 6 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्हें सोमवार को बोलने दीजिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उन्हें बोलने दीजिए अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति क
अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन और आगे बैठने का निर्णय ले रहा है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह तो कार्यमन्त्रण समिति का निर्णय था।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी देर तक ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : हम 7 बजे तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घन्टा ठीक है। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री जयराम वर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि महिलाओं के प्रश्न
लिये जरूरी है कि पुलिस विभाग में और सुधार किया जाए। हमारी पुलिस
स्टेंडर्ड पर आ जाये, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उनके दिल
महिलाओं और बच्चों के प्रति एक आदर की भावना पैदा हो जिससे जब इस त
हो तो वह ईमानदारी के साथ, नेकनीयती के साथ इस प्रकार के मसलों को हल
करें और लापरवाही न करें।

यह प्रश्न एकदम पैदा नहीं हो गया है, यह बहुत पहले से हमारे देश के सामने है। इन मामलों में लापरवाही हुई है, उनको ठीक से देखा नहीं गया। आज यदि कोई एक मामला पैदा हो जाता है तो हमारे साथी बड़े जोरों के साथ अपनी बात कहने को तैयार हो जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह की चीजें उनको बहुत खलती हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।

लेकिन इसके पहले जब इस तरह की घटनायें होती थीं, इससे भी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमने देखा कि उन पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की गई। इस तरह की कोशिशें की गई कि वह घटनाएं लोगों के सामने आयें ही नहीं, उन पर पर्दा पड़ जाये। परिणाम यह होता था कि पुलिस वालों की तरफ से ज्यादती होती रहीं और दूसरे लोगों की तरफ से भी ज्यादती होती रहीं। जब जुल्म करने वालों को सजा नहीं दी जाए तो उनको जुल्म करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा था। इस तरह के खराब लोग जो समाज को गिराना चाहते हैं, उनको मौका मिल रहा था और वह इस तरह की चीजों को बढाने की कोशिश करते रहे। इसलिये यह मसला नया नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।

मुझे इस बात की खुशी है कि इधर जो कोशिश अब हो रही है उसके अच्छे परिणाम जल्द सामने आयेंगे और मुझे पूरी उमीद है कि यह कोशिश जारी रहेगी और उधर के लोग अगर इस मामले में साथ हो जायें तो फिर इस प्रश्न के हल करने में देर नहीं लगेगी, मसला आसानी से हल हो जायेगा।

हमारे देश के पूर्वी-उत्तरी भाग का जो प्रश्न है, जहां पर एक तरह से यह कहा जा सकता है कि वहां आग लगी हुई है, इस तरह की स्थिति हमारे देश के एक हिस्से में फैलती हो, जहां डिस-इन्टैग्रेशन का डर हो, जहां विदेशियों को लाभ उठाने का मौका हो, घुसपैठ करने वालों को मौका हो, जहां पर इस तरह के आन्दोलन शुरू हो जाने से हमारे भाषायी अल्पसंख्यक या दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक या दूसरे प्रदेशों के जो वहां रह रहे हैं, वह खतरे में पड़ जायें, हमेशा वह खतरे की जिन्दगी व्यतीत करें, ऐसी स्थिति हो जाये तो सब की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे किसी राजनीतिक दल के लोग हों। यह देश का प्रश्न है, किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की बात न हो।

सभी इस बात को मानते हैं कि इसका हल राजनीतिक है, कोई केवल जोर-जबर्दस्ती से मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए सब मिलकर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें तो हमारे देश का बड़ा कल्याण होगा।

कभी-कभी कुछ लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार इसको हल करना नहीं चाहती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार इसे क्यों नहीं हल करना चाहती? कांग्रेस सरकार की अपनी नीति है वह इस बात को मानती है कि अगर हमें शांति लानी है, देश का विकास करना है, तो हमको धीरे-धीरे अपने काम उसी तरफ ले चलने होंगे। गांधी जी की यह फिलासफी थी, उनका यह सिद्धान्त था कि उस तरफ हमको धीरे-धीरे चलना होगा। हम चूंकि शांति लाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, जो हमारे गरीब भाई वहां के निवासी, मूलवासी परेशानियों में हैं, उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं ताकि वे आराम से रह सकें, एक-दूसरे के साथ प्रेम से रह सकें, वह स्थिति हम लाना चाहते हैं। इसलिए धीरे-धीरे हम उस तरफ चलना चाहते हैं जिनसे वह

स्थिति पैदा हो । हम क्यों चाहेंगे कि वहां अशान्ति रहे, क्यों चाहेंगे कि वहां झगड़ा बना रहे ? हम तो इस सिद्धान्त के मानने वाले नहीं हैं कि क्यास में कोई चीज पैदा हो सकती है । जो समझते हैं कि क्यास से, अशांति से चीज पैदा होगी, वह तो इस बात की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो मानते ही नहीं कि क्यास से, अशांति से कभी शांति पैदा हो सकती है, वह क्यों इसके करने की कोशिश करेंगे ?

हम शांति और विकास की तरफ जाना चाहते हैं देश के प्रश्न को हल करने की तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ हमारा कदम धीरे-धीरे चलना चाहिए, उसके खिलाफ हम क्यों जायेंगे ? अगर हम खिलाफ जायेंगे, तो अपने गतव्य और अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकेंगे। गांधी जी हमेशा इस बात को मानते थे कि जिधर हमको चलना है, धीरे-धीरे उधर चलना होगा ।

इसलिए इस हिस्से के प्रश्न को हल करने के लिए सरकार, प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री की तरफ से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर यह सभी राजनीतिक दल के लोग, जो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह मसला हल होगा, और समझते हैं कि हल होना चाहिए, मजबूती से कह दें कि यह प्रश्न हल होना चाहिए, तो प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री के प्रयास सफलीभूत होंगे और ये सब मसले हल हो जायेंगे । पार्टियां मतभेदों से लाभ उठाकर कुछ लोग उनको उकसाते रहते हैं, जिससे मामला बिगड़ रहा है । पार्टियों में एकमत होने से उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं की जायेगी, यह प्रश्न हल हो जायेगा और देश के उस हिस्से में—असम, त्रिपुरा और मिजोरम आदि में—उत्पन्न विस्फोटक स्थिति में सुधार होगा ।

यह बात सही है कि वहां के मूलनिवासियों की आर्थिक स्थिति खराब है, जिको सुधारने की आवश्यकता है । अगर सरकार की तरफ से उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि उनके हक को कोई दूसरा नहीं छीनेगा, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनकी ट्रेडीशन्ज और संस्कृति की रक्षा की जायेगी, जिसके लिए प्रयास हो रहे हैं तो वे लोग मान जायेंगे । अगर वहां के लोगों को सद्‌बुद्धि आये और ये झगड़े बन्द हो जायें, तो कई तरह की योजनाओं के द्वारा उस क्षेत्र का विकास तथा सुधार किया जा सकता है । मैं ने देखा है कि कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि विभाग ने कृषि, फिशरीज और बनों आदि के विकास के लिए कई नई योजनाओं को हाथ में लिया है । अगर वहां ये झगड़े होते रहे, तो इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं उठा सकेगा और वहां की स्थिति और भी खराब हो जायेगी ।

वहां के झगड़ों की वजह से देश के दूसरे हिस्सों को नुक्सान हो रहा है । आज रिफाइनरीज बन्द पड़ीहुई है । इसके अलावा सरकारी अधिकारियों में अनुशासनहीनता पैदा हो गई है । वे भी ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं हैं । उन्हें कुछ लोगों से मदद मिलती रहती है । इस स्थिति में वे बेजा फायदा उठाने की कोशिश करते है । अगर वहां के निवासी, विद्यार्थी संगठन और गण संग्राम परिषद् टेबल पर बैठ कर बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करने के लिए तैयार हो जायें, तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा और देश के दूसरे हिस्सों को जो हानि हो रही है, वह भी बन्द हो जायेगी, देश के सब लोग मिल कर तेज गति से विकास की तरफ बढ़ सकेंगे और हम फिर मजबूती के साथ दूसरे देशों के सामने खड़े हो सकेंगे ।

1980 के शुरू में जो चुनाव हुए, उनमें देश की जनता ने कांग्रेस (आई) को इतने बड़े

बहुमत से जिता कर यह प्रकट कर दिया कि जनतांत्रिक तरीकों में उसका विश्वास है। उनके दिलों में यह इत्मीनान पैदा हुआ कि देश की महान् नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री हैं। उन के दिल में इत्मीनान हो गया कि अब देश में एक मजबूत हुकूमत, एक स्थिर हुकूमत कायम हो गई, अब देश के सभी मसले हल हो जाएगे। ये जो उनकी आशाएं और भावनाएं हैं ये पूरी हो सकें यह प्रयास होना चाहिए। यह बात सही है कि जब एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वह मजबूत होगी, मसलों को हल कर सकेगी। उन लोगों के मसलों को हल करने में कोई कठिनाई पैदा हो, उनके किसी काम से, इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और में सभी राजनैतिक दलों के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन अत्यंत ज्वलंत प्रश्नों को हल करने में, जिस तरह की बातें वे यहां करते है, उसी तरह नेकनीयती से और ईदानदारी से उसी तरह का प्रयास भी वे करेंगे जिससे हमारे देश के ये प्रश्न हल हों और हमारे गृह मन्त्री जी तथा प्रधान मन्त्री जी इस देश को सुखी और शांत बनाने में सफल हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य को भाषण देने के लिए बुलाने से पूर्व, मुझे यहां कुछ टिप्पणियां करनी हैं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने बारहवें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में यह सिफारिश की थी कि निर्यात शुल्क में परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं में काफी परिवर्तन करते वाली और प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये से अधिक राजस्व वाले आयात और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने वाली अधिसूचनाओं यदि किसी दिन 6 बजे म० प० से पहले जारी की जाती हैं तो वे संसद के सदनों के सभा पटल पर उसी दिन रखी जानी चाहियें। इस सिफारिश को समिति ने 17 मई 1979 को सदन में प्रस्तुत किए गये अपने इक्कीसवें प्रतिवेदन (छठी लोक) सभा) में भी दोहराया था। आज की अनुपूरक कार्य सूची में सम्मिलित अधिसूचनाओं में 50 लाख रुपये से अधिक का राजस्व अंतर्ग्रस्त है। अधिसूचनाएं आज जारी की गई हैं। और वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री ने आज ही उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगी है। इन अधिसूचनाओं को समिति की सिफारिश के अनुसार सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई है।

श्री मगन भाई बारोत अब पत्र सभापटल पर रख सकते हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं।

वित मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) :

मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या 144-सीमाशुल्क/80 और 145-सीमाशुल्क/80 जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा डी-ऐमोनियम और ऐमोनियम नाइट्रो फास्फेट को, जब उनका आयात खाद के रूप में प्रयोग के लिए या संश्लिष्ट उर्वरक उत्पाद के लिए किया गया हो, मूल तथा सहायक सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन। ग्रन्थालय में रखी गयीं। [देखिए संख्या एल० टी० 1106/80]

(2) अधिसूचना संख्या 146-सीमाशुल्क/80 और 147—सीमाशुल्क/80 जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा म्यूरिएट आफ पोटाश को, जब उसका आयात खाद के रूप में प्रयोग के लिए या संश्लिष्ट उर्वनक उत्पादन के लिए किया गया हो, मूल तथा सहायक सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-1107/80]

अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1980-81 जारी

गृह मन्त्रालय-जारी

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्री द्वारा जो मागें रखी गई हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । गृह विभाग के अन्तर्गत जो यह सब-प्लान आते हैं उसके सम्बन्ध मे मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं । सन् 71 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो हिन्दुस्तान में बतायी गई है वह 3·80 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 6·94 प्रतिशत है और इसी तरह से अनुसूचित जन-जाति की जो जनसंख्या बताई गई है वह 4.11 करोड़ है जो देश की जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र का जो उत्थान हो उसमें इन वर्गो को भी लेकर हम आगे बढ़ें । इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सब-प्लान पांचवीं पंच वर्षीय योजना में रखा गया था उसमें यह नियम रखा गया था कि जहां की आबादी 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की होगी उसमें यह लिया जाएगा । अपने बजट में यह दर्शाया गया है कि 70 करोड़ रुपया जो उनके लिए आंका गया है यह बहुत काफी रुपया है । सारे हिन्दुस्तान के जो ऐसे खण्ड थे और जो नान शेड्यूल एरियाज को शेड्यूल एरियाज में आपने जोड़ा है उसको देखते हुए यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह राशि बहुत कम है । यह जो छठी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 350 करोड़ रखे गए हैं, उसमें 250 करोड़ की वृद्धि हो रही है, इस तरह से 750 करोड़ की योजना है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 300 करोड़ की योजना रखी गई है । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आर्थिक दशा अनुसूचित जनजाति की है वह बहुत गिरी हुई है इसलिए अनुसूचित जाति के लिए जो 750 करोड़ की योजना रखी गई है उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए भी 750 करोड़ की योजना रखी जाए । तभी हम उनके उत्थान की बात सोच सकेंगे ।

मैं गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट से कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । 1979-80 में जो नौकरियों में इनका प्रतिशत रहा वह इस प्रकार है :

प्रथम श्रेणी—अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत के स्थान पर 4·75 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.49 प्रतिशत रहा ।

द्वितीय श्रेणी—अनुसूचित जाति का 7.37 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 1.03 प्रतिशत ।

तृतीय श्रेणी—अनुसूचित जाति का 12.50 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 3.11 प्रतिशत ।

चतुर्थ श्रेणी—अनुसूचित जाति का 19.32 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 5.19 प्रतिशत।

इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है उस पर सही ढंग से विचार करना होगा। या जो सब-प्लान बने हैं, पंचवर्षीय योजना में जो सब-प्लान का ढांचा बनाया गया है उसका रूप बदलना चाहिए। हमारे जितने सब-प्लान बने हैं वहां पर प्रोजेक्ट आफिसर्स रखे जाते हैं। सारे देश में हमारे हरिजन भाइयों के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, उनके उत्थान के उद्देश्य से जो बहुद्देशीय सहकारी समितियां बनी हैं वह लगभग 2400 सहकारी समितियां सारे देश में काम कर रही हैं, उनका जो काम है, हरिजन आदिवासियों को जो अपलिफ्ट करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके ढांचे और स्वरूप को बदलना होगा।

आजकल आये दिन जो हम देखते हैं कि हरिजन आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं इस सम्बन्ध में हमको राग द्वेष और राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में विचार करना होगा और यह सोचना होगा कि हम इसका निराकरण कैसे करें। देश के कम से कम 11 राज्यों में ऐसे सेल बनाए गए हैं और एक दो राज्य निरीक्षण करा रहे हैं तथा चार राज्यों ने इसकी जानकारी लेकर इनके लिए अलग से न्यायालय बनाए हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अस्पृश्यता निवारण के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत और नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय की स्थापना की है। जो अनटचेबिलिटी है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हमें बड़े गौर से देखना होगा तभी इस सम्बन्ध में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं।

आज जनजातियों की जो आर्थिक दशा है वह बहुत गिरी हुई है। मैं यहां पर मध्य प्रदेश से आता हूं, वहां पर जो फारेस्ट प्रोड्यूस है, उदाहरण के लिए जो साल सीड होता है जिससे तेल निकाला जाता है, उसकी ठेके के माध्यम से खरीद लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जो सहकारी समितियां बनी हैं उनके माध्यम से इसकी खरीददारी की जाए। आदिवासी लोग जो कि जंगलों में रहते हैं वे साल सीड इकट्ठा करते हैं लेकिन साहूकार लोग 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उनसे साल सीड लेकर डेढ़ रुपया प्रति किलो के भाव पर शासन को दे देते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो योजनायें बनी हैं उन पर जब तक आप पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। पहले बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, बहुत सी जमीनें जो सीलिंग में निकली थीं उनको हरिजनों में बांटा गया था। जो शासकीय जमीनें हैं उनके वितरण के लिए भी एक कानून लागू करना होगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का एक कानून बना था कि 1959 के बाद आदिवासियों की जमीन अगर ले ली गई है, उसकी सेल-डीड हुई है या मार्गेज किया गया है, उसके बाद जो भी हस्तांतरण हुए हैं, मध्य प्रदेश राजस्व अधिनियम की धारा 170-ए के अन्तर्गत ऐसी जमीनें वापिस कर दी जायें। लेकिन आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही जनता प्रशासन आया, उसने इसको बन्द कर दिया, इस कानून और नियम को भंग कर दिया और जितने साहूकार और सेठ थे, आज वे हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जहां पहले कोआपरेटिव सोसायटीज या दूसरे ऐसे संस्थानों के माध्यम से सामान दिया जाता था, अब उन पर यह दबाव डाला जाता है कि हमसे खरीदो। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं आप कृषि के मामले में और औद्योगिक संस्थानों के माध्यम से भी देखें —हिन्दुस्तान को आजाद हुए 33 वर्ष हो चुके हैं, आपने कितने लाइसेंस हरिजनों, आदिवासियों को स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज के लिये दिये हैं ? उनकी इकानामिक कण्डीशन तभी अच्छी होगी जब हम उनको स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज देंगे और बैंकों के माध्यम से उनको कर्ज दिलायेंगे। आप उनको मछली पालन और दूसरे कुटीर उद्योगों में लगायें—जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे शासकीय हो या अशासकीय, उनमें उनको नौकरी नहीं मिलती है। आप हमारे शहडोल में देखिये— वहां एक "ओरिएन्ट पेपर मिल" की स्थापना हुई थी। वहां सभी आदिवासियों की जमीनों का लेंड-एक्वीजीशन किया गया, उसके बदले में उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया। यह नीति भी तय की गई थी कि जिनकी जमीन ली गई हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, चाहे उसका नाम एम्पलायमेंट के दफ्तर में रजिस्टर हो या न हो, लेकिन इस नीति का भी पालन नहीं किया गया और उनके लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहां 15 कोल माइन्ज हैं, जहां पर आदिवासी निवास करते हैं। उनकी बहुत सी जमीनें ओपन-काश्त में चली गई हैं और वे आज भिखारियों की तरह से भाग रहे हैं, परन्तु उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको कम्पेन्सेशन दिलाया जाय तथा उस नीति के अनुसार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय।

आदिवासियों के लिये रक्षात्मक उपाय होने भी बहुत आवश्यक हैं। जो आदिवासी हिन्दुस्तान में निवास करते हैं, वे स्लोगन लगाना नहीं जानते, कोई नारा लगाना नहीं जानते, वे चाहते हैं कि हमारा भी विकास हो। आज बहुत से आदिवासी नवयुवक पढ़-लिख गये हैं, अच्छे-अच्छे टेकनीशियन हैं, वे जिस स्तर की नौकरी चाहते हैं वह उनको नहीं मिल पाती है। इसलिये मैं निवेदन करता चाहता हूं कि जो आंकड़े मुझे गृह विभाग से प्राप्त हुए हैं, वे संतोषजनक नहीं हैं। आदिवासियों का यदि आपको सही रूप में उत्थान करना है तो इनके लिये कोई रचनात्मक कार्यक्रम बनायें। इसके साथ ही छठी योजना में जो इनके अप-लिफ्ट की योजना बनाई जा रही है वहां पर सब प्लान में ऐसे लोगों को रखें जो उस कार्य में रुचि रखते हों, गांव में रहना जानते हों और रहने के लिये तैयार हों। प्राय: यह होता है कि सब-प्लान में ऐसे लोगों को रख दिया जाता है, जिनकी उस काम में रुचि नहीं होती है। रुचि रखने वालों को डेपटेशन न देकर दूसरे अधिकारियों को भेज दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। वहां पर पंचासों सब-प्लान चल रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रुचि न लेने से वहां पर जिस तरह से उनका उत्थान होना चाहिये था, वह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्यक्रम आदिवासियों और हरिजनों के अप-लिफ्ट के लिए है, वह रचनात्मक ढंग से बनाए जाए और चलाए जाएं।

मेरा गृह मन्त्री जी से यह भी निवेदन है कि 1953 में जो काका कालेकर आयोग स्थापित हुआ था, उसकी सिफारिशों को दृष्टि में रखकर हरिजनों के अपलिफ्ट के लिए जो समिति बनी थी, उसका कार्यकाल मार्च, 1980 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वह रिपोर्ट जल्द आनी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत हरिजनों तथा आदिवासियों का उत्थान होना चाहिये।

आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और गृह मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिये 7.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं आशा करता हूं कि आदिवासियों के लिये जो 3.5 करोड़ रुपया रखा गया है, उसको बढ़ाकर वे 7.5 करोड़ कर देंगे तभी हरिजनों और आदिवासियों का एक साथ विकास होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार उस पर विचार भी कर रही है। वह सवाल है—स्वतन्त्रता सेनानियों का हमारे देश के प्रेरणा-स्रोत स्वतन्त्रता सेनानियों की भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं की भूमिका की वजह से हम यहां मौजूद है और अभी भी 4 लाख स्वतन्त्रता सेनानी जीवित हैं, जिनमें 1 लाख 20 हजार के करीब सेनानी ऐसे हैं, जिनको सरकार पेन्शन दे रही, खैरियत है कि जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, नहीं तो वह वह बन्द ही कर देती।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस बात को पहले भी कई बार उठाया है। मेरे विचार से आप इस बात को चौथी बार उठा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इसीलिये उठा रहा हूं कि सरकार शीघ्र कोई निर्णय करे। सरकार ने उनकी दो बातें मान ली हैं—पेन्शन का नाम बदल कर "स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेन्शन" कर दिया है। हमारी ऐसी मांग भी थी और उनको ताम्र-पत्र देने का फैसला भी किया है।

इस सदन में और उस सदन में मिलाकर 125 के लगभग सदस्य ऐसे हैं जो स्वतन्त्रता सेनानी रह चुके हैं, हम सबकी यह मांग है कि पेन्शन की राशि जो आप 200 रुपये दे रहे, वह इस मंहगाई के जमाने में कुछ नहीं है, इसमें वृद्धि की जाए और इसको 500 रुपया कर दिया जाए।

दूसरी मांग यह है—आपका नियम है कि 5000 रुपया जिनकी वार्षिक आय है, उनको पेन्शन नहीं दी जाती है। अब यह सीमा उठा देनी चाहिये, क्योंकि जब आप सम्मान कर रहे हैं तो इसमें सीमा क्यों ? दूसरे किसी के साथ सीमा नहीं है, आप भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देते हैं, उनके साथ सीमा नहीं है, लखपति भी ले सकता है और मेरे जैसा गरीब भी ले सकता है, तब फिर इनके लिये सीमा क्यों ? इसको उठा दीजिये।

तीसरी बात—अभी बहुत से सेनानी बूढ़े हो गये हैं, लेकिन उनको यह पेन्शन नहीं मिल रही है। कारण यह है कि उन्होंने समय पर अपनी दरख्वास्त नहीं दी थी। एक बार अगर आप उनको मौका देदें, तो इसमें क्या हर्ज है ? उनको एक बार और मौका दे दीजिये। जो सेनानी दिवंगत हो गये हैं, यदि पति जिन्दा है तो 200 रुपये, लेकिन मरने के बाद उसकी पत्नी को 100 रुपया देते हैं। यह फर्क नहीं होना चाहिये, इस अन्तर को मिटा दीजिये। जितना आप सेनानी को देते थे, उसकी विधवा पत्नी को भी उतना ही दीजिये। कुछ और कैटेगरीज के लोग बचे हुए हैं उनकी सेवाओं पर भी गौर कीजिये और उनको भी पेंशन दीजिये। 15-20 वर्ष से ज्यादा कोई भी सेनानी जिन्दा नहीं रहने वाला है, तो उनको क्यों महरूम करते हैं।

सेनानियों के सवालों पर हम आपसे बात कर सकें, अपनी राय दे सकें—इसके लिए आप सेनानी-संसद सदस्यों की एक कमेटी बना दें तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी।

जो जाली सेनानी हैं—उनकी पेन्शन बन्द होनी चाहिये, हम भी इसके हक में हैं। जाली सेनानियों का पता लगाने के लिये हर राज्य में सेनानियों की कमेटी बना दीजिये, ताकि वे लोग इस काम में सरकार की मदद कर सकें। इसी तरह से जिन सच्चे सेनानियों की पेन्शन बन्द कर दी गई है, जिन जाली सेनानियों की बन्द की गई वह तो ठीक है, लेकिन जो सच्चे लोग हैं या किसी दुश्मनी की वजह से किसी ने चिट्ठी लिख दी, उसके आधार पर बन्द कर दी गई, उनकी आप ठीक से चांच करवाइये ताकि उनकी कठिनाइयां दूर हों।

मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर विचार हो और शीघ्र निर्णय लिया जाय। इससे सेनानी आपको बराबर याद रखेंगे, वैसे भी आपको याद करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने उनको पेन्शन दी है। परसों या जब भी मन्त्री महोदय जवाब दें, इन सवालों में से कुछ पर तो ऐलान कर ही दिया जाय। ताकि हमारे जैसे सेनानियों को संतोष हो और पूरे देश में जो चार लाख सेनानी है, उनके दिल में यह भरोसा हो कि सरकार हमें भूली नहीं है, हमने जो देश की सेवा की है, हमारी सेवा भी सरकार करने को तैयार है, हमारी खोज-खबर लेने को तैयार है। तो मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी जवाब देते समय इन बातों का एलान करें ताकि हमारे जो सेनानी बचे हैं, और जो अभी जिन्दा हैं, वे देशवासियों को प्रेरणा देते रहें कि देश की एकता, समाजवाद और जमूहरियत की नीति पर चलें और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करते रहें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बातें कहने का मौका दिया।

प्रो एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं श्री शास्त्री द्वारा सभा के सामने रखी गयी मांगों का समर्थन करता हूं। मैं एक को छोड़कर इन सबके पक्ष में हूं। संसद सदस्यों से यह नहीं कहा जाना चाहिये कि वे यह निर्णय लें कि किसे न दिया जाये। हमें यह निर्णय लेने के लिए कहा जाना चाहिये कि किसे दिया जाये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने वैसा नहीं कहा था। मैंने केवल समिति गठित करने का सुझाव दिया था, ताकि सरकार हमारे सुझावों पर विचार कर सके। आखिर सरकार निर्णय तो ले ही लेगी।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रालय की मांगों की पुष्टि में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं।

सर्व प्रथम माननीय गृह मन्त्री, श्री जैलसिंह जिस शान, शक्ति और सूझबूझ से गृह मंत्रालय को चला रहे हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 'गृह' कहते हैं 'घर' को। घर के अन्दर हर व्यक्ति यह चाहता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी न हो। गृह की मंत्राणी होती है स्त्री, जो घर को चलाती है। उस के सामने बहुत सी समस्याए पैदा होती है दाल, आटे,चने और गुड़ की। उस की पूर्ति घर का मालिक पति करता है। फिर भी शिकायत व शिकवा रहता है। भाई-भाई से लड़ता है, भाई-बहन से लड़ता है बाप-बेटे से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ता है। वर्तन भी आपस में ठनकते है टूटते है, फूटते है और फिर आपस में प्यार भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यह राष्ट्र है, जो हमारा घर है और उस की मलिक प्रधान मंत्री है और गृह मंत्री हमारे माननीय जैल सिंह है। इन के सामने अनेक प्रकार की समस्याए आती है, झगड़े टंटे की बातें आती है। ये बातें आदिकाल से है जब से सष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह कर्म-भोग चक्र है जो इन्सान को घुमाता रहता है। यह चाहते हुए भी कि समस्यांए पैदा न हों, फिर

भी वे पैदा हो जाती है क्योंकि कर्म का जो भोग है, वह इन्सान को घुमाता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी नहीं चाहते, विरोधी दल के लोग भी नहीं चाहते परन्तु जिस ढंग से विरोधी पार्टियों के नेताओं ने गृह मंत्रालया की आलोचना की है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? इसलिए किउनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है। एक कहावत है, 'मुख में राम, बगल छुरी।' विरोधी पार्टियों का जितना भी टोला है, उनके मुख में तो राम हैं पर बगल में छुरी है इन की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है। यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुझे यदि समय होता, तो मैं एक-एक पार्टी और एक-एक मेम्बर की कलई खोलकर रख देता।''' (व्यवधान) कहते कुछ है और करते कुछ है। इस समय इन की बेंचेज खाली हैं क्योंकि इनकी दुकान का दिवाला निकल चुका है। बागपत की बात करते हैं और बागपत के प्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह हाउस में हाजिर नहीं। बागपत की चर्चा हुई और उस पर वे बोले नहीं।

हाउस छोड़कर के चले गये और बाहर जाकर के प्रेस वालों से मिलकर के वे जिस ढंग से प्रोपेगण्डा कर रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक स्टन्ट के सिवाय और कुछ नहीं है ये लोग जो दिल्ली में आगामी चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जो तीन-चार सीटों के लिए, जो कि लोक सभा की खाली हैं, उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए यह सारी स्टन्टवाजी कर रहे हैं। राजनीतिक स्टन्टवाजी इस देश का दुर्भाग्य रहा है। कुछ सूझ-बूझ वाले पत्रकार भी, पता नहीं किस षड्यन्त्र का शिकार हो उनके हाथों में खेल रहे हैं और देश को वर्बादी की ओर ले जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव ने यहां पर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन चलायेंगे। किसके लिए चलायेंगे? बागपत की घटना के लिए बागपत की घटना की जो हीरो है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि उस माया को श्री मधुदण्डवते जी ने और श्रीमती दंडवते जीते दो दिन तक अपने घर में रखा और उसकेबाद ही वह प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री तक पहुंचायी गयीं। महिलाओं के सम्बन्ध में आज चौधरी चरणसिंह और दूसरे विरोधी ग्रुप के लोग बात कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। चौधरी चरणसिंह जब उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर थे, वहां के मुख्य मन्त्री थे तो तब उन्होंने ये शब्द कहे थे कि हिन्दुस्तान की महिलाओं को घरों में बैठकर खाना बनाना चाहिए। किन्तु जब वे स्वयं विधान सभा में गए तो अपनी पत्नी को भी विधान सभा में सवस्य बना कर ले गये। जब वे इस लोकसभा में आए तो यहां भी अपनी पत्नी को लोकसभा का सदस्य बना कर ले आए। आज ऐसे लोग यह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी श्री संजय गांधी को प्रोत्साहन दे रही हैं, उन्हें लोकसभा में ले आयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरणसिंह अपनी पत्नी को क्यों लाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा से उनकी पार्टी के लोगों से कि वे श्रीमती बहुगुणा को मेम्बर बनाकर क्यों लाये?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस हाउस मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग दिल्ली के अन्दर लोकशाही की बात करते हैं, मेट्रोपालिटन काउंसिल के अन्दर लोकशाही की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने कि तीन रंग बदले हैं, शराब वही है, सिर्फ वोतल बदली है, जब उस पार्टी के लोग दिल्ली कारपोरेशन में चुनकर गए तो उन्होंने बिना चुने हुए व्यक्ति श्री हंसराज गुप्त को और उनके बाद उनके बाद उनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को दिल्ली का मेयर बनाया। आज ये इस बात की शिकायत करते हैं। यह है इनकी कथनी और करनी।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में महिलाओं की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका कि

हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ा चर्चा रहा है। एक चर्चा पेपरों में आया था सुषमा और सुरेश का मैं जनता पार्टी के इन आकाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उस घटना की यहां पर याद दिलायी। सुषमा और सुरेश कांड जो पेपरों में बड़ा प्रसिद्ध रहा, उसका हीरो कौन था? उसका हीरो, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि वह अनेक रंगों से घिरा हुआ था। उस तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री, राजनारायण के बारे में क्या कहूं जो कि राजनीतिक रंगमंच का जो कहा जाता है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उस व्यक्ति की कोठी से वह षड्यन्त्र चलता था। वह प्रोपेगण्डा, चौधरी चरणसिंह के यहां जो सम्बन्धित लोग आते जाते थे उनसे उस प्रोपेगण्डे को प्रोत्साहन मिलता था। आज इस देश के ये नेता यह चाहते हैं कि इस राष्ट्र के अन्दर अच्छा शासन चले परन्तु उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। क्या सुषमा महिला नहीं थी? उस समय क्या इनकी अक्ल मारी गई थी? कहां गया था उस समय उनका दिमाग, कहां गई थी उस समय महिला के सम्मान की बात?

आज बागपत में माया की एक घटना को लेकर ये चलते हैं। पेपरों में इस घटना ने इसलिए महत्व प्राप्त किया क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति इसके साथ जुड़ गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी महिला के सामने यदि दो व्यक्ति भी खड़े हों तो क्या उनकी उससे आंख मिलाने की हिम्मत हो सकती है? हजारों आदमियों के सामने पुलिस किसी महिला के साथ बलात्कार करें, क्या यह बात दिमाग में उत्तर सकती है? दोनों घटनाओं को लेकर एक और भी हीरो बनने चला था और वह राजनारायण जी थे। जब गृह मन्त्री जी हमारे वहां जांच करने के लिए गए तो वह भी वहां पहुंच गए और समझने लगे कि वह भी राजनीतिक रंगमंच के एक हीरो हैं और उनके सामने उन्होंने हुड़दंगबाजी करनी की कोशिश की। राजनारायण जी ने कोई ठोस काम जीवन में नहीं किया, कोई रचनात्मक काम महिलाओं के बारे में, हरिजनों के बारे में नहीं किया। स्टंटबाजी करके झूठा प्रोपेगण्डा करके, झूठी बातें और झूठे वक्तव्य अखबारों में देकर वह चौदराहट करते रहे हैं। ये चेयरसिंह बने हुए हैं। कुर्सी की भूख ने इनको इकट्ठा किया। यह मेंढकी टोला टांय-टाय करता रहा। मैं तो इनको बरसाती मेंढक कहता हूं। जब बरसात होती है तब ये टांय-टांय करने लग जाते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं और बरसात समाप्त होते ही इनका पता नहीं चलता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये एक मंच पर आकर मिलना चाहते हैं और एक तराजू पर तुलना चाहते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संसार का इतिहास आप देख लें। मेंढकों को कोई तराजू में तौल नहीं सका है। यदि आप दो मेंढकों को एक बार तराजू के एक पलड़े में रख दें और उसके बाद चार और मेंढक उस पलड़े में डालकर तौलना चाहें तो दो जो पहले से मेंढक आपने रखे हैं वे बाहर निकल जायेंगे। उनका यह स्वभाव है। यही कारण है कि ये लोग अपवित्र गठबंधन करके, अपने-अपने स्वार्थों को साधने के लिए एक मंच पर आने का प्रयास करते रहे परन्तु इनके विचार मिलते नहीं थे इस वास्ते ये एक नहीं रह सके। कहां चौ० चरणसिंह और कहां जगजीवन राम जी, और कहां ये जन संघ वाले और कहां ये मार्क्सवादी। क्या मेल है इन सब में? एक पूर्व है और दूसरा पश्चिम है। इनकी विचार धारायें पूर्व और पश्चिम चल रही हैं। इनका जो भी गठबन्धन था वह बरसाती मेंढकों के माफिक था और स्वार्थ साधने के बाद इन्होंने फिर से एक दूसरे को हिट मारने का प्रयास किया और उस हिट मारने का जो परिणाम निकला वह आपको नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वे सारे के सारे उधर बैठे हुए हैं। हरिजनों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए पुलिस को दोष दिया जाता है। मैं एक बात

कहना चाहता हूं श्री चरणसिंह यहां पर गृह मन्त्री थे। कंझावाला के अन्दर बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों को जमीनें दे दी गई। वहां पर चरणसिंह जी की जाति के लोगों ने उन पर अत्याचार किया, शरारतें कीं, उनको तंग किया। जब राष्ट्र का रक्षक ही भक्षक बन जाये, गांव का कोतवाल ही चोर हो जाये तो गांव की रक्षा कौन करेगा ? जिनके ऊपर जवाबदारी थी हरिजनों, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, वे तब कहां गए थे।

यत्र नारियस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

यह हमारे देश की प्राचीन परम्परा रही है। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक नारी एक महान शक्ति दुर्गा स्वरूपा, श्रीमती इन्दिरा गांधी अध्यक्षा, प्रधान मन्त्री पद पर है। आज ये सब मिल कर शम्भु टोला उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और वह यहां पर सिंहासन पर आसीन हैं।

खादी नीकर वाले हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री,—जिनको में नागपुरी सन्तरे कहा करता हूं, चीन दौड़ते हैं कबड्डी खेलने के लिये खाकी वर्दी पहन कर और सारे नेता चक्कर काटते रहे इनको पूछने वाला कोई नहीं था लेकिन आज कांग्रेस (आई) के सत्ता में आने के बाद सारे संसार की ताकतें हमारे प्रधान मन्त्री के चरणों में आकर विचार विमर्श करती हैं।

जहां तक कम्युनिस्ट भाइयों का या मार्क्सिस्ट भाइयों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म देने वाले श्री अमृतपाद डांगे थे और उनकी तपस्या और साधना का ही यह फल था कि यहां हमारे देश में साम्यवाद की विचारधारा फैली। सारा जीवन उन्होंने साम्यवाद को फैलाने में लगा दिया है। अब बुढ़ापे में आकर उनका तीसरा नेत्र खुला है और उन्होंने कहा है कि गरीब जनता का कोई भला कर सकता है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है इनके आका ने जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म दिया और इतना ताकतवर बनाया उनके ये विचार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि संसार की कोई ताकत इस देश को झुका नहीं सकी, परन्तु इस देश में जो रहे हुए गद्दार हैं, उन्होंने इस देश के साथ विश्वासघात करके इस देश को हानि पहुंचाई है। किसी ने ठीक कहा है—

दिल के फफोले जल उठे,
सीने के दाग से।
इस घर को आग लग गई,
घर के चिराग से।

ये लोग रहते यहां पर हैं, लेकिन इनके दिल और दिमाग मास्को, चीन और पीकिंग की तरफ हैं। खाते-पीते यहां पर हैं, यहां पर पलते हैं और दिमाग अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की तरफ चलता है। इन देशघाती, देशद्रोही लोगों से, मैं गृह-मन्त्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है ऐसे व्यक्ति······

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, वह देशद्रोही किस को कह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : ये तमाम विरोधी दल के लोगों को कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी

के ऊपर बोलते-बोलते उन्होंने बात कहीं देशद्रोही की । मैं समझता हूं
आनी चाहिए, आप इस तरह की बात को प्रोसीडिंग्ज से निकाल दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके तथा आपके दल के हित मेरे हाथ
देखूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना
कि यहां रहकर जो दिल और दिमाग उधर रखते हैं, उसमें कोई आपत्ति

संविधान के आधार पर और यहां पर जो हम शपथ लेते हैं उ
के लिये हम प्रतिज्ञा करते हैं । जो प्रतिज्ञा लेकर इस देश के साथ वफा
मत नहीं,**

मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि छोटी-छोटी बात तो चलेंगी, चो
यह कोई नहीं चाहता, न गृह-मन्त्री और न प्रधान मंत्री और विरोधी दल
यह तो जो लोग करते हैं वह अपने कर्म-भोग के चक्र के आधार पर करते
है कि हम मिलकर कुछ करें कि इस देश में इस तरह की बातें न हों, प
सुझाव होने चाहिए ।

आज माया के साथ कोई कांड हुआ है, गृह-मन्त्री ने कोई बा
लाकर माया को कहें कि तू चल, तेरे साथ किस ने क्या किया है । ग
में यह बात वही है कि आप बताओ हमें, परन्तु इस तरह से आन्दोलन
रोहतक में आंदोलन चलाना, यह नाटक क्यों हो रहा है ? इस नाटक के
के अलावा कुछ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर ऐसी अनेक बातें हर प्रकार
दिया घर का । घर में समस्याएं होती है, लड़ाई भी होती हैं, परन्तु र
को ध्यान में न रखकर, छोटी-छोटी बातों के पीछे, रोज में देखता हूं
शून्य काल में यह विदेशी टोला नियम की बात करता है, नियम आप
है कि अध्यक्ष की परमीशन लेकर आराम से बात कहनी चाहिये, परन्
है । (व्यवधान)

शास्त्री जी, मैं नहले पर दहला तभी मारता हूं जब आम नि
हो जाते हैं । मैं पहले कभी खड़ा नहीं हुआ । जब आपको देखता हूं
स्थान है, यहां देश और विदेश की समस्याओं को लेकर हमें गंभीरता

छोटी-छोटी बातें पेपर पर लेकर खड़े हो जाते हैं, वह दिखा
समय बर्बाद करते हैं 5,7 आदमी । इस पर नियंत्रण भी रहना चाहि
करना चाहिये ।

मैं गृह-मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि छोटी-छोटी बातें आती है

** अध्यक्षापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल
** अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल

जानबूझकर जो शरारत करता है, उस पर हमें किसी को छेड़ना नहीं चाहिये, परन्तु हमें कोई छेड़े तो उसको छोड़ना नहीं चाहिये। आपको यह नीति बनाकर चलना चाहिये।

मैं प्रार्थना करता हूं कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक पापी है, मेरी दृष्टि में। क्यों सहन करते है जो पाप होता है, अत्याचार होता है ? परन्तु जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उस पर भी दृष्टि रखनी पड़ेगी कि ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन क्यों देते हैं। विदेशी ताकतें, बाहर से हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाकर आर्थिक मदद देकर, कुछ और लोभ-लालच देकर इस देश में तोड़-फोड़ करने का प्रयास कर सकती हैं, परन्तु इस देश में डर है, देश के अन्दर रहने वाले गद्दार और दुश्मनों से। उसके ऊपर आपको विशष ध्यान देना पड़ेगा।

असम की बात है, झारखंड की बात है। झारखंड में क्या हो रहा है ? छोटा नागपुर और सिंहभूम की तरफ कौन आन्दोलन कर रहे है। विदेशी तत्व, विदेशी मिशनरी काम कर रहे हैं। हम किसी को निकालने के पक्ष में नहीं हैं, परन्तु देशद्रोह का काम करके, देश में बगावत करना चाहते हों, तो सिर उठाने के पहले दिन ही उसको कुचल देना चाहिये। ऐसे तत्वों को राष्ट्र से निकालना भी पड़े तो हमें उनको निकालना चाहिये।

मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें गृह-मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर और गृह-मन्त्रालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो कुछ समस्याएं हैं, वे मैं आपके सामने पेश करता हूं, आपको इस देश में तोड़-फोड़ बन्द करानी है, इस देश में शोषण को दूर करना है। स्मगलरों, डाकुओं, संग्रहखोरों, बदमाशों और गुंडों को तुरन्त गिरफतार करके उन्हें जेल में ठूंस देना चाहिए, जैसा कि इमर्जेंसी के समय किया गया था। अगर एक काम यह कर लिया, तो राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

जनता पार्टी के राज में स्मगलरों को ला कर श्री जयप्रकाश नारायण के सामने हाजिर किया गया। सर्टिफिकेट दे दिया गया कि देवता लोग हैं। जिन्होंने सारा जीवन इस धंधे में बिताया हो, उनके हाथ साफ कैसे रहेंगे ? उन स्मगलरों को सर्टिफिकेट मिल गया कि ये लोग श्री जयप्रकाश नारायण के यहां हाजिर हो गये, अब उन्होंने सब पाप-कर्म, सोने-चांदी की चोर-बाजारी छोड़ दी होगी। उन लोगों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने काला-बाजारी के पैसे के आधार पर इस देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। राजनैतिक पार्टियों को मदद देकर जो आन्दोलन और शरारतें की जा रही हैं, उनकी भी तहकीकात कीजिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कीजिए।

जैसा कि कहा गया है, अति वर्जित है। गृह मन्त्री ने, और परम आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने भी, असम के सम्बन्ध में, और समस्याओं के सम्बन्ध में, बहुत ढील दे दी है। परन्तु अब तो पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है। इन शरारती तत्वों के कुचलने के लिए आपको दंड का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राज्य तो दंड-व्यवस्था के बिना नहीं चल सकता है। जो बलात्कार करता है, उसके हाथ काट दीजिए, उसकी आंखें निकाल दीजिए, तो दूसरे किसी को सहास नहीं होगा। सख्ती से कानून का पालन कराइये।

पुलिस तथा अन्य तमाम सरकारी विभागों में कुछ ऐसे विदेशी तत्व भरे हुए हैं, जो मदद कर रहे हैं देश में रहने वाले कुछ लोगों को आपको उनका भी सफाया करना पड़ेगा। आज देश में टेलिफोन खराब है, बिजली खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गाड़िया टाइम पर नहीं आ

रही है। ये समस्याओं क्यों है ? उसका कारण यह है कि वहां गद्दार बैठे हुए हैं, आर० एस०एस० के लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट लोग, जो जान-बूझकर शरारत करके लाइनों को खराब करते हैं और जनता में सरकार को नीचा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं। ऐसे तत्वों की जांच करके उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा।

आज वहां पर बागपत की बात करते हैं, या दिल्ली में कोई घटना होती है. उसकी बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्किसस्ट या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने ऊंट निकल जाए, तो नजर नहीं आता है, पर चींटी नजर आ जाती है। पता नहीं, इन्होंने कैसे चश्मे लगा रखे हैं। त्रिपुरा में सैंकड़ों आदमी मर गये, वहां के गरीब आदिवासियों का कत्ले आम किया गया, उनके घरों को जलाया गया। परन्तु उन पर जूं तक नहीं रेंगी। कोई लोक दल का व्यक्ति नहीं बोला, कोई मार्किसस्ट नहीं बोला, कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं बोला। यदि चौ० चरणसिंह ने सत्याग्रह करना है, तो उनके प्रार्थना है कि त्रिपुरा में जाकर सत्याग्रह करो। इस बहन के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी गृह मन्त्री और सारे देश ने ले रखी है। उसकी तो जांच होगी, जो दण्ड देना होगा, दण्ड देंगे। परन्तु सत्याग्रह वहां करो, जहां कत्ले-आम हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं।** और ये जनता पार्टी के गृह राज्य मन्त्री जो थे धनिक लाल मंडल, इनकी सी. आर. पी. के नौजवानों ने समस्तीपुर उपचुनाव के समय गिरफ्तार किया और ये दूसरे व्यक्ति जिनके मैंने नाम लिए उनके खिलाफ दफा 307, 379 और 147 के अधीन केस दायर किए गए। ये जनता रक्षक रोज हरिजनों की बात अखबार लेकर सपने में दिखाते हैं। इन्होंने आइने मेंअपना चेहरा देखा है कि इनकी करतूत क्या है ? मैं गृह मन्त्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार कीजिए कि जो हरिजनों पर अत्याचार करते हैं वह अत्याचार करने वाले कौन सी जाति के लोग हैं ? मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि ये लोग जो रोज यहाँ खड़े होकर हुड़दंगबाजी करते हैं इन लोगों की जाति का इन लोगों से प्रेरणा लेकर के जरायम कर रही है अत्याचार स्वयं करते हैं, आग भी लगाते हैं और फिर चिल्लाते भी हैं कि आग लग गई। चोर को कह गए कि चोरी करो और साधु को कह गए कि सावधान रहो।

अध्यक्ष महोदय : अपने कुछ ऐसे सदस्यों का जिक्र किया है जो सबसे बाहर है और जो सभा के सदस्य नहीं है। ऐसे नाम मुझे कार्यवाही वृतान्त से निकालने पड़ेंगे। मेरे विचार में आप मुझसे सहमत होंगे।

आचार्य भगवान देव : यहां पर विरोधी पार्टी के लोगों ने हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पी. एस. भिन्दर साहब के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें कहीं। ये लोग यहां के रहने वाले बहुत कम हैं। मैं 13 साल से दिल्ली में रहता हूं। इन्होंने अपने राज में चतुर्वेदी को यहां कमिश्नर बनाया। यह परम्परा इन्होंने चालू की। भिन्दर के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वह महान देशभक्त और हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। उनका सम्मान होना चाहिए। मैं गृह-मन्त्री से प्रार्थना करना चाहता हू, उनको आज बढ़िया से बढ़िया कोई पद मिलता हो तो दें। उनको कोई प्रमाण पत्र देना पड़े तो दें। दिन रात एक करके वह दिल्ली की रक्षा पहले भी करते रहें और आज भी करते हैं। आज उसके सम्बन्ध में ये बातें करते हैं। उसके ऊपर अनुचित और झूठे आक्षेप लगाते हैं जो व्यक्ति निर्दोष सावित हो चुका है कोर्ट्स के अन्दर क्योंकि वह हमारे साथ और देश

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

के साथ वफादारी करके चलता है। मैं गृह मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि भिन्दर जैसे पुलिस कमिश्नर को ताम्रपत्र या और कोई ऊंचा पद दे सकते हैं तो जरूर दें।

पुलिस के अन्दर उनकी आवश्यकताएं बहुत कम हैं। वह आपको भी पता है। मुझे कुछ कहना नहीं है। उनके आवास के बारे में, उनकी और अनेक समस्याओं के बारे में आपको सारा पता है। उसका आप ध्यान रखेंगे।**

6.58 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 जुलाई, 1980/30 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, द्वारा मुद्रित दिल्ली-10053